THE CHATTISGARH
CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960
[No. 17 of 1961]

Received the assent of the President on 28-04-1961, the assent first published in M.P. Gazette on 12-05-1961.

An act to organise and develop co-operatives as democratic instruments and people's institutions based on self help mutual aid for curbing exploitation and ensuring socio-economic development of people with particular emphasis on weaker sections of society.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Eleventh Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this act, unless the context otherwise, requires,-

(a) **"Additional Registrar"** means an Additional Registrar of Co-operative Societies appointed under section 3;

(a-i) **"Apex Society"** means a Society which has as its members more than one Federal or Central societies and whose principal object is to provide facilities for operations of other societies affiliated to it and whose area of operation extends to the whole State of Chhattisgarh;

(b) **"Assistant Registrar"** means an Assistant Registrar of Co-operative Societies appointed under section 3;

(b-i) **"Area of operation"** means the area from which the membership is drawn or as specified in the byelaws of the society;

(c) **"Bye-laws"** means the bye-laws registered or deemed to have been registered under this Act and for the time being in force, and includes a registered amendment of the bye-laws;

(c-i) **"Central Society"** means a District Co-operative Agriculture and Rural Development Bank or any other society whose area of operation is confined to a part of the State and which has as its object the promotion of the objects of the member societies, and which has at least five societies as its members;

(c-ii) **"Central Co-operative Bank"** means a resource society registered or deemed to be registered under this Act, which is either licensed under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or permitted by the Reserve Bank of India to do banking business till so licensed, and

(i) has area of operation confined to a part of the State; and

(ii) has as its principal object, the creation of funds and the obtaining of credit, goods or services for and providing credit, goods or services as loan to Co-operative Societies affiliated to it for agriculture, industrial and other allied purposes;

(c-iii) **"Company"** means a Company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c-iv) **"Co-operative Union"** means a registered society which has as its principal object the undertaking of co-operative education, propaganda, training and extension of co-operative services;

(d) **"Committee"** means the Board of a management by whatever name called constituted under section 63;

(d-i) **"Co-operative Bank"** means a State Co-operative Bank, a Central Co-operative Bank and a Primary Co-operative Bank, registered or deemed to be registered under the Act;

(e) **"Co-operative Society with limited liability"** means a society having the liability of its members limited by its bye-laws to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them or to such amount as they may, respectively, undertake to contribute to the assets of the society in the event of its being wound up;

(e-i) **"Chief Executive"** means an individual appointed under section 71 and who subject to superintendence, control and direction of the Committee has been entrusted by the Committee with the management of the affairs of the co-operative;

(g) **"Consumers' Society"** means a society formed with the object of obtaining or producing and processing and distributing goods to or performing other services for its members, as well as for other customers and dividing amount its members and customers in a proportion as may be laid down in the bye-laws of such society, the profits accruing from such supply, production processing and distribution;

(g-i) **"delegate"** means a person elected by a group of individual members to represent them in the general body of the society in accordance with the bye-laws of the society;

(g-ii) **"Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation**" means the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No 47 of 1961);

(h) **"Deputy Registrar"** means a Deputy Registrar of Co-operative Societies appointed under section 3;

(hh) **"Development Bank"** means a District Co-operative Agriculture and Rural Development Bank or the Chhattisgarh State Co-operative

Agriculture and Rural Development Bank registered or deemed to be registered under this Act;

(i) **"Family"** means a person, his spouse, his children, dependent on him and his other relations dependent on him and jointly residing with him;

(j) **"Farming Society"** means a registered society formed with the object of promoting development of land, better methods of cultivation and promotion of new agricultural technology, and includes a better farming society, tenant farming society, collective farming society, joint farming society, irrigation society, contract farming society and crop promotion society.

(k) **"Federal Society"** means a society of which not less than fifty percent of the share capital, excluding Government share capital is held by societies;

(l) **"Financing Bank"** means a society, the objects of which include the creation of funds to be lent to other societies or its individual members, and which includes a Development Bank and the State Co-operative Bank;

(m) **"General Society"** means a society not falling under any of the heads (i) to (x) specified in sub-section (1) of section 10;

(n) **"Housing Society"** means a society formed with the object of providing its members with residential accommodation;

(n-i) **"Industrial Society"** means a society formed with the objects of promoting development of weavers, carpenters, metal workers, shoe makers or any other Society which aims at producing finished goods from raw materials of any kind;

(o) **“Joint Registrar”** means a Joint Registrar of Co-operative Societies appointed under section 3;

(p) **“Liquidator”** means a person appointed under section 70;

(q) **“Marketing Society”** means a society formed for the purpose of marketing agricultural or other produce and including among its objects, the supply of the requisites of such production;

(r) **“Member”** means a person joining in the application for the registration of a society or a person admitted to membership after registration in accordance with this Act, the rules and the bye-laws applicable to such society and includes the State Government when it subscribes to the share capital of a society;

(s) **“Multi-purpose Society”** means a society which includes amongst its objects any of the primary objects specified in any two or more of the clauses (g), (n), (v) and (y);

(t) **“Nominal Member”** means a person admitted to membership of a society under section 20;

(t-i)

(u) **“Other backward classes”** means category of persons belonging to backward classes as notified by the State Government;

(u-i) **“Primary Society”** means a society which is neither an Apex Society nor a Central Society;

(u-ii) **“Primary Agriculture Credit Cooperative Society”** means a society organized with the main objective of making credit available for agriculture production and includes a Primary, Service Cooperative Society and Adimjati Sewa Sahakari Samiti;

(u-iii) **“Primary Co-operative Bank”** means a resource society other than a village or urban resource society not registered as bank, the

objects of which include creation of funds to be lent to, and obtaining credit to be extended to members and which is licensed under Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or permitted by the Reserve Bank of India to do banking business till so licensed;

(v) **"Producers' Society"** means a society formed with the object of producing and disposing of goods as a collective property of its members and includes a society formed with the object of the collective disposal of the labour of its members;

(w) **"Processing Society"** means a society formed with the object of producing goods by mechanical or manual process and includes an industrial society and a society for the processing of agricultural commodities;

(x) **"Registrar"** means the Registrar of Co-operative Societies appointed under section 3;

(x-i) **"Representative"** means a member of the society to represent the society in other societies;

(x-ii) **"Reserve Bank"** means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934):

(y) **"Resource Society"** means a society formed with the object of obtaining for its members the credit, goods or services required by them and includes a service society and a primary credit society;

(y-i) **"Returning Officer"** means an officer appointed by the Registrar general or special order for performing the duties of a Returning Officer under this Act or the rules made there under and includes an officer subordinate to the Returning Officer nominated in writing by him to perform the duties of Returning Officer;

(y-ii) **"Scheduled Area"** means the area which has been declared under the Scheduled Area (State of Bihar, Gujrat, Madhya Pradesh & Orissa)

Order, 1977;

(z) **"Society"** means a co-operative society registered or deemed to be registered under the Act;

(z-i) **"Specified Office"** means the office of the President or Vice-president whatever the designation may be;

(aa) **"State Co-operative Bank"** means the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited;

(bb) **"Student"** means a person studying in any educational, vocational or training institution;

CHAPTER II
RIGISTRATION

Registrar and other 3. (1) (1) The State Government shall appoint a person to

officer.

be the Registrar of Co-operative Societies for the State and may appoint one or more officers of the following categories to assist him, namely:-

(a) Additional Registrar of Cooperative Societies;

(b) Joint Registrar of Cooperative Societies;

(c) Deputy Registrar of Cooperative Societies;

(d) Assistant Registrar of Cooperative Societies;

(e) Such other categories of officers as may be prescribed.

(2) The officer appointed to assist the Registrar shall, within such areas as the State Government may specify, exercise such powers and perform such duties conferred and imposed on the Registrar by or under this Act, as the State Government may, by special or general order, direct:

Provided that no officer other than the Additional Registrar or the Joint Registrar shall be Directed to exercise the powers to hear appeals under section 78

(3) The officers appointed to assist the Registrar shall be subordinate to him and shall work under his general guidance, supervision and control.

Societies which may be registered.

4. Subject to the provisions of this Act, a society which has as its objects the promotion of the economic interest of its members or their general welfare in accordance with co-operative principles or a society established with the object of facilitating the operations of such a society, may be registered under this Act.

Registration of societies with limited or unlimited liability.

5. A society may be registered with limited or unlimited liability;

Provided that unless the State Government by a general or special order otherwise directs, the liability of a society of which another society is a member shall be limited.

Conditions of registration.

6. (1) No society, other than a society of which another society is a member, shall be registered under this Act unless it consists of at least twenty persons

competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act, 1872(9 of 1872) and belonging to twenty different families, not being near relations and, where the objects of the society include the creation of funds to be lent to its members, unless such persons, save where the Registrar by general or special order otherwise directs, reside in the same town or village or in a compact group of villages.

Provided that a society formed exclusively for the benefit of students may be registered, notwithstanding that the members of such society may not have attained the age of majority according to the law to which they are subject:

Provided further that the Registrar may relax the condition of minimum membership to that society which is organized for the welfare of the employees of any organization / establishment.

Provided also that in case of a primary society, there shall be atleast 33 per cent, women members at the time of registration:

Provided also that the Registrar may, for sufficient reasons, relax the conditions of the prescribed percentage of women members,

(2) The word "limited" or its equivalent in any Indian language shall be the last word in the name of every society registered with limited liability under this Act.

Application for registration.

7. (1) For purposes of registration, an application to register a society shall be made to the Registrar in the prescribed form and shall be accompanied by four copies of the proposed bye-laws of the society. The person by whom or on whose behalf such application is made, shall furnish such information in regard to the society, as the Registrar may require.

(2) (2) The application shall be signed,-

(a) in the case of a society of which no other society is a member, by at least ten persons qualified in accordance with the requirements of section 6: and

(b) in the case of a society of which a member is a registered society, by a duly authorized person on behalf of every such registered

society and where all the members of the society are not registered societies, by ten other members, or when there are less than ten other members, by all of them.

Power of Registrar to decide certain questions.

8. Where in connection with the formation, registration or continuance of a society or the admission of a person as a member of a society any question arises whether a person is an agriculturist or not or whether any person resides in a particular area or not or whether any person belongs to any particular class or occupation or not or such other question pertaining to the eligibility of any person to become a member of a society, such question shall be decided by the Registrar and his decision shall be final.

Registration.

9. (1) If the Registrar is satisfied that a society has complied with the provisions of this Act and the rules and that its proposed bye-laws are not contrary to this Act or the rules, he may register the society and its bye-laws with such modifications as he may consider necessary:

Provided that no society shall be registered, if in the opinion of the Registrar, it is likely to be economically unsound or is likely to have an adverse effect upon any other society.

(2) Where the Registrar refuses to register a society or its bye-laws he shall communicate the order or refusal together with reasons therefor to the first signatory to the application.

(3) The Registrar shall take a decision within ninety days from the date of receipt of an application for registration of a society:

Provided that where there is a failure on the part of the Registrar to dispose of such application within the period aforesaid the Registrar shall within the period of fifteen days form the date of expiration of that period, refer the application to the next higher officer and where the Registrar himself is the Registering officer to the State Government, who or which, as the case may be, shall dispose of the applications within two months from the date of its receipt and on the failure of such higher officer or State Government, as the case may be, to dispose of

the application within that period, the society and its bye laws shall be deemed to have been registered.

(4) The Registrar shall maintain register of societies registered or deemed to be registered under this Act.

Classification of Societies.

10. (1) The Registrar shall classify all societies under one or more of the following heads, namely :-

(i) Consumers' Society;
(ii) Farming Society;
(iii) Federal Society;
(iv) Central Society;
(v) Housing Society;
(vi) Marketing Society;
(vii) Multipurpose Society;
(viii) Producers' Society;
(ix) Processing Society;
(x) Resource Society;
(xi) General Society.
(xii) Industrial Society;

Provided that a society formed with the object of facilitating the operations of any particular class of societies shall be classified as a society of that class

(1-a) The Registrar may further classify the societies falling under any of the heads specified in sub-section (1) under the following heads, namely:-

(a) Apex Society
(b) Central Society
(c) Primary Society

(2) The Registrar for reasons to be recorded in writing may alter the classification of any society from one head to another.

(3) The decision of the Registrar in respect of classification of societies shall be final.

Amendment of bye-laws of society.

11. (1) No amendment of the bye-laws of a society shall be valid until the same has been registered under this Act, for which purpose four copies of the proposed amendment shall be forwarded in the prescribed manner to the Registrar.

(2) If the Registrar is satisfied that the proposed amendment is not contrary to the Act or the rules and is not against the aims and objects of the Society

or any of the existing bye-laws he may register the amendment.

(3) The Registrar shall not refuse to register an amendment of the bye-laws without giving an opportunity to the applicant society, for being heard. If he decides to refuse to register an amendment, he shall communicate the order of refusal together with reasons therefore to the society within forty-five days from the date of receipt of the proposal:

Provided that, where there is a failure on the part of the Registrar to dispose of such application within the period aforesaid, the Registrar shall, within a period of fifteen days from the date of expiration of that period, refer the application to the next higher officer and where the Registrar himself is the registering officer, to the state Government, who or which, as the case may be, shall dispose of the application within two months from the date of its receipt and on the failure of such higher officer or the State Government, as the case may be, to dispose of the application within that period, the amendment of the byelaws shall be deemed to have been registered.

Power to direct amendment of bye-laws.

12. (1) Not-withstanding anything contained in this Act, or the rules or byelaws, on the request of more than fifty per cent of the members of the society or if the Registrar considers that an amendment of the byelaws of society is necessary or desirable in the interest of such society, he may, by an order in writing to be served on the society in the prescribed manner, require the society to make the amendment within sixty days.

(2) If the society fails to make the amendment within the time specified by the Registrar, the Registrar may after giving the society an opportunity of being heard and after soliciting the opinion of such Apex Federal Society, as may be notified by the State Government, register such amendment and issue a certified copy there of to such society:

Provided that the provisions of this section shall not apply in the case of Urban Co-operative

Banks.

Change of name. 13. A society may, by an amendment of its bye-laws, change its name, but such change shall not affect any right or obligation of the society, or of any of its members, or past members, or deceased members, or render defective any legal proceedings by or against the society, and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the society by its new name.

Certain certificates to be conclusive evidence. 14. (1) Where a society is registered or deemed to be registered under this Act, the Registrar shall issue a certificate of registration signed by him and such certificate shall be conclusive evidence that the society therein mentioned has been duly registered unless it is proved that the registration of the society has been subsequently cancelled:

Provided that where a society is deemed to be registered under this Act, the Registrar shall issue a certificate of registration within sixty days from the date on which it was deemed to be registered.

(2) No society shall commence business unless it has obtained a certificate of registration under sub-section (1) and every member of such society carrying on business in contravention of this sub-section shall be severally liable for all liabilities incurred in such business.

(3) When the Registrar registers an amendment of the bye-laws of a society under section 11 or section 12 he shall issue to the society a copy of the amendment registered by him, which shall be conclusive evidence that the same is duly registered.

(4) Where a society changes its name under section 13, the Registrar shall amend the certificate of registration accordingly, which shall be conclusive evidence that the change of name is duly registered.

Change of liability of society from limited to unlimited or vice-versa. 15. (1) Subject to the provisions of section 11, a society may by an amendment of its bye-laws change its liability from limited to unlimited or from unlimited to limited.

(2) No such amendment shall be registered by the Registrar unless he is satisfied that,-

(i) Twenty-one day's notice has been given to every member of the society and to any person or class of persons whose interest may, in the opinion of the Registrar, be affected by the change; and

(ii) With respect to every such member or person who, in the opinion of the Registrar, is entitled to notice,-

(a) either his assent has been obtained to the change or is deemed to have been obtained by virtue of his failure to object within twenty one days from the date of the notice,

(b) if he objects;

(i) he is allowed to withdraw his share if he is a member, or

(ii) that his debt or claim has been discharged or has been determined or has been secured to the satisfaction of the Registrar within three month from the date of receipt of objection if he is a creditor:

Provided that the Registrar may in the case of any person or class of persons, for special reasons, to be recorded, dispense with the notice required by this sub-section.

Reorganization of Societies.

16. (1) In this section,-

(a) "affected society" means a society which decides to reorganize itself in any of the manners specified in sub-section (2); and

(b) "resulting society" means a society ,–

(i) which is formed as a result of amalgamation under clause (i) of sub-section (2) or

(ii) to which the assets and liabilities of the affected societies are transferred in whole or in part under clause (ii) sub-section (2); or

(iii) which is formed as a result of division under clause (iii) of sub-section (2); or
(iv) which is the result of change of class as provided in clause (iv) of sub-section (2).

(2) A society may, by resolution passed by two-thirds majority of the members present and voting at a special general meeting held for the purpose, decide to reorganize itself by-

(i) amalgamating itself with another society; or
(ii) transferring its assets and liabilities in whole or in part to any other society; or
(iii) dividing itself into two or more societies; or
(iv) converting itself into a class of society, the object of which is materially different from that under which it has been classified under the Act:

Provided that no such decisions shall take effect unless it is approved by the Registrar;

Provided further than in case of a Co-operative Bank, the Registrar shall not give his approval save with the previous sanction in writing of the Reserve Bank;

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) where the Registrar is satisfied that it is essential in the public interest or in the interest of the members of the affected societies or necessary to secure the proper management of any society, he may direct that any society or societies shall reorganize itself or themselves in any one or more of the modes indicated in sub-section (2):

Provided that, in the case of a Co-operative Bank, the Registrar shall not issue any direction save with the previous sanction in writing of the Reserve Bank;

Provided further that before a final order under this sub-section is passed by the Registrar every society concerned shall be given an opportunity of expressing its opinion on the reorganization proposals.

(4) The procedure for reorganization of a society in accordance with the decision under sub-section (2)

or the direction of the Registrar under sub-section (3), as the case may be, shall be such as may be prescribed.

(5) If any such reorganization under sub-section (2) or (3) is likely to affect in any manner the interest of any person, notice thereof shall be given to all such persons and every such person shall be given an option, to be exercised within a month from the date of the issue of such notice, of either becoming a member of the resulting society or societies or of demanding the payment of the share or interest or dues in respect of the affected society, as the case may be.

(6) No reorganization shall be final until the assent of every such person whose interest is likely to be affected, has been obtained or deemed to have been obtained by virtue of his failure to exercise the option given to him, and further, unless all the claims of persons who have exercised the option of demanding the payment of their shares or interests or dues under sub-section (5) have been met in full.

(7) Every resulting society under this section shall have such constitution, property, powers, rights, interests, authorities, duties and obligations as may be specified in the scheme of reorganization and every such scheme of reorganization may contain such consequential, incidental and supplemental provisions as may, in the opinion of the Registrar, be necessary to give effect to such scheme.

(8) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), a resolution of a society approved by the Registrar under sub-section (3) shall be sufficient conveyance to vest the assets and liabilities of each affected society in the resulting society or societies concerned, such vesting being subject only to the provisions of the scheme of reorganization.

(9) The reorganization of societies shall not in any manner, whatsoever affect any right or obligation of

the resulting society or societies or render defective any legal proceedings by or against the society or societies and any legal proceedings that might have been continued or commenced by or against the society or the societies, as the case may be, before the reorganization may be continued or commenced by or against the resulting society or societies.

(10) Where any two or more societies have been amalgamated or a society has been divided or converted, the registration of such society or societies shall be deemed to have been cancelled on the date of registration of the amalgamated society or of the converted society or of the new societies into which the society may have been divided.

(11) Where a development bank has been reorganized by amalgamation with a central bank, the amalgamated bank shall in respect of all transactions relating to the development bank business made on and after such amalgamation be deemed to be a development bank within the meaning of the law relating to development bank for the time being in force.

Explanation.- For the purposes of this section "Central Bank" means a society with the words "Central Bank" or "District Bank" as part of its name and whose main object is to finance societies which are members of it and lie within a specified area.

(12) Every scheme of such reorganisation shall be published in the official Gazette for general information.

Collaboration by Societies.

16-A. Any society may, enter into the collaboration with any Government Undertaking or any undertaking approved by the State Government for carrying on any specific business including industrial investment, financial aid or marketing and management expertise.

Partnership of Societies.

16-B Any two or more societies may by resolution passed at general meeting by a majority of members present and voting in each such society enter into a contract of a partnership for carrying out any specific business permissible under the byelaws on such

terms and conditions as may be mutually agreed upon. Where such partnership requires creation of a new organization, the participating society shall be its members.

Government's power to make scheme of reorganization in the public interest.

16-C (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Rules made thereunder, if the State Government, on receipt of a report from the Registrar or otherwise, is satisfied that in the public interest it is necessary to reorganize any society or societies for the purpose of securing proper implementation of development programmes, the State Government, as it may deem necessary, may make such scheme of reorganisation and issue orders to implement above scheme:

Provided that in case of a Co-operative Bank, prior sanction in writing of the Reserve Bank shall be necessary.

(2) There shall be the provisions in scheme of reorganisation regarding :-

(a) Method of reorganization;

(b) Procedure for reorganization;

(c)Membership, registration, management, assets and liabilities, powers, rights, interests, duties, staff and conditions of employment of such society or societies which are made after reorganisation ;

(d) Such other consequential, incidental and supplementary provisions as may be necessary;

(e) Any other subject as may be deemed necessary by the State Government.

(3) The State Government may modify or cancel any reorganisation scheme made under sub-section (1).

(4) The provisions regarding every reorganisation scheme and the orders issued by the State Government shall be binding upon the interested parties.

(5) Every scheme of such reorganisation shall be published in the official Gazette for general information.

Compromise or arrangement for

17. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, or the rules made thereunder where a compromise or

repayment of liabilities and reconstruction of societies.

arrangement is proposed between.-

(a) a society and its creditors or any class of them, and

(b) a society and its members, the Registrar may on the application of the society or of any member or of any creditor of the society or, in the case of a society which is being wound up by the liquidator, order a meeting of the members, or creditors or both, as the case may be, to be called, held and conducted in such manner as may be prescribed:

Provided that the Registrar may, on his own motion, order such a meeting to be called for the purpose of affecting a compromise or arrangement.

(2) If a majority in number representing three-fourths of the members or three-fourths of the total amount of valuation due to creditors, as the case may be, present and voting in person at the meeting agree to any compromise or arrangement the compromise or arrangement shall, if confirmed by the Registrar, be binding on all members or all the creditors, as the case may be, and also on the society, or in the case of a society which is being wound up, on the liquidator;

Provided that the Registrar shall not confirm a compromise or arrangement unless he is satisfied that all the members or creditors, as the case may be, whose interests are affected by such compromise or arrangements, had notice of such meeting;

Provided further that in case of Co-operative Bank the Registrar shall not confirm the compromise, or arrangement, save with the previous sanction in writing of the Reserve Bank.

(3) When an order canceling a meeting is passed under sub-section (1) or the proviso thereof for considering any compromise or arrangement between a society and its creditors or any class of them, the Registrar may give notice of such order to a Civil Court in which proceedings, whether instituted before or after the order, in respect of any liability of the society due to a creditor to whom a copy of the order is

posted, are pending and on receipt of such notice the Civil Court shall stay the proceedings, If no such compromise of arrangement is confirmed under sub-section(2) the Registrar shall inform the Civil Court accordingly and the proceedings which may have been stayed, shall be resumed.

(4) If a compromise or arrangement between a society and its creditors or any class of them is confirmed under sub-section (2) the proceedings, if any, stayed under sub-section (3) shall abate and no proceedings shall lie in a Civil Court in respect of any liability of the society to which the compromise or arrangement relates.

(5) The Registrar may, with the previous approval of the State Government, exempt any class of creditors from the operation of this section or any provisions thereof.

(6) A compromise or arrangement confirmed by the Registrar shall not be called in question in any Civil Court.

(7) If a creditor in respect of whom a compromise or arrangement has been confirmed by the Registrar under sub-section (2), fails to receive the amount payable to him under such compromise or arrangement after due notice to do so within the period specified in such notice, the society or the liquidator, as the case may be, shall deposit the amount in such manner as may be directed by the Registrar. On the making of such deposit the amount payable to the creditor under the compromise or arrangement shall be deemed to have been paid to the extent of the deposit.

(8) A compromise or an arrangement between a society and its creditors or any class of them confirmed by the Registrar under sub-section (2) shall cease to be in force as soon as the whole amount of the liability determined thereunder has been or is deemed to have been paid whether under the provisions of this section or otherwise notwithstanding that the period originally stipulated for the discharge of such liability has not expired.

(9) After such compromise or arrangement has ceased to be in force no further claim shall remain against the

society, or against any property, movable or immovable which it may acquire thereafter, in respect of the liability which had been the subject of the compromise or arrangement, and the society shall be free to conduct its normal business.

Action and liability of Banks under moratorium.

17-A Where an order of moratorium has been made by the Central Government under sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949) in respect of Co-operative Bank, the Registrar with the previous approval of the Reserve Bank in writing may, during the period of moratorium, prepare a scheme,-

(i) for the reconstruction or re-organisation of the Co-operative Bank; or

(ii) for the amalgamation of the Co-operative Bank with any other Bank.

Liability of new Bank to repay to the Deposit Insurance Corporation.

17-B Notwithstanding anything contained in this Act, where a Co-operative Bank being an insured bank within the meaning of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (No.47 of 1961) is amalgamated or in respect of which a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction or reorganisation has been sanctioned and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay to the depositors of the insured bank under sub-section (2) of section 16 of that Act, the bank with which such insured bank is amalgamated or the new Co-operative bank formed after such amalgamation or, as the case may be, the insured bank or transferee bank shall be under an obligation to repay to the Deposit Insurance Corporation in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in section 21 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961)

Cancellation of registration.

18 (1) The Registrar shall make an order cancelling the registration of a society if it transfers the whole of its assets and liabilities to another society, or amalgamates with another society, or divides itself into two or more societies or it is de-registered under the provisions of sub-section (1) of section 24 or it is wound up under section 102. The society shall, from the date of such order of cancellation, be deemed to be dissolved and shall cease to exist as a corporate

body.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act if any proceedings relating to the winding up or dissolution of a society are pending immediately before the commencement of this Act, such proceedings shall after such commencement be disposed of in accordance with the provisions of the law under which such society was registered or deemed to be registered.

De-registration of societies.

18-A (1) If the Registrar is satisfied that any society is registered on misrepresentation made by applicants, or where the work of the society is completed or the purposes for which the society has been registered are not served, he may, after giving an opportunity of being heard to the committee, de-register the society.

(2) When a society is de-registered under the provisions of sub-section (1), the Registrar may, notwithstanding anything contained in this Act, make such incidental and consequential order including appointment of official assignee as the circumstances may require.

(3) Subject to the rules made under this Act, the official assignee shall realize the assets and liquidate the liabilities within a period of one year from the date he takes over the charge of property, assets, books, records and other documents. The period aforesaid may, at the discretion of the Registrar, be extended from time to time, so however, that the total period does not exceed three years in the aggregate.

(4) The official assignee shall be paid such remuneration and allowances as may be prescribed.

(5) The powers of the Registrar under sub-section (1) and (2) shall not be exercised by any officer below the rank of a Joint Registrar of Co-operative Societies.

CHAPTER III
MEMBERS, THEIR RIGHTS, LIABILITIES AND PRIVILEGES

Persons who may become members.

19 (1) No persons shall be admitted as a member of a society except the following, namely:-

(a) an individual competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act, 1872 (No. 9 of 1872);
(b) any other society;
(c) a public trust registered under the Chhattisgarh Public Trusts Act, 1951 (No. 30 of 1951);
(d) a firm, company or any other body corporate, not having minors as partners or directors, registered established or constituted, as the case may be, under any law for the time being in force;
(e) a society registered under the Chhattisgarh Societies Registration Act, 1959 (No. 1 of 1960), as may be approved by the State Government in this behalf by general or special order;
(f) the State Government:

Provided that the provisions of clause (a) shall not apply to,–

(i) an individual seeking admission to a society exclusively formed for the benefit of students;
(ii) a minor acting through a guardian appointed by the Court.

(2) Notwithstanding anything to contrary in this Act or rules or in the byelaws of a society, where the State Government has contributed to the share capital of a society, the liability of the State Government shall be limited to the face value of the shares held by it.

(2-A) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made there under or in the byelaws of a resource society or consumers society, as the case may be, if any person duly qualified for admission as a member under the provisions of this Act and the byelaws of that Society makes an application for membership of such Society he shall be deemed to have been admitted as a member of such Society from the date of receipt of the application in the office thereof;

Provided that the Registrar may, either on his own motion at any time or on an application by

the society or any aggrieved person made within fifteen days from the aforesaid date and after giving reasonable opportunity to the society or person concerned by order, declare such person as not eligible for membership of such society for the reasons mentioned therein, within forty five days from the date of receipt of application by the Registrar.

(3) Where a student, who is not competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), desires to become a member of a society formed exclusively for the benefit of students, his application for the registration of a society or his application for membership shall be accompanied by a written undertaking from his guardian or other person competent to contract under section 11 of the said Act in the prescribed form, in respect of the liability of the student as a member.

(4) Where a person is refused admission as a member in a society, the decision refusing admission shall be communicated by the society to that person within thirty days of the date of such decision.

(5) No society shall, without sufficient cause, refuse admission to membership to any person, duly qualified there for under the provisions of this Act and the byelaws of the society.

(6) Any person aggrieved under sub-section (4) or sub-section (5) may appeal to the Registrar within ninety days of the date of rejection.

(7) The decision of the Registrar in appeal shall be final and the Registrar shall communicate his decision to the parties within thirty days from the date thereof.

Disqualifications of member.

19-A No person shall be eligible for admission as member and any member shall cease to be a member of a society, if –

(a) he is an applicant to be adjudicated or is an un-discharged insolvent;

(b) he has been sentenced for an offence involving moral turpitude and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of sentence;

(bb) he has been sentenced for an offence under the provisions of the Protection of Civil Rights

Act, 1955 (No. 22 of 1955) and a period of six years has not elapsed from the date of expiry of sentence;

(c) he or any member of his family, having common interest with him, carries on business similar to one carried on by the society:

Provided that the provisions of clause (b) shall not apply to a person seeking admission as member of a society exclusively formed or to be formed for the reclamation of Vimukta Jatis.

(d) If he is disqualified under section 48-A of the Act:

(e) if he is a person who has been dismissed from the service of any co-operative institution or Government service.

(f) In case of a Primary Agriculture Credit Co-operative Society, he is not a Bhumiswami, occupancy tenant or a Government lessee holding agricultural land;

Explanation.- For the purposes of this sub-section-

(i) "Vimukta Jatis" means such tribes as the State Government may, from time to time, by general or special order, declare as Vimukta Jatis for the purpose of this sub-section;

(ii) the business carried on by a trader including that of money lending shall be deemed to be similar to the business carried on by a marketing society.

Disqualification for membership of committee and for representation. 19-AA No Person shall be eligible for election as a member of the committee of a society and shall cease to hold his office as such if he suffers from such disqualification as may be prescribed. No society shall elect any member as its representative to the committee of any other society or to represent the society in other society, if he suffers from such disqualification, as may be prescribed:

Provide that, if a member suffers from any of the disqualification prescribed under this section-

Effect of subsequent disabilities. 19-B If any person having been admitted as a member of a society subsequently becomes subject to any of the

disqualifications specified in section 19-A such person shall cease to be a member of the society and the Registrar shall declare his seat to be vacant.

Expulsion of members. 19-C (1) The committee may, by a resolution passed by three-fourth majority of the members present and voting at a meeting held for the purposes, expel a member if he,-

(a) intentionally does any act likely to injure the credit of the society or bring it to disrepute ; or

(b) wilfully deceives the society by false statements; or

(c) carries on any business which comes or is likely to come into conflict with the business carried on by the society; or

(d) persistently makes default in payment of his dues or fails to comply with any provisions of the bye-laws;

Provided that no such resolution shall be valid unless the member concerned has been given seven day's notice, either personally or by registered post, of the proposal to expel him and has been given an opportunity to represent his case to the committee.

(1-A) Any person aggrieved by the resolution of the Committee under sub-section (1) may appeal before the Registrar within 30 days of the communication of such resolution.

(2) Notwithstanding anything contained in the Act, or rules or bye-laws made there under, where it appears to the Registrar that it is necessary and desirable in the interest of the society to expel a member from the society for his indulging in any of the activities specified in sub-section (1), he may call upon such member and the society, to explain within a period to be specified by him, why such member should not be expelled from the society. If the member or society fails to submits his or its explanation, within the specified period or after considering the explanation, if received, the Registrar may pass an order expelling a member from the society

(3) No person who has been expelled shall be eligible for re-admission as a member of the co-operative for

a period of one year from the date of such expulsion.

(4) Expulsion of a member from a society may involve forfeiture of shares held by the member in such society.

Nominal members. 20 Notwithstanding anything contained in section 19, a society may admit any person as a nominal member who shall have no share either in the management or profits of a society and shall not be subject to any contributory liability in the case of winding up the society.

No rights of membership to be exercised till due payments are made. 21 No member shall exercise the rights of a member unless he has made such payment to the society in respect of membership or acquired such interest in the society as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws of such society.

Votes of members. 22 (1) Every member of the society shall have one vote in the affairs of the society.

(2) (a) The voting right of federal society shall be so regulated that the members, which are societies, do not have less than four-fifths of the total number of votes in the general meeting of such society.

(b) In case of federal society the voting rights of individual members (which term shall include public trust, firm, company or body corporate, society registered under the Chhattisgarh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No 44 of 1973), and State Government but shall not include a co-operative society) shall be regulated in such manner as may be prescribed.

(3) every affiliated co-operative society through its properly authorised representative and every delegate referred to in clause (b) of sub-section (2) shall have one vote in the general meeting.

(4) The quorum for the meeting shall, unless otherwise provided in the byelaws of a society, be one-fifth of the total number of delegates and representatives of the societies:

Provided that the delegates shall not at any time in the meeting exceed one-fifth of the member representatives of the societies.

(5) The elections of delegates shall be held in accordance with the provisions prescribed for

election of the members of the committee.

(6) Any vacancy of a delegate caused on account of cessation of membership or otherwise, shall be filled in by delegates by co-opting one of the individual members of the group to which the vacancy relates.

(7) unless otherwise directed by the Registrar in respect of any particular society the delegates on the committee shall not at any time exceed one-third of the number of representatives of societies(fractions being neglected)

(8) In the case of equality of votes the Chairman shall have a second or casting vote.

Manner of exercising vote.

23. (1) Every member of a society shall exercise his vote in person and no member shall be permitted to vote by proxy:

Provided that subject to any rules made under this Act,-

(i) (a) a society which is a member of another society may appoint one of its members as a representative to vote on its behalf,

(b) a group of individual members formed by the society in accordance with its bye-laws may elect one of the members in the group as a delegate to vote on their behalf.

(ii) the State Government may nominate one of its officers as its representative, to vote or otherwise participate in its behalf in the affairs of the society of which such society or the State Government is a member;

(iii) a public trust which is a member of a society may appoint, in writing, any one of its trustees to vote on its behalf;

(iv) a firm which is a member of a society may appoint, in writing, any one of it major partners to vote on its behalf; and

(v) a company or any other body corporate which is a member of a society may appoint in writing, any of its directors or officers to vote on its behalf.

(2) Where a share is held jointly by more than one person and if,-

(i) in respect of such share a share certificate is

issued by the society, the person whose name stands first in such share certificate; and

(ii) in respect of such share no share certificate is issued by the society, the person whose name stands first in the register of members maintained by such society;

shall have the right to vote.

Restriction on holding of share capital by a member

24 In any society, no member, other than the State Government or any other society, shall,-

(a) hold more than such portion of the total share capital of the society not exceeding one-fifth thereof as may be prescribed; or

(b) have or claim any interest in the shares of the society exceeding twenty thousand rupees;

Provided that the State Government may, by notification, specify in respect of any class of societies a maximum exceeding one-fifth of the share capital or twenty thousand rupees, as the case may be.

Restrictions on transfer of shares or interest.

25 (1) The transfer of a share or interest of a member in the share capital of a society shall be subject to the restrictions as to the maximum holdings specified in section 24.

(2) No transfer by a member of his share or interest in a society shall be valid unless,–

(a) the member has held such share or interest for not less than one year;

(b) the transfer is made to the society or to a member of the society; and

(c) the transfer is approved by the committee.

Transfer of interest on death of member.

26 (1) On the death of a member, a society may transfer the share or interest of the deceased member to the person nominated in accordance with the rules made in this behalf, or, if there is no person so nominated, to such person as may appear to the Committee to be the heir or legal representative of the deceased member, or pay to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, a sum representing the value of such member's interest, as ascertained in accordance with rules or bye-laws.

(2) A society may pay all other moneys due to the

deceased member from the society to such nominee, heir or legal representative, as the case may be.

(3) All transfers and payments made by a society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person.

Share or deposit or interest not liable to attachments.

27 Subject to the provisions of section 39 the share or interest or deposit of a member in the capital or working capital of society or in the loan stock issued by a housing society or in the funds raised by a society from its members by way of savings deposit or by compulsory deductions made by it from wages or in the form of surcharge on the value of sale or supply of goods to members, shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of a court for or in respect of any debt or liability incurred by the members or past members and accordingly neither a Receiver under the Provincial Insolvency Act, 1920 (No. 5 of 1920), nor any such person or authority under any corresponding law for the time being in force shall be entitled to , or have any claim on such share or interest or deposit.

Rights of members to see books, etc.

28 (1) Every society shall keep open to inspection for its members free of any charge, at all reasonable times at the registered address of society,-

(a) a copy of this Act;
(b) a copy of the rules;
(c) a copy of the bye-laws of the society;
(d) a register of members,-
(e) the last audited annual balance sheet, the profit and loss account; and
(f) the minutes of the general meetings.

(2) All registers and record of a society except books and other documents relating to accounts other than one's own shall be open to inspection in the office of the society by any member of such society on payment of such fee as may be specified in the bye-laws.

(3) Subject to such conditions and on payment of such

fees as may be specified in the bye-laws, the society shall, on an application made by any member thereof grant him a certified copy of such records or registers or extracts thereof.

Liability of a past member or estate of deceased member.

29 (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the liability of a past member or of the estate of a deceased member of a society for the debts of the society as they stood:-

(a) in case of a past member, on the date on which he ceased to be a member, and

(b) in case of a deceased member, on the date of his death;

shall continue for a period of two years from such date.

(2) Where a society is ordered to be wound up under any provisions of this Act, the liability of a past member or of the estate of a deceased member who ceased to be a member or died, within two years immediately preceding the date of the order for winding up shall continue until the entire liquidation proceedings are completed; but such liability shall extend only to the debts of the society as they stood on the date of his ceasing to be a member or of his death as the case may be.

Insolvency of members.

30 Notwithstanding anything contained in the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920), in an insolvency proceeding against a member of a society, the dues of the society shall have priority over all other dues except those payable to Government.

CHAPTER IV

DUTIES, PRIVILEGES, PROPERTYAND FUNDS OF SOCIETIES

Societies to be body corporate. 31 The registration of a society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, having perpetual succession and a common seal, and with power to hold property, enter into contracts, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purposes for which it was constituted.

Address of society and display of name. 32 (1) Every society shall have an address registered in accordance with the rules to which all notices and communications may be sent, and shall send a notice in writing to the Registrar of any change therein within thirty days of the change.

(2) Every society shall display its name and the address of its registered office and the words "Registered Under Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960" in legible characters in conspicuous position-

(a) at every office or place at which it carries on business;
(b) in all notices and other official publications;
(c) on all its contracts, business letter, orders for goods, invoices, statements of account, receipts and letters of credit; and
(d) on all bills of exchange, promissory notes, endorsements, cheques and orders for money it signs or that are signed on its behalf.

(3) The name of every society shall contain the words "Co-operative" and "limited" or their equivalent in official language of the State.

Register of members 33 (1) Every society shall keep a register of its members and enter therein the following particulars, namely:-

(a) the name, address and occupation of each member;
(b) the share held by each member in the case of a society having share capital;
(c) the date on which each person was admitted as a member;
(d) the date on which any person ceased to be a member; and
(e) such other particulars as may be prescribed:

Provided that, where a society has under this

Act, permitted a member to transfer his share or interest on death, to any person, the register shall also show against the member concerned the name of the person entitled to the share or interest of the member and the date on which the nomination was recorded.

(2) The register shall be prima facie evidence of the date on which any person was admitted to the society as a member and of the date on which he ceased to be member.

Proof of entries in society's books.

34 (1) A copy of any entry in the book of a society regularly kept in the course of its business, shall, if certified in such manner as may be prescribed, be received, in any suit or legal proceedings or for any other purposes as prima facie evidence of such entry and shall be admissible in evidence in respect of the matter, transactions and accounts therein recorded in the same manner and to the same extent as the original entry.

(2) Copies given by a society of any document obtained and kept by it in the course of its business or any entries in such document shall, if certified in the prescribed manner, be admissible in evidence in any suit or legal proceedings or for any other purpose in the same manner and to the same extent as the original document, or the entries therein, as the case may be.

(3) No officer of a society and no officer, in whose office the books of a society are deposited after liquidation shall, in any legal proceedings to which the society or the liquidator is not a party, be compelled to produce any of the society's books or documents, the contents of which can be proved under this section or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, except under order of the court, or the arbitrator, made for special cause.

Societies to give pass book to members.

34-A (1) A society which gives loans to its members or a society or class of societies which the State Government may notify in the official Gazettee, from time to time, shall furnish to each member a pass book, which shall contain an account of the transactions with the member, such as, the date of

the transaction, the amount of loan advanced, the rate of interest, the repayment made by the member, the amount of the principal and interest due and such other particulars as may be prescribed. The necessary entries shall be made in the pass book from time to time which shall be counter signed by such office-bearer of the society as may be authorised in this behalf by the committee. For this purpose, the member shall be bound to present the passbook to such office-bearer and if the passbook is required to be kept for some time for making the necessary entries the member shall be granted a receipt there of, by such office-bearer.

(2) The entries in the passbook duly made shall, until the contrary is proved, be prima facie evidence of the account of transactions of the society with the member.

Exemption from compulsory registration or instruments.

35 Nothing in clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 17 of the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) shall apply to, –

(a) any instrument relating to share in a society notwithstanding that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property; or

(b) any debentures issued by any such society and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holder to the security afforded by a registered instrument whereby the society has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holder of such debentures; or

(c) any endorsement upon, or transfer of, any debenture issued by any such society; or

(d) any declaration made by a member in favour of a society for creating a charge on land under section 41 and its assignment by the said society in favour of the financing bank or the federal society to which it is affiliated and further assignment by such financing bank or

federal society in favour of the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited, or any other federal society.

Explanation.- For the purposes of this section, a financing bank shall include the Reserve Bank of India, the State Bank of India, the corresponding new bank specified in First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970), and such other Bank as the State Government may, from time to time, by notification, specify in this behalf.

Borrowings.

36 A society may receive deposits and loans from the State Government, Banks, Financing bodies, Corporate Bodies under any law, operating in the State and individuals under the provision of the byelaws of the society. It may also receive funds as a share capital under specific agreement or approved project by way of granting nominal membership.

Restrictions on loans.

37 (1) No society shall make a loan to,-

(a) any person who is not a member;
(b) any member on the security of its own shares;
(c) any member on the security of a non-member;

Provided that a society may make loans to another society and/or nominal member as provided in the byelaws of the society.

(1A) a society making a loan to its members who have been provided with "Bhoo-Adhikar Avam Rin Pustika" prescribed under section 114-A of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall enter all transactions of loans; advances and recoveries thereof in the aforesaid Bhoo-Adhikar Avam Rin-Pustika.

(1B) Notwithstanding anything contained in the Act, rules made thereunder and byelaws of the society, in case of an omission in making entry of a loan or advance made to members of the society, it shall be presumed that no such loan or advances has been made unless proved otherwise by the society;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a society may make a loan to a depositor on the security of his deposit.

(3) The Registrar may, by general or special order, prohibit or restrict the lending of money on the security of movable property or on the mortgage of immovable property by any society or class of societies.

(4) If an officer or employee of a society entrusted with the work of making an entry of any transaction of loans, advances and recoveries thereof in the "Bhoo-Adhikar Avam Rin Pustika" referred to in sub-section (1-A) fails to make such entry in the said Pustika the Registrar may by order impose a penalty on him of any amount not exceeding rupees five hundred. The order imposing a penalty shall be enforced in accordance with the provisions of section 85.

Society not to recover or receive interest greater than the principal.

37-A Notwithstanding anything contained in any agreement or any law for the time being in force, no society shall, in respect of any lone advanced by it to a member belonging to scheduled caste or scheduled tribes, or other members owing 5 acre irrigated or 10 acre un-irrigated land, whether before or after commencement of the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act 1979 which is repayable within a period not exceeding ten years from the date of its advance, charge, recover or receive towards interest thereon during the currency of such loan a sum greater than the principal and any sum charged, recovered or received in excess thereof shall, if the loan is subsisting be adjusted, towards repayment of the Principal till it is fully repaid and in any other case, shall be refunded to the debtor member within sixty days of the date on which the payment towards interest exceeds the limit aforesaid:

Provided that nothing in this Section shall apply to loans advanced by a Development Bank and an Urban Co-operative Bank.

Restrictions on other transactions with non-members.

38 Save as provided in section 36 and 37, the transactions of a society with persons other than members shall be subject to such restrictions, if any, as may be prescribed.

Charge and set-off in respect of share or interest of members.

39 A society shall have a charge upon the share or interest in the capital and on the deposits of a member, past member or deceased member and upon any dividend, bonus or profits payable to a member, past member or deceased member, in respect of any debt or outstanding demand owing to the society from such member or past member of deceased member and may set-off any sum credited or payable to a member, past member or deceased member in or towards payment of any such debt or outstanding demand:

Provided that no financing bank shall have a charge upon any sum invested in such bank by a society as reserve fund if such bank is not the sole creditor of the society or upon any sum invested in such bank from any Provident Fund nor shall such bank be entitled to set-off any such sum credited or payable to the society in or towards payment of any debt or outstanding demand owing to such bank from such society.

Prior claim of society on certain assets.

40. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to any prior claim of the State Government in respect of land revenue or any money recoverable as arrears of land revenue and to any claim of a development bank arising out of a loan granted at any time whatsoever under the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 (20 of 2000), any debt or outstanding demand owing to a society by any member or past member or deceased member, shall be a first charge upon the crops and other movable property belonging to such member, past member or forming part of the estate of the deceased member, as the case may be;

Provided that where any prior claim of the State Government arises out of a loan granted under the Land Improvement Loans Act, 1883 (19 of

1883) or the Agriculturists Loans Act, 1884 (12 of 1884) and such loan is granted after the grant of loan by a society the loan granted by the society shall, notwithstanding anything contained in the said enactments, have priority over such claim of the Government.

(2) No person shall transfer any property, which is subject to a charge under sub-section (1) except with the previous permission in writing of the society which holds the charge;

Provided that it shall always be lawful for a member or past member to create a charge in favour of a Development Bank under the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 (20 of 2000), for dues thereof.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force any transfer of property made in contravention of the provisions of sub-section (2) shall be void as against any claim of the society in respect of any debt or outstanding demand owing to it which is a first charge on such property under sub-section (1).

First charge of Co-operative societies on certain assets.

41 (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to any prior claim of the State Government in respect of land revenue or any money recoverable as arrears of land revenue or to any of claim of a development bank arising out of a loan granted at any time whatsoever under the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 (20 of 2000), or by a bank under Chhattisgarh Krishi Udhar Pravartan Tatha Prakirn Upbandha (Bank) Adhiniyam, 1972 (No. 32 of 1973), any debt or outstanding demand owing to a society by a member or past member or deceased member shall be first charge in favour of the society on,-

(a) the land owned by such member or past member or forming part of the estate of the deceased member, as the case may be; and

(b) his interest in any land as a tenant if such member owns such interest;

against which such debt was granted or such

outstanding demand stands, for and to the extent of the debt, or outstanding demand owing by him:

Provided that where any prior claim of the State Government arises out of the loan granted under the Land Improvement Loans Act, 1883 (No. 19 of 1884), and such loan is granted after the grant of loan by a society, the loan granted by the society shall, notwithstanding anything contained in the said enactment, have priority over such claim of the Government;

(2) No member shall alienate the whole or any part of the land or interest therein which is subject to charge under sub-section (1) until the whole amount borrowed by the member together with interest is paid in full:

Provided that it shall be lawful for a member or a past member to mortgage in favour of-

(i) a Development Bank; or
(ii) a bank under the Chhattisgarh Krishi Udhar Pravartan Tatha Prakirn Upbandha (Bank) Adhiniyam, 1972 (No. 32 of 1973); or
(iii) the State Government,-

such land or any part thereof under the rules made under the Chhattisgarh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931), for supply of water from a canal to such land or any part thereof.

(3) Any alienation made in contravention of the provisions of sub-section (2) shall be void as against any claim of the society in respect of the loan taken from it under this section;

(4) Intimation in writing shall be given to the Tahsildar about the details of the debt or outstanding demand owing to the society from a member, past member or deceased member in the prescribed manner and the Tahsildar shall on receipt of such information, have it entered in the Record of Rights.

Right of society to acquire and dispose of immovable property.

41-A (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a society shall have power to acquire agricultural land or interest therein, or any immovable property which has been charged or mortgaged to it by a member in respect of any financial assistance availed of by him, provided the

said land or interest therein or any other immovable property has been sought to be sold by public auction and no person has offered to purchase it for a price which is sufficient to pay to the society the money due to it;

Provided that only such portion of the property shall be sold as may be reasonably sufficient to satisfy the debt and interest thereon.

(2) A society which acquires land or interest therein or any other immovable property in exercise of the power vested in it under sub-section (1), may dispose it of by sale within a period to be specified by the Registrar in this behalf,

(3) If the society has to lease out any land acquired by it under sub-section (1),pending sale thereof as indicated in sub-section (2) the period of lease shall not exceed one year at a time and the lessee shall not acquire any interest in that property, notwithstanding any provisions to the contrary in any other law for the time being in force.

(4) A sale by a society of land or interest therein in terms of this section shall be subject to the provisions of any other law for the time being in force providing for restrictions on purchase of land by non-agriculturists or in excess of ceiling limits or involving fragmentation of land below a specified limit.

(5) Nothing in this section shall be construed to empower the society to sell any land or interest therein of a person belonging to an aboriginal tribe, which has been declared to be an aboriginal tribe by the State Government by notification under sub-section (6) of section 165 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) to a person not belonging to such tribe.

(6) Nothing in the Chhattisgarh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960) shall apply to a society acquiring land under sub-section (1) and holding such land till such time as the society is in a position to sell the land in the manner provided in this section or otherwise, at a price which is adequate to cover its dues.

Deduction from salary to meet society's claim in certain cases.

42 (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a member of a society may execute an agreement in favour of such society providing that his employer shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him by the employer, such amount, as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the society in satisfaction of any debt or other demand owing by the member to the society.

(2) On the execution of such agreement, it shall not be necessary to have the debt or claim adjudged by any authority and the employer shall, if so required by the society, by a requisition in writing and so long as the society does not intimate that the whole of such debt or demand has been paid, make the deduction in accordance with the agreement and pay the amount so deducted to the society, as if it were a part of the salary, or wages payable on the day as required under the Payment of Wages Act, 1936 (No 4 of 1936).

(3) If after the receipt of a requisition, made under sub-section (2), the employer at any time fails to deduct the amount specified in the requisition from the salary or wages payable to the members concerned or makes default in remitting the amount deducted to the society, the society shall be entitled to recover any such amount from the employer as an arrear of land revenue and the amount so due from the employer shall rank in priority in respect of the liability of the employer equal to that of the wages in arrears.

(4) The provisions of this section shall also apply to all such agreements of the nature referred to in sub-section (1) as were in force on the date of the commencement of the Act,

(5) Nothing contained in this section shall apply to persons employed in railways, mines and oil- fields.

(6) For the purposes of this section, Drawing and Disbursing Officer shall be deemed to be an employer in respect of a Government servant.

Funds and profits. 43 (1) No part of the funds of a society other than the net profits shall be paid by way of bonus or dividend or otherwise distributed amongst its members;

Provided that a member may be paid remuneration on such scale as may be laid down by the bye-laws for any services rendered by him to the society.

(2) A society shall, out of its net profits in any year,-

(a) transfer an amount not being less than twenty-five percent of such profits to the reserve funds unless such society has been, by general or special order, partially or wholly exempted in this behalf by the Registrar; and

(b) pay to the Chhattisgarh Co-operative Union Limited and to such other institutions or unions as may be specified by the Registrar in this behalf, such contribution as may be prescribed.

(c) transfer at least twenty per cent to an equity redemption fund by such societies which have Government equity participation.

(3) No society shall pay dividend to its members at the rate exceeding twenty five per cent, except with the prior approval of the Registrar.

(4) A society may, with the sanction of the Registrar, after one fourth of the net profit in any year has been carried to the reserve fund, contribute not exceeding five per cent of the remaining net profits to any purpose connected with the development of Co-operative movement or charitable purpose as defined in section 2 of the Charitable Endowment Act, 1890 (No. 6 of 1890).

(5) No society shall make a contribution either in money or in kind, either directly or indirectly to an organisation that has an object in furtherance of the interest of a political party or of any religious faith.

Appropriation of profits. 43-A (1) A society earning profit shall calculate the net profit by deducting from the gross profits for the year following:-

(a) all overdue interest accrued on loan accounts.

(b) management charges;

(c) interest payable on loans and deposits;
(d) audit fee;
(e) working expenses, including repairs, rent, taxes;
(f) depreciation;
(g) bonus payable to employees under the Payment of Bonus Act, 1965 (No. 21 of 1965);
(h) provision for payment of income-tax;
(i) provision for payment of subscription to the State/District Co-operative Union as may be notified;
(j) provision for development fund, bad debt fund, price fluctuation fund, dividend equalisation fund, investment fluctuation fund and such other funds as may be specified by the Registrar in this behalf;
(k) provision for retirement benefits to employees and in the case of societies engaged in consumer goods business, provision for purchase rebate to be paid to the members; and
(l) provision for writing off bad debts and losses not adjusted against any fund created out of profits.

(2) A society may, however, add to the net profits of the year, interest accrued in the preceding year but actually recovered during the year; the net profit thus arrived at, together with the amount of the profits brought forward from the previous year, shall be available for appropriation for the purposes of section 43.

Liability for deficit. 43-B (1) Where a society has an operational deficit in any year, the committee shall place before the general body the reasons therefor.

(2) The general body shall examine the reasons and where the deficit has arisen in the normal course of business of the society the general body based on its examination may resolve to make good the operational deficit wholly or partially from members and or its reserves.

Investment of funds 44 (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and (3), a society may invest or deposit its funds,-

(a) in Government Savings Bank; or

(aa) in a Co-operative Bank; or

(b) in any of the securities specified in section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882); or

(c) with the federal society of which it is a member or in the purchase of the share thereof; or

(d) with the approval of the Registrar, with any other society with limited liability or in the purchase of the shares or securities or debentures thereof; or

(e) with any bank approved for this purpose by the Registrar and on such terms and conditions, if any, as may be laid down by him in this behalf:

Provided that the approval of the Registrar shall not be necessary under clause (d) if shares are to be purchased to become a member thereof according to the bye-laws of such society.

(2) The reserve fund of a society shall be invested or utilized only in such manner and on such terms and conditions as may be laid down by Registrar in this behalf.

(3) No investment of any of its funds in immovable property, other than funds created for specified purposes, shall be made by a society other than a housing society without the approval of the Registrar.

(4) A society accepting deposits shall maintain, as a cover against such deposits, fluid resources to such extent and in such manner as may be specified by the Registrar from time to time.

Grant of State aid to societies. 45 (1) Any society desirous of having State aid otherwise than by way of contribution towards share capital may apply to the Registrar stating the reasons for seeking such State aid.

(2) On receipt of an application under sub-section (1) or otherwise, the Registrar may, if he is satisfied that such aid is necessary in the interest of the society,

recommend to the State Government the grant of such aid. The State Government may thereupon grant such aid to the society as it may deem fit on such terms and conditions as may be prescribed.

Employee's Provident Fund. 46 (1) A society may establish a contributory Provident Fund for the benefit of its employees to which shall be credited all contributions made by the employees and the society in accordance with the bye-laws of the society.

(2) A contributory Provident Fund established by a society under sub-section (1) -

(a) shall not be used in the business of the society;
(b) shall not form part of the assets of the society;
(c) shall not be liable to attachment or be subject to any other process of any court or other authority; and
(d) shall be administered in such manner as may be prescribed.

Power to direct affiliation to Federal Society. 47 The State Government may, by a general or special order, direct that all or any of the societies situated within a specified area shall be affiliated to the Chhattisgarh Co-operative Union or to a District Co-operative Union or to any other union in such manner and on such conditions as the State Government may specify.

Apex Society. 47-A The Apex Society may, for servicing its constituents and in accordance with its byelaws, perform the following functions;-

(a) safeguard the observance of the Co-operative principles;
(b) promote and organise Co-operative societies and for this purpose, frame model byelaws and guidelines for making various regulation and policies for consideration by the societies;
(c) provide Co-operative training, education and information, and propagate Co-operative principles;
(d) undertake research and evaluation and assist in preparation of perspective development plans of member societies;

(e) promote harmonious relations between member societies;
(f) help member societies in the settlement of disputes among themselves and between a society and its members;
(g) represent the interest of member societies and lobby for policies and legislation favorable to societies;
(h) undertake business services on behalf of its members;
(i) provide Co-operation and management of development services to member societies including participation in board meetings where member societies are invited;
(j) ensure timely conduct of annual audit in member societies;
(k) ensure timely conduct of elections in member societies;
(l) assist member societies in regular conduct of general meetings;
(m) evolve code of conduct for observance by member societies;
(n) evolve viability norms for member societies;
(o) provide legal aid and advice to member societies;
(p) provide any other service in the interest of member societies.

CHAPTER- V
MANAGEMENT OF SOCIETIES

Final authority in society.

48 (1) The final authority in a society shall vest in the general body of members;

Provided that the byelaws of a society may provide for the constitution of a smaller body consisting of delegates elected in accordance with such byelaws to exercise powers of the general body or as may be specified in the byelaws of the society.

(2) Subject to sub-section (1), the management of every society shall vest in a committee constituted in accordance with this Act or rules made thereunder or byelaws of the society and it shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed respectively by the Act or rules made thereunder or byelaws of the society.

(3) (a) On the committee of primary society

(i) In which half or more than half the members belong to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes not less than half the total number of seats, shall be reserved for the members belonging to such castes, trives and backward classes in such proportion as may be prescribed;

(ii) In which one fourth or more than one fourth, but less than half the members belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other background classes, three seats shall be reserved for the members belonging to such castes, tribes and background classes of which one seat each shall be reserved for each class;

(iii) In which the number of members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes is less then one fourth of total numbers of members one seat shall be reserved for a member belonging to such castes, tribes and other backward classes, which has the larger number of members in the society.

(iv) Which is the operating in a Scheduled Area, the number of seats to be reserved for

Scheduled Tribes shall bear as nearly as may be the same proportion as members belonging to Scheduled Tribes bear to the total memberships of the society.

Explanation: For the purpose of this clause the District Co-operative Agriculture And Rural Development Bank shall be deemed to be a primary society;

(b) On the Committee of such Central or Apex Society or class of Central or Apex Societies, as the State Govermment may having regard to the total membership of [Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes] in the Primary Societies affiliated to such Apex or Central Society, by general or special order, direct, such number of seats as may be specified in the order shall be reserved for the members belonging to of [Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes]

Provided that the number of seat so reserved shall not exceed for each category of members;

Provided further that on the Committee of every Central or Apex Society of the Resource class at least one seat each shall be reserved for the members of [Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes]

(c) In the event of society failing to elect requisite number of members or electing less than such number of members, as is specified in clauses (a) and (b), the members of the committee shall co-opt the requisite number of members from amongst members of such society eligible for such representation and in the event of the Committee failing to do so Registrar shall nominate the requisite number of members from amongst members of such society eligible for such representation;

(5) There shall be a President/Chairman and two Vice Presidents/ Vice-Chairmen in a resource society. Out of the two offices of Vice-president/ Vice-Chairman-

(i) One shall be held by a woman member, and

(ii) One shall be held, if the chairman is not elected from amongst persons belonging to scheduled castes, scheduled Tribes and other Backward Classes, by a person belonging to these categories and otherwise, by any person;

Provided that in case of such resource society other than a Nagrik Co-operative Bank or Urban Co-operative Credit Society or Thrift Society, operating in a Scheduled area, the chairman or president shall be elected only from amongst persons belonging to Scheduled Tribes.

Explanation: For the purpose of this Section-

(i) **"Scheduled Caste"** means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race of tribe specified in relation to State of Chhattisgarh under Article 341 of the Constitution of India.

(ii) **"Scheduled Tribe"** means any tribe, Tribal community or part of or group within a Tribe or Tribal community specified as such in relation to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution of India.

(5-A) There shall be a President or Chairman and Vice President or Vice Chairman in consumer society of whom one shall be a woman.

(6) No person who is individual member in a Central Co-operative Bank shall hold any specified office in the Central or Apex Society.

(7) In a resource society, no person who is a non-borrowing member shall be qualified for election as member of the committee, delegate or representative nor shall he be entitled to vote in any election of the committee, delegate or representative of the society:

Explanation.- A non-borrowing member shall be one who never borrowed from such a Bank or society in which he is a member.

Provided that the provisions of this sub-section shall apply to the society from the date it commences its lending operations;

Provided further that the provisions of this sub-section shall not apply to the society in so far as its first provisional committee/nominated committee is concerned.

Disqualification for holding specified office. 48-A (1) No person shall at the same time hold the specified office of more than one Apex Society, One Central Society and one Primary society.

Provided that the provisions of this sub-section shall be applicable in case of societies of same classification.

(2) If any person who is holding a specified office in one Apex Society, one Central Society and one Primary Society is elected or appointed to a specified office in any other Apex or Central or Primary society, he may, by a letter in writing signed by him and addressed to the Registrar, within a period of one month from the date of his election or appointment to such specified office resigns from the specified office in all except one Apex Society and or one Central Society and or One Primary Society as the case may be.

(3) If any person required to resign under sub-section (2), fails to resign within the period specified therein, then at the expiration of such period he shall be deemed to have resigned from the specified office in all except one Apex Society and one Central Society and one Primary Society, as the case may be, in which he was already holding the specified office prior to such subsequent election or appointment to specified office in other Apex or Central or Primary Society.

Representatives and delegates. 48-B (1) Every committee of society shall at the time of election of Chairman or Vice-Chairman, also elect representative who shall represent it in other society and the representative so elected shall not be withdrawn by the Committee till the next election of the committee.

(2) (a) In a society where not less than half of the members belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribes, the representative shall be only from amongst the members belonging to such castes or tribes; and

(b) In a society where not less than two-third of the members belong to other Backward Classes, the representative shall be from amongst the members belonging to such classes.

(3) If the byelaws of the society provide for the constitution of its general body by the elections of the delegates the society shall reserve seats in the general body for the members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in such a manner that the number of seats so reserved for each category shall as far as possible, be in the same proportion in which members of each category, shall bear to the total membership of the society.

Powers of Committee.

48-C The Board or the Committee of a society shall in accordance with the byelaws, have power to –

(a) admit and terminate membership;

(b) elect the Chairman and other office bearers;

(c) remove from office the Chairman and office bearers;

(d) fix staff strength with the approval of the Registrar;

(e) frame policies concerning,-

(i) organisation and provisions for services to members;

(ii) qualifications, recruitment, service conditions of the staff and other matters relating to staff with the approval of the Registrar;

(iii) mode of custody and investment of funds;

(iv) manner of keeping accounts;

(v) mobilisation, utilization and investment of funds;

(vi) monitoring and management of information system including statutory returns to be filed;

(f) place the annual report, annual financial statements, plan and budget for the approval of the general body;

(g) consider audit and compliance reports and place the same before the general body; and

(h) undertake such other functions as specified in the byelaws.

Annual General Meeting.

49 (1) Every society shall within three months before the close of financial year call a general meeting of its members for the following purposes of;

(a) approval of the programme of the activities of the society prepared by the committee for the ensuring year;

(b) Election, if fallen due, of the members of the committee;

Explanation.-Election of the committee shall be deemed to have fallen due, if the term of the committee comes to an end within a period of three months from the date of the annual general meeting.

(c) consideration of the audit report, if received and the annual report;

(d) disposal of the net profit;

(c) consideration of any matter which may be brought forward in accordance with the byelaws; and

(f) presenting the budget for the next Co-operative year;

Provided that the Registrar may , save the meeting in which elections are to be held on expiration of the term of the committee specified in sub-section (7-A), extend the period for holding such meeting , by a further period not exceeding three months;

Provided further that in respect of a society where an order of liquidation has been issued under Section 69, annual general meeting shall not be necessary to be called.

(1-A) The election of the members of the Committee, Chairman, Vice-Chairman, President, Vice-President and representatives, if any shall be conducted by the Returning Officer in the prescribed manner.

(2) Notice of such meeting shall be sent to the Deputy/Assistant Registrar of the district in which the society is situated, at least fourteen clear days before the date of the meeting.

(3) The Deputy/Assistant Registrar may himself attend such meeting or depute any officer subordinate to him to attend it.

(4) The Deputy/Assistant Registrar or the officer deputed by him, shall have the right to address the meeting in respect of any matter pertaining to the subject specified in clauses (a), (c), (d) and (e) of sub-section (1).

(5) If default is made in calling general meeting within the period prescribed therefor under sub-section (1) or in complying with the requirement of sub-section (1), the Registrar may, by order, declare any officer whose duty it was to call such meeting or comply with it the provisions of sub-section (1) and who without reasonable excuse failed to comply with any of the provisions of aforesaid sub-section, to be disqualified for being elected or being in office for such period not exceeding three years, as he may specify in such order and if the officer in an employee of the society impose a penalty on him of any amount not exceeding five thousand rupees:

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard by an officer not below the rank of Joint Registrar of Co-operative Societies.

(6) If the byelaws of a society provides for election of all or some members of the committee on territorial basis, such members of the committee shall be elected from the area in a meeting of the members of that area in accordance with the provisions of the byelaws on a date prior to that of general meeting. The results thereof shall be affixed on the notice board of the society and also at the place of the general meeting prior to the commencement of the proceedings in annual general meeting.

(7) At every annual general meeting of a society, the committee shall lay before the society a statement showing details of loans or advances, if any, outstanding during the proceeding years, in the name of the members of the committee, their family members and near relation .

Expiation :- For the purpose of sub-section (7) family members shall include wife, husband and dependent children.

(7-A) (i) The term of the committee shall be five years from the date on which first meeting of the committee is held:

Provided that where a committee superseded, suspended or removed under the Act is reinstated as a result of any order of any Court or authority, the period during which the committee remained under supersession, suspension out of office as the case may be, shall be excluded in computing the period of the term aforesaid.

(ii) The term of the representative elected by the committee of the society shall be co-terminus with the term of the committee of the society for which representative is elected:

Provided that the representative of a committee shall continue to hold his office till the expiry of the term of the committee of which he is a member.

(8) If the elections are not held before the expiry of the term specified in sub-section (7-A), or the extended term under deleted herein before sub-section (7-AA) all the members of the committee shall be deemed to have vacated their seats and the powers of the committee shall be deemed to have been vested in the Registrar and the Registrar shall hold elections as early as possible.

Provided that the Registrar may authorize any officer to exercise the powers of the committee vested in him under this sub-section and the officer so authorized shall exercise such powers form the date of such authorization.

(9) (a) Every society shall record in the minutes book, the minutes of all the proceedings of every general meeting and all other meetings of its committee.

(b) Such minutes shall be circulated to all the persons invited for the meeting, within thirty days from the conclusion of the meeting.

(c) The minutes so recorded shall be signed by the person who presided over the said meetings.

Annulment of proceedings of society by successor committee

49-B Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder and byelaws of a society, any resolution passed by a committee shall not be modified or annulled by the successor committee without the previous sanction in writing of the Registrar.

Government's powers to give directions in public interest, etc

49-C (1) If the State Government, on receipt of a report from the Registrar or otherwise is satisfied that in the public interest or for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by Government, or to secure the proper management of the business of the society generally, or for preventing the affairs of the society being conducted in a manner detrimental to the interests to the members or of the depositors or the creditors thereof, it is necessary to issue directions to any class of societies generally or to any society or societies in particular, the State Government may issue directions to them from time to time, and all societies or the societies concerned, as the case may be, shall be bound to comply with such directions.

(2) The State Government may modify or cancel and directions issued under sub-section (1), and in modifying or cancelling such directions may impose such conditions as it may deem fit.

(3) Where the Registrar is satisfied that any person or committee responsible for complying with any directions or modified direction issued to a society under sub-section (1) or (2) has failed without sufficient reason or justification to comply with the directions, the Registrar may-

(i) in case of a committee, proceed against such committee in accordance with the provisions of section 53; and

(ii) in case of a person, if the person is a member of committee of the society or an employee of the society, proceed against such person in accordance with the provisions of Section 53-B or the rules framed under sub-section (1) of section 55 as the case may be:

Provided that directions involving financial losses to the societies will be given only with prior

consent of the committee of such society and where necessary, of national financing institution, as well as after making the provision and advance allotment for compensating such losses fully.

Registrar's power to give directions to make regulations.

49-D (1) If the Registrar is of the opinion that, having regard to the financial condition of the society and financial interest of Government therein, it is necessary to regulate the manner of carrying on its trade or business, he may, subject to any rules made in this behalf, direct such society to make regulations in that behalf and forward them to him for approval.

(2) On receipt of the regulations made by the society, the Registrar may approve them with or without modifications. On approval of such regulations, the society shall carry on its business in according with regulations.

(3) If any society fails to forward such regulations to the Registrar when directed by him under sub-section (1) within a period of three months from the date on which the direction is given, the Registrar shall make or cause to be made such regulations and require the society to carry on its business in accordance with such regulations and thereupon the society shall be bound to comply with such requirement.

Appointment of Managing Director and Chief Executive Officer in certain circumstances.

49-E (1) (a) Notwithstanding anything contained in this Act or rules or byelaws made thereunder for any Apex Society where the State Government has contributed to it share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans granted in any other form, there shall be a Managing Director, not below the rank of a class I Officer, who shall be selected by a committee constituted at the State level consisting of the Agriculture Production Commissioner, Chairman of the Apex Society, Registrar Co-operative Societies and one Director nominated by the Board of Apex Society;

Provided that if the committee fails to select the Managing Director unanimously, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

(b) The Managing Director shall be ex-officio member of the committee.

(2) (a) Notwithstanding anything contained in this Act, or the Rules or byelaws made thereunder for every Central society where the State Government has contributed to its share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans, debentures, or advances or has given grants in any other form, there shall be a Managing Director or a General Manager not below the rank of Class II officer who shall be the Chief Executive Officer of the society and ex-officio member of the committee;

(b) The Chief Executive Officer shall be appointed,-

(i) from among the Officers of the cadre maintained under Section 54 if such a cadre has been created;

(ii) in other cases with the prior approval of the Registrar.

(c) The Chief Executive Officer shall perform such duties and exercise such powers as may be prescribed.

Special General Meeting.

50 (1) The Committee may at any time, call a special general meeting of the society and shall call such meeting within one month after the receipt of a requisition in writing from the Registrar or from one-tenth of total number of members.

(2) If a special general meeting of a society is not called in accordance with the requisition referred to in sub-section (1), the Registrar or any person authorised by him in this behalf, shall have the power to call such meeting and that meeting shall be deemed to be a meeting called by the Committee.

(2-A) Where any officer or member of the committee whose duty was to call such a meeting in accordance with the provisions of this Act, or the rules or byelaws made thereunder fails without reasonable excuse to call such meeting, the Registrar may, by order, declare in case of member of the committee, such member of the committee to be disqualified for

being a member of the committee for such period not exceeding seven years as he may specify in such order and in case of an officer of the society impose on him a penalty not exceeding five thousand rupees;

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.

(3) The matters before a special general meeting may include all or any of the matters specified in Section 49.

Disqualification for being candidate or voter for election to committee or representative or delegate of society.

50-A (1) No person shall be qualified to be a candidate for election as member of the committee, representative or delegate if he is in default for a period exceeding 12 months to the society or any other society for any loan or advance taken by him as a member of such society.

(1-A) No person shall be qualified to be a candidate for election as a member of the committee, representative or delegate if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January, 2001.

(1-B) A person elected to an office mentioned in sub-section (1-A) shall become disqualified to held such office if on or after 26th January, 2001 a child is born which increases the number of his children to more than two.

(2) No person shall be entitled to vote at any election of the committee, representatives or delegates of the society, if he is in default for a period exceeding 12 months to the society or any other society for any loan or advance taken by him as a member of such society.

Validation of acts.

51 No act of a society or of any committee or of any officer shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any defect in procedure or in the constitution of the society or of the committee or in the appointment or election of an officer or on the ground that such officer was disqualified for his appointment.

Power to appoint Government nominees.

52 (1) (1)Where the State Government –

(a) has subscribed to the share capital of a society; or

(b) has assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a society as provided in section 45; or

(c) has guaranteed the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a society; or

(d) has guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a society;

the State Government or any authority specified by the State Government in this behalf shall have the right to nominate such number or Government official not exceeding two as it may deem fit on any or all of the committees of such society.

(2) A person nominated on the committee of a society under sub-section (1) shall hold office for such period and on such conditions, as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, every person nominated on the committee of a society under sub-section (1) shall have one vote in such committee;

Provided that nominated person shall not be entitled to vote in any election of the office bearers of the committee of the society.

(4) When the Government has subscribed to the share capital of, or has guaranteed the repayment or principal and payment of interest on loans and advances to, a society to the extent of rupees three lakhs or more and the society has incurred loss to the extent of twenty-five per cent, or more of its owned capital, the State Government may, Notwithstanding anything contained in this Act, the rules made thereunder or byelaws of the society, nominate one of the members nominated by it under sub-section (1) as Chairman of the committee of the society and further appoint one of the nominated members as Managing Director/ General Manager/ Manager of the society.

Representation of women member on committee.

52-B If the opinion of the State Government, It is necessary to provide adequate representation to women members on a committee of such society or class of societies, as it may, by general or special order, specify it may direct such society to provide reservation of seat for women on its committee.

Provided that the number of seats so reserved shall not exceed four in such committee.

Provided further that in the event of a society failing to elect the requisite number of women members in its committee or to elect less than such number of women members, the remaining members of the committee shall co-opt the requisite number of women members from amongst women members of such society entitled to such representation and in the event of committee failing to co-opt requisite renumber of women members the Registrar shall nominate the requisite number of women members from amongst women members of such societies entitled to such representation.

Supersession of committee.

53 (1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of any society,-

(a) is negligent in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or bye-laws of the society or by any lawful order passed by the Registrar or is unwilling to perform such duties; or

(b) commits acts which are prejudicial to the interests of the society or its members; or

(c) violates the provisions of this Act or the rules made thereunder or byelaws of the society or any order passed by the Registrar;

the Registrar may, by order in writing, remove the committee and appoint a person or persons to manage the affairs of the society for a specified period not exceeding two years in the first instance;

Provided that in case of a Co-operative Bank, the order of supersession shall not be passed without previous consultation with Reserve Bank;

Provided further that if no communication containing the views of the Reserve Bank of India, on action proposed is received within forty-five days of the receipt by that Bank of the request soliciting

consultation, it shall be presumed that the Reserve Bank of India agrees with the proposed action and the Registrar shall be free to pass such order as may be deemed fit;

Provided also that in case of a Co-operative bank, if so required by the Reserve Bank in the public interest or for preventing the affairs of the Co-operative Bank being conducted in a manner, detrimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of a Co-operative Bank, the Registrar shall pass an order for the supersession of its committee or managing body by whatever name called and for appointment of an Administrator therefore for such period or periods not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank and on such appointment, the provisions of sub-section (4), (5), (6) and (8) shall apply as if orders were passed under sub-section (1);

Provided also that if a non-official is appointed in the committee of a primary society, he shall be from amongst the members of that society, entitled for such representation and in case of Central or Apex society, if a person is appointed in the committee of such society, he shall be a member of one of its affiliated societies entitled for such representation.

(2) No order under sub-section (1) shall be passed unless a list of allegations, documents and witnesses in support of charges leveled against it has been provided and the committee has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and representation , if any, made by it, is considered.

(3) The period specified in the order under sub-section (1) may, at the discretion of the Registrar, be extended, from time to time;

Provided that No such order shall remain in force for more than three years in the aggregate.

(4) The person or persons so appointed, shall subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may, from time to time, give, have power to

exercise all or any of the powers and to discharge all or any of the functions of the committee or of any officer of the society, and to take all such actions, as may be required in the interest of the society.

(5) The Registrar may fix the remuneration payable to the person or persons so appointed. The amount of such remuneration and other costs, if any, incurred in the management of the society shall be payable from its funds.

(6) The person or persons so appointed shall, before the expiry of the period of his or their appointment, arrange the constitution of a new committee in accordance with the bye-laws of the society.

(7) Before taking action under sub-section (1) in respect of a financing Bank or in respect of a society indebted to a financing bank , the Registrar shall consult, in the former case, the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited and, in the latter case, the financing bank concerned, regarding such action. If the Chhattisgarh State Co-operative Bank limited or the financing bank, as the case may be, fails to communicate its views within forty five days of the receipt by such bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited, or the financing bank concerned, as the case maybe, agreed with the proposed action.

(8) Notwithstanding anything contained in Section 48,49 and 50, if there is a difference of opinion between the general body of society and the person or persons appointed under sub-section (1) in respect of any matter, it shall be referred to the Registrar for decision and his decision thereon shall be final;

Provided that if the Registrar fails to take any decision within three months of the general body meeting, the decision of the general body of the society shall prevail.

(9) Nothing in this section shall be deemed to affect the power of the Registrar to direct the winding up of the society.

(10) During the period between the issuance of notice and the passing of an order removing the committee, the committee may be required by the Registrar to function under the supervision, and with the approval of such authority as the Registrar may specify in this behalf and no order made or resolution passed or any other act performed by the committee, shall be effectual unless it is approved by such specified authority;

Provided where the Registrar, while proceeding to take action under sub-section (2), is of the opinion that the supersession of the committee during the period of proceeding is necessary in the interest of the society he may suspend the committee, which shall thereupon cease to function and make such arrangement as he thinks fit, of the affairs of the society till the proceedings are completed and order issued under sub-section (1);

Provided further that the period of suspension shall not exceed six months and on the expiry of said period the suspension of the Committee shall stand revoked.

Provided also that, if the committee so suspended, is not superseded after undergoing the proceeding mentioned above, it shall be re-instated and the period during which is has remained suspended shall not count towards its term.

Provided also that no order of suspension shall be made unless the committee of the society has been given a reasonable opportunity of being heard.

(11) Notwithstanding anything contained in this Act, the Registrar shall, in case of Central Co-operative Banks, Urban Co-operative Banks and District Co-operative Agriculture and Rural Development Banks, if the recovery continuously in three financial years is less than 65 per cent of the demand or if the overdues exceed 40 per cent, pass an order for removal of the committee or the Managing Committee by whatever name it is called of the Bank and for appointment of a administrator therefor

for such period or periods not exceeding five years in the aggregate, as may be specified by the Registrar and on such appointment, the provisions of sub-section (4),(5) and (6) shall apply thereto as if an order was passed under sub-section (1);

Provided that no such order shall be made unless the committee has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and representation, if any, made by it is considered.

(12) When a committee of a society has been superseded under sub-section (1) any member of the committee, notwithstanding anything contained in this Act, rules made thereunder or byelaws of the society, shall not be eligible for contesting the election as a member of the committee nor he shall be eligible for co-option or nomination in that society for a period of seven years;

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a member of the committee of a society who was not a party to such decision of the committee which led to the supersession of it.

(13) Notwithstanding anything contained in this Act, or rules made thereunder or byelaws of society, if the committee of society ceases to function due to order of any Court or otherwise, the Registrar may appoint a person or committee of persons temporarily till the Court order is vacated or the new elections are held and the committee takes charge.

Taking over of charge.

53-A (1) (1) If,-

(i) the committee of a society is reconstituted at a general meeting of the society under section 49; or

(ii) the term of the committee of a society expires in pursuance of an order issued under clause (iii) of sub-section (7-A) of Section 49; or

(iii) the committee of a society is removed or suspended or ceases to function under section 53; or

(iv) the society is ordered to be wound up under section 69,

the person or persons entitled to receive the charge of the committee or society, as the case may be, shall assume charge,-

(a) from the date of election of a committee at the general meeting in case of (i) above;

(b) from the date of order issued by the State Government under clause (iii) of sub-section (7-A) of section 49 in case of (ii) above;

(c) from the date of order of the Registrar appointing him/them to manage the affairs of the society in case of (iii) above, and

(d) from the date of order of the Registrar appointing a liquidator in case of (iv) above;

and outgoing members of the committee shall be bound to handover charge, the records and property of the society to those assuming charge on the date as herein provided.

(2) The person entitled to receive charge of the committee or society, as the case may be, under sub-section (1) shall be deemed to have assumed charge of his office as from the date mentioned in sub-section (1), whether such charge has been actually handed over or not.

Power of the Registrar to remove an Officer or Member of the Committee of the society in certain circumstances.

53-B (1) If in the opinion of the Registrar, any officer of the co-operative society has been grossly negligent in the discharge of his duties imposed on him by or under this Act the rules made there under or byelaws or has, by a fraudulent act, caused financial loss to the society the Registrar may without prejudice to any other action that may or can be taken against him, call upon on the society to remove within a specified period such officer from the office held by him and where necessary also to disqualify him from holding any office under that society for a period not exceeding three years, whereupon the society shall, after affording opportunity to the officer concerned of being heard, pass such orders as it deems fit.

(2) On the failure of the society to take action under sub-section (1), the Registrar may after affording opportunity to the officer of being heard and for reasons to be recorded, and communicated to the officer and the society concerned, remove or remove and disqualified for a period not exceeding three years, the officer from holding any officer under that society for the period specified in the order.

(3) An officer removed under the sub-section (1) or sub-section (2) shall with effect from the date of communication of the order, cease to hold that office and if disqualified shall not be eligible to hold any office under that society for the period specified in the order.

Appointment of Managers, Secretaries and other officers.

54 (1) No society shall appoint a Manager, Secretary, Accountant or other paid officer unless he holds such qualifications as may be prescribed.

(2) The Apex and Central Societies shall maintain such cadres of officers and other servants as the State Government may, by order, direct and the conditions of service of members of such cadre shall be such as the Registrar may, by order, determine.

(3) The State Government may, by notification, specify the class of societies which shall employ officer from such cadres maintained by the Apex or Central Societies under sub-section (2) as may be specified therein and it shall be obligatory on the part of such class of societies to accept and appoint such cadre officers on the cadre posts as and when deputed by the Apex or Central Societies.

Registrar's power to determine conditions of employment in societies.

55 (1) The Registrar may, from time to time, frame rules governing the terms and conditions of employment in a society or class of societies and the society or class of societies to which such terms and conditions of employment are applicable shall comply with the order that may be issued by the Registrar in this behalf.

(2) Where a dispute, including a dispute regarding terms of employment working conditions and disciplinary action taken by a society, arises between a society and its employees, the Registrar or any officer

appointed by him not below the rank of Assistant Registrar shall decide the dispute and his decision shall be binding on the society an its employees.

Provided that the Registrar or the officer referred to above shall not entertain the dispute unless presented to him within thirty days from the date of order sought to be impugned;

Provided further that in computing the period of limitation under the foregoing proviso, the time requisite for obtaining copy of the order shall be excluded.

Registrar's power to enforce performance of obligation.

56 (1) Every society shall maintain such records, registers and books of accounts and shall furnish to the Registrar such information and such returns as may be required by him from time to time.

(2) Every society shall fix specific responsibility on the officer or employee of the society to maintain such records, registers, books of accounts and to furnish to the Registrar such information and such returns as may be required by order by him, from time to time within the period specified in such order.

(3) If any officer or the employee of the society on whom specific responsibility has been fixed under sub-section (2), fails to maintain the records, registers, books of accounts and to furnish to the Registrar, such information and such returns as may be required by the Registrar within the specified time, the Registrar may, by order, declare such officer to be disqualified for being a member of the committee for such period not exceeding three years as he may specify in such order and if the officer is an employee of the society, impose on him a penalty not exceeding five thousand rupees;

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.

Registrar's power to seize records, etc.

57. (1) Where the Registrar is satisfied that,-

(a) the records, registers or the books of accounts of a society are likely to be tampered with or destroyed and the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, or

(b) if the committee of a society is reconstituted at a general meeting of the society of the committee of a society is removed by the Registrar under section 53 or if the society is ordered to be wound up under section 69 and the outgoing members of the committee refuse to handover charge of the records and property of the society to those having to, or entitled to, receive such charge;

the Registrar may issue an order directing a person duly authorised by him in writing to seize and take possession of such books and records, funds and property of the society and the officer of the society responsible for the custody of such books and records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorised.

(2) In order to secure compliance of the orders under clause (b) of sub-section (1) the Registrar may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used such minimum force including Police Force as may be considered necessary.

Taking possession of record and property.

57-A (1) Where the Registrar is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Registrar or the person authorised by him may apply to the Executive Magistrate within whose jurisdiction the society is functioning, for seizing and taking possession of the records and property of the society.

(2) On receipt of the application under sub-section (1), the Magistrate may authorise any police officer not below the rank of a sub-inspector to enter and search any place where the records and property are kept are likely to be kept and to seize them and handover possession thereof to the Registrar or the person authorised by him, as the case may be.

CHAPER VI

AUDIT, INQUIRY, INSPECTION AND SUPERVISION

Audit and audit-fee. 58 (1) The Registrar shall audit or cause to be audited by a person authorised by him in writing by general or special order in this behalf, the accounts of every society once at least every year and shall recover from such society such fees as may be prescribed;

Provided that,-

(i) the State Government may, by notification, for reasons to be specified, therein, exempt any class of societies;

(ii) the Registrar may for reasons to be recorded in writing , exempt any society from the payment of fees or part thereof, under this sub-section;

Provided further that a Central Society or an Apex Society or an Urban Co-operative Bank may get the accounts audited by a Chartered Accountant approved by the Registrar.

Provided also that if there is a complaint of financial irregularities or embezzlement after the completion or issuance of the audit report, the Registrar may order special audit for the purpose.

(2) The audit under sub-section (1) shall include examination of the accounts and the overdue debts, if any compliance of the instructions and orders of the Registrar issued under this Act, rules made thereunder and byelaws of the society, the verification of cash balance and securities and valuation of the assets and liabilities of the societies and such other items as may be specified by the Registrar.

(3) The Registrar or the authorised person shall at all times have access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of the society and may summon any person in possession of or responsible for, the custody of any such books, accounts, documents, papers, securities, cash or other properties, to produce the same at any place at the headquarters of the society or any branch thereof.

(4) Every person who is or has at any time been, an officer or employee of the society and every member and past member of a society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the Registrar or the person authorised by him may, require.

Audit Board. 58-A For the purpose of conducting audit and supervision of any society or class of societies, the State Government may constitute an Audit Board which may exercise such powers of the Registrar as the State Government may, by notification specify in this behalf and the Audit Board shall exercise these powers to the exclusion of the Registrar.

Procedure for making good losses caused to a society. 58-B (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules or the byelaws of a society where the State Government has contributed to its share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans, debentures, advances or has given grants in any other form and if in the course of an audit, inquiry, inspection or the winding up of a society or otherwise, it is found that any person who is or was entrusted with organisation or management of such society or any deceased, past or present Chairman or Secretary, member of the Committee, Officer or employee of the society has made any payment contrary to the provisions of this Act or the rules made thereunder or byelaws of a society or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, the Registrar may on his own motion or on the application of the committee, liquidator or any creditor, enquire himself or direct some person authorised by him, by an order in writing in this behalf, to enquire into the conduct of such person within two years of the date of the report of audit, enquiry or inspection, or winding up, as the case may be;

Provided that no such enquiry shall be instituted against a person unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.

(2) If, on enquiry made under sub-section (1), the Registrar is satisfied that there are reasonable grounds for an order under this sub-section, he may make an order requiring such person, or in the case of a deceased person, his legal representative who inherits his estate, to repay or restore the money or property or any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent as the Registrar may consider just and equitable:

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

Provided further that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased which has come to the hands of such legal representative.

(3) Any person aggrieved by the order made under sub-section (2), may within thirty days from the date of communication of the order to him appeal to the State Government.

Provided that in computing the period of limitation, the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against shall be executed.

(4) Any order made under sub-section (2) or sub-section (3) shall be enforced in accordance with the provisions of section 85.

(5) If the Registrar is satisfied by an affidavit, enquiry or otherwise that any person with intent to delay or obstruct the enforcement of any order that may be made against him under this Section-

(a) is about to dispose of the whole or any part of his property : or

(b) is about to remove the whole or any part of his property from the jurisdiction of the Registrar;

he may, unless adequate security is furnished, direct the conditional attachment of the said property or such part thereof as he thinks necessary.

Inquiry. 59 (1) The Registrar may on the application of,-

(i) a society to which the society is affiliated; or
(ii) a creditor to whom the society is indebted; or
(iii) not less than one third of the members of the committee; or
(iv) not less than one-tenth of the total number of members of the society; or

hold an inquiry or cause an inquiry to be made into the specific matters raised in the application relating to the constitution, working and financial condition of the society.

(2) The Registrar shall order an inquiry only after the receipt of a fee as may be prescribed, from the applicant or applicants, deemed sufficient to meet the costs of the inquiry to be conducted.

(3) The inquiry shall be completed within a period of four months from the date of ordering the inquiry.

(4) The Registrar shall, within a period of one month from the date of completion of inquiry , communicate the report of the inquiry,-

(i) to the society concerned;
(ii) to the applicants or the person designated by the applicants to receive such report;
(iii) any member of a society;
(iv) federation of which the society is a member;
(v) creditor;

on payment of the prescribed fee.

Duty of certain persons to assist enquiry. 59-A (1) All officers, members and past members, of the society in respect of whom an inquiry is held, and any other person who, in the opinion of the officer holding the inquiry is in possession of the information, books and paper relating to the society, shall furnish such information as is in their possession and produce all books and papers relating to the society which are in their custody or power, and otherwise give to the officer holding an inquiry all assistance in connection with the enquiry which they can reasonably give.

(2) If any such person refuses to produce before the Registrar or any person authorised by him under sub-section (1) of section 59 any book or paper which is his duty under sub-section (1) to produce or to answer any question which is put to him by the Registrar or the person authorised by the Registrar in pursuance of sub-section (1), the Registrar or the person authorised by the Registrar may certify the refusal and the Registrar may, after hearing, any statement which may be offered in defence punish the defaulter with a penalty not exceeding one thousand rupees. Any sum imposed as penalty under this section shall, on the application by the Registrar or the person authorised by him, to a Magistrate, having jurisdiction, be recoverable by the Magistrate as if it were a fine imposed by himself.

Inspection of books of society

60 (1) The Registrar may on his own motion, or on the application of creditor of a society inspect or direct any person authorized by him by general or special order in writing in this behalf, to inspect the books of the society;

Provided that no such inspection shall be made on the application of a creditor unless the applicant,-

(a) satisfies the Registrar that the debt is a sum which is due and that he has demanded payment thereof and has not received within a reasonable time; and

(b) deposits with the Registrar such sum as security for the costs of the proposed inspection as the Registrar may require.

(2) The Registrar shall communicate the result of any such inspection,-

(a) where the inspection is made on his own motion to the society; and

(b) where the inspection is made on the application of a creditor, to the creditor and the society.

Rectification of defects. 61 (1) If the result of the audit held under section 58 or an inquiry held under section 59 or an inspection held under section 60 discloses any defects in the constitution, working or financial condition or the books of a society, the Registrar may bring such defects to the notice of the society and if the society is affiliated to another society also to the notice of that other society.

(2) The Registrar may make an order directing the society or its officers or member of the committee or the society to which it is affiliated to take such action as may be specified in the order within the time mentioned therein to remedy the defects disclosed in the audit, inquiry or inspection.

Costs of inquiry. 62 Where an inquiry is held under section 59 or an inspection is made under section 60 on the application of a creditor, the Registrar may apportion the costs, or such part of the costs as he may deem fit, between the society to which the society concerned is affiliated, the society concerned, the members or creditors demanding an inquiry or inspection, and the officers or former officers of the society:

Provided that, –

(a) no order of apportionment of the costs shall be made under this section unless the society or the person sought to be made liable to pay the costs thereunder has had a reasonable opportunity of being heard;

(b) the Registrar shall state in writing the grounds on which the costs are apportioned

Expenditure on proceedings. etc 63-A No expenditure from the funds of a society shall be incurred for the purpose of defraying the costs of any proceedings filed or instituted in any court by any officer or committee of a society against any order made or purporting to have been made by the Registrar under Section 19-AA, Chapter V or Chapter VI;

Provided that where the case is finally decided in favour of the officer or the committee, as the case may be, such cost as may be approved by the Registrar shall be reimbursed by the society.

CHAPTER VII
DISPUTES AND ARBITRATION

Disputes 64 (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any dispute touching the constitution, management or business, terms and condition of employment of a Society or the liquidation of a society shall be referred to the Registrar by any of the parties to the dispute if the parties thereto are among the following;-

(a) a society, its committee, any past committee, any past or present officer, any past or present agent, any past or present servant or a nominee, heirs or legal representatives of any deceased agent or deceased servant of the society, or the liquidator of the society;

(b) a member, past member or a person claiming through a member, past member or deceased member of a society or of a society which is a member of the society;

(c) a person other than a member of the society who has been granted a loan by the society or with whom the society has or had business transactions and any person claiming through such a person;

(d) a surety of a member, past member or deceased member or a person other than a member who has been granted a loan by the society, whether such a surety is or is not a member of the society;

(e) any other society or the liquidator of such a society; and

(f) a creditor of a society.

(2) For the purposes of sub-section (1), a dispute shall include,-

(i) a claim by a society for any debt or demand due to it from a member, past member or the nominee, heir or legal representative of a deceased member, whether such debt or demand be admitted or not;

(ii) a claim by a surety against the principal debtor where the society has recovered from

the surety any amount in respect of any debt or demand due to it from the principal debtor as a result of the default of the principal debtor, whether such debt or demand be admitted or not;

(iii) a claim by a society for any loss caused to it by a member, past member or deceased member, any officer or deceased officer, any agent, past agent or deceased agent, or any servant, past servant or deceased servant, or its committee, past or present, whether such loss be admitted or not;

(iv) a question regarding rights, etc., including tenancy rights between a housing society and its tenants or members; and

(v) any dispute arising in connection with the election of any officer of the society or representative of the society or of composite society;

Provided that the Registrar shall not entertain any dispute under this clause during the period commencing from the announcement of the election programme till the declaration of the results.

(3) If any question arises whether a dispute referred to the Registrar is a dispute, the decision thereon of the Registrar shall be final and shall not be called in question in any court.

Limitation.

65 (1) Notwithstanding anything contained in the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908), and subject to the specific provisions made in this Act, the period of limitation for referring the disputes mentioned below to the Registrar under section 64 shall,-

(a) when the dispute relates to the recovery of any sum including interest thereon due to a society by a member thereof, be six years from the date on which such member dies or ceases to be member of the society;

(b) when the dispute is between a society or its committee and any past committee, any past or present officer, or past or present

agent, or past or present servant or the nominee, heir or the legal representative of a deceased officer, deceased agent or deceased servant of the society, or a member or past member or the nominee, heir or the legal representative of a deceased member and when the dispute relates to any act or omission on the part of either party to the dispute, be six years form the date on which the act or omission with reference to which the dispute arose, took place;

(c) when the dispute is in respect of any matter touching the constitution, management or business of a society which has been ordered to be wound up under Section 69 or in respect of which a nominated committee or a person or persons has or have been appointed under Section 53, be six years from the date of the order issued under Section 69 and Section 53, as the case may be;

(d) when the dispute is in connection with the election of any officer of a society, forty-five days from the date of declaration of the result of such election.

(2) The period of limitation in the case of any other dispute except those mentioned in sub-section (1) which are required to be referred to the Registrar under Section 64 shall be regulated by the provisions of the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908), as if the dispute were a suit and the Registrar a Civil Court.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2) the Registrar may admit a dispute after the expiry of the limitation period if the applicant satisfies the Registrar that he had sufficient cause for not referring the dispute within such period.

Settlement of dispute.

66 (1) The Registrar may, on receipt of the reference of dispute under section 64 decide the dispute himself, or transfer it for disposal to a nominee or board of nominees to be appointed by the Registrar.

(2) When a dispute is transferred under sub-section (1) for disposal by a nominee or a board of nominees, the Registrar may at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw such dispute from such nominee or board of nominees and may decide the dispute himself or transfer it again to any other nominee or board of nominees appointed by him for decision.

(3) The decision of a nominee or a board of nominees to whom any dispute is transferred for decision under this section shall, for the purpose of this Act, be deemed to be the decision of the Registrar.

Procedure for settlement of disputes and power of Registrar, his nominee or board of nominees.

67 (1) The Registrar or his nominee or board of nominees shall have the power of making interlocutory orders including grant of a temporary injunction. In exercising this power, the Registrar or his nominee or board of nominees, as the case may be, shall follow the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), for the purpose of making such orders and granting an injunction.

(2) No party shall be represented at the hearing of the dispute by any legal practitioner, except with the permission of the Registrar or his nominee or board of nominees, as the case may be:

Provided that where the permission is so granted, the other party to the dispute shall be entitled to be represented by a legal practitioner.

(3) The Registrar or his nominee, as the case may be, shall record a note in Hindi of the evidence of the parties and witnesses who attend and upon the evidence so recorded and after considering any documentary evidence produced by either side, shall give a decision or award, as the case may be. which shall be reduced in writing If the applicant duly summoned is absent, the case may he dismissed in default. If the non-applicant is absent, the case can be decided ex-parte. In cases, where three nominees are appointed, the majority shall prevail:

Provided that where a dispute has been decided against any party, in default and if such party satisfies the Registrar within thirty days from the date of such default, that there was sufficient

cause for its non-appearance, the Registrar shall make an order setting aside the decision and shall appoint a date for proceeding with case.

Attachment before award. 68 Where the Registrar or a nominee or board of nominees, as the case may be, acting under section 66 is satisfied on affidavit, enquiry or otherwise that a party to any reference with intent to delay or obstruct the execution of any award that may be made, -

(a) is about to dispose of the whole or any part of his property; or

(b) is about to remove the whole or any part of his property from the jurisdiction of the Registrar;

the Registrar, a nominee or board of nominees may unless adequate security is furnished, direct the conditional attachment of the said property or such part thereof as he thinks necessary through such agency authorised by him as he may deem fit and such attachment shall have the same effect as if it had been made by a competent Civil Court.

CHAPTER VIII
LIQUIDATION

Winding up of societies.

69 (1) If the Registrar, after an inquiry has been held under section 59, or an inspection has been made under section 60 or on receipt of an application made by not less than three fourths of the members of a society, is of the opinion that the society ought to be wound up, he may issue an order directing it to be wound up.

(2) The Registrar may on his own motion make an order directing the winding up of a society,.-

(a) where the society has not commenced working within a reasonable time of its registration or has ceased to work; or

(b) where in the opinion of the Registrar the society has been working mainly for promoting the interest of any individual or group of individuals and not of the members generally; or

(c) where the society has ceased to comply with any conditions as to registration or management under this Act, rules or bye-laws; or

(d) Where the primary credit society continues to be in default by not recovering its full overdue demand from members for continuous three Co-operative years and even after supersession, it fails to recover full overdue demand.

(3) No order under sub-section (1) or sub-section (2) shall be passed unless the society concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and representation, if any made by it is considered.

(4) The Registrar may cancel an order for the winding up of a society, at any time prior to the cancellation of its registration in any case where, in his opinion, the society should continue to exist.

(5) Notwithstanding anything contained in this section, no Co-operative bank shall be wound up, except with the previous sanction in writing of the Reserve Bank of India.

Winding up of Co-operative Bank. 69 A Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Registrar shall make an order for winding up of a Co-operative bank, if so required by the Reserve Bank of India in the circumstances mentioned in section 13-D of the Deposit insurance and credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961) or otherwise.

Reimbursement of Deposit Insurance Corporation in case of insured Bank. 69 B Where a Co-operative Bank, being an insured bank within the meaning of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961), is wound up, or taken into liquidation, and the Deposit Insurance Corporation has become liable to the depositors of the insured bank under sub-section (1) of section 16 of that Act, the Deposit Insurance Corporation shall be re-imbursed in the circumstances, to the extent and in the manner provided in section 21 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (No.47 of 1961).

Appointment of Liquidator. 70 (1) Where the Registrar has made an order under section 69 for the winding up of a society, he may appoint a liquidator for the purpose and fix his remuneration and may also remove at any time any person appointed as liquidator and appoint another;

Provided that in respect of a co-operative bank ordered to be wound up on requisition from the Reserve Bank , the liquidator shall not be appointed or removed without the previous sanction of Reserve Bank of India.

(2) A liquidator shall, on appointment, take into his custody or under his control all the property, effects and actionable claims to which the society is or appears to be entitled and shall take such steps as he may deem necessary or expedient, to prevent loss deterioration of, or damage to such, property, effects and claims.

(3) Where an appeal is preferred under section 78 an order of winding up of a society made under section 69 shall not be operated thereafter until the order is confirmed in appeal;

Provided that the liquidator shall continue to have custody of or control over the property, effects and actionable claims mentioned in sub-section (2) and have authority to take the steps referred to in that sub-section

(4) Where an order of winding up of a society is set aside in appeal, the property, effects and actionable claims of the society shall revest in the society.

Control of Liquidator.

70 A After the appointment of the liquidator, all powers of the Committee of a Society, whether elected or nominated, shall cease and the employees of the Society shall thereafter work under the control and supervision of the liquidator.

Powers of Liquidator.

71 (1) Subject to any rules made in this behalf the whole of the assets of a society in respect of which an order for winding up has been made, shall vest in the liquidator appointed under section 70 from the date on which the order takes effect and the liquidator shall have power to realize such assets by sale or otherwise.

(2) Such Liquidator shall also have power, subject to the control of the Registrar-

(a) to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the society in the name of his office;

(b) to determine from time to time the contribution (including debts due) to be made or remaining to be made by the members,or past member or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officers or former officers, to the assets of the society;

(c) to investigate all claims against the society, and, subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority arising between claimants;

(d) to pay claims against the society including interest up to the date of winding up according to their respecting priorities, if any, in full or rateably, as the assets of the society may permit; the surplus, if any, remaining after

payment of the claims being applied in payment of interest from the date of such order or winding up at a rate fixed by him but not exceeding the contract rate in any case;

(e) to determine by what persons and in what proportions the costs of the liquidation are to be borne;

(f) to determine whether any person is a member, past member or nominee of deceased member;

(g) to give such directions in regard to the collection and distribution of the assets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society;

(h) to carry on the business of the society so far as may be necessary for the beneficial winding up of the same;

(i) to make any compromise or arrangement with creditors or persons claming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, whereby the society may be rendered liable; and

(j) to compromise all calls or liabilities to calls and debts and liabilities capable of resulting in debts, and all claims, present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability to the society and all questions in any way relating to or affecting the assets or the winding up of the society on such terms as may be agreed and take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim and give a complete discharge in respect thereof;

Provided that no liquidator shall determine the contribution, debt or dues to be recovered from a member, or a past member or the nominee, heir or legal representative of a deceased member unless opportunity has been given to such member or past member or to such nominee, heir or legal representative to explain his position.

(3) When the affairs of a society have been wound up, the liquidator shall make a report to the Registrar and deposit the records of the society in such place as the Registrar may direct.

Disposal of surplus assets of liquidated societies.

72 After all the liabilities including the paid-up share capital of a wound up society have been met, the surplus assets shall not be divided amongst its members but they shall be applied to any object described in the bye-laws of the society and when no object is so described, to any object of public utility determined, by the general meeting of the society and approved by the Registrar or they may, in consultation with them either be assigned by the Registrar in whole or in part to any or all of the following;-

(a) an object of public utility or local or civic interest; or

(b) the Chhattisgarh Co-operative Union Limited, or any other institution or Union; or

(c) may be placed on deposit with a Central Co-operative Bank until such time as a new society with similar conditions is registered when with the consent of the Registrar such surplus may be credited to the Reserve Fund of such new society; or

(d) a charitable purpose as defined in Section 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890); or

(e) to each existing member in proportion to his paid up share capital.

CHAPTER IX
OFFENCES AND PENALTIES

Prohibition of use of word "Co-operative".

73 (1) No person other than a society registered under this Act and a person or his successor in his interests of any name or title under which he traded or carried on business at the date on which this Act came into force, shall, without the sanction of the State Government, function, trade or carry on business under any name or title of which the word "Co-operative" or its equivalent in any Indian Language forms part.

(2) Every person who is a member of a society formed in contravention of sub-section (2) of Section 14 and every person contravening the provisions of sub-section (1) shall be punishable with a fine which may extend to two hundred rupees and in the case of a continuing offence with further fine of five rupees for each day on which the offence is continued after conviction therefor.

Offences

74 It shall be an offence under this Act, if-

(a) a committee or an officer or member thereof wilfully makes a false report or furnishes false information or dishonestly fails to maintain accounts or dishonestly maintains false accounts; or

(b) any person collecting share money for a society in formation does not deposit the same in the Chhattisgarh State Co-operative Bank Lmited a Central Co-operative Bank, an Urban Co-operative Bank or a Postal Saving Bank, within fourteen days of its receipt; or

(c) a person collecting the share money for a society in formation makes use of the funds so raised for conducting any business or trading in the name of a society be registered or otherwise ; or

(d) any officer of a society wilfully recommends or sanctions for his own personal use or benefit or for the use or benefit of a person in whom he is interested loan, in the name of any other person; or

(e) an officer or any member destroys, mutilates, alters, falsifies or secrets or is privy to the destruction, mutilation, alteration, falsification or secreting of any books, papers or securities, or makes or is privy to the making of any false or fraudulent entry in any register, book of account or document belonging to the society; or

(f) an officer or a member who is in possession of information, books and records, wilfully fails to furnish such information or produce such books and papers or does not give assistance to a person appointed or authorized by the Registrar under Sections. 53,58,59,60, 67 and 70; or

(g) an officer wilfully fails to hand over custody of books, records, cash, security and other property belonging to the society of which he is an officer, to a person appointed under Section 53 or 70; or

(h) a member fraudulently disposes of property over which the society has a prior claim or a member or officer or employee or any person disposes of his property by sale, transfer, mortgage, gift or otherwise with the fraudulent intention of evading the dues of the society; or

(i) any employer and other Director, manager, secretary or other officer or agent acting on behalf of such employer who, without sufficient cause, fails to comply with provision of sub-section (2) of Section 42; or

(j) any person acquires or abets in the acquisition of any property which is subject to a charge under sub-section (1) of Section 40; or

(k) an officer or member of a society or any person does any act or is guilty of omission declared by the rules to be an offence.

Explanation.-For the purposes of this section an officer or a member referred to in this section shall include past officer or past member, as the case may be.

Penalties for offences.

75 Every committee, officer or past officer, or member or past member or an employee or past employee of a society or any other person shall without prejudice to any action that may be taken against him under any law for the time being in force, be liable to be punished:-

(a) with fine not exceeding Rs. 2000, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(a)
(b) with fine not exceeding Rs. 1000, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(b)
(c) with fine not exceeding Rs. 1000, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(c)
(d) with fine not exceeding Rs. 2000, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(d)
(e) with fine not exceeding Rs. 2000, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(e)
(f) with fine not exceeding Rs. 250, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(f)
(g) with fine not exceeding Rs. 250, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(g)
(h) with fine not exceeding Rs. 2000, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(h)
(i) with fine not exceeding Rs. 500, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(i)
(j) with fine not exceeding Rs. 1000, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(j)
(k) with fine not exceeding Rs. 250, provided that he is convicted of an offence referred to in section 74(k)

Cognizance of offences.

76 (1) No Court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence under this Act.

(2) No prosecution shall be instituted under this Act without the previous sanction in writing of the Registrar and such sanction shall not be given without giving to the person concerned an opportunity to represent his case.

CHAPTER X
APPEALS, REVISION AND REVIEW

Appeal 77 (1) Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order under this Act or the rules made thereunder-

(i) if such order is passed by an officer other than Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar, whether or not the Officer passing the order is invested with the powers of the Registrar, to the Joint Registrar;

(ii) if such order is passed by Joint Registrar, whether or not invested with the powers of Registrar, to the Registrar or the Additional Registrar authorised by Registrar;

(iii) if such order is passed by Registrar or Additional Registrar, to the State Government.

(2) Save as otherwise provided a second appeal shall lie against every order passed in first appeal under this Act or the rules made thereunder-

(i) by the Joint Registrar to the Registrar or the Additional Registrar authorised by the Registrar;

(ii) by the Registrar or Additional Registrar, to the State Government.

(3) A second appeal shall lie on any of the following grounds, and no other, namely

(i) that the order is contrary to law; or

(ii) that the order has failed to determine some material issue of law; or

(iii) that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act which may have produced error or defect in the decision of the case on merits.

(4) Every appeal shall be presented in the prescribed manner to the appellate authority concerned, within thirty days of the date on which the order appealed against was communicated to the party affected by the order :

Provided that in computing the period of limitation under this sub-section the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

Revision 78 (1) The State Government or the Registrar may at any time on its/his motion or on the application made by any party for the purpose of satisfying itself/himself as to the legality or propriety of the followings may pass such order in reference thereto as itlhe think fit-

(i) any inquiry or proceedings or any order passed by any officer subordinate to it/him;

(ii) any proceedings or decision or resolution or any order passed by the society or committee or sub-committee of society;

(iii) any inquiry or proceedings or decision or any order passed by any officer of any society :

Provided that no order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them of being heard.

(2) No such application shall be entertained unless presented within thirty days 'from the date of order and in computing the period aforesaid time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded.

No appeal or revision in certain cases 79 Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where with previous sanction in writing or on the requisition ofthe Reserve Bank of India-

(i) an order for the winding up of a co-operative bank is made; or

(ii) a scheme of compromise or arrangement or reconstruction or reorganisation or amalgamation is made or is given effect to; or

(iii) an order for the supersession or suspension of the committee by whatever name caned of a Cooperative Bank and the appointment of an Officer Incharge etc. therefor, has been made:

no appeal, revision or review there against shall lie or be permissible, and such order or the sanction or requisition of the Reserve Bank of India shall not be liable to be called in question.

Review	80	The State Government or Registrar may, on its/his own motion, or on the application of any party interested, review its/his own order in any case and pass such order in reference thereto as it/he thinks just: Provided that, no such application made by the party interested shall be entertained, nor such a case be taken suo motu, unless the State Government or Registrar is satisfied that there has been the discovery of new and important matter of evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made, or that there has been mistake or error apparent on the face of the record, or there is any other sufficient reason: Provided that no such order shall be varied, amended or revised, unless notice has been given to the parties interested to appear and such interested parties have been heard: Provided further that application for review of any order, by the parties interested shall not be entertained, unless the application is filed within ninety days from the passing of the order.
Extension of period of limitation by appellate authority in certain cases	80 A	In all cases in which it is provided under this Act that an appeal may be filed against any decision or order within a specified period, the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.
Transfer or withdrawal of cases	80 B	Subject to the provisions of section 77 and 78, the Registrar, Additional Registrar, Joint Registrar, or the Deputy Registrar may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Act, for decision from his own file to any officer subordinate to him competent to decide such case or class of cases or may withdraw any case or class of cases from any such officer and may deal with such case or class of cases himself or refer the same for disposal to any other officer subordinate to him and competent to decide such case or class of cases.

Power to make interlocutory orders

80 C When an application for appeal, revision or review is made to State Government, or Registrar under this Act, it may in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or application, as the case may be, as may appear to it/him to be just and convenient, or make such orders as may be necessary for the ends of justice; or to prevent the abuse of the legal procedure.

Stay of execution of orders

80 D (1) An officer who has passed any order or his successor in office may, at any time before the expiry of the period prescribed for appeal or revision, direct the execution of such order to be stayed for such time as may be required for filing an appeal or revision and obtaining a stay order from the appellate or revisional authority.

(2) The authority exercising the powers conferred by section 77, section 78 or section 80 may direct the execution of the order under appeal or revision or review to be stayed for such time as it may think fit.

(3) The officer or authority directing the execution of an order to be stayed may impose such conditions or order such security to be furnished as he or it thinks fit.

Transfer of pending cases

80 E Every appeal or revision or any other proceeding pending before the Madhya Pradesh Sate Co-operative Tribunal under the Principal Act, shall stand transferred to the State Government on the date on which the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2003 comes into force.

80 F Any officer or any authority shall exercise such powers, delegated to the State Government by or under this Act, in such areas and in such cases as the State Government may direct by special or general order

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

Recovery of sums due to Government.

81 (1) All sums due from a society or from an officer, or member or past member or a deceased member of a society as such to State Government including any costs awarded to Government under any provisions of the Act, may, on a certificate issued by the Registrar in this behalf, be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(2) Sums due from a society to the State Government and recoverable under sub-section (1) may be recovered -

(a) firstly, from the property of the society;

(b) secondly, in the case of a society the liability of the members of which is limited, from the members, past members or estates of the deceased members subject to the limit of their liability:

Provided that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased which has come to the hands of such legal representative; and

(c) thirdly, in the case of other societies, from the members, past members or estates of the deceased member:

Provided that the liability of past members or estates of deceased members in all cases shall be subject to the provisions of Section 29.

Power of financing bank to proceed against defaulting members of co-operative society.

81 A (1) If a co-operative society is unable to pay its debts to financing bank from which it has borrowed, by reasons of its members committing default in the payment of money due by them, the financing bank may direct the committee of such society to proceed against such members by taking action under section 64.

(2) If the committee of the Co-operative society fails to proceed against its defaulting members within a period of ninety days from the date of receipt of such direction from the financing bank, the financing bank may proceed against such defaulting members in which event, the provisions of this Act,

the rules and byelaws made there under shall apply as if all references to the society or its committee in the said provisions, rules and byelaws were references to the financing bank.

(3) Where a financing bank has obtained a decree or award against a society indebted to it, the bank may proceed to recover such money from the assets of the society to the extent of debts due from the society.

Bar of jurisdiction of Courts. 82 (1) Save as provided in this Act, no civil or revenue court shall have any jurisdiction in respect of,-

(a) the registration of a society or of bye-laws or of an amendment of a bye-law;

(b) the removal of a committee or its members and the management of the society after such removal;

(c) any dispute, required to be referred to the Registrar or his nominee or board of nominees;

(d) any matter concerning the winding up and the dissolution of a society.

(2) While a society is being wound up, no suit or other legal proceedings relating to the business of such society shall be proceeded with, or instituted against, the liquidator as such or against the society or any member thereof, except by leave of the Registrar and subject to such terms as he may impose.

(3) Save as provided in this Act, no order, decision or award made under this Act shall be questioned in any court on any ground whatsoever.

Recovery of costs. 83 Any sum awarded by way of costs under Section 62 may be recovered, on an application by the Registrar to a Magistrate having jurisdiction in the place where person from whom the money is claimable resides, or carries on business, by sale of any property within the limits of the jurisdiction of such Magistrate, belonging to such, person, and such Magistrate shall proceed to recover the same, in the same manner as if it were a fine imposed by himself.

Enforcement of charge. 84 Notwithstanding anything contained in Chapter VII or any other law for the time being in force, but without prejudice to any other mode of recovery provided in this Act, the Registrar or any person empowered by the Registrar in this behalf, may on an application of the society and subject to such rules as State Government may make in this behalf, make an order directing the payment of any debt or outstanding demand due to the society by any member or past or deceased member by attachment and sale or transfer by any other mode for such period and subject to such terms and conditions as the Registrar or such other person may specify, of the property or any interest therein which is subject to a charge under sub-section (1) of section 40, sub-section (1) of section 41, and sub-section (1), (2) and (3) of section 42.

Provided that no order shall be made under this section unless the member, past member or nominee, heir or legal representative of the deceased member has been served with a notice of the application and has failed to pay the debt or outstanding demand within thirty days from the date of such service.

Recovery of sums due to certain societies. 84 A (1) Notwithstanding anything contained in section 64, 69 and 78 on an application made by a co-operative housing society or Chhattisgarh State Co-operative Housing Federation or primary urban Co-operative Bank for recovery of arrears of its dues, the Registrar may, after making such enquiry as he deems fit, grant a certificate for the recovery of the amount stated therein to be due as an arrear.

(2) The certificate granted by the Registrar shall be final and conclusive proof of the arrears, and the same shall be recoverable as arrears of land revenue.

Execution of orders, etc. 85 Every order or award passed or decision given by the Registrar under any provision of this Act, every order passed by the Appellate or Revisional Authorities and every order made, decision given by the Liquidator, if not carried out-

(a) on a certificate signed by the Registrar or any person authorised by him in this behalf be deemed to be decree of a Civil Court and shall be executed in the same manner as a decree of such Court; or

(b) be executed according to the law and under the rules for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue; or

(c) be executed by the Registrar or any other person empowered by the Registrar in this behalf, by the attachment and transfer in the manner as may be prescribed or sale or sale without attachment of any property of the person or a society against whom the order, decision or award has been obtained or passed:

Provided that any application for the recovery under clause (b) shall be made,-

(i) to the Collector and shall be accompanied by a certificate signed by the Registrar or by any person authorised in this behalf; and

(ii) within five years from the date fixed in the order, decision or award and if no such date is fixed, from the date of order, decision or award, as the case may be.

Manner of executing order to deliver possession of immovable property.

85 A Where against any person an order to deliver possession of immovable property has been passed under this Act, such order shall be executed in the following manner, namely:-

(a) by serving a notice on the person in possession requiring him within such time as may appear reasonable after the receipt of the said notice, to vacate the same; and

(b) if such notice is not obeyed, by removing or deputing a subordinate to remove any person who may refuse to vacate the same; and

(c) if the officer removing any such person is resisted or obstructed by any person, appoint any of the officers specified in section 3, who shall hold a summary inquiry into the facts of the case, and if satisfied that the resistance or obstruction was without any just cause, and that

such resistance or obstruction still continues may, without prejudice to any proceeding to which such person may be liable under any law for the time being in force for the punishment of such resistance or obstruction, take or cause, to be taken such steps and use or cause to be used, such force as may, in the opinion of such officer, be reasonably necessary for securing compliance with the order.

Service of notice. 86 (1) Every notice or order issued or made under this Act, the rules or bye-laws may be served on any person by properly addressing it to the last known place of residence or business of such person by registered post with acknowledgement due letter containing the notice or order;

Provided that a notice relating to a meeting called by a co-operative society shall be issued under certificate of posting or be issued by hand delivery after obtaining acknowledgement of the receipt thereof.

(2) An acknowledgement purporting to be signed by such person or an endorsement by a postal employee that the person refused to take delivery may be deemed to be prima facie proof of service;

Provided that if service of the notice cannot be effected by any manner provided under this Act, or rules made thereunder, or bye-laws of the society, a copy thereof shall be affixed notice board and also at the last known place of residence of the person noticed or at some place of public resort in such place.

Registrar and other officers etc, to be public servants. 87 Every officer or person as well as employee of a Co-operative Bank or a Co-operative society or an authority exercising or authorized to exercise the powers under this Act or the Rules or bye-laws made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (44 of 1860)

Indemnity for acts done in good faith.

88 No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Registrar or any person subordinate to him or acting under his authority, in respect of anything done or purporting to have been done by him in good faith under this Act.

Powers of civil courts.

89 (1) In exercising the powers conferred on him by or under this Act, the Registrar, his nominee or board of nominees, or any other person deciding a dispute and the liquidator of a society shall have all the powers of a civil court while trying a suit, under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) proof of facts by affidavits; and
- (d) issuing commissions for examination of witnesses.

(2) In the case of any affidavit, any officer appointed by the Registrar, his nominee or board of nominees or the liquidator, as the case may be, may administer oath to the deponent.

Registrar or person empowered by him to be a civil court for certain purposes.

90 The Registrar or any person empowered by him in this behalf shall be deemed, when exercising any powers under this Act for the recovery of any amount by the attachment and sale or by sale without attachment of any property, or when passing any orders on any application made to him for such recovery or for taking a step in aid of such recovery, to be a civil court for the purposes of Article 182 of the First Schedule to the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908).

Companies Act not to apply.

92 The provisions of the Companies Act, 1956 (I of 1956) shall not apply to societies registered under this Act.

Certain other Acts not to apply to Co-operative societies.

93 Nothing contained in the Chhattisgarh Shops and Establishment Act. 1958 (25 of 1958), the Chhattisgarh Industrial Workman (Standing Order) Act, 1959 (19 of 1959) and the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) shall apply to a society registered under this Act,

Notice necessary in suits. 94 No suit shall be instituted against a society or any of its officers in respect of any act touching the constitution, management or business of the society until the expiration of two months-next after notice in writing has been delivered to the Registrar or left at his office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims, and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

Power to make rules. 95 (1) The Government may, for the whole or any part of the State and for any society or class of societies, make rules for the conduct and regulation of the business of such society or class of societies and for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may,-

(a) subject to the provisions of Section 3 prescribe the delegation of powers vested in the Registrar to persons appointed to assist the Registrar and prescribe the manner of forwarding the copies of the proposed amendment of the bye-laws to the Registrar.

(b) prescribe the forms to be used and the conditions to be complied with in the making of applications for the registration of a society and the procedure in the matter of such applications;

(c) prescribe the matters in respect of which a society may make or the Registrar may direct a society to make, bye-laws and the procedure to be followed in making, altering and abrogating bye-laws and the conditions to be satisfied prior to such making, alteration or abrogation;

(c-1) prescribe the period for the training of a member of a society and the manner of calling upon a member of a society to attend the course of training;

(c-2) prescribe the manner of regulating the voting right of individual member of a federal society;

(d) prescribe the procedure to be followed and conditions to be observed for change of name

or liability, reorganisation or reconstruction of society;

(e) prescribe the conditions to be complied with by a person applying for admission or admitted as a member and provide for the election and admission of members and the payment to be made and the interest to be acquired before the exercise of the right of membership;

(f) subject to the provisions of section 24, prescribe the maximum number of shares or portion of the capital of a society which may be held by a member;

(g) provide for the withdrawal or removal of members and for the payments to them;

(h) provide for the nomination of person to whom the share or the interest of a deceased member may be paid or transferred;

(i) provide for ascertaining the value of a share or interest of a past members or deceased member;

(j) prescribe the payments to be made and the conditions to be complied with by members applying for loans, the period for which loans may be made, and the amount which may be lent to an individual member;

(j-1) prescribe the proportions for reservation of seats for members belonging to scheduled castes, scheduled tribes and economaly weaker section on the committee of a resource society and provide for holding of an office of President/ Chairman or Vice-President/ Vice-Chairman of resource society by a member belonging to the aforesaid castes, tribes or section;

(k) provide for the inspection of documents in the office of the Registrar or of any other officer or authority and the levy of fees for granting certified copies of the same;

(l) provide for the formation and maintenance of a register of members and where the liability of the members is limited by shares, of a register of shares and a list of members;

(m) provide for securing that the share capital of any society shall be variable in such a way as may be necessary to secure that the share shall not appreciate in value and the necessary capital shall be available for the society as required;

(n) prescribe the terms and conditions on which Government may make share capital contribution or give assistance, financial or other, to societies and the terms and conditions on which Government may guarantee the payment of the principal of and interest on debentures issued by societies or loans raised by them;

(o) regulate the manner in which funds may be raised by a society or a class of societies by means of shares or debentures or otherwise and the quantum of funds so raised;

(p) prescribe the manner of giving intimation to the Tahsildar about the details of the debt of outstanding demand owing to the society from a member, past member or deceased member;

(q) prescribe the procedure by which a society shall calculate and write off bad debts;

(r) provide for the formation and maintenance of reserve funds, and the objects to which such funds may be applied and for the investment and use of any fund including reserve fund under the control of a society;

(s) prescribe the rate at which a society shall contribute towards the Chhattisgarh State Co-operative Union;

(t) prescribe the mode of investment of funds of a society under section 44 and the proportion of investment in any security or class of securities;

(u) provide for the payment of contribution to any provident fund which may be established by a society for the benefit of officers and servants employed by them and for the administration of such provident fund;

(v) provide for general meetings of the members and the procedure at such meetings and the

powers to be exercised by such meetings;

(w) provide for the appointment, suspension and removal of the members of the committee and other officers and for the appointment of a person or persons under section 53 and prescribe procedure at meetings of the committee and for the powers to be exercised and the duties to be performed by the committee, person or persons and other officers;

(x) prescribe qualification and disqualification for members of the committee and employees of a society or class of societies and the conditions of service subject to which persons may be employed by societies;

(y) prescribe the returns to be submitted by society to the Registrar and provide for the person by whom and the form in which such returns shall be submitted;

(z) provide for the person by whom and the form in which copies of documents and entries in books of societies may be certified and the charges to be levied for the supply of copies thereof;

(aa) prescribe the accounts and books to be kept by a society and provide for the audit of such accounts and the charges, if any, to be made for such audit, and for the periodical publication of a balance sheet showing the assets and liabilities of a society;

(bb) provide for appointment of Registrar's nominee or board of nominees, procedure to be followed in proceedings before the Registrar or his nominee or board of nominees, and for fixing and levying the expenses for determining the dispute and for enforcing the decisions or executing awards in such proceedings;

(cc) provide for the issue and service of processes;

(dd) prescribe the procedure for and the method of recovery of any sums due under this Act or the rules;

(ee) prescribe the procedure to be followed for the

custody of property attached under section 68.

(ff) Prescribe the procedure and conditions for the exercise of the powers conferred under Section 71 and the procedure to be followed by a liquidator and provide for the disposal of surplus assets;

(gg) prescribe the procedure to be followed in presenting and disposal of appeals revisions and review.

(ii) prescribe the method of communicating or publishing any order decision or award required to be communicated or published under this Act or the rules; and

(jj) provide for all matters required or allowed by this Act to be prescribed by rules.

(3) All rules made under this Act shall be laid on the table of Legislative Assembly.

Repeal and savings. 96 (1) The Co-operative Societies Act, 1912 (II of 1912), in its application to Mahakoshal region, the Madhya Bharat Co-operative Societies Act, 1955 the Vindhya Pradesh Co-operative Societies Ordinance, 1949 the Bhopal State Co- operative Societies Act, 1937 (XI of 1937) and the Rajasthan Co-operative Societies Act, (IV of 1953) in its application to the Sironj region are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal-

(i) any society registered or deemed to have been registered under the enactments specified in sub-section (I) shall be deemed to be registered under this Act and its bye-laws shall, so far as the same are not inconsistent with the provisions of this Act be deemed to be registered under this Act and continue in force until altered or rescinded;

(ii) all appointments, rules and orders made, notifications and notices issued and suits and other proceedings instituted under any ofthe said enactments shall so far as may be, be deemed to have been respectively made, issued and instituted under this Act.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

(क्रमांक 17 सन् 1961)

[दिनांक 28 अप्रैल, 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेष राजपत्र '' में दिनांक 12 मई, 1961 को प्रथम बार प्रकाषित की गयी।]

[लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओं के रूप में स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित करने, उनका विकास करने और जनता के, विषेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिष्चित करने हेतु अधिनियम।]

भारत गणराज्य के ग्यारहवे वर्ष में मध्यप्रदेष विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

पहला अध्याय – प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अपर रजिस्ट्रार"** से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार;

((क–एक) **''शीर्ष सोसाइटी''** से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे सम्बद्ध हों, क्रियाकरण के लिए सुविधाएं देना हो और जिसके क्रियाक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो;]

(ख) **"सहायक रजिस्ट्रार"** से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार;

(ख–एक) **"कार्यक्षेत्र"** से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है या जैसा कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है;

(ग) **"उपविधियों"** से अभिप्रेत है वे उपविधियां जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हों या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती हों तथा जो तत्समय प्रवृत्त हों, और उनके अन्तर्गत उपविधियों का कोई रजिस्ट्रीकृत संषोधन आता है;

(ग–एक) **"केन्द्रीय सोसाइटी"** से अभिप्रेत है, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो तथा जिसका उद्देष्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देष्यों को संप्रवर्तित करना है और जिसकी कम से कम पांच सदस्य सोसाइटियां है;

[(ग–दो) **"केन्द्रीय सहकारी बैंक"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं.10) के अधीन या तो अनुज्ञप्त हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो और–

(एक) जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो; और

(दो) जिसका मुख्य उद्देष्य यह हो कि अपने से सम्बद्ध सहकारी सोसाइटियों के लिये निधियों का सृजन करें और कृषिक, औद्योगिक एवं अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिये उन सहकारी सोसाइटियों के लिये क्रेडिट, माल या सेवाएं अभिप्राप्त करे और क्रेडिट माल या सेवाएं या उधार के रूप में उनका प्रदाय उन सहकारी सोसाइटियों को करे;]

(ग–तीन) **"कम्पनी"** से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं.1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कम्पनी;

(ग–चार) **"सहकारी संघ"** से अभिप्रेत है कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देष्य सहकारिता षिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रषिक्षण देना और उनका विस्तार करना है;

(घ) **"समिति"** से अभिप्रेत है धारा 48 के अधीन गठित किया गया प्रबन्ध बोर्ड, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;

(घ–एक) **“सहकारी बैंक”** से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाता हो;

(ड.) **“परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी”** से अभिप्रेत है, कोई सोसाइटी जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस रकम, यदि कोई हो, जो कि उनके द्वारा धारित अंषो पर अदत्त हो, तक परिसीमित हो या ऐसी रकम जिसका कि, उस सोसाइटी का परिसमापन हो जाने की दषा में, उसकी आस्तियों के प्रति अभिदाय करने का जिम्मा वे अपने ऊपर लें, तक परिसीमित हो;

(ड.–एक) **“मुख्य कार्यपालक”** से अभिप्रेत है धारा 49–ड. के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे समिति के अध्यक्ष के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेषन के अध्यधीन रहते हुए समिति द्वारा सहकारी सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है;

(छ) **“उपभोक्ता सोसाइटी”** से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिए माल अभिप्राप्त करने या उसका उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण करने एवं उन्हें उसका वितरण करने या उनके लिए अन्य सेवायें करने के तथा ऐसे प्रदाय, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण से प्रोद्भूत होने वाले लाभों को अपने सदस्यों तथा ग्राहकों के बीच उस अनुपात में, जो कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित किया जाये, वितरण करने के उद्देष्य से बनाई गई हो;

(छ–एक) **“प्रत्यायुक्त” से** अभिप्रेत है व्यष्टिक सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति;

(छ–दो) **“डिपाजिट इन्ष्योरेंस एण्ड गारण्टी कार्पोरेषन”** से अभिप्रेत है डिपाजिट इन्ष्योरेंस एण्ड गारण्टी कार्पोरेषन एक्ट, 1961 (1961 का सं. 47) के अधीन स्थापित डिपाजिट इन्ष्योरेंस एण्ड गारण्टी कार्पोरेषन;

(ज) **"उप रजिस्ट्रार"** से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई उप रजिस्ट्रार;

(ज–ज) **"विकास बैंक"** से अभिप्रेत है, ऐसा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए;

(झ) **"कुटुम्ब"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसकी संतान और उस पर आश्रित तथा उसके साथ संयुक्ततः निवास करने वाले अन्य नातेदार;

(ञ) **"कृषि कर्म सोसाइटी"** से अभिप्रेत है, ऐसी पंजीकृत सोसाइटी जो भूमि के विकास तथा खेती की अधिक अच्छी पद्धतियों को संप्रवर्तित करने एवं नई कृषि तकनीक को संप्रवर्तित करने के उद्देष्य से बनाई गयी हो और इसमें सम्मिलित है बेहतर कृषि कर्म सोसाइटी, अभिधारी कृषि कर्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि कर्म सोसाइटी, संयुक्त कृषि कर्म सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी, संविदा कृषि कर्म सोसाइटी तथा फसल संवर्धन सोसाइटी;

(ट) **"संघीय सोसाइटी"** से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसकी अंषपूंजी का, सरकारी अंषपूंजी को अपवर्जित करते हुए, कम से कम पचास प्रतिषत सोसाइटियों द्वारा धारित हो;

(ठ) **"वित्तदायी बैंक"** से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देष्यों के अन्तर्गत अन्य सोसाइटियों को या उसके वैयक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना आता है, और उसके अन्तर्गत आते है कोई विकास बैंक तथा सहकारी बैंक;

(ड) **"साधारण सोसाइटी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गये शीर्ष (एक) से (दस) तक में से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत न आती हो;

(ढ) **"गृह निर्माण सोसाइटी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देष्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करे;

(ढ–एक) **"औद्योगिक सोसाइटी"** से अभिप्रेत है बुनकर, बढ़ई, धातुकर्मकारों, मोची या कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिष्कृत माल निर्मित करना है, के विकास को संप्रवर्तित करने के उद्देष्य से विरचित कोई सोसाइटी;

(ण) "संयुक्त रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई संयुक्त रजिस्ट्रार;

(त) **"समापक"** से अभिप्रेत है, धारा 70 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(थ) "विपणन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि उपज या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और जिसके उद्देष्यों में ऐसी उपज के लिए अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो।

(द) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, इस अधिनियम तथा उन नियमों एवं उपविधियों के, जो कि ऐसी सोसाइटी को लागू हों, अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो और उसके अंतर्गत राज्य सरकार, जबकि वह किसी सोसाइटी के अंषपूंजी के प्रति अभिदाय करती हो, आती है;

(ध) "बहुप्रयोजन सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देष्यों में उन प्राथमिक उद्देष्यों में से, जो कि खण्ड (छः), (ढ), (फ) तथा (म) में से किन्ही भी दो या अधिक खण्डों में विनिर्दिष्ट किए गये हैं, कोई प्राथमिक उद्देष्य सम्मिलित हो;

(न) "नाममात्र का सदस्य" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 20 के अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेष दिया गया हो;

(न–एक) "अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी द्वारा ऐसी सोसाइटी के किसी पद पर ऐसी सोसायटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई सभापति, उप–सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक सचिव, कोषाध्यक्ष, समिति का सदस्य तथा कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे ऐसी

सोसायटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिये इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो आता है:

(प) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(प—एक) **"प्राथमिक सोसाइटी"** से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न केन्द्रीय सोसाइटी;

(प—दो) **"प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी"** से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देष्य से संगठित की गई है और उसके अन्तर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है;

(प—तीन) **"प्राथमिक सहकारी बैंक"** से अभिप्रेत है बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न की गई नगरीय या ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी, जिसके उद्देष्यों के अंतर्गत उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना और उसके सदस्यों को दिये जाने हेतु क्रेडिट अभिप्राप्त करना आता हो और जो या तो बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (1949 का सं. 10) के अधीन अनुज्ञप्त हो या जो इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात है;

(फ) **"उत्पादक सोसाइटी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन तथा व्ययन अपने सदस्यों की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में करने के उद्देष्य से बनाई गई है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसी सोसाइटी आती है जो उसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक उपयोजन के उद्देष्य से बनाई गई है;

(ब) **"प्रसंस्करण सोसाइटी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देष्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी तथा कोई ऐसी सोसाइटी, जो कृषि उपज का प्रसंस्करण करने के लिए

हो, आती है;

(भ) **"रजिस्ट्रार"** से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार;

(भ–एक) **"प्रतिनिधि"** से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे;

(भ–दो) **"रिजर्व बैंक"** से अभिप्रेत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक आफ इंडिया;

(म) **"संसाधन सोसाइटी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देष्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए उधार (क्रेडिट), माल या सेवायें, जो कि उनके द्वारा अपेक्षित हों, अभिप्राप्त करे और उसके अंतर्गत कोई सेवा सोसाइटी तथा कोई प्राथमिक साख सोसाइटी आती है;

(म–एक) **"रिटर्निंग अधिकारी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जिसे रजिस्ट्रार ने साधारण या विषेष आदेष द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो कि वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करे और उसके अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी के अधीनस्थ कोई ऐसा अधिकारी आता है, जिसे उसने इस हेतु लिखित में नामनिर्दिष्ट किया हो कि वह रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करे;

(म–दो) **"अनुसूचित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात और उडीसा राज्य) आदेष, 1977 के अधीन घोषित किया गया है;

(य) **"सोसाइटी"** से अभिप्रेत है कोई सहकारी सोसाइटी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुई समझी जाती हो;

(य–एक) **"विनिर्दिष्ट पद"** से अभिप्रेत है कि अध्यक्ष या सभापति का पद,

(क–क) **"राज्य सहकारी बैंक"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित;

(ख–ख) **"विद्यार्थी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यवसायिक या प्रषिक्षण संस्था

में अध्ययन कर रहा है;

दूसरा अध्याय – रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी.

3. (1) राज्य सरकार राज्य के लिए किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और निम्नलिखित प्रवर्गों के एक या अधिक अधिकारियों को इस हेतु से नियुक्त कर सकेगी कि वे उसकी सहायता करें अर्थात् :–

(क) सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार;

(ख) सहकारी सोसाइटियों का संयुक्त–रजिस्ट्रार;

(ग) सहकारी सोसाइटियों का उप–रजिस्ट्रार;

(घ) सहकारी सोसाइटियों का सहायक–रजिस्ट्रार;

(ड.) अधिकारियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो कि विहित किए जाएँ।

(2) रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का तथा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार पर अधिरोपित किए गए ऐसे कर्त्तव्यों का, जैसा कि राज्य सरकार, विशेष या साधारण आदेश द्वारा, निर्देश दे, प्रयोग तथा पालन ऐसे क्षेत्रों के भीतर करेंगे जैसे कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी भी अधिकारी को इस बात के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा कि वह धारा 78 के अधीन अपीलों को सुनवाई करने की शक्तियों का प्रयोग करें।

(3) रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे और उसके साधारण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे.

सोसाइटियां जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी.

4. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी ऐसी सोसाइटी को, जिसका कि उद्देष्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार संप्रवर्तित करना हो, या किसी ऐसी सोसाइटी को, जो कि किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देष्य से स्थापित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा.

परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का

5. कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी:

परन्तु जब तक कि राज्य सरकार, साधारण या विषेष आदेष द्वारा, अन्यथा निर्देषित न करे, किसी ऐसी

रजिस्ट्रीकरण. सोसाइटी का, जिसकी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व परिसीमित होगा.

रजिस्ट्रीकरण की शर्तें. 6. (1) जिस सोसाइटी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी यदि वह कम से कम ऐसे बीस व्यक्तियों से मिलकर न बनी हो, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्रमांक 9 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हों तथा जो निकट के नातेदार न होकर बीस भिन्न–भिन्न कुटुम्बों के हों, और उस दषा में जबकि सोसाइटी के उद्देष्यों में उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना सम्मिलित हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी यदि ऐसे व्यक्ति, उस दषा में के सिवाय जबकि रजिस्ट्रार साधारण या विषेष आदेष द्वारा अन्यथा निर्देष दे, उसी नगर या ग्राम में या ग्रामों के किसी समूह में निवास न करते हों:

परन्तु अनन्यतः विद्यार्थियों के फायदे के लिये बनाई गई कोई सोसाइटी इस बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने उस विधि, जिसके कि अध्यधीन वे है, के अनुसार व्यस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है:

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार न्यूनतम सदस्यता की शर्त को, ऐसी सोसाइटी के लिए, जो किसी संगठन/ स्थापना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए संगठित की गई, षिथिल कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि किसी प्राथमिक सोसाइटी की दषा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33 प्रतिषत महिला सदस्य होंगी:

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों की विहित प्रतिषतता की शर्तों को षिथिल कर सकेगा.

(2) शब्द "परिसीमित" या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याय प्रत्येक ऐसी सोसाइटी के, जो कि इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की गई हो, नाम में अन्तिम शब्द होगा.

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन. 7. (1) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को किया जायेगा और उसके साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियों की चार–चार प्रतिलिपियां संलग्न होंगी. वह व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाय, सोसाइटी के बारे में ऐसी

जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे.

(2) आवेदन,—

(क) किसी ऐसी सोसाइटी की दषा में, जिसकी कि सदस्य कोई अन्य सोसाइटी न हो, कम से कम दस ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हों; और

(ख) किसी ऐसी सोसाइटी की दषा में, जिसकी कि सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो, और जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां न हों, वहां दस अन्य सदस्यों द्वारा या, जब अन्य सदस्य दस से कम हों, तो उन सबके द्वारा;

हस्ताक्षरित किया जायेगा.

कतिपय प्रष्नों को विनिष्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

8. जहां किसी सोसाइटी के बनाये जाने, उसका रजिस्ट्रीकरण किया जाने या उसके बने रहने के संबंध में या किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रष्न उद्‌भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी विषिष्ट क्षेत्र में निवास करता है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी विषिष्ट वर्ग या उपजीविका से संबंधित है या नहीं अथवा जहां किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा ही कोई अन्य प्रष्न उद्‌भूत हो, वहां ऐसा प्रष्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिष्चित किया जायेगा और उसका विनिष्चय अन्तिम होगा.

रजिस्ट्रीकरण.

9. (1) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाय कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया है और यह कि उसकी प्रस्थापित उपविधियां इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं हैं, तो वह उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा;

परन्तु किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायगा यदि, रजिस्ट्रार की राय में, उसके आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की संभावना हो या यह संभावना हो कि उसका किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

(2) जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देता है, वहां वह इंकार संबंधी आदेष उस इंकार के कारणों सहित आवेदन के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को संसूचित

करेगा.

(3) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर विनिश्चय करेगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रार पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, यथास्थिति जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर आवेदन निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति, ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएगी।

(4) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों का एक रजिस्टर रखेगा.

सोसाइटियों का वर्गीकरण. 10. (1) रजिस्ट्रार समस्त सोसाइटियों का वर्गीकरण निम्नलिखित एक या अधिक शीर्षों के अधीन करेगा, अर्थात् :—

(एक) उपभोक्ता सोसाइटी;
(दो) कृषि कर्म सोसाइटी;
(तीन) संघीय सोयायटी
(चार) केन्द्रीय सोयायटी
(पांच) गृह निर्माण सोसाइटी;
(छह) विपणन सोसाइटी;
(सात) बहुप्रयोजन सोसाइटी;
(आठ) उत्पादक सोसाइटी;
(नौ) प्रसंस्करण सोसाइटी;
(दस) संसाधन सोसाइटी;
(ग्यारह) साधारण सोसाइटी;
(बारह) औद्योगिक सोसाइटी

परन्तु किसी विषिष्ट वर्ग की सोसाइटियों की संक्रिया को सुकर बनाने के उद्देष्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत की जायेगी.

(1—क) रजिस्ट्रार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये शीर्षों में से किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियों का निम्नलिखित शीर्षों के अधीन और भी वर्गीकरण कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) शीर्ष सोसाइटी;

(ख) केन्द्रीय सोसाइटी;

(ग) प्राथमिक सोसाइटीः

(2) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी के वर्गीकरण को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में परिवर्तित कर सकेगा.

(3) सोसाइटियों के वर्गीकरण के बारे में रजिस्ट्रार का विनिष्चय अन्तिम होगा.

सोसाइटी की उपविधियों का संषोधन.

11. (1) किसी सोसाइटी की उपविधियों का कोई भी संषोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो, जिस प्रयोजन के लिये उस प्रस्तावित संषोधन की चार प्रतियां विहित रीति में रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी.

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संषोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देष्यों के या उसकी विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है तो वह उस संषोधन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा.

(3) रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संषोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार नहीं करेगा. यदि वह किसी संषोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार करने का विनिष्चय करता है तो वह इंकार संबंधी आदेष उस इंकार के कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर सोसाइटी को संसूचित करेगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देषित करेगा, यथास्थिति जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर उपविधियों का संषोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा.

उपविधियों के संषोधन के लिए निर्देष देने की शक्ति. 12. (1) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के पचास प्रतिषत से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर या यदि रजिस्ट्रार यह समझता है कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में कोई संषोधन किया जाना ऐसी सोसाइटी के हित में आवष्यक या वांछनीय है, तो वह, उस सोसाइटी पर विहित रीति में तामील किए जाने वाले लिखित आदेष द्वारा, उस सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह साठ दिन के भीतर, ऐसा संषोधन करे.

(2) यदि वह सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संषोधन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, उस सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी शीर्ष/संघीय सोसाइटी की, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, राय मांगने के पश्चात्, ऐसा संषोधन रजिस्टर कर सकेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसी सोसाइटी को जारी कर सकेगा;

परन्तु इस धारा के उपबंध नगरीय सहकारी बैंकों के मामले में लागू नहीं होंगे.

नाम की तब्दीली. 13. कोई सोसाइटी, अपनी उपविधियों में संषोधन करके, अपना नाम तब्दील कर सकेगी, किन्तु ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी के या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के, या भूतपूर्व सदस्यों के, या मृत सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्व किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगी, और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां, जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्व उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हों या प्रारंभ की जा सकती हों, उसके नवीन नाम से उसी प्रकार जारी रखी जायेगी या प्रारंभ की जायेगी.

कतिपय प्रमाण पत्रों का निष्चायक साक्ष्य होना. 14. (1) जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है या रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाण–पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यकरूपेण रजिस्ट्रीकृत है, निष्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह न साबित कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है:

परन्तु जहां कोई सोसायटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार उसके रजिस्ट्रीकृत किये गये समझे जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) कोई भी सोसाइटी तब तक कारोबार प्रारंभ नहीं करेगी जब तक कि उसने उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और ऐसी सोसाइटी का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो इस उपधारा के उल्लंघन में कारबार कर रहा है, ऐसे कारबार में उपगत किये गये समस्त दायित्वों के लिये पृथक्–पृथक् दायी होगा.

(3) जब रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संषोधन को धारा 11 या धारा 12 के अधीन रजिस्टर में दर्ज करता है, तो वह, उस संषोधन की, जो उसके **द्वारा** रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, एक प्रतिलिपि उस सोसाइटी को देगा जो कि इस बात का निष्चायक साक्ष्य होगी कि वह संषोधन रजिस्टर में सम्यक्रूपेण दर्ज कर लिया गया है.

(4) जहां कोई सोसाइटी अपना नाम धारा 13 के अधीन तब्दील करती है, वहां रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को तदानुसार संषोधित करेगा जो कि इस बात का निष्चायक साक्ष्य होगा कि नाम की वह तब्दीली रजिस्टर में सम्यक्रूपेण दर्ज कर ली गई है.

सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना.

15. (1) धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संषोधन करके अपने दायित्व को परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील कर सकेगी.

(2) कोई ऐसा संषोधन रजिस्ट्रार द्वारा तब तक रजिस्टर में दर्ज नही किया जायेगा, जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि.–

(एक) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जिसके हित पर, रजिस्ट्रार की राय में, उस तब्दीली का प्रभाव पड़ सकता है, इक्कीस दिन की सूचना दी जा चुकी है; और

(दो) प्रत्येक ऐसे सदस्य या व्यक्ति के मामले में जो, रजिस्ट्रार की राय मे, सूचना पाने का हकदार है,–

(क) उस तब्दीली के लिये या तो उसकी अनुमति अभिप्राप्त कर ली गई है या सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उसके द्वारा आपत्ति न किये जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई समझी जाती है;

(ख) यदि उसने आपत्ति की है, तो–

(एक)उस दषा में, जबकि वह सदस्य है, यह अनुज्ञा दे दी गई है कि वह अपना अंष वापस ले ले; या

(दो) उस दषा मे, जबकि वह लेनदार है, आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर उसके ऋण या दावे को रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में उन्मोचित कर दिया गया है या समाप्त कर दिया है या प्रतिभूत कर दिया गया हैः

परन्तु रजिस्ट्रार, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की दषा में इस उपधारा द्वारा अपेक्षित की गई सूचना दिये जाने से अभिमुक्ति अभिलिखित किये जाने वाले विषेष कारणों से प्रदान कर सकेगा.

सोसाइटियों का पुनर्गठन. 16. (1) इस धारा में –

(क) ''प्रभावित सोसाइटी'' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट की गई रीतियों में से किसी भी रीति में स्वयं का पुर्नबठन करने का विनिश्चय करती है : और

(ख) ''परिणामी सोसाइटी'' से अभिप्रेत कोई उेसी सोसाइटी ––

(एक) जो उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन समामेलन के परिणामस्वरूप बनी हो या

(दो) जिसको कि प्रभावित सोसाइटियों की आस्तियों तथा उनके दायित्व उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पूर्णतः या भागतः अंतरित किये गये होः या

(तीन) जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन विभाजन के परिणामस्वरूप बनी होः या

(चार) जो उपधारा (2) के खण्ड (घ) में यथा उपबंघित वर्ग की तब्दीली के परिणामस्वरूप बनी हों।

(2) कोई सोसाइटी –

(क) स्वयं को किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करके :या

(ख) अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णतः या भागत अंतरित करके :या

(ग) स्वयं को दो सा अधिक सोसाइटियो में विभाजित

करकेः या

(घ) स्वयं को किसी ऐस वर्ग की सोसाइटी के जिसका कि उददेश्य सोसाइटी के उस वर्ग से तत्वतः भिन्न हो, जिसके कि अधीन उसका वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया है, रूप में संपरिवर्तित करके, स्वयं को पूनर्गठित करने का विनिश्चय उस प्रयोजन के लिए आयोजित किये गये विशेष साधारण सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा कर सकेगी।

परन्तु कोई भी ऐसा विनिश्चय तब तक प्रभाशील नहीं होगा, जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाएः

परन्तु यह और भी कि किसी सहकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंतूरी से ही देगा अन्यथा नही।

(3) उपधारा(2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि लोकहित में या प्रभावित सोसाइटियों के सदस्यों क हित में यह अत्यावश्यक है या किसी सोसाइटी के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि कोई सोसाइटी या सोसाइटियो उपधारा (2) में उपदर्शित की गई रीतियों में से किसी भी एक या अधिक रीतियों में स्वयं को पुनर्गठित करे/करे :

परंन्तु किसी सहकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार कोई निर्देश रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही जारी करेगा अन्यथा नहींः

परंन्तु यह और भी के इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व, संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुर्नगठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(4) यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन विनिश्चय या उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार के निर्देश के अनुसार किसी सोसाइटी के पुर्नगठन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाए।

(5) यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन के किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितो पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुर्नगठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी ओर प्रत्येक ऐस व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह या तो

परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों का सदस्य बन जाए अथवा प्रभावित सोसाइटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करे, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना के जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा।

(6) कोई भी पुनर्गठन तब तक अंतिम नही होगा, जब तक कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसके कि हित पर प्रभाव पड़ना संभाव्य है, अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसे दिये गये विकल्प का उसके द्वारा प्रयोग न किये जाने के असाधार पर अभिप्राप्त हो गई न समझी जाती हो और इसके अतिरिक्त, जब तक कि उन व्यक्तियों के जिन्होने उपधारा (5) के अधीन अपने अंशों या हितों या शोध्यों के संदाय की मांग करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, समस्त दावों की पूर्णतः पूर्ति न दी गई हो।

(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिणामी सोसाइटी का गठन, उसकी सम्पत्ति शक्तियां अधिकार, हित प्राधिकार कर्त्तव्य तथा बाध्यताए ऐसी होगी जैसा कि पुर्नगठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम में ऐसे पारिणमिक, आनुषंगिक तथा अनुपूरक उपबंध होगें जैसे कि रजिस्ट्रार की राय में ऐसी योजना को कार्यावन्ति करने के लिए आवश्यक हो।

(8) संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 (1882 का अधिनियम सं. 4) या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी का कोई ऐसा संकल्प, जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित कर दिया गया हो या कोई ऐसा आदेश, जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया हो प्रत्येक प्रभावित सोसायटी की अस्तियो तथा दायित्वों को संबंधित परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों में निहित करने के लिए पर्याप्त हस्तातंरण होगा और ऐसा निहित किया जाना पुर्नगठन के स्कीम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हूए ही होगा।

(9) सोसाइटियों के पुनर्गठन का परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी अधिकार या बाध्यता पर किसी भी रीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या ऐसा पुनर्गठन उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरूद्व किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां, जो कि पुनर्गठन के पूर्व यथास्थिति उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरूद्ध चालू

रखी जा सकती थीं या प्रारम्भ की जा सकती थीं, परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरूद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारम्भ की जा सकेंगी.

(10) जहां कोई दो या अधिक सोसाइटियां समामेलित की गई हो या कोई सोसाइटी विभाजित या संपरिवर्तित की गई हो, वहां ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह समामेलित सोसाइटी के या संपरिवर्तित सोसाइटी के या उन नवीन सोसाइटियो के जिनमें कि वह सोसाइटी विभाजित की गई है रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

(11) जहां किसी विकास बैंक को किसी केन्द्रीय बैंक के साथ समामेलित करके पुनर्गठित किया जाता हो वहां उस समामेलित बैंक को उस विकास बैंक के कारबार संबंधी उन समस्त संव्यवहारों के संबंध में, जो के ऐसे समामेलन पर और उसके पश्चात किये जाने है विकास बैंको से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत विकास बैंक समझाा जाएगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए, "केन्द्रीय बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके नाम के भाग के रूप में शब्द "केन्द्रीय बैंक" या "जिला बैंक" जुड़े हुए हों और जिसका मुख्य उद्‌देष्य उन सोसाइटियों का, जो कि उसकी सदस्य हों, और किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित हों, वित्तपोषण करना हो.

(12) ऐसे पुर्नगठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

सोसाइटियों द्वारा सहयोग. 16(क) कोई भी सोसाइटी किसी भी सहकारी, किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विषेष कारबार के लिए, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विषेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी.

सोसाइटियों की भागीदारी. 16(ख) कोई भी दो या अधिक सोसाइटियां ऐसी प्रत्येक सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, उपविधियों के अधीन किसी भी अनुज्ञेय विषिष्ट कारबार में भागीदारी की संविदा ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर जो कि पारस्परिक रूप से करार पाए जाएं कर सकेगी, जहां इस प्रकार की भागीदारी कोई नया संगठन बनाने की

अपेक्षा करती है, वहां भाग लेने वाली सोसाइटियां उसकी सदस्य होंगी.

लोक हित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.

16(ग) (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिष्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना आवष्यक है, तो राज्य सरकार, ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसी कि वह आवष्यक समझे और उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेष जारी कर सकेगी.

परन्तु यह भी कि, किसी सहकारी बैंक के मामले में, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी आवष्यक होगी.

(2) पुनर्गठन स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में उपबन्ध होंगे :—

(क) पुनर्गठन की रीति;

(ख) पुनर्गठन की प्रक्रिया;

(ग) सदस्यता, रजिस्ट्रेषन, प्रबंध, आस्तियां और दायित्व, शक्तियां, अधिकार, हित, कर्तव्य, कर्मचारीवृन्द ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों की सेवा की शर्तें जो पुनर्गठन के पष्चात् बनाए गए हों;

(घ) ऐसे अन्य पारिणामिक, आनुषांगिक और अनुपूरक उपबंध जैसा कि आवष्यक हो;

(ड.) अन्य ऐसे विषय जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आवष्यक समझे जाएं.

(3) राज्य सरकार उप—धारा (1) के अधीन जारी किन्हीं आदेषों या बनाई गई किसी पुनर्गठन स्कीम को उपान्तरित या निरस्त कर सकेगी.

(4) प्रत्येक पुनर्गठन स्कीम के संबंध में उपबंध और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेष हितबद्ध पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे.

(5) ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाषित की जायेगी.

दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण.

17. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां —

(क) किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के, और

(ख) किसी सोसाइटी तथा उसके सदस्यों के बीच किसी समझौते या ठहराव की प्रस्थापना की जाये, वहां रजिस्ट्रार उस सोसाइटी के या उस सोसाइटी के किसी सदस्य के या उसके किसी लेनदार के या किसी ऐसी

सोसाइटी की दषा में जिसका की परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर, यथास्थिति सदस्यों या लेनदारों या दोनों का सम्मिलन ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, बुलाये जाने, आयोजित किये जाने तथा संचालित किये जाने का आदेष दे सकेगाः

परन्तु रजिस्ट्रार, कोई समझौता या ठहराव कराने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से भी ऐसा सम्मिलन बुलाये जाने का आदेष दे सकेगा.

(2) यदि ऐसी बहुसंख्या, जो सम्मिलन में उपस्थित तथा व्यक्तिषः मतदान करने वाले सदस्यों के तीन—चौथाई के या मूल्यांकन की कुल रकम के, जो कि सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले लेनदारों को शोध्य हो, तीन चौथाई के, जैसी भी कि दषा हो, बराबर है, किसी समझौते या ठहराव के लिए सहमत हो जाती है, तो वह समझौता या ठहराव रजिस्ट्रार द्वारा पुष्टि कर दिए जाने पर, यथास्थिति, समस्त सदस्यों या समस्त लेनदारों पर तथा सोसाइटी पर भी, या किसी ऐसी सोसाइटी की दषा में जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक पर आबद्धकर होगाः

परन्तु रजिस्ट्रार किसी समझौते या ठहराव की तब तक पुष्टि नहीं करेगा, जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि यथास्थिति उन समस्त सदस्यों या लेनदारों को, जिनके कि हित ऐसे समझौते या ठहराव से प्रभावित हुए है, ऐसे सम्मिलन की सूचना प्राप्त हो चुकी थीः

परन्तु यह और कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार समझौते या ठहराव की पुष्टि रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही करेगा अन्यथा नहीं.

(3) जब किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच किसी समझौते या ठहराव पर विचार करने के लिए सम्मिलन बुलाने का कोई आदेष उपधारा (1) या उसके परन्तुक के अधीन पारित किया जाय, तो रजिस्ट्रार ऐसे आदेष की सूचना उस सिविल न्यायालय को दे सकेगा, जिसमें उस सोसाइटी के किसी ऐसे दायित्व के, जो कि किसी ऐसे लेनदार को शोध्य हो, जिसे कि उस आदेष की प्रतिलिपि भेजी गई है, संबंध में कार्यवाहियां, चाहे वे उक्त आदेष के पूर्व संस्थित की गई हों या उसके पश्चात्, लम्बित हों, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वह सिविल न्यायालय उन कार्यवाहियों को रोक देगा. यदि किसी ऐसे समझौते या ठहराव की पुष्टि उपधारा (2) के अधीन न की जाये तो रजिस्ट्रार सिविल न्यायालय को तद्नुसार इत्तिला देगा और वे

कार्यवाहियां, जो रोक दी गई हों, पुनः चालू की जायेंगी.

(4) यदि किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच किसी समझौते या ठहराव की पुष्टि उपधारा (2) के अधीन कर दी जाये, तो उन कार्यवाहियों का, यदि कोई हों, जो उपधारा (3) के अधीन रोक दी गई हैं, उपषमन हो जायेगा और उस सोसाइटी के किसी भी ऐसे दायित्व, जिससे कि वह समझौता या ठहराव संबंधित हैं, के संबंध में कोई भी कार्यवाहियां किसी सिविल न्यायालय में नहीं हो सकेंगी.

(5) रजिस्ट्रार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, लेनदारों के किसी वर्ग को इस धारा या उसके किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(6) किसी ऐसे समझौते या ठहराव को, जिसकी की पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा कर दी गई हो, किसी सिविल न्यायालय में प्रष्नगत नहीं किया जायेगा.

(7) यदि कोई लेनदार, जिसके कि संबंध में किसी समझौते या ठहराव की पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर दी गई हो, ऐसे समझौते या ठहराव के अधीन उनको देय रकम, वैसा करने के लिए सम्यक् सूचना दे दी जाने के पश्चात्, उस कालावधि के भीतर, जो कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, प्राप्त नहीं करता तो यथास्थिति वह सोसाइटी या समापक उस रकम को ऐसी रीति में निक्षिप्त करेगा, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा निर्देषित की जाय, ऐसा निक्षेप कर दिया जाने पर, उस रकम के, जो कि उस समझौते या ठहराव के अधीन लेनदार को देय हो, संबंध में यह समझा जायेगा कि उसकी अदायगी निक्षेप की सीमा तक कर दी गई है.

(8) किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच हुआ कोई समझौता या ठहराव, जिसकी कि पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर दी गई हो, जैसे ही उस दायित्व की, जो उसके अधीन अवधारित किया गया है, सम्पूर्ण रकम, चाहे इस धारा के उपबंधों के अधीन या अन्यथा, चुका दी जाय या चुका दी गई समझी जाये, प्रवृत्त नहीं रहेगा, भले ही ऐसे दायित्व के उन्मोचन के लिए मूलतः नियत की गई कालावधि का अवसान न हुआ हो.

(9) ऐसे समझौते या ठहराव के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात्, उस दायित्व के, जो कि उक्त साझौते या ठहराव का विषय रहा था, संबंध में कोई और दावा ऐसी सोसाइटी के विरूद्ध या किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति के, जिसे कि वह सोसाइटी तत्पष्चात् अर्जित

करे, विरूद्ध शेष नहीं रह जायेगा और वह सोसाइटी अपना सामान्य कारोबार चलाने के लिए स्वतंत्र होगी.

अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उनका दायित्व.

17—क जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंकिंग रेग्यूलेषन एक्ट, 1949 (क्र.10 सन् 1949) की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्थगन का आदेष सहकारी बैंक के संबंध में किया गया हो, वहां रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के लिखित पूर्व अनुमोदन से, अधिस्थगन की कालावधि के दौरान —

(एक) सहकारी बैंक के पुनः निर्माण या पुनर्गठन के लिए; या

(दो) सहकारी बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन किये जाने के लिए स्कीम तैयार कर सकेगा.

डिपाजिट इन्ष्योरेंस कार्पोरेषन की प्रतिसंदाय करने का नवीन बैंको का दायित्व.

17—ख इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा सहकारी बैंक, जो डिपाजिट इन्ष्योरेंस कार्पोरेषन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाय या जिसके संबंध में समझौते या ठहराव को अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की स्कीम मंजूर की गई हो और डिपाजिट इन्ष्योरेंस कार्पोरेषन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को उस एक्ट की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन भुगतान करने के लिए दायी हो गया हो, वहां वह बैंक, जिसके साथ ऐसे बीमाकृत बैंक का समामेलन किया गया हो, या वह नवीन सहकारी बैंक, जो ऐसे समामेलन के पश्चात् बनाया गया हो, या यथास्थिति, बीमाकृत बैंक या अन्तरिती बैंक उन परिस्थितियों में डिपाजिट इन्ष्योरेंस कार्पोरेषन की उस सीमा तक तथा उस रीति में, जो कि डिपाजिट इन्ष्योरेस कार्पोरेषन एक्ट, 1961 (क्र. 47 सन् 1961) की धारा 21 में निर्दिष्ट की गई है, प्रति संदाय करने की बाध्यता के अधीन होगा.

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.

18 (1) यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां और दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को हस्तान्तरित कर देती है या किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलन कर लेती है या स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है या धारा 18—क की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है या धारा 69 के अधीन सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाला आदेष करेगा. सोसाइटी रद्दकरण के ऐसे आदेष की तारीख से विघटित समझी जाएगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी सोसाइटी के समापन या विघटन से संबंधित

कोई भी कार्यवाहियां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लंबित हों तो ऐसी कार्यवाहियां, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जायेंगी, जिसके कि अधीन ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई थी या रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी गयी थी.

सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का समाप्त किया जाना.

18—क (1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेषन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है या यहॉ सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका हैं या जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो रही हैं तो वह उसके प्रमुख संप्रवर्तक समिति और सोसाइटी के सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के पष्चात् सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा :

परंतु जहां सोसायटी की सदस्य संख्या इतनी अधिक है और रजिस्ट्रार के कार्यालय के अभिलेखों से ऐसे समस्त सदस्यों का सही पता अभी निष्चित करना संभव नहीं है और रजिस्ट्रार की राय में व्यक्तिगत रूप से ऐसे समस्त सदस्यों को सुनवाई की सूचना देना व्यवहार्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किये जाने की कार्यवाही की लोक सूचना विहित रीति में दी जायेगी और ऐसी सूचना सोसायटी की समिति के सदस्यों और प्रमुख संप्रर्वतक सहित सोसायटी के सभी सदस्यों की दी गई सूचना समझी जाएगी और सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किये जाने के संबंध में किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर कि किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी गई हैं, प्रष्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) जहॉ उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया गया हैं, वहॉ रजिस्ट्रार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी षासकीय समनुदेषिती की नियुक्ति को सम्मिलित करते हुए ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेष कर सकेगा, जैसा की परिस्थियों द्वारा अपेक्षित हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्ययीन रहते हुए षासकीय समनुदेषिती संपत्तियों, आस्तियों, पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का प्रभार लेने की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर आस्तियों की वसूली और दायित्वों का परिसमापन करेगा। पूर्वोक्त कालावधि रजिस्ट्रार के विवेकानुसार समय—समय पर इस प्रकार बढ़ाई जा सकेगी की जिससे ऐसी कालावधि कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक न हो जाए।

(4) षासकीय समदुनेषिती को ऐसे पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा की विहित किया जाए।

(5) रजिस्ट्रार की उपधारा (1) और (2) के अधीन की षक्तियों का प्रयोग सहकारी सोसाइटियों के संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

तीसरा अध्याय
सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे.

19 (1) निम्नलिखित के सिवाय किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) कोई व्यक्ति, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्र.11 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो;

(ख) कोई अन्य सोसाइटी;

(ग) कोई लोक न्यास जो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 (क्र. 30 सन् 1951) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्थापित या गठित कोई ऐसी फर्म, कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय, जिसमें उसके भागीदारों या निर्देषकों के रूप में कोई अवयस्क व्यक्ति न हो;

(ड) छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1959 (क्र.1 सन् 1960) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो कि राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विषेष आदेष द्वारा, इस संबंध में अनुमोदित कर दी जाये;

(च) राज्य सरकारः

परन्तु खण्ड (क) के उपबंध—

(एक) व्यक्ति, जो अनन्यतः विद्यार्थियों के लिये बनाई गई किसी सोसाइटी में प्रवेष चाहता हो;

(दो) अवयस्क, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के मार्फत कार्य कर रहा हो;

को लागू नहीं होंगे.

(2) इस अधिनियम या नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंषपूंजी में अभिदाय किया हो, वहां राज्य सरकार का दायित्व उसके द्वारा धारित अंषों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा.

(2—क) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में या यथास्थिति, किसी संसाधन सोसाइटी या उपभोक्ता सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों तथा उस सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, ऐसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसी सोसाइटी के कार्यालय में वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ऐसी सोसाइटी के सदस्य के

रूप में स्वीकृत कर लिया गया हैः

परन्तु रजिस्ट्रार या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यथित व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया गया हो, तथा सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको कि रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो, पैंतालिस दिन के भीतर, आदेष द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें (आदेष में) वर्णित कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है.

(3) जहां कोई ऐसा विद्यार्थी, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्र. 9 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम न हो, किसी ऐसी सोसाइटी का, जो अनन्यतः विद्यार्थियों के फायदे के लिये बनाई गई हो, सदस्य होने की वांछा करे, वहां किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये उसके आवेदन या सदस्यता के लिये उसके आवेदन के साथ उस विद्यार्थी के संरक्षक का या अन्य व्यक्ति का, जो उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो, एक ऐसा वचनबंध, जो सदस्य के रूप में उस विद्यार्थी के दायित्व के बारे में हो, विहित प्रारूप में संलग्न होगा.

(4) जहां किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेष देने से इंकार कर दिया जाय, वहां प्रवेष देने से इंकार करने संबंधी विनिष्चय, ऐसे विनिष्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा.

(5) कोई भी सोसाइटी, पर्याप्त कारण के बिना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के तथा सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्यता प्राप्त करने के लिये सम्यक्रूपेण अर्हित हो, सदस्यता प्रदान करने से इंकार नहीं करेगी.

(6) उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन व्यथित कोई भी व्यक्ति इंकार की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा.

(7) अपील में रजिस्ट्रार का विनिष्चय अंतिम होगा तथा रजिस्ट्रार अपना विनिष्चय उसकी (विनिष्चय की) तारीख से तीस दिन के भीतर पक्षकारों को संसूचित करेगा.

सदस्य की निरर्हताएं.

19—क (1) कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेष प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा और कोई भी सदस्य किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा यदि,—

(क) वह अनुन्मोचित दिवालिया न्याय निर्णीत किये जाने के लिये आवेदक कोया अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(ख) वह किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, दण्डादिष्ट किया गया हो और दण्डादेष के अवसान की तारीख से पॉच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो;

(ख–ख) वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन के किसी अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो और दण्डादेष का अवसान होने की तारीख से छह वर्ष की कालावधि न बीत गई हो;

(ग) वह या उसके कुटुम्ब का कोई ऐसा सदस्य, जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता है, ऐसा कारोबार करता हो जो कि सोसाइटी द्वारा किये जा रहे कारोबार के समरूप हो:

परन्तु खण्ड (ख) के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो कि विमुक्त जातियों के उद्धार के लिये अनन्य रूप से बनाई गई या बनाई जाने वाली किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेष चाहता हो.

(घ) यदि वह इस अधिनियम की धारा 48–क के अधीन निरर्हित है;

(ड) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा या सरकारी सेवा से हटा दिया गया है;

(च) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दषा में, वह कृषि भूमि धारित करने वाला भूमिस्वामी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार न हो:

परन्तु 26 अप्रैल, 1990 को ऐसी सोसाइटी का कोई सदस्य, जो भूमिस्वामी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार नहीं हैं, ऐसी तारीख से ऐसी सोसाइटी का नाममात्र का सदस्य होगा।

स्पष्टीकरण ––

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये

(एक)''विमुक्त जातियों'' से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियॉ

जिन्हे राज्य सरकार समय–समय पर साधारण या विषेष आदेष द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये विमुक्त जातियों के रूप में घोषित करें।

(दो) किसी व्यापारी द्वारा चलाये गये कारोबार, जिसके अन्तर्गत साहूकारी का कारोबार आता हैं, के संबंध में यह समझाा जाएगा कि वह उस कारोबार के समरूप हैं जो की किसी विपणन सोसाइटी द्वारा चलाया जाता हों।

समिति की सदस्यता के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए निरर्हता –– 19–क क

कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपने पद पर नहीं रह जाएगा, यदि वह ऐसी निरर्हता से ग्रस्त हैं, जो विहित की जाए, कोई भी सोसाइटी किसी सदस्य को किसी अन्य सोसाइटी की समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में या अन्य सोसाइटी मे सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित नहीं करेगी, यदि वह ऐसी निरर्हता से ग्रस्त हैं, जो विहित की जाएः

परन्तु यदि कोई सदस्य इस धारा के अधीन विहित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त हैं तो –

(एक) सोसाइटी की समिति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यह बात उसकी जानकारी में आने की तारीख से दो मास के भीतर, ऐसे सदस्य को, जहॉ वह उस सोसाइटी का सदस्य होने के नाते संचालक के रूप में निर्वाचित हो जाता है उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पष्चात् वह पद धारण करने से, निरर्हित कर दे,

(दो) यदि वह सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यो के कारण उच्चस्तरीय सोसाइटी में निरर्हता उपगत कर लेता हैं तो ऐसी उच्चस्तरीय सोसाइटी उसे उच्चस्तरीय सोसाइटी में पद धारण करने के लिए निरर्हित करने हेतु कार्यवाही करेगी,

यदि सोसाइटी कार्यवाही करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पष्चात् उसे ऐसा पद धारण करने से लिखित आदेष द्वारा निरर्हित कर देगा।

पश्चात्वर्ती निर्योग्यताओं का प्रभाव. 19–ख

यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेष दिया गया हो, बाद में उन निरर्हताओं में से, जो कि धारा 19–क में विनिर्दिष्ट की गई है, किसी भी निरर्हता के अध्यधीन हो जाय, तो ऐसा व्यक्ति उस सोसाइटी का सदस्य नहीं रह जायगा तथा रजिस्ट्रार

उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा.

सदस्यों का निष्कासन. 19—ग (1) समिति, निष्कासन के प्रयोजन के लिये किये गये सम्मिलन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के तीन—चौथाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर सकेगी, यदि वह,—

(क) कोई ऐसा कार्य, जिससे कि सोसाइटी की साख को क्षति पहुंचने की संभावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना हो, साषय करता है; या

(ख) मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर प्रवंचित करता है; या

(ग) कोई ऐसा कारोबार करता है जो सोसाइटी द्वारा किये गये कारोबार की प्रतिद्वन्दिता में आता हो या जिसके संबंध में यह संभावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किये गये कारोबार की प्रतिद्वन्दिता में आवेगा; या

(घ) अपने शोध्यों का भुगतान करने में बार—बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है:

परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना की सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया है.

(1—क) उपधारा (1) के अधीन समिति के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की संसूचना के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकेगा.

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि सोसाइटी के हित में यह आवष्यक और वांछनीय है कि किसी सदस्य को इस कारण कि वह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लिप्त है, सोसाइटी से निष्कासित कर दिया जाए, वहां वह ऐसे सदस्य और सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के भीतर, इस संबंध में स्पष्टीकरण दे कि ऐसे सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित क्यों न कर दिया जाए. यदि वह

सदस्य या सोसाइटी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने में असफल रहती है या स्पष्टीकरण पर, यदि प्राप्त हुआ हो, विचार करने के पश्चात्, रजिस्ट्रार उस सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित करने का आदेष पारित कर सकेगा.

(3) कोई व्यक्ति जिसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक किसी भी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेष प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा.

(4) किसी सोसाइटी से किसी सदस्य के निष्कासन में, उस सदस्य द्वारा ऐसी सोसाइटी में धारित अंषों का समपहरण अंतर्वलित हो सकेगा.

नाममात्र के सदस्य.

20. धारा 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाममात्र के सदस्य के रूप में प्रवेष दे सकेंगी, जिसका या तो सोसाइटी के प्रबंध में या उसके लाभों में कोई अंष नहीं होगा और वह उस सोसाइटी के परिसमापन की दषा में किसी भी योगदायी दायित्व के अध्यधीन नहीं होगा.

जब तक सम्यक् संदाय न कर दिये जाये सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा.

21. कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न कर दिया हो या जब तक कि उसने सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जैसा कि विहित किया जाए या जैसा कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाय.

सदस्यों के मत.

22 (1) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में एक मत देने का अधिकार होगा.

(2) (क) संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधी अधिकार इस प्रकार विनियमित किया जायेगा कि सदस्यों को, जो कि सोसाइटियां हो, ऐसी सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में मतों की कुल संख्या के चार पंचमांष से कम मत प्राप्त न हों;

(ख) संघीय सोसाइटी के मामले में, वैयक्तिक सदस्यों (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत लोक न्यास, फर्म, कम्पनी या निगमित निकाय, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी तथा राज्य सरकार आवेगी किन्तु उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी नहीं आयेगी) के मतदान संबंधी अधिकार ऐसी रीति में विनियमित किये जायेंगे जैसी कि विहित की जाय.

(3) प्रत्येक संबद्ध सहकारी सोसाइटी को उचित रूप से प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधि के माध्यम से तथा उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक प्रत्यायुक्त को साधारण सम्मिलन में एक मत देने का अधिकार होगा.

(4) जब तक कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा उपबन्धित न हो, सम्मिलन के लिए गणपूर्ति सोसाइटियों के प्रत्यायुक्तों तथा प्रतिनिधियों की कुल संख्या के पंचमांष से होगीः

परन्तु सम्मिलन में किसी भी समय प्रत्यायुक्तों की संख्या सोसाइटियों के सदस्य–प्रतिनिधियों की संख्या के पंचमांष से अधिक नही होगी.

(5) प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन उन उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे जो कि समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये विहित किये गये हों.

(6) किसी प्रत्यायुक्त की कोई भी रिक्ति, जो सदस्यता की समाप्ति के कारण या अन्यथा हुई हो, उस समूह के, जिससे कि ऐसी रिक्ति संबंधित है, वैयक्तिक सदस्यों में से एक को सहयोजित करके प्रत्यायुक्तों द्वारा भरी जायेंगी.

(7) जब तक कि किसी विषिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निदेषित न किया जाये, समिति में प्रत्यायुक्तों की संख्या किसी भी समय सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की संख्या के एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी (अपूर्णांकों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा).

(8) मतों के बराबर–बराबर होने की दषा में सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

मत का प्रयोग करने की रीति.

23. (1) किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगाः

परन्तु इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए –

(एक) (क) कोई सोसाइटी, जो किसी अन्य सोसाइटी की सदस्य है, अपने सदस्यों में से एक सदस्य की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति इस हेतु से कर सकेगी कि वह उसकी ओर से मत दे;

(ख) सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों के अनुसार बनाया गया व्यष्टिक सदस्यों का कोई समूह, समूह के सदस्यों में से किसी एक सदस्य का प्रत्यायुक्त के रूप

में निर्वाचन इस हेतु से कर सकेगा कि वह उनकी ओर से मत दे.

(दो) राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से एक को उस सोसाइटी के, जिसका कि सदस्य ऐसी सोसाइटी या राज्य सरकार हो, कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने या अन्यथा भाग लेने के लिए नामनिर्देषित कर सकेगी;

(तीन) कोई लोक न्यास, जो कि किसी सोसाइटी का सदस्य हो, अपने न्यासियों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगा;

(चार) कोई फर्म, जो किसी सोसाइटी की सदस्य हो, अपने व्यस्क भागीदारों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगी; और

(पांच) कोई कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय, जो किसी सोसाइटी का सदस्य हो, अपने निदेषकों में से या अपने अधिकारियों में से किसी को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगा/सकेगी.

(2) जहां कोई अंष एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता हो और–

(एक) उस दषा में जब कि ऐसे अंष के बारे में सोसाइटी द्वारा अंष प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, तो उस व्यक्ति को, जिसका कि नाम ऐसे अंष प्रमाण पत्र में पहले आया हो; और

(दो) उस दषा में जबकि ऐसे अंष के बारे में सोसाइटी द्वारा कोई अंष प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो तो उस व्यक्ति को, जिसका नाम ऐसी सोसाइटी द्वारा रखे गये सदस्यों के रजिस्टर में पहले आया हो

मत देने का अधिकार होगा.

किसी सदस्य द्वारा अंष पूंजी धारण करने पर निर्बन्धन.

24. किसी भी सोसाइटी में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य–

(क) सोसाइटी की कुल अंष–पूंजी के एक पंचमांष से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाय; या

(ख) सोसाइटी के अंषो में बीस हजार रूपये से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगाः

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सोसाइटियों के किसी वर्ग की बाबत् ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंष–पूंजी के एक पंचमांष से या बीस हजार रूपये से अधिक होगा.

अंषों या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन.

25. (1) किसी सदस्य के किसी ऐसे अंष या हित का, जो किसी सोसाइटी की अंषपूंजी में उसका हो, अन्तरण उन निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि अधिकतम अंष धारण के बारे में धारा 24 में विनिर्दिष्ट है.

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में के अपने अंष या हित का कोई अन्तरण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि,–

(क) वह सदस्य ऐसा अंष या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न कर चुका हो;

(ख) वह अन्तरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को न किया जाय; और

(ग) वह अन्तरण समिति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय.

सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अन्तरण.

26. (1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर कोई सोसाइटी मृत सदस्य का अंष या हित उस व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगी, जिसे कि उन नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया गया हो, जो कि इस संबंध में बनाये गये हैं, या, उस दषा में जबकि इस प्रकार नामनिर्देषित किया गया कोई व्यक्ति न हो तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि बारे में समिति को यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति उस मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि है, अन्तरित कर सकेंगी या यथास्थिति ऐसे नाम निर्देषिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को ऐसे सदस्य के हित के मूल्य के समतुल्य ऐसी राषि का, जैसी कि वह नियमों या उपविधियों के अनुसार अभिनिष्चित की गई हो, संदाय कर सकेगी.

(2) कोई सोसाइटी ऐसे समस्त अन्य धनों का, जो कि उस मृत सदस्य को उस सोसाइटी द्वारा शोध्य हों, यथास्थिति ऐसे नामनिर्देषिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को संदाय कर सकेगी.

(3) ऐसे समस्त अंतरण तथा संदाय, जो कि किसी सोसाइटी द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार किये गये हों, किसी भी ऐसी मांग के संबंध में विधिमान्य तथा प्रभावी होंगे जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस सोसाइटी पर की गई हो.

अंष या निक्षेप या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा.

27. धारा 39 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सोसाइटी की पूंजी या कामकाज–पूंजी में, या किसी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा जारी किये गये उधार स्टाक (लोन स्टाक) में, या किसी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों से बचत निक्षेप के रूप में या मजदूरी में से उस सोसाइटी द्वारा की गई अनिवार्य कटौतियां करके या

सदस्यों को किये गये माल के विक्रय या प्रदाय के मूल्य पर अधिभार के रूप में इकट्ठा की गई निधियों में का किसी सदस्य का अंष या हित या निक्षेप सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा उपगत किये गये किसी ऋण या दायित्व के कारण या के संबंध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेष के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और तद्नुसार प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (क्र. 5 सन् 1920) के अधीन कोई प्रापक या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्सम विधि के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे अंष या हित या निक्षेप का हकदार नहीं होगा या ऐसे अंष या हित या निक्षेप के संबंध में कोई दावा नही रखेगा.

पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों के अधिकार.

28. (1) प्रत्येक सोसाइटी,–

(क) इस अधिनियम की प्रति;
(ख) नियमों की प्रति;
(ग) सोसाइटी की उपविधियों की प्रति;
(घ) सदस्यों का रजिस्टर;
(ड) अंतिम संपरीक्षित वार्षिक तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता; और
(च) साधारण सम्मेलनों की कार्यवाही.

अपने सदस्यों के निःषुल्क निरीक्षण के लिये सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर समस्त युक्तियुक्त समयों पर उपलब्ध रखेगी.

(2) किसी सोसाइटी के समस्त रजिस्टर तथा अभिलेख, उन पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को छोड़कर, जो किसी सदस्य के स्वयं के लेखाओं से भिन्न लेखाओं से संबंधित हों, ऐसी फीस का, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, संदाय किये जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उस सोसाइटी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे.

(3) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी फीस का संदाय कर दिया जाने पर जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, सोसाइटी, अपने किसी सदस्य द्वारा आवेदन किया जाने पर, उसे ऐसे अभिलेखों या रजिस्टरों की प्रमाणित प्रतिलिपि या उनके उद्धरण प्रदान करेगी.

भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपदा का दायित्व.

29. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सोसाइटी के उन ऋणों के लिये, जो कि.–

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले में, उस तारीख को हों जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो; और
(ख) किसी मृत सदस्य के मामले में, उसकी मृत्यु की तारीख को हो,

किसी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी सोसाइटी के मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व ऐसी तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा.

(2) जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जाने का आदेष दिया जाय, वहां किसी भूतपूर्व सदस्य का, जो कि परिसमापन के आदेष की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर सदस्य न रह गया हो या किसी मृत सदस्य की, जो कि परिसमापन के आदेष की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर मर गया हो, सम्पदा का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि समापन की कुल कार्यवाहियां पूर्ण न हो जाय; किन्तु ऐसा दायित्व सोसाइटी के उन ऋणों तक ही विस्तारित होगा जो कि उस तारीख को हों जिसको कि वह यथास्थिति सदस्य न रह गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो.

सदस्यों का दिवाला.

30. प्राविन्षियल इन्सालवेन्सी एक्ट, 1920 (क्र. 5 सन् 1920) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के विरूद्व दिवाला विषयक किसी कार्यवाही में, उस सोसाइटी के शोध्यों को समस्त अन्य शोध्यों पर, सिवाय उन शोध्यों के जो कि सरकार को देय हों, पूर्विकता प्राप्त होगी.

चौथा अध्याय

सोसाइटियों के कर्त्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी सम्पत्ति तथा निधियां

सोसाइटियां निगमित निकाय होंगी.

31. किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेषन उसे उस नाम से, जिसके कि अधीन वह रजिस्ट्रीकृत की गई है, एक ऐसा निगमित निकाय बना देगा जिसका शाष्वत् उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य

विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने तथा उनमें प्रतिरक्षा करने एवं ऐसी समस्त बातें, जो कि उन प्रयोजनों के लिए आवष्यक हों जिनके लिये उसका गठन किया गया था, करने की शक्ति होगी.

सोसाइटी का पता तथा नाम का संप्रदर्षन.

32. (1) प्रत्येक सोसाइटी का नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया एक पता होगा जिस पर कि समस्त सूचनाएं तथा संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी और वह उस पते में होने वाली किसी भी तब्दीली की लिखित सूचना, ऐसी तब्दीली होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को भेजेगी.

(2) प्रत्येक सोसाइटी,–

(क) अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां पर वह कारबार करती है;

(ख) समस्त सूचनाओं और अन्य अधिकारित प्रकाषनों में;

(ग) अपनी समस्त संविदाओं पर, कारोबारी पत्रों, माल के लिए आदेषों में, बीजकों, लेखाओं की विवरणियों, प्राप्तियों और साख पत्रकों में; और

(घ) समस्त विनिमय पत्रों में, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों, और धन के आदेष, जिस पर वह हस्ताक्षर करती है, या जिन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाते है,

अपना नाम और अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, और शब्द "छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत" सुवाच्य अक्षरों में सहजदर्षनीय स्थान पर संप्रदर्षित करेगी.

(3) प्रत्येक सोसाइटी के नाम में शब्द "सहकारी" और "सीमित" या उसके समतुल्य शब्द राज्य की राजभाषा में अन्तर्विष्ट होंगे.

सदस्यों का रजिस्टर.

33. (1) प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी और उसमें निम्नलिखित विषिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा उसकी उपजीविका;

(ख) उस दषा में, जहां कोई सोसाइटी अंषपूंजी रखती है, के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंष;

(ग) वह तारीख जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रविष्टि किया गया था;

(घ) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह

गया है; और

(ड.) ऐसी अन्य विषिष्टियां जो विहित की जाएं :

परन्तु जहां किसी सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य को उसकी मृत्यु होने पर अपने अंष या हित, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिये अनुज्ञात किया गया है वहां रजिस्टर में संबंधित सदस्य के सम्मुख उस व्यक्ति का नाम जो उस सदस्य के अंष या हित का हकदार होगा और वह तारीख जिस पर नामांकन अभिलिखित किया गया था, भी दर्षाई जाएगी.

(2) रजिस्टर उस तारीख के, जिसमें कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था और उस तारीख के, जिसको वह सदस्य नहीं रह गया है संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा.

सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों का सबूत.

34. (1) किसी सोसाइटी की किसी ऐसी पुस्तक, जो कि उसके कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई हो, में की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, प्रमाणित हो, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाहियों में या किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिये, ऐसी प्रविष्टि के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ली जायेगी और उसमें अभिलिखित किये गए विषयों, संव्यवहारों तथा लेखकों की बाबत, साक्ष्य उसी रीति में तथा उसी सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस सीमा तक कि मूल प्रविष्टि ग्राह्य होती है.

(2) किसी सोसाइटी द्वारा अपने कारबार के अनुक्रम में अभिप्राप्त की गई तथा रखी गई किसी दस्तावेज की अथवा ऐसी दस्तावेज में की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां, जो कि ऐसी सोसाइटी द्वारा दी गई हों, यदि वे विहित रीति में प्रमाणित हों, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाही में या किन्हीं भी अन्य प्रयोजन के लिये, साक्ष्य में उसी रीति में तथा उसी सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस रीति में तथा जिस सीमा तक कि यथास्थिति मूल दस्तावेज अथवा उसकी प्रविष्टियां ग्राह्य होती हैं.

(3) किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को तथा किसी ऐसे अधिकारी को, जिसके कि कार्यालय में सोसाइटी की पुस्तकें समापन के पश्चात् निक्षिप्त की जाती है, किन्हीं भी ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें कि वह सोसाइटी या समापक पक्षकार न हो, सोसाइटी की किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों को, जिनकी कि विषय–वस्तु इस धारा के अधीन साबित की जा सकती है, पेष करने के लिये या उनमें अभिलिखित किये गये विषयों, संव्यवहारों

तथा लेखाओं को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिये न्यायालय के, या मध्यस्थ के आदेष, जो कि विषेष कारण से किया गया हो, के अधीन ही विवष किया जाएगा अन्यथा नहीं.

सोसाइटी सदस्यों को पास–बुक देगी. 34–क (1) कोई सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देती है या कोई सोसाइटी या सोसाइटियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पास–बुक देगी जिसमें सदस्य के साथ हुए संव्यवहारों का लेखा जैसे कि संव्यवहार की तारीख, दिए गए उधार की रकम, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा किया गया प्रतिसंदाय, शोध्य मूल तथा ब्याज की रकम और ऐसी अन्य विषिष्टियां जैसी की विहित की जाएं अंतर्विष्ट होगा. पासबुक में समय –समय पर आवष्यक प्रविष्टियां की जाएंगी, जिन पर सोसाइटी के ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसे समिति इस निमित्त प्राधिकृत करे. इस प्रयोजन के लिए, सदस्य इस बात के लिए बाध्य होगा कि ऐसे पदधारी को पासबुक प्रस्तुत करे और यदि पासबुक आवष्यक प्रविष्टियां करने के लिए कुछ समय तक रखी जाने के लिए अपेक्षित है, तो सदस्य को ऐसे पदधारी द्वारा उसकी एक रसीद प्रदान की जाएगी.

(2) पासबुक में सम्यकरूपेण की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, सदस्य और सोसाइटी के बीच संव्यवहारों के लेखाओं का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी.

लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट. 35 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्र. 16 सन् 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में की कोई भी बात,–

(क) किसी सोसाइटी के अंषों से संबंधित किसी लिखत को लागू नहीं होगी भले ही उस सोसाइटी की आस्तियां पूर्णतः या भागतः स्थावर संपत्ति से मिलकर बनी हो; या

(ख) ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए ऐसे डिबेन्चरों पर लागू नहीं होगी जो स्थावर संपत्ति पर या ऐसी संपत्ति में कोई अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित, समनुदेषित, परिसीमित या निर्वाचित नहीं करते हैं, उस सीमा तक के सिवाय, जहां तक कि वे धारक को उस प्रतिभूति के लिए हकदार बनाते हैं जो कि किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा की गई है जिसके द्वारा

उस सोसाइटी ने अपनी संपूर्ण स्थावर संपत्ति या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित ऐसे डिबेन्चरों के धारकों के फायदे के लिये न्यासियों को न्यास पर बन्धक कर दिया है, हस्तान्तरित कर दिया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया है; या

(ग) किसी ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये किसी डिबेन्चर पर के किसी पृष्ठांकन को या उसके अन्तरण को लागू नहीं होगी; या

(घ) किसी ऐसी घोषणा को, जो भूमि पर धारा 41 के अधीन कोई भार सृजित करने के हेतु किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी के पक्ष में की गई हो, तथा उसके ऐसे समनुदेषन को, जो कि उक्त सोसाइटी द्वारा उस वित्तदायी बैंक या संघीय सोसाइटी के, जिससे कि वह संबद्ध हो, पक्ष में किया गया हो, तथा ऐसे और समनुदेषन को, जो ऐसे वित्तदायी बैंक या ऐसी संघीय सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या किसी अन्य संघीय सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या किसी अन्य संघीय सोसाइटी के पक्ष में किया गया हो, लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनों के लिए वित्तदायी बैंक के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीषन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेकिंग्स) एक्ट, 1970 (क्र. 5 सन् 1970) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक तथा ऐसा अन्य बैंक जिसे राज्य सरकार, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, आते हैं.

उधार लेना. 36 कोई सोसाइटी राज्य सरकार, राज्य में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निकायों, निगमित निकायों और व्यक्तियों से, सोसाइटी की उपविधियों के अधीन निक्षेप और उधार प्राप्त कर सकेगी. वह नाममात्र की सदस्यता प्रदान करके विषिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंषपूंजी के रूप में निधि भी प्राप्त कर सकेगी.

उधारों के दिये जाने पर निर्बन्धन. 37 (1) कोई भी सोसाइटी,–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो;

(ख) किसी सदस्य को उसके स्वयं के अंषों की प्रतिभूति पर;

(ग) किसी सदस्य को किसी सदस्येतर व्यक्ति की प्रतिभूति पर उधार नही देगीः

परन्तु सोसाइटी, अपनी उपविधियों में उपबंधित किए गए अनुसार किसी अन्य सोसाइटी और/या नाममात्र के सदस्य को उधार दे सकेगी.

(1–क) अपने ऐसे सदस्यों को, जिन्हें कि छत्तीसगढ़ लेण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 114–ए के अधीन विहित की गई "भू अधिकार एवं ऋण–पुस्तिका" दी गई हो, उधार देने वाली सोसाइटी उधारों, अग्रिमों तथा उनकी वसूली के समस्त संव्यवहार पूर्वोक्त भू–अधिकार एवं ऋण–पुस्तिका में दर्ज करेगी.

(1–ख) इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाये गये नियमों में तथा सोसाइटियों की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस दषा में जब कि सोसाइटी के सदस्यों को दिये गये किसी उधार या अग्रिम की प्रविष्टि की जाने से छूट गई हो, यह उपधारणा की जायेगी कि कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम नही दिया गया है परन्तु यह उपधारणा तब नही की जायगी जबकि सोसाइटी द्वारा अन्यथा साबित कर दिया जाय;

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी निक्षेपकर्ता को उसके निक्षेप की प्रतिभूति पर उधार दे सकेगी.

(3) रजिस्ट्रार, साधारण या विषेष आदेष द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा जंगम संपत्ति की प्रतिभूति पर या स्थावर संपत्ति के बंधक पर धन के उधार दिये जाने को प्रतिबिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगा.

(4) यदि किसी सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिसे कि उधारों, अग्रिमों तथा उनकी वसूली की प्रविष्टि उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट की गई "भू–अधिकार एवं ऋण–पुस्तिका" में करने का कार्य सौंपा गया हो, उक्त पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि करने से चूक जाय तो रजिस्ट्रार, आदेष द्वारा, उस पर पांच सौ रूपये से अनधिक किसी रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा. शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेष धारा 85 के उपबन्धों के अनुसार प्रवर्तित किया जायेगा.

सोसाइटी मूल से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी

37—क तत्समय प्रवृत्त किसी करार या किसी विधि में अंतर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सोसाइटी किसी ऐसे उधार के संबंध में, जो उसके द्वारा किसी सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के या 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि का स्वामित्व रखने वाले किसी अन्य सदस्य को चाहे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संषोधन), अधिनियम 1979 के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् दिया गया हो और जो उसके दिए जाने की तारीख से दस वर्ष से अनधिक कालावधि के भीतर प्रतिसंदेय हो, उस दौरान, जब कि ऐसा उधार चालू रहे, कोई भी ऐसी राषि जो मूल से अधिक हो, उस पर (मूल पर) ब्याज के लेखे प्रभारित नहीं करेगी, वसूल नहीं करेगी या प्राप्त नहीं करेगी और मूल से अधिक प्रभारित की गई, वसूल की गई या प्राप्त की गई कोई भी राषि, यदि उधार शेष रह गया हो तो वह मूल के प्रतिसंदाय के लेखे उसका पूरी तरह से प्रतिसंदाय होने तक समायोजित की जाएगी और किसी अन्य दषा में वह राषि ऋणी सदस्य को उस तारीख से साठ दिन के भीतर वापस कर दी जाएगी, जिसको कि ब्याज के लेखे किया गया संदाय पूर्वोक्त सीमा से अधिक हो जाए :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी विकास बैंक या किसी नगरीय सहकारी बैंक द्वारा दिए गए उधारों को लागू नहीं होगी।

सदस्येतर व्यक्तियों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बन्धन.

38 धारा 36 तथा 37 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सोसाइटी के वे संव्यवहार, जो सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ किये जायें, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए होंगे जैसे कि विहित किये जायें.

सदस्यों के अंष या हित की बाबत भार एवं गुजराई.

39 किसी सोसाइटी का किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के पूंजी में के अंष या हित पर तथा उसके निक्षेपों पर तथा किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को देय किसी लाभांष, बोनस या लाभों पर, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग, जो कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की ओर से उस सोसाइटी को देय हो, के संबंध में भार होगा और वह किसी भी ऐसी राषि को, जो कि किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नामे जमा की गई हो या उसको देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के भुगतान में अथवा उसके लेखे मुजरा कर सकेगी:

परन्तु किसी वित्तदायी बैंक का किसी ऐसी राषि, जो किसी सोसाइटी द्वारा ऐसे बैंक में आरक्षित निधि के रूप में विनिहित की गई हो, पर उस दषा में कोई भार नहीं होगा जबकि ऐसा बैंक उस सोसाइटी का एकमात्र लेनदार न हो अथवा किसी ऐसी राषि, जो कि ऐसे बैंक में किसी भविष्य निधि से विनिहित की गई हों, पर उसका कोई भार नही होगा और न ऐसा बैंक किसी ऐसी राषि को, जो कि उस सोसाइटी के नामे जमा की गई हो या उसे देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के जो कि ऐसी सोसाइटी की ओर से ऐसे बैंक को देय हो, भुगतान में या उसके लेखे मुजरा करने का हकदार ही होगा.

कतिपय आस्तियों पर सोसाइटी का पूर्विक दावा.

40 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू–राजस्व के बाबत् या भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य किसी धन के बाबत राज्य सरकार के किसी पूर्विक दावे के अध्यधीन रहते हुए तथा विकास बैंक के किसी दावे के, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000) के अधीन किसी भी समय मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत हो, अध्यधीन रहते हुए, किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय कोई भी ऋण या शेष निकलने वाली मांग ऐसी फसलों या अन्य जंगम संपत्ति पर, जो कि ऐसे सदस्य, भूतपूर्व सदस्य की हो, या जो मृत सदस्य की सम्पदा का भाग हो, जैसी भी दषा हो, प्रथम भार होगीः

परन्तु जहां राज्य सरकार का कोई पूर्विक दावा लेण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट, 1883 (क्र. 19 सन् 1883) या एग्रीकल्चरिस्ट्स् लोन्स एक्ट, 1894 (क्र.12 सन् 1894) के अधीन मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत होता है और ऐसा उधार किसी सोसाइटी द्वारा उधार के मंजूर किये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया हो, वहां सोसाइटी द्वारा मंजूर किये गये उधार को, उक्त अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के ऐसे दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी.

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी संपत्ति को, जो कि उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन हो, उस सोसाइटी की, जो कि भार धारण करती हो, लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही अन्तरित करेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के लिये यह सदैव विधिपूर्ण होगा कि वह छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000) के अधीन किसी विकास बैंक के पक्ष में, उसके शोध्यों के लिये भार सृजित करें.

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संपत्ति का कोई भी ऐसा अन्तरण, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो, सोसाइटी को देय किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग जो कि उपधारा (1) के अधीन ऐसी संपत्ति पर प्रथम भार हो, की बाबत सोसाइटी के किसी भी दावे के विरूद्ध शून्य होगा.

कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटी का प्रथम भार.

41 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू–राजस्व की बाबत या भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य किसी धन की बाबत राज्य सरकार के किसी पूर्विक दावे के अध्यधीन रहते हुए या किसी विकास बैंक के किसी दावे के, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000) के अधीन या छत्तीसगढ़ कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 (क्र. 32 सन् 1973) के अधीन किसी बैंक द्वारा किसी भी समय मंजूर किये गये किसी उधार में से उद्‌भूत होता हो, अध्यधीन रहते हुए, कोई भी ऋण या बकाया मांग, जो किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय हो,–

(क) उस भूमि पर, जो यथास्थिति ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के स्वामित्व की हो या मृत सदस्य की संपदा की भाग रूप हो; और

(ख) अभिधारी के रूप में किसी भूमि में के उसके हित पर, यदि ऐसा सदस्य ऐसे हित का स्वामित्व रखता है;

जिसके कि विरूद्ध ऐसा ऋण मंजूर किया गया था ऐसी बकाया मांग विद्यमान है, उस ऋण या बकाया मांग, जो कि उसके द्वारा देय हो, के लिये तथा वैसे ऋण या बकाया मांग की सीमा तक सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगीः

परन्तु जहां राज्य सरकार को कोई पूर्विक दावा भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (क्र.19 सन् 1883) के अधीन मंजूर किये गये उधार में से उद्‌भूत होता है

और ऐसा उधार किसी सोसाइटी द्वारा किसी उधार के मंजूर किये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया हो, वहां सोसाइटी द्वारा मंजूर किये गये उधार को अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के ऐसे दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी.

(2) कोई भी सदस्य ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को या उसमें के हित को, जो कि उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन हो, तब तक अन्य संक्रमण नहीं करेगा जब तक कि उस सदस्य द्वारा उधार ली गई, सम्पूर्ण रकम ब्याज सहित पूरी न चुका दी जायः

परन्तु किसी सदस्य या किसी भूतपूर्व सदस्य के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को,–

(एक) किसी विकास बैंक; या

(दो) छत्तीसगढ़ कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 (क्र. 32 सन् 1973) के अधीन किसी बैंक; या

(तीन) राज्य सरकार,

के पक्ष में ऐसी भूमि या उसके भाग को किसी नहर से जल प्रदाय के लिये छत्तीसगढ़ इरिगेषन एक्ट,1931 (क्र. 3 सन् 1931) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन बन्धकित करें.

(3) ऐसा अन्य संक्रामण, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो, सोसाइटी के किसी भी ऐसे दावे के, जो इस धारा के अधीन उससे (सोसाइटी से) लिये गये उधार के संबंध में हो, विरूद्ध शून्य होगा.

(4) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य से सोसाइटी को देय ऋण या बकाया मांग के ब्योरों के बारे में लिखित संसूचना विहित रीति में तहसीलदार को दी जायेगी और तहसीलदार ऐसी संसूचना के प्राप्त होने पर उसे अधिकार अभिलेख में दर्ज करवायेगा.

स्थावर संपत्ति का अर्जन तथा व्ययन करने का सोसाइटी का अधिकार.

41–क (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी को यह शक्ति होगी कि वह स्वयं उस कृषि का या उसमें के हित का या किसी भी स्थावर संपत्ति का, जो कि किसी सदस्य ने किसी ऐसी वित्तीय सहायता के संबंध में, जिसका कि उसके द्वारा उपभोग किया गया हो, सोसाइटी के पक्ष में भारित या बन्धकित कर दी/दिया हो, अर्जन करें, परन्तु यह तब जब कि वह उक्त भूमि का या उसमें के हित का या किसी अन्य स्थावर संपत्ति का विक्रय लोक नीलाम द्वारा किया जाना चाहा गया हो, और किसी भी व्यक्ति ने उसका क्रय उस कीमत पर करने की प्रस्थापना न की हो, जो कि सोसाइटी को उस धन का, जो कि उसे शोध्य हो, भुगतान करने के लिये पर्याप्त होः

परन्तु भूमि या संपत्ति के केवल ऐसे भाग का विक्रय किया जायेगा जो कि ऋण और उस पर का ब्याज चुकाने के लिये युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो.

(2) कोई सोसाइटी, जो उपधारा (1) के अधीन उसमें निहित की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, भूमि या उसमें के हित का या किसी भी अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन करें, उसका व्ययन विक्रय द्वारा ऐसी कालावधि के भीतर कर सकेगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जायेगी.

(3) यदि सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा अर्जित की गई कोई भूमि, उपधारा (2) में उपदर्षित किये गये अनुसार उसका विक्रय होने तक के लिये पट्टे पर देनी है, तो पट्टे की कालावधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी, उस भूमि या संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा.

(4) इस धारा के शब्दों में, भूमि का या उसमें के हित का किसी सोसाइटी द्वारा कोई विक्रय तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उन उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि अकृषकों द्वारा किये जाने वाले भूमि के क्रय पर या उच्चतम सीमा से अधिक भूमि के क्रय पर या भूमि के ऐसे क्रय पर, जिससे कि भूमि के खंड किसी विनिर्दिष्ट सीमा से कम के बनते हों, निर्बन्धन लगाते हों.

(5) इस धारा में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह सोसाइटी को इस बात के लिये सषक्त करती है कि वह किसी ऐसी आदिवासी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना द्वारा आदिवासी जनजाति होना घोषित किया हो, किसी व्यक्ति की किसी भूमि का या उसमें के उसके हित का विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को करे जो कि ऐसी जनजाति का न हो.

(6) छत्तीसगढ़ सीलिंग आन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्ज एक्ट, 1960 (क्र. 20 सन् 1960) में की कोई भी बात किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो उपधारा (1) के अधीन भूमि का अर्जन करती हो और ऐसी भूमि को उस समय तक धारण किये रहती हो जब तक कि वह सोसाइटी उस भूमि को इस धारा में उपबंधित की गई रीति में या अन्यथा ऐसी कीमत पर जो कि उसके शोध्यों के चुकारे के लिये पर्याप्त हो, बेचने की स्थिति में न हों.

कतिपय दशाओं में सोसाइटी के दावे की पूर्ति करने के लिये वेतन में से कटौती.

42 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऐसी सोसाइटी के पक्ष में एक ऐसा करार निष्पादित कर सकेगा जिसमें यह उपबंध होगा कि उसका नियोजक इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह उस वेतन या मजदूरी में से जो कि ऐसे नियोजक द्वारा उसे देय हो, उतनी रकम की कटौती कर ले जो कि उस करार में विनिर्दिष्ट की जाय, और इस प्रकार काटी गई रकम का उस सोसाइटी को भुगतान किसी ऐसे ऋण या मांग की तुष्टि के रूप में कर दे जो कि उस सदस्य की ओर से उस सोसाइटी को देय हो.

(2) ऐसे करार का निष्पादन कर दिया जाने पर, यह आवष्यक नहीं होगा कि वह ऋण या दावा किसी प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णित कराया जाय, तथा नियोजक, यदि सोसाइटी द्वारा लिखित अध्यपेक्षा द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो और जब तक कि सोसाइटी यह प्रज्ञापित न करे कि ऐसे संपूर्ण ऋण या मांग का भुगतान कर दिया गया है, उस करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गई रकम सोसाइटी को संदत्त करेगा मानों कि वह रकम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (क्र. 4 सन् 1936) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार उस दिन देय वेतन या मजदूरी का भाग हो.

(3) यदि, उपधारा (2) के अधीन की गई अध्यपेक्षा के प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियोजक, किसी भी समय अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम की, कटौती संबंधित सदस्यों को देय वेतन या मजदूरी में से नहीं करता है, या काटी गई रकम उस सोसाइटी को विप्रेषित करने में व्यतिक्रम करता है तो वह सोसाइटी ऐसी रकम नियोजक से भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करने की हकदार होगी और उस रकम को, जो कि नियोजक से इस प्रकार शोध्य है, नियोजक के दायित्व के संबंध में वही पूर्विकता प्राप्त होगी जो कि बकाया मजदूरी को प्राप्त होती है.

(4) इस धारा के उपबंध उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार के उन समस्त करारों को भी लागू होंगे जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रवृत्त थे.

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात रेल्वे, खानों तथा तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों को लागू नहीं होगी.

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, आहरण तथा संवितरक अधिकारी को किसी सरकारी सेवक के संबंध में नियोजक समझा जायगा.

निधियां तथा लाभ. 43 (1) किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का, जो शुद्ध लाभों से भिन्न हो, कोई भी भाग उसके सदस्यों को बोनस या लाभांष के रूप में संदत्त नहीं किया जायगा और न उसके सदस्यों में उसका अन्यथा वितरण ही किया जायगाः

परन्तु किसी सदस्य को, किन्हीं ऐसी सेवाओं, जो कि उसके द्वारा सोसाइटी के लिये की गई हों, के लिये पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे मापमान से किया जा सकेगा जो कि उपविधियों द्वारा अधिकथित किया जाय.

(2) कोई सोसाइटी किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभों में से,—

(क) यदि रजिस्ट्रार ने, साधारण या विषेष आदेष द्वारा, सोसाइटी को इस निमित्त भागतः या पूर्णतः छूट न दे दी हो तो ऐसी रकम आरक्षित निधियों में अन्तरित करेगी जो ऐसे लाभों के पच्चीस प्रतिषत से कम न हो;

(ख) छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित को तथा ऐसी अन्य संस्थाओं या संघों को, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसे अभिदाय का भुगतान करेगी जो कि विहित किया जाय; और

(ग) ऐसी सोसाइटी, जिसमें सरकार की साधारण अंषपूंजी की भागीदारी है साधारण अंषपूंजी मोचन निधि में कम से कम बीस प्रतिषत राषि अंतरित करेगी.

(3) कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सदस्यों को पच्चीस प्रतिषत से अधिक की दर से लाभांष नहीं देगी.

(4) कोई भी सोसाइटी, रजिस्ट्रार की मंजूरी से, किसी वर्ष के शुद्ध लाभ का एक—चौथाई भाग आरक्षित निधि में रख दिया जाने के पश्चात् अवषिष्ट शुद्ध लाभों के पांच प्रतिषत से अनधिक भाग का अभिदाय किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये कर सकेगी जो कि सहकारिता आन्दोलन के विकास से संबंधित हो या पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (क्र. 6 सन् 1890) की धारा 2 में यथापरिभाषित, पूर्त प्रयोजन से संबंधित हो.

(5) कोई भी सोसाइटी किसी ऐसे संगठन में जिसका उद्देष्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था को अग्रसर करना है न तो प्रत्यक्षतः और न अप्रत्यक्षतः धन के या वस्तु के रूप में अभिदाय करेगी.

लाभों का विनियोजन. 43—क (1) लाभ अर्जित करने वाली कोई सोसाइटी वर्ष के सकल लाभों में से निम्नलिखित की कटौती करके शुद्व लाभ की संगणना करेगीः—

(क) उधार लेखाओं पर प्रोद्‌भूत समस्त अतिषोध्य ब्याज;
(ख) प्रबंध प्रभार;
(ग) उधारों (लोन्स) तथा निक्षेपों पर देय ब्याज;
(घ) संपरीक्षा (आडिट) फीस;
(ड) कामकाज संबंधी खर्चे जिसके अंतर्गत है मरम्मत, भाटक, कर;
(च) अवक्षयण;
(छ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (क्र. 21 सन् 1965) के अधीन कर्मचारियों को देय बोनस;
(ज) आयकर के संदाय के लिये प्रावधान;
(झ) राज्य/जिला सहकारी संघ, जो कि अधिसूचित किया जाय, को अभिदाय के भुगतान के लिये प्रावधान;
(त्र) विकास निधि, डूबंत ऋण निधि, मूल्य उतार—चढ़ाव निधि, लाभांष समानीकरण निधि, विनिधान उतार—चढ़ाव निधि और ऐसी अन्य निधियों के लिये प्रावधान जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाये;
(ट) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिये प्रावधान और उन सोसाइटियों की दषा में, जो उपभोक्ता माल का कारबार करती है, सदस्य को संदत्त किये जाने वाले क्रय रिबेट के लिये प्रावधान; और
(ठ) डूबत ऋण को और ऐसी हानियों को जो लाभों में से सृजित किसी भी निधि के प्रति समायोजित नहीं किये गये है, बट्‌टे खाते डाले जाने के लिये प्रावधान.

(2) तथापि, कोई भी सोसाइटी वर्ष के कुल लाभों से उस ब्याज को जोड़ सकेगी जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रोद्‌भूत हुआ है किन्तु वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल किया गया है. इस प्रकार निकाले गये शुद्ध लाभ पूर्व वर्ष से आगे ले गये लाभों की रकम सहित धारा 43 के प्रयोजनों के लिये विनियोजित किये जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे

घाटे के लिए दायित्व. 43—ख (1) जहां किसी सोसाइटी को किसी वर्ष में परिचालन घाटा होता है, वहां समिति उसके कारणों को साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

(2) साधारण निकाय, जहां सोसाइटी के कारबार के सामान्य अनुक्रम में घाटा हुआ है वहां उसके कारणों का परीक्षण करेगा और साधारण निकाय अपने परीक्षण के आधार पर परिचालन घाटे को उसके सदस्यों से और या आरक्षितियों से पूर्णतः या भागतः पूरा करने हेतु संकल्प कर सकेगा.

निधियों का विनियोजन. 44 (1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई सोसाइटी अपनी निधियों को,–

(क) सरकारी, बचत बैंकों में; या

(क–क) किसी सहकारी बैंक में; या

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (क्र. 2 सन 1882) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट की गई प्रतिभूतियों में से किसी प्रतिभूति में; या

(ग) उस संघीय सोसाइटी, जिसकी कि वह सदस्य हो, के पास या उसके अंषों के क्रय में; या

(घ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सोसाइटी के पास या उसके अंषों या प्रतिभूतियों या डिबेन्चरों के क्रय में; या वाली किसी अन्य सोसाइटी के पास या उसके अंषों या प्रतिभूतियों या डिबेचरों के क्रय में; या

(ङ) किसी ऐसे बैंक के पास, जो इस प्रयोजन के लिये रजिस्ट्रार के द्वारा अनुमोदित किया गया हो, और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जो उसके द्वारा इस निमित्त अधिकथित की जाएं;

विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी;

परन्तु खण्ड (घ) के अधीन रजिस्ट्रार का अनुमोदन उस दषा में आवष्यक नहीं होगा जबकि ऐसी सोसाइटी का सदस्य होने के लिये ऐसी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार अंषों का क्रय किया जाना हो.

(2) सोसाइटी की आरक्षित निधि का विनिधान या उपयोग केवल ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर किया जायगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकथित की जायं.

(3) गृह निर्माण सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सृजित निधियों से भिन्न अपनी निधियों में से किसी निधि का स्थावर संपत्ति में विनिधान, रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा.

(4) निक्षेप प्रतिग्रहित करने वाली कोई सोसाइटी, ऐसे निक्षेपों की रक्षा राषि के रूप में संपरिवर्ती संसाधनों को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी रीति में बनाये रखेगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जायें.

सोसाइटियों को राज्य सहायता का मंजूर किया जाना.

45 (1) कोई ऐसी सोसाइटी, जो अंषपूंजी के प्रति अभिदाय से भिन्न किसी रूप में राज्य सहायता प्राप्त करना चाहती हो, ऐसी राज्य सहायता चाहने के लिये कारण कथित करते हुए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा, रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसी सहायता उस सोसाइटी के हित में आवष्यक है, ऐसी सहायता मंजूर की जाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिष कर सकेगा. राज्य सरकार तदुपरि उस सोसाइटी को ऐसी सहायता, जैसी कि वह ठीक समझे, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर मंजूर कर सकेगी जैसी कि विहित की जाय.

कर्मचारियों की भविष्य निधि.

46 (1) कोई सोसाइटी अपने कर्मचारियों के फायदे के लिये एक अभिदायी भविष्य निधि की स्थापना कर सकेगी जिसमें ऐसे समस्त अभिदाय जमा किये जायेंगे जो कि उस सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार कर्मचारियों तथा सोसाइटी द्वारा किये गये हों.

(2) किसी सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई अभिदायी भविष्य निधि,—

(क) उस सोसाइटी के कारबार के उपयोग में नहीं लाई जायेगी;

(ख) उस सोसाइटी की आस्तियों का भागरूप नही होंगी;

(ग) कुर्क किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेषिका के अध्यधीन नहीं होगी; और

(घ) ऐसी रीति में प्रषासित की जायगी जैसी कि विहित की जाय.

संघीय सोसाइटी से संबद्ध किये जाने के निदेष देने की शक्ति.

47 राज्य सरकार, साधारण या विषेष आदेष द्वारा, यह निदेष दे सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सोसाइटियां या उनमें से कोई सोसाइटी छत्तीसगढ़ सहकारी संघ से या किसी जिला सहकारी संघ से या किसी अन्य संघ से ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर संबद्ध की जाय जैसी कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे.

शीर्ष सोसाइटी.

47—क (1) शीर्ष सोसाइटी अपने संघटकों की सेवा के लिए और अपनी उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगीः—

(क) सहकारी सिद्धान्तों का पालन हो, इसके सुरक्षा उपाय करना;

(ख) सहकारी सोसाइटियों को संप्रवर्तित करना और इस प्रयोजन के लिए आदर्ष उपविधियां विरचित करना और सोसाइटियों के विचारण हेतु विभिन्न विनियम और नितियां बनाने के लिए मार्गदर्षक सिद्धान्त बनाना;

(ग) सहकारिता के प्रषिक्षण, षिक्षण और जानकारी की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना;

(घ) अनुसंधान और मूल्यांकन करना तथा सदस्य सोसाइटियों के लिए भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना;

(ङ) सदस्य सोसाइटियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करना;

(च) सदस्य सोसाइटियों के बीच आपस में के तथा सोसाइटी और उसके सदस्यों के बीच के विवादों को निपटाने में सहायता करना;

(छ) सदस्य सोसाइटियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सोसाइटियों के अनुकूल नीतियों और विधान के लिए अभिमत प्राप्त करने के प्रयास करना;

(ज) अपने सदस्यों की ओर से कारबारी सेवाएं हाथ में लेना;

(झ) बोर्ड के सम्मिलनों में, जिनमें सदस्य सोसाइटियां आमंत्रित की जाती हैं, में भाग लेने के साथ ही सदस्य सोसाइटियों को सहयोग एवं प्रबंधकीय विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करना;

(त्र) सदस्य सोसाइटियों में यथासमय वार्षिक संपरीक्षा का संचालन सुनिष्चित करना;

(ट) सदस्य सोसाइटियों के यथासमय निर्वाचन का संचालन सुनिष्चित करना;

(ठ) सदस्य सोसाइटियों के साधारण सम्मिलनों के नियमित संचालन हेतु सहायता करना;

(ड) सदस्य सोसाइटियों के पालन हेतु आचार संहिता विकसित करना;

(ढ) सदस्य सोसाइटियों की सक्षमता के मापदण्ड विकसित करना;

(ण) सदस्य सोसाइटियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना;

(त) सदस्य सोसाइटियों के हित में कोई भी अन्य सेवा प्रदान करना.

पांचवा अध्याय
सोसाइटियों का प्रबन्ध

सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार. 48. (1) किसी सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा

(परन्तु साधारण निकाय की शक्तियों का या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए किसी सोसाइटी की उपविधियों में एक ऐसे छोटे निकाय के गठन के लिए उपबन्ध हो सकेगा जिसमें ऐसी उपविधियों के अनुसार निर्वाचित किए गए प्रत्यायुक्त होंगे)

(2) उपधारा (1) के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सोयाइटी का प्रबंध इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित की गई समिति में निहित होगा तथा वह समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों द्वारा क्रमशः उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किये जाएं।

(3) सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उनकी सदस्यता के अनुपात में किया जाएगाः

परंतु यह कि ऐसा आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परंतु यह और कि एक स्थान (सीट) अनुसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी।''

(4) ---विलोपित--

(5) संसाधन सोसाइटी में एक अध्यक्ष/ सभापति और दो उपाध्यक्ष/उपसभापति होगें। उपाध्यक्षों/उपसभापतियों के दो पदों में से --

(एक) एक पद स्त्री सदस्य द्वारा धारित किया जाएगा और

(दो) एक पद, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से निर्वाचित न हो, तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा और अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा

धारित किया जाएगाः

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में संचालित नागरिक सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी साख सोसाइटी या बचत सोसाइटी से भिन्न ऐसी संसाधन सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिये –

(एक) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंष या जनजाति या किसी जाति, मूलवंष या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट हैः

(दो) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, जनजाति समुदाय या किसी जनजाति, जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट है।

5–क उपभोक्ता सोसायटी में एक अध्यक्ष या सभापति और एक उपाध्यक्ष या उपसभापति होगा जिसमें से एक महिला होगी।

(6) कोई भी व्यक्ति जो किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक में वैयक्तिक सदस्य है, केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी में कोई भी विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा।

(7) **(क) सदस्य जो बिना किसी उचित कारण के लगातार तीन सभाओं में जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित रखता है और जो उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान के पश्चात् प्रमाणित हो गया है, बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से परिविरत हो जायेगा और सभी पारिणामिक लाभों से वंचित हो जायेगा।''**

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी में, कोई भी सदस्य, बोर्ड के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा और न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि को, बोर्ड के किसी

निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा, जब तक कि वह ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम् स्तर जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा सभी प्रकार की सोसाइटियों के लिए इस संबंध में समय–समय पर विहित किया जाए, का उपभोग नहीं कर लिया हो।''

(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या, इक्कीस से अधिक नहीं होंगी, जिनमें से दो महिलायें होंगीः

परन्तु इस धारा की उप–धारा (9) के उपबंधों के अधीन नियुक्त सहयोजित विशेषज्ञ सदस्य एवं पदेन सदस्य और धारा 52 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अधीन नियुक्त शासकीय नामिती और कार्यकारी संचालकों को बोर्ड के ऐसे इक्कीस सदस्यों की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

(9) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उन व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा जिन्हें ऐसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हो जो ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किए जा रहे उद्देश्यों और क्रियाकलाप से संबंधित होः

परंतु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या इस धारा की उप–धारा (8) में विनिर्दिष्ट इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगीः

परंतु यह और कि ऐसे

सहयोजित सदस्य सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य की हैसियत से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होगें।''

विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निरर्हताएं. 48–क (1) कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटियों का, एक से अधिक केन्द्रीय सोसायटियों का तथा एक से अधिक प्राथमिक सोसायटियों का विनिर्दिष्ट पद धारण नही करेगाः

परंतु इस उपधारा के उपबंध एक ही वर्गीकरण वाले सोसायटियों पर लागू होगें.

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो एक शीर्ष सोसाइटी, एक केन्द्रीय सोसाइटी तथा एक प्राथमिक सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहा है, किसी अन्य शीर्ष सोसाइटी या केन्द्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी के ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित या नियुक्त हो जाता है, तो वह लिखित पत्र द्वारा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रार को संबोधित होगा, किसी विनिर्दिष्ट पद पर, अपने निर्वाचित या नियुक्त हो जाने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर, यथा स्थिति एक शीर्ष सोसाइटी तथा या एक केन्द्रीय सोसाइटी तथा या एक प्राथमिक सोसाइटी के सिवाय ऐसी अन्य सभी शीर्ष सोसाइटियों, केन्द्रीय सोसाइटियों तथा प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्याग पत्र दे सकेगा.

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन त्यागपत्र देने के लिये अपेक्षित कोई व्यक्ति, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर त्यागपत्र देने में असफल रहता है, तो ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति एक शीर्ष या केन्द्रीय या प्राथमिक सोसाइटी, जिसमें वह ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वाचन या नियुक्ति के पूर्व पहले से ही विनिर्दिष्ट पद धारण किए हुए था, के सिवाय अन्य सभी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों या प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्यागपत्र दे दिया है.

प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त. 48–ख (1) प्रत्येक सोसाइटी की समिति, सभापति या उपसभापति के निर्वाचन के समय ऐसे प्रतिनिधि को भी निर्वाचित करेगी जो उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटियों में करेंगे और समिति द्वारा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा, जब तक कि समिति का आगामी चुनाव नहीं हो जाता है;.

(2) (क) किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, वहां ऐसा प्रतिनिधि केवल ऐसी जातियों या जनजातियों के सदस्यों में से होगा; और

(ख) किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के है, वहां ऐसा प्रतिनिधि ऐसे वर्गों के सदस्यों में से होगा.

(3) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में उसके साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा किए जाने का उपबन्ध है, तो वह सोसाइटी साधारण निकाय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण ऐसी रीति से करेगी कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थान, जहां तक संभव हो, उसी अनुपात में हो जो प्रत्येक प्रवर्ग के सदस्यों का, उस सोसाइटी की, कुल सदस्य संख्या के साथ है;

परन्तु प्रत्यायुक्त के तैंतीस प्रतिषत पद समस्तर और प्रभागवार महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.

समिति की शक्तियां. 48—ग किसी सोसाइटी का बोर्ड या समिति को उसकी उपविधियों के अनुसार निम्नानुसार शक्ति होगी :—

(क) सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करना;

(ख) सभापति एवं अन्य पदधारियों को निर्वाचित करना;

(ग) सभापति एवं पदधारियों को पद से हटाना;

(घ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की संख्या नियत करना;

(ड.) निम्नलिखित के संबंध में नीतियां बनाना :—

(एक) सदस्यों को सेवाएं देने के लिए संगठन एवं उपबंध करना;

(दो) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तें और कर्मचारी वृन्द से संबंधित अन्य विषय;

(तीन) निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग;

(चार) लेखाओं के रखे जाने की रीति;

(पांच) निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान;

(छह) फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियां के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध;

(च) साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एवं बजट प्रस्तुत करना;

(छ) संपरीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना; और

(ज) ऐसे अन्य समस्त कृत्य करना जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट है.

वार्षिक साधारण सम्मिलन 49 (1) प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तीन मास के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मिलन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए बुलाएगी :—

(क) सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का, जो कि समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया हो, अनुमोदन करने के लिए;

(ख) समिति के सदस्यों का निर्वाचन, यदि वो कराया जाना अपेक्षित हो गया है;

स्पष्टीकरण. :— समिति का निर्वाचन अपेक्षित हो गया है यह तब समझा जाएगा जबकि समिति की अवधि वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर समाप्त हो जाए.

(ग) संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि प्राप्त हुई हो, तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए;

(घ) शुद्व लाभ के व्ययन के लिए;

(ड.) किसी अन्य विषय पर, जो कि उपविधियों के अनुसार उपस्थापित किया जाय, विचार करने के लिए; और

(च) अगले वर्ष के लिए बजट पेष करने के लिए:

''परन्तु रजिस्ट्रार इस सम्मिलन के सिवाय, जिसमें कि निर्वाचन समिति के कार्यकाल का, जो कि उपधारा (7—क) में विनिर्दिष्ट किया गया है, अवसान होने पर किए जाने है, ऐसा सम्मिलन करने की कालावधि को तीन मास से अधिक और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा; ''

''परन्तु यह और भी कि जहां किसी सोसाइटी के संबंध में धारा 69 के अधीन समापन का आदेष जारी किया गया है तो वहां वार्षिक साधारण सम्मिलन बुलाया जाना आवष्यक नहीं होगा.''

(1—क) समिति के सदस्यों, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों के यदि कोई हों, निर्वाचन का संचालन रिटर्निंग आफिसर द्वारा विहित रीति में किया जाएगा.

(2) ऐसे सम्मिलन की सूचना उस जिले के, जिसमें कि सोसाइटी स्थित हो, उप/सहायक रजिस्ट्रार को, सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूरे चौदह दिन पूर्व भेजी जायगी.

(3) उप/सहायक रजिस्ट्रार ऐसे सम्मिलन में स्वयं हाजिर हो सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

(4) उप/सहायक रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपधारा (1) के खन्ड (क), (ग), (घ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों से संबंधित किसी भी मामले के बारे में सम्मिलन को सम्बोधित करे.

(5) यदि साधारण सम्मिलन, उपधारा (1) के अधीन उसके लिए विहित की गई कालावधि के भीतर बुलाने या उपधारा (1) की अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया गया हो, तो रजिस्ट्रार, आदेष द्वारा, किसी ऐसे आफिसर को, जिसका कि ऐसा सम्मिलन बुलाने का या उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने का कर्त्तव्य था और जिसने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना पूर्वोक्त उपधारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में चूक की हो, पद के लिए निर्वाचित होने या पद पर रहने के तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिए जिसे कि वह ऐसे आदेष में विनिर्दिष्ट करें, निरर्हित घोषित कर सकेगा और उस आफिसर पर, यदि वह आफिसर सोसाइटी का कर्मचारी हो, पांच हजार रूपये से अनधिक किसी भी रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेष तब तक नही किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों के संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता.

(6) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियां समिति के समस्त या कुछ सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय (टेरीटोरियल) आधार पर किया जाने का उपबंध करती हो, तो समिति के ऐसे सदस्य क्षेत्र में से, साधारण सम्मिलन के पूर्व की किसी तारीख को उपविधियों को उपबंधों के अनुसार

उस क्षेत्र के सदस्यों के किसी सम्मिलन में, निर्वाचित किए जायेंगे, उसके परिणाम सोसाइटी के सूचना फलक पर तथा वार्षिक साधारण सम्मिलन की कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पूर्व साधारण सम्मिलन के स्थान पर भी लगाए जायेंगे.

(7) किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक वार्षिक साधारण सम्मिलन में समिति, सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगी जिसमें समिति के सदस्यों के, उनके कुटुम्ब के सदस्यों के तथा निकट नातेदारों के नाम पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान बकाया उधारों या अग्रिमों, यदि कोई हों, के ब्यौरे दर्षाये गये हों.

स्पष्टीकरणः— उपधारा (7) के प्रयोजन के लिये, कुटुम्ब के सदस्यों के अंतर्गत पत्नी, पति तथा आश्रित संतान होगी.

(7—क) (एक) समिति का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको समिति का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा :

परन्तु जहॉ किसी समिति को अतिष्ठित या निलंबित किया गया है , या अधिनियम के अधीन हठाया गया है किसी न्यायलय के या प्राधिकारी के आदेष के फलस्वरूप पुनः स्थापित हो जाती है, वहां वह कालावधि जिसके दौरान वह समिति यथास्थिति अतिष्ठित, निलंबित या पद पर नही रही है पूर्वोक्त कार्यकाल की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी.

(दो) सोसाइटी की समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस सोसाइटी के, जिसके लिए ऐसा प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया है, कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त होगा.

परन्तु यह कि, समिति का प्रतिनिधि उस समिति की जिसका कि वह सदस्य है अवधि समाप्त होने तक अपने पद पर बना रहेगा.

(7—कक) (केवल मध्यप्रदेश में लागू)

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसमें कथित किये जाने वाले कारणों से किसी सोसायटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों का कार्यकाल समय—समय पर बारह मास से अनधिक की कुल कालावधि तक के लिए बढा सकेगी।

(7—ककक) (केवल मध्यप्रदेश में लागू)

उपधारा (7—कक) में विनिदिष्टि अठारह माह की अधिकतम कालावधि का ऐसी समितियों की बाबत

अवसान 7 मई 1988 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) से प्रारंभ होने वाली और राजपत्र में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी(संशोधन) अध्यादेश, 1988 के प्रकाशित होने की तारिख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच हो जाने पर भी ऐसी समितियों की कालावधि की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उक्त तारिख से छ माह की कालवधि के बढ़ा दी गई है, मानों कालावधि के बढ़ाये जाने के लिए उपधारा (7—कक) के अधीन अधिसूचना उक्त तारीख को जारी कर दी गई थी ।

(8) यदि उपधारा (7—क) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल या एतद् पूर्व हटाई गयी उपधारा (7—कक) के अध्यधीन बढ़ाये गये कार्यकाल का अवसान का होने के पूर्व निर्वाचन नही होते है तो समिति के समस्त सदस्यों के संबंध में यह समझा जाएगा कि सभी सदस्यों ने अपने पद रिक्त कर दिये है और समिति की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई है और रजिस्ट्रार यथासंभव शीघ्र निर्वाचन करवायेगा।

परन्तु रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया उक्त अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(9) (क) प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक साधारण सम्मिलन और उसकी समिति के समस्त अन्य सम्मिलनों के समस्त कार्यवृत्त को, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित करेगा;

(ख) ऐसा कार्यवृत्त सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मिलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा.

(ग) इस प्रकार अभिलिखित किया गया कार्यवृत्त उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

समिति की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी समिति द्वारा बातिलीकरण.

49—ख इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाये गये नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी समिति द्वारा पारित किया गया कोई भी संकल्प, रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, उत्तराधिकारी समिति द्वारा उपान्तरित या बातिल नहीं किया जाएगा.

लोकहित आदि में निदेष देने की सरकार की शक्ति.

49–ग (1) यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या सरकार द्वारा अनुमोदित या हाथ में लिए गए सहकारी उत्पादन और अन्य विकास कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिष्चित करने के प्रयोजन के लिए, या साधारणतः सोसाइटी के कामकाज का समुचित प्रबंध सुनिष्चित करने के लिए, या सोसाइटी के कार्यकलापों का संचालन उसके सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हितों के लिए अपायकर रीति में किये जाने का निवारण करने के लिए यह आवष्यक है कि साधारणतः सोसाइटी के कामकाज का समुचित प्रबन्ध सुनिष्चित करने के लिए, या सोसाइटी के कार्यकलापों का संचालन उसके सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हितों के लिए अपायकर रीति में किये जाने का निवारण करने के लिए यह आवष्यक है कि साधारणतः किसी वर्ग की सोसाइटियों को या विषिष्टतः किसी सोसाइटी या किन्हीं सोसाइटियों को निर्देष जारी किये जाएं तो राज्य सरकार उन्हें समय–समय पर निर्देष जारी कर सकेगी और यथास्थिति सभी सोसाइटियां या संबंधित सोसाइटियां ऐसे निर्देषों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी.

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किन्हीं निर्देषों को उपान्तरित या रद्द कर सकेगी, और ऐसे निर्देषों को उपान्तरित या रद्द करने में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह ठीक समझे.

(3) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या समिति, उपधारा (1) या (2) के अधीन किसी सोसाइटी को जारी किये गये किन्हीं निर्देषों या उपान्तरित निर्देषों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी थी ऐसे निर्देषों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण या औचित्य के बिना असफल रहती है या रहता है, वहां रजिस्ट्रार.–

(एक) किसी समिति के मामले में, ऐसी समिति के विरूद्ध कार्यवाही धारा 53 के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा; और

(दो) किसी व्यक्ति के मामले में यदि वह व्यक्ति सोसाइटी की समिति का सदस्य है या सोसाइटी का कोई कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही यथास्थिति धारा 53–ख के उपबंधों के अनुसार या धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन विरचित नियमों के अनुसार कर सकेगा;

परन्तु ऐसे निर्देष जिनमें सोसाइटी की वित्तीय हानि अंतर्वलित है, ऐसी सोसाइटी की समिति की है, और जहां आवष्यक हो वहां राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की पूर्व सहमति से ही, और साथ ही साथ ऐसी हानियों का पूरी तरह से प्रतिकार करने हेतु सम्यक् रूप से उपबंध और अग्रिम आबंटन करने के पश्चात् ही दिये जाएंगे.

विनियम बनाने के निदेष देने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

49—घ (1) यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और उसमें सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए, यह आवष्यक है कि उसके व्यापार या कामकाज करने की रीति का विनियमन किया जाए तो वह, इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी सोसाइटी को निर्देष दे सकेगा कि वह उस निमित्त विनियम बनाए और उन्हें अनुमोदन हेतु उसके पास भेजे.

(2) सोसाइटी द्वारा बनाये गये विनियमों के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार उन्हें उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगा. ऐसे विनियमों के अनुमोदित हो जाने पर, वह सोसाइटी अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करेगी.

(3) यदि कोई सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन निदेषित किये जाने पर, से विनियम उस तारीख से, जिसको ऐसा निदेष दिया गया है, तीन मास की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे विनियम स्वयं बनाएगा या बनवाएगा और उस सोसाइटी से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करे और तदुपरि वह सोसाइटी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी.

कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति.

49—ड. (1) (क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी शीर्ष सोसाइटी के लिए, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंषपूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है, प्रथम वर्ग के अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रबंध संचालक होगा जिसका चयन राज्य स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, शीर्ष सोसाइटी का अध्यक्ष, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी के बोर्ड द्वारा या नामनिर्दिष्ट एक

संचालक होगा;

परन्तु यदि समिति, प्रबंध संचालक का चयन सर्वसम्मति से करने में असफल रहती है तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिष्चय उस पर अंतिम होगा;

(ख) प्रबंध संचालक समिति का पदेन सदस्य होगा.

(2) (क) प्रत्येक केन्द्रीय सोसाइटी के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंषपूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या उधारों डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिये हैं, वहां द्वितीय श्रेणी अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का एक प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक होगा जो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और समिति का पदेन सदस्य होगा;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति.–

(एक) धारा 54 के अधीन संधारित संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी, यदि ऐसा संवर्ग सृजित किया गया है;

(दो) अन्य दषाओं में,रजिट्रार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगीः

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं.

विषेष साधारण सम्मिलन.

50 (1) समिति, किसी भी समय, सोसाइटी का विषेष साधारण सम्मिलन बुला सकेगी और वह रजिस्ट्रार के या सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों से लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर ऐसा सम्मिलन बुलायेगी.

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई अध्यपेक्षा के अनुसार किसी सोसाइटी का विषेष साधारण सम्मिलन नहीं बुलाया जाय तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह ऐसा सम्मिलन बुलाये और उस सम्मिलन के संबंध में यह समझा जायगा कि वह समिति द्वारा

बुलाया गया सम्मिलन है.

(2—क) जहां कोई ऐसा आफिसर, जिसका कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ऐसा सम्मिलन बुलाने का कर्त्तव्य था, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसा सम्मिलन बुलाने में चूक करे, वहां रजिस्ट्रार, आदेष द्वारा, ऐसे आफिसर को समिति का सदस्य होने के लिए सात वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिये, जिसे कि वह ऐसे आदेष में विनिर्दिष्ट करे, निरर्हित घोषित कर सकेगा और उस आफिसर पर, यदि वह आफिसर सोसाइटी का कर्मचारी हो, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, पांच हजार रूपये से अधिक न हों:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेष तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(3) किसी विषेष साधारण सम्मिलन के समक्ष के विषयों में, धारा 49 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त विषय या उनमें से कोई विषय सम्मिलित हो सकेगा.

सोसाइटी की समिति या प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए निरर्हता.

50—क (1) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य, प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति, किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिए जो उसने ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया है, बारह माह से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहता है.

(1—क) कोई भी व्यक्ति, प्रतिनिधि, प्रत्यायुक्त या समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिये अर्हित नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो.

(1—ख) उपधारा (1—क) में उल्लेखित पद पर निर्वाचित कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जाएगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाता है जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है.

(2) कोई भी व्यक्ति समिति, सोसाइटी के प्रतिनिधियों या प्रत्यायुक्तों के किसी निर्वाचन में मत देने के लिए हकदार नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति, किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिए जो उसने ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया है, बारह मास से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहता है.

कार्यों का विधिमान्यकरण.

51 किसी सोसाइटी या किसी समिति या किसी अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण से कि उस सोसाइटी या समिति की प्रक्रिया में या उसके गठन में या ऐसे अधिकारी की नियुक्ति या निर्वाचन में कोई त्रुटि विद्यमान हैं, अथवा इस आधार पर कि ऐसा अधिकारी अपनी नियुक्ति के लिये निरर्हित था, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा.

सरकारी नामनिर्देषितियों को नियुक्त करने की शक्ति.

52 (1) जहां राज्य सरकार ने.—

(क) किसी सोसाइटी की अंषपूंजी के प्रति अभिदाय किया हो; या

(ख) किसी सोसाइटी को अंषपूंजी का गठन करने में या उसकी अंषपूंजी में वृद्धि करने में धारा 45 में उपबंधित किये गये अनुसार परतः सहायता की हो; या

(ग) मूलधन के प्रतिसंदाय को तथा किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों पर ब्याज के संदाय को प्रत्याभूत किया हो; या

(घ) मूलधन के प्रतिसंदाय को तथा किसी सोसाइटी को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के सदाय को प्रत्याभूत किया हो;

वहां राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये किसी प्राधिकारी को ऐसी सोसाइटी की समस्त समितियों में या उनमें से किसी समिति में चार से अनधिक उतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे, नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सोसाइटी की समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी की विहित की जाय/जायें पद धारण करेगा.

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे किसी सोसाइटी की समिति में उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया हो,

ऐसी समिति में एक मत देने का अधिकार होगाः

परन्तु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सोसाइटी की समिति के पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार नहीं होगा.

(4) जब सरकार ने किसी सोसाइटी की अंषपूंजी में अभिदाय किया हो या उस सोसाइटी को तीन लाख रूपये या उससे अधिक के दिये गये उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिसंदाय तथा उस पर के ब्याज के संदाय को प्रत्याभूत किया हो और सोसाइटी ने अपने स्वामित्व की पूंजी के पच्चीस प्रतिषत या उससे अधिक की हानि उठाई हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्यों में से एक सदस्य को सोसाइटी की समिति के सभापति के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी तथा नामनिर्दिष्ट किए गये सदस्यों में से एक को सोसाइटी के प्रबंध निदेषक/ महाप्रबंधक/प्रबंधक के रूप में भी नियुक्त कर सकेगी.

समिति में स्त्री सदस्यों का प्रतिनिधित्व.

52–ख यदि राज्य सरकार की राय मे यह आवष्यक हो कि ऐसी सोसाइटी की या ऐसे वर्ग की सोसाइटीयों की, जिन्हें/जिसे कि वह (राज्य सरकार) साधारण या विषेष आदेष द्वारा विनिर्दिष्ट करें, समिति मे स्त्री सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह (राज्य सरकार) ऐसी सोसाइटी को यह निर्देष दे सकेगी कि वह अपनी समिति में स्त्रियों के लिए स्थान के आरक्षण की व्यवस्था करेंः

परन्तु इस प्रकार आरक्षित रखे गये स्थानों की संख्या ऐसे समिति में चार से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि सोसाइटी के अपने समिति में अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्य निर्वाचित करने में असफल रहने से या ऐसी संख्या से कम संख्या में स्त्री सदस्यों को निर्वाचित करने की दषा में, समिति के शेष सदस्य, ऐसी सोसाइटी के उन स्त्री सदस्यों में से, जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को सहयोजित करेंगे और अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को सहयोजित करने में समिति के असफल रहने की दषा में रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के स्त्री सदस्यों मे से, जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को नाम–निर्देषित करेगा।

समिति का अतिष्ठान. 53 (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सोसाइटी की समिति,–

(क) इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी विधिपूर्ण आदेष द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्त्तव्यों का पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए रजामन्द नहीं है; या

(ख) ऐसे कार्य करती है जो उस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हैं; या

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेष का अतिक्रमण करती है;

तो रजिस्ट्रार, लिखित आदेष द्वारा, उस समिति को हटा सकेगा और ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो प्रथमतः दो वर्ष से अधिक नही होगी किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को इस हेतु से नियुक्त कर सकेगा कि वे उस सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करें:

परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, अतिष्ठान का आदेष रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्ष किये बिना नहीं दिया जायेगाः

परन्तु यह और भी कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विचार अन्तर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्ष चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के पैंतालिस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेष, जैसा कि उचित समझा जाय, पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा.

परन्तु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, यदि रिजर्व बैंक लोकहित में ऐसा अपेक्षित करे या सहकारी बैंक के क्रियाकलापों का ऐसी रीति में संचालित किया जाना निवारित करने के लिए जो निक्षेपकर्त्ताओं के हितों के लिए अपायकर हो, या किसी सहकारी बैंक

का प्रबंध उचित रीति में किया जाना सुनिष्चित करने के लिए रजिस्ट्रार, उसकी समिति या प्रबंध निकाय के, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, अतिष्ठान के लिए तथा उसके लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो समय–समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाय, प्रषासक की नियुक्ति के लिए आदेष पारित करेगा और ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (4), (5), (6) तथा (8) के उपबंधों इस प्रकार लागू होंगे मानों कि आदेष उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये हों.

परन्तु यह भी कि यदि किसी प्राथमिक सोसाइटी की समिति में किसी अषासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वह उस सोसाइटी के उन सदस्यों में से होगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं और केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी की दषा में, यदि कोई व्यक्ति ऐसी सोसाइटी की समिति में नियुक्त किया जाता है तो वह उसकी संबद्ध सोसाइटियों में से किसी सोसाइटी का ऐसा सदस्य होगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए हकदार हो.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेष तब तक पारित नही किया जायेगा जब तक कि उस समिति को अभिकथनों, दस्तावेजों तथा उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्षियों की एक सूची तथा प्रस्थापित आदेष के विरूद्व कारण दर्षाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेष में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि, रजिस्ट्रार के विवेकानुसार, समय–समय पर बढ़ाई जा सकेगी.

परन्तु कोई भी ऐसा आदेष कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा.

(4) इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के तथा ऐसे अनुदेषों के, जो वह समय–समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, समिति की या सोसाइटी के किसी अधिकारी को समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने तथा उसके समस्त कृत्यों या उनमें से किसी कृत्य का निर्वहन करने और समस्त ऐसी कार्यवाहियां, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हैं, करने की शक्ति होगी.

(5) रजिस्ट्रार वह पारिश्रमिक नियत कर सकेगा जो इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को देय हों, ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा उस सोसाइटी के प्रबन्ध में किये गये अन्य खर्चे यदि कोई हो, उसकी निधियों में से देय होंगे.

(6) इस प्रकार नियुक्त किया गया/किये गये व्यक्ति, अपनी नियुक्ति की कालावधि का अवसान हो जाने के पूर्व उस सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार नवीन समिति के गठन के लिए व्यवस्था करेगा/करेंगे.

(7) किसी वित्तदायी बैंक के संबंध में या किसी ऐसी सोसाइटी, जो किसी वित्तदायी बैंक की ऋणी हो, के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व, रजिस्ट्रार, पूर्वकथित मामले में, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित से और, पश्चात् कथित मामले में, संबंधित वित्तदायी बैंक से ऐसी कार्यवाही के संबंध में परामर्ष करेगा. यदि यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या वित्तदायी बैंक अपने विचार उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्ष चाहा गया हो, ऐसे बैंक को प्राप्त होने के पैंतालिस दिन के भीतर संसूचित न करे, तो यह उपधारणा की जायगी कि यथास्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या संबंधित वित्तदायी बैंक प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत है.

(8) धारा 48, 49 तथा 50 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में सोसाइटी के साधारण निकाय तथा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच कोई मतभेद हो तो वह मामला विनिष्चय के लिए रजिस्ट्रार को निर्देषित किया जायगा और उस पर उसका विनिष्चय अन्तिम होगाः

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, साधारण निकाय के सम्मिलन के तीन मास के भीतर कोई विनिष्चय करने में असफल रहता है तो सोसाइटी के साधारण निकाय का विनिष्चय अन्तिम होगा.

(9) इस धारा में की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायगा कि वह सोसाइटी के परिसमापन का निदेष देने की रजिस्ट्रार की शक्ति पर प्रभाव डालती है.

(10) सूचना के जारी किये जाने तथा समिति को हटाये जाने के आदेष पारित किये जाने के बीच की कालावधि के दौरान, रजिस्ट्रार द्वारा समिति से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी के, जिसे कि रजिस्ट्रार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, पर्यवेक्षण के अधीन तथा उसके अनुमोदन से कृत्य करे और समिति द्वारा किया गया कोई भी आदेष या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा

जब तक कि वह ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय;

परन्तु जहां उपधारा (2) के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होते हुए रजिस्ट्रार की यह राय हो कि कार्यवाही की कालावधि के दौरान समिति का निलंबन सोसाइटी के हित में आवष्यक है, तो वह समिति को निलंबित कर सकेगा, जो (समिति) तदुपरांत कार्य करने से परिविरत हो जायगी, और ऐसा इन्तजाम कर सकेगा जैसा कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही पूरी होने तथा आदेष जारी होने तक सोसाइटी के कामकाज के प्रबंध के लिए वह उचित समझेः

परन्तु यह और भी कि निलम्बन की कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी और उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर समिति का निलम्बन प्रतिसंहृत हो जायगा;

परन्तु यह भी कि यदि इस प्रकार निलम्बित समिति का अतिष्ठान ऊपर वर्णित कार्यवाहियों के किए जाने के पश्चात् नहीं किया जाता तो उसे पुनः स्थापित किया जाएगा और उस कालावधि की, जिसके दौरान वह निलम्बित रही है, गणना उसके कार्यकाल के प्रति नहीं की जाएगी.

परन्तु यह भी कि कोई निलम्बन आदेष तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सोसाइटी की समिति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(11) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, नगरीय सहकारी बैंकों तथा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में, यदि निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों में वसूली मांग के 60 प्रतिषत से कम है या अतिषोध्य (ओवरड्यूज) 40 प्रतिषत से अधिक है, उस बैंक की समिति या प्रबन्ध समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, हटाये जाने के लिए तथा कुल मिलाकर पांच वर्ष के अनधिक ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उसके हेतु किसी प्रषासक की नियुक्ति के लिए आदेष देगा तथा ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (4), (5) तथा (6) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों कि आदेष उपधारा (1) के अधीन दिया गया थाः

परन्तु कोई भी ऐसा आदेष तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि समिति को प्रस्थापित आदेष के

विरूद्ध कारण दर्षाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

(12) जब किसी सोसाइटी की समिति को उपधारा (1) के अधीन अतिष्ठित कर दिया गया है तो उस समिति का कोई सदस्य, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या उस सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सात वर्ष की कालावधि तक उस सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा और न ही उसमें सहयोजन या नामनिर्देषन के लिए पात्र होगा;

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य को लागू नहीं होगी जो कि समिति के ऐसे विनिष्चय का जिससे उसका अधिक्रमण हुआ हो पक्षकार नहीं था.

(13) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी सोसाइटी की, उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सोसाइटी की समिति किसी न्यायालय के आदेष के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिविरत हो जाय, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिये किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों की समिति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेष बातिल न कर दिया जाय या नवीन निर्वाचन न हो जाय तथा समिति कार्यभार ग्रहण न कर लें.

कार्य भार ग्रहण किया जाना.

53—क (1) यदि,—

(एक) किसी सोसाइटी की समिति, धारा 49 के अधीन सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में पुनर्गठित की जाती है; या

(दो) किसी सोसाइटी की समिति के कार्यकाल का धारा 49 की उपधारा (7—क) के अधीन अवसान हो जाती है; या

(तीन) किसी सोसाइटी की समिति, धारा 53 के अधीन हटा दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है या कृत्य करने से परिविरत हो जाती है; या

(चार) सोसाइटी की धारा 69 के अधीन परिसमापन किये जाने का आदेष किया जाता है,

तो यथास्थिति समिति सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगण द्वारा कार्यभार.—

(क) ऊपर (एक) की दषा में, साधारण सम्मिलन में समिति के निर्वाचन की तारीख से;

(ख) ऊपर (दो) की दषा में, धारा 49 की उपधारा (7—क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी आदेष की तारीख से:

(ग) ऊपर (तीन) की दषा में, रजिस्ट्रार के उस आदेष की तारीख से जिसके द्वारा उसे/उन्हें सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया है; और

(घ) ऊपर (चार) की दषा में, रजिस्ट्रार के उस आदेष की तारीख से जिसके द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है:

ग्रहण करेगा/करेंगे और समिति के बहिर्गामी सदस्यों के लिये यह आबद्धकर होगा कि वे सोसाइटी के अभिलेखों और सम्पत्ति का प्रभार, ऐसे कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को इसमें उपबंधित तारीख को सौंप दें.

(2) उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति समिति या सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायगा कि उसने अपने पद का कार्यभार उपधारा (1) में वर्णित तारीख से ग्रहण कर लिया है, चाहे ऐसा कार्यभार वस्तुतः सौंपा गया हो या न सौंपा गया हो.

कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

53—ख (1) यदि रजिस्ट्रार की राय में, सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किसी सोसाइटी की उपविधियों द्वारा उनके/उसके अधीन अधिरोपित किये गये अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा की है या अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाई है, तो रजिस्ट्रार, किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाई पर, जो कि उसके विरूद्ध की जाय या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सोसायटी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी को उसके द्वारा धारित पद से किसी विनिर्दिट कालावधि से हटा दे और जहां आवष्यक हो ष्वहां से उस सोसायटी के अधीन कोई पद धारण करने के लिये तीन वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिये निहर्रित कर दे, तदन्तर सोसायटी संबंधी अधिकारी को सोसायटी संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेष पारित करेगी जैसे कि वह उचित समझे.

(2) सेसायटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही न कि जाने पर, रजिस्ट्रार उस अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तथा ऐसे कारणों से, जो कि अभिलिखित किये जायेगे एवं संबंधित अधिकारी एवं सोसायटी को संसूचित किये जायेगे, उस अधिकारी को हटा सकेगा या हटाने के साथ ही साथ उस आदेष में

विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि तक के लिये उस सोसायटी के अधीन कोई पर धारण करने के लिये तीन वर्ष से अनधित कालावधि तक के लिये निरर्हित कर सकेगा.

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन हटाया गया अधिकारी उस आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से उस पद का धारणकर्त्ता नहीं रह जाएगा और यदि वह निरर्हित कर दिया गया हो तो वह इस बात के लिए पात्र नहीं होगा कि वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट की काई कालावधि के दौरान उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करें।

प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.

54. (1) कोई भी सोसाइटी किसी प्रबंधक, सचिव, लेखापाल या किसी भी अन्य वैधानिक अधिकारी को तब तक नियुक्त नहीं करेगी जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं न धारण करता हो जैसी कि विहित की जायं.

(2) शीर्ष सोसाइटियां तथा केन्द्रीय सोसाइटियां आफिसरों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग (काडर) बनाये रखेंगी जिसका कि राज्य सरकार, आदेष द्वारा, निदेष दे और ऐसे संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि रजिस्ट्रार, आदेष द्वारा अवधारित करे.

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन सोसाइटियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो कि उपधारा (2) के अधीन शीर्ष सोसाइटियों या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा बनाये गये ऐसे संवर्गों में से, जैसे कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किये जायं, आफिसरों को नियोजित करेंगी और उन सोसाइटियों के वर्ग के लिए यह बाध्यताकारी होगा कि वह ऐसे संवर्ग के अधिकारियों को जब कभी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाय, स्वीकार करे तथा उन्हें उन संवर्ग पदों पर नियुक्त करें.

सोसाइटियों में के नियोजनों की शर्तों का अवधारण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

55 (1) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी में के या किसी वर्ग की सोसाइटियों में के नियोजन के निबन्धनों तथा शर्तों को शासित करने वाले नियम समय–समय पर बना सकेगा और वह सोसाइटी या उस वर्ग की सोसाइटियां जिनको/ जिसको कि नियोजन के ऐसे निबंधन तथा शर्तें लागू होती हों, उस आदेष का पालन करेंगी/करेगी जो कि उस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाय.

(2) जहां कोई ऐसा विवाद, जिसमें नियोजन, के निबंधनों, कामकाज की शर्तें तथा किसी सोसाइटी द्वारा की गई अनुषासनिक कार्यवाही से संबंधित विवाद है, किसी सोसाइटी तथा उसके कर्मचारियों के बीच उठे, वहां उस विवाद का विनिष्चय रजिस्ट्रार या ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो सहायक रजिस्ट्रार से निम्न पद श्रेणी का न हो, किया जायगा और उसका विनिष्चय उस

सोसाइटी तथा उसके कर्मचारियों को आबद्धकर होगा.

परन्तु रजिस्ट्रार या ऊपर निर्दिष्ट किया गया अधिकारी उस विवाद को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह (विवाद) उस आदेश को, जिसका कि आक्षेप किया जाना चाहा गया है, तारीख से तीस दिन के भीतर उसके समक्ष पेष न किया जायः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में, आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा.

बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

56 (1) प्रत्येक सोसाइटी ऐसे अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा–पुस्तकें बनाये रखेगी तथा रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां देगी जिनकी कि उसके द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाय.

(2) प्रत्येक सोसाइटी किसी अधिकारी या कर्मचारी पर इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व निरोपित करेगी कि वह ऐसे अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा–पुस्तकें बनाये रखे और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार आदेश द्वारा समय–समय पर अपेक्षित करे, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर दें.

(3) यदि सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिस पर कि विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व उपधारा (2) के अधीन निरोपित किया गया हो, अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा–पुस्तकें नहीं बनाये रखता है और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षा करे, विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी के बारे में यह घोषित कर सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के दौरान जैसी कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित रहेगा और यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है तो उस पर ऐसी शास्ति जो पांच हजार रूपये से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय.

अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

57 (1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि.–

(क) किसी सोसाइटी के अभिलेखों, रजिस्टरों या लेखा–पुस्तकों का बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है तथा किसी सोसाइटी की निधियों एवं संपत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोजन किया जाना संभाव्य है; या

(ख) उस दषा में, जब कि किसी सोसाइटी की समिति उस सोसाइटी के साधारण अधिवेषन में पुनर्गठित की गई हो अथवा सोसाइटी की समिति रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53 के अधीन हटा दी गई हो अथवा धारा 69 के अधीन सोसाइटी का समापन कर दिया जाने का आदेष दिया गया हो, समिति के बहिर्गामी सदस्य सोसाइटी के अभिलेख तथा उसकी संपत्ति का भार उन व्यक्तियों को, जिन्हें कि ऐसा भार लेना हो या जो ऐसा भार प्राप्त करने के लिए हकदार है, सौंपने से इन्कार करते हैं;

वहां रजिस्ट्रार उस व्यक्ति को, जो कि उसके द्वारा लिखित में सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो उस सोसाइटी की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों एवं सम्पत्ति को अभिग्रहित करने तथा कब्जे में लेने का निदेष देते हुए, आदेष जारी कर सकेगा और उस सोसाइटी का वह अधिकारी या जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उनका परिदान उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, कर देगा/देंगे.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आदेषों का अनुपालन सुनिष्चित करने के लिए, रजिस्ट्रार ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए, ऐसे न्यूनतम बल का उपयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जैसा कि आवष्यक समझा जाय.

अभिलेख तथा संपत्ति का कब्जा लेना.

57–क (1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों का दबा दिया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना, या किसी सोसाइटी की निधियों तथा संपत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहां रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी कि अधिकारिता के भीतर सोसाइटी कार्य कर रही हो, सोसाइटी के अभिलेखों तथा संपत्ति का अभिग्रहण करने तथा कब्जा लेने के लिए आवेदन कर सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, वह मजिस्ट्रेट उप–निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान में, जहां कि वे अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी हुई हो या जहां कि उन अभिलेखों तथा सम्पत्ति का रखा जाना संभाव्य हो, प्रवेष करे, और उसकी तलाषी ले तथा उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को सौंप दे.

छठवां अध्याय – संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

संपरीक्षा तथा संपरीक्षा फीस.

58 (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार प्रत्येक सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उसने, साधारणतया विषेष आदेष द्वारा, लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया हो,

करवायेगा और ऐसी सोसाइटी से ऐसी फीस वसूल करेगा जो कि विहित की जाय ;
परन्तु.–

(एक) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, सोसाइटियों के किसी वर्ग को छूट दे सकेगी;

(दो) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी को इस उपधारा के अधीन फीस या उसके भाग के भुगतान से छूट दे सकेगा.

परन्तु यह और भी कि कोई केन्द्रीय सोसाइटी या कोई शीर्ष सोसाइटी या कोई नगरीय सहकारी बैंक अपने लेखाओं की संपरीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करवा सकेगी.

परन्तु यह भी कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की षिकायत होती है तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विषेष संपरीक्षा हेतु आदेष दे सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन की संपरीक्षा में लेखाओं की तथा अतिषोध्य ऋणों की, यदि कोई हो, परीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के अधीन दिए गए अनुदेषों तथा आदेषों का अनुपालन की परीक्षा रोकड़ बाकी तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मदें जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं.

(3) रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समयों पर सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज–पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे में कोई ऐसे पुस्तक, लेखे, दस्तावेजें, कागज–पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हो, या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हो, उन्हें उस सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर पेष करने के लिए समन कर सकेगा.

(4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी की रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति किया अपेक्षित करे.

संपरीक्षा बोर्ड.

58—क किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग की संपरीक्षा तथा उसके पर्यवेक्षण का संचालन करने के प्रयोजन से, राज्य सरकार एक संपरीक्षा बोर्ड का गठन कर सकेगी जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इन शक्तियों का प्रयोग संपरीक्षा बोर्ड, रजिस्ट्रार को अपवर्जित करते हुए करेगा.

किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया.

58—ख (1) इस अधिनियम या नियमों में या किसी सोसाइटी की उप विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उसकी अंषपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों, डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिया है और यदि किसी सोसाइटी की संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण या परिसमापन के दौरान या अन्यथा यह पाया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबंध का कार्य सौंपा गया है, या सौंपा गया था, या समिति के किसी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान सभापति, सचिव, सदस्य, सोसाइटी के अधिकारी या कर्मचारी ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या किसी सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भुगतान किया है या घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी घटित की है या कोई हानि पहुंचाई है या ऐसी सोसाइटी के किसी धन या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग किया है या उस धन या अन्य सम्पत्ति को कपटपूर्वक रख छोड़ा है, तो रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या समिति, समापक या किसी लेनदार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच यथास्थिति, संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट की तारीख के दो वर्ष के भीतर स्वयं कर सकेगा या अपने द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को इस संबंध में लिखित आदेष द्वारा यह निदेष दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच, यथास्थिति संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण या परिसमापन की रिपोर्ट की तारीख के दो वर्ष के भीतर करेः

परन्तु किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी जांच तब तक संस्थित नही की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गई जांच पर, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि इस उपधारा के अधीन आदेष देने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से या, किसी मृत व्यक्ति की दषा में, उसके विधिक प्रतिनिधि से जो कि उसकी सम्पदा विरासत में प्राप्त करे, यह अपेक्षा करते हुए आदेष कर सकेगा कि वह ऐसी दर से, जैसी कि रजिस्ट्रार न्यायसंगत तथा सम्यक् समझें, संगणित किये गये ब्याज सहित उस धन या संपत्ति या उसके किसी भाग का प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करे या अभिदाय खर्चो का प्रतिकर या भुगतान ऐसी सीमा तक करे जैसी कि रजिस्ट्रार न्यायसंगत तथा साम्यिक् समझें:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेष तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु यह और भी कि मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति, जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो, की सीमा तक ही होगा.

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेष से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे आदेष संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकरण को राज्य सरकार को अपील कर सकेगा:

परन्तु परिसीमाकाल की संगणना करने में, उस आदेष की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा.

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किया गया कोई आदेष धारा 85 के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तित किया जाएगा.

(5) यदि शपथ पत्र या जांच के आधार पर या अन्यथा रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आदेष के, जो इस धारा के अधीन उसके विरूद्ध किया जा सकता है, प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा पहुंचाने के आषय से.—

(क) अपनी सम्पूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने वाला है; या

(ख) अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है.

तो वह, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी गई हो, उक्त संपत्ति की या उसके ऐसे भाग की, जिसे वह आवष्यक समझे, सषर्त कुर्की का निर्देष दे सकेगा.

जांच. 59 (1) रजिस्ट्रार.–

(एक) किसी ऐसी सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी संबद्ध है; या

(दो) किसी ऐसे लेनदार, जिसकी सोसाइटी ऋणी है; य

(तीन) समिति के कम से कम एक–तिहाई सदस्यों; या

(चार) सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक–दषमांष सदस्यों;

के आवेदन पर या आवेदन पत्र में उठाए गए सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के संबंध में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार, आवेदक या आवेदकों से केवल ऐसी फीस, जो विहित की जाए और जो जांच को संचालित करने के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाए, प्राप्त होने के पश्चात् ही किसी जांच के आदेष करेगा.

(3) ऐसी जांच, जांच के आदेष होने की तारीख से चार मास की कालावधि के भीतर पूरी की जाएगी.

(4) रजिस्ट्रार, जांच पूरी होने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर, जांच की रिपोर्ट.–

(एक) संबंधित सोसाइटी को;

(दो) आवेदकों या ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(तीन) सोसाइटी के किसी सदस्य को;

(चार) ऐसे परिसंघ को, जिसकी कि सोसाइटी सदस्य है;

(पांच) लेनदार को;

उसके द्वारा विहित फीस का संदाय किये जाने पर, संसूचित करेगा.

जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्त्तव्य. 59–क (1) सोसाइटी के समस्त अधिकारी, सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य, जिनके कि संबंध में जांच की जा रही हो, तथा कोई अन्य व्यक्ति जो जांच करने वाले अधिकारी की राय में, सोसाइटी से संबंधित जानकारी, पुस्तकों तथा कागज–पत्रों का कब्जा रखे हुए हों, जांच करने वाले अधिकारी को ऐसी जानकारी, जो कि उनके कब्जे में हो, देंगे तथा सोसाइटी से संबंधित समस्त पुस्तकें एवं कागज–पत्र, जो उनकी अभिरक्षा में हों तथा उनकी शक्ति

के अधीन हों, पेष करेंगे तथा जांच के संबंध में अन्य प्रकार से वह समस्त सहायता देंगे जो कि वे युक्तियुक्त रूप से दे सकते हों.

(2) यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कि रजिस्ट्रार द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे कागज–पत्र, जिन्हें पेष करना उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति का कर्त्तव्य है, पेष करने से इन्कार करे या किसी ऐसे प्रष्न का जो कि उससे रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा किया जाय, उत्तर देने से इन्कार करे, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस इन्कार को प्रमाणित कर सकेगा और रजिस्ट्रार कोई ऐसा कथन, जो कि प्रतिवाद में दिया जाय, सुनने के पश्चात् व्यतिक्रमी को शास्ति से, जो एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगी, दण्डित कर सकेगा. इस धारा के अधीन शास्ति के रूप में अधिरोपित की गई कोई राषि, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार वसूली होगी मानों कि वह स्वयं उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो.

सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण.

60 (1) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी सोसाइटी के लेनदार का आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लिखित साधारण या विषेष आदेष द्वारा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिए निर्देष दे सकेगाः

परन्तु कोई भी ऐसा निरीक्षण, लेनदार के आवेदन–पत्र पर से तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक.–

(क) रजिस्ट्रार का यह समाधान न कर दे कि ऋण वह राषि है जो तभी शोध्य है और यह कि उसने उसके भुगतान की मांग की है तथा युक्तियुक्त समय के भीतर चुकारा (सेटिस्फेक्षन) प्राप्त नहीं किया है; और

(ख) प्रस्थापित निरीक्षण के खर्चे के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राषि, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित

करे रजिस्ट्रार के पास निक्षिप्त न कर दे.

(2) रजिस्ट्रार किसी ऐसे निरीक्षण के परिणाम.—

(क) जहां वह निरीक्षण उसकी स्वप्रेरणा से किया गया हो, वहां सोसाइटी को; और

(ख) जहां निरीक्षण किसी लेनदार के आवेदन पर किया गया हो, वहां उस लेनदार को तथा सोसाइटी को संसूचित करेगा.

त्रुटियों की परिषुद्धि. 61 (1) यदि धारा 58 के अधीन की गई संपरीक्षा या धारा 59 के अधीन की गई किसी जांच या धारा 60 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण या उसकी वित्तीय स्थिति या उसकी लेखा पुस्तकों में कोई त्रुटियां प्रकट हों तो रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटियां उस सोसाइटी की जानकारी में ला सकेगा और यदि वह सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी से सम्बद्ध हो तो उस अन्य सोसाइटी की जानकारी में भी ला सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों को या उस सोसाइटी को, जिससे कि वह सम्बद्ध हो, यह निदेष देते हुए आदेष कर सकेगा कि वह उन त्रुटियों का, जो कि संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण में प्रकट हुई हो, उपचार करने के लिए ऐसी कार्यवाही, जो कि आदेष में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे समय के भीतर करे, जो कि उस आदेष में उल्लिखित हो.

जांच के खर्चे. 62 जहां धारा 59 के अधीन कोई जांच की जाय या लेनदार के आवेदन पर से धारा 60 के अधीन कोई निरीक्षण किया जाय, वहां रजिस्ट्रार खर्चे या खर्चों का ऐसा भाग, जैसा कि वह उचित समझे, उस सोसाइटी के, जिससे कि संबंधित सोसाइटी सम्बद्ध हो, संबंधित सोसाइटी के जांच या निरीक्षण की, मांग करने वाले सदस्यों या लेनदारों के, तथा सोसाइटी के अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों के बीच प्रभाजित कर सकेगाः

परन्तु.—

(क) खर्चों के प्रभाजन का कोई आदेष इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि उस सोसाइटी या उस व्यक्ति को, जिसे कि उसके (आदेष के) अधीन खर्चों का संदाय करने के लिए दायी बनाना चाहा गया है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो;

(ख) रजिस्ट्रार उन आधारों को, जिन पर कि खर्चों का

प्रभाजन किया गया हो, लिखित में कथित करेगा.

कार्यवाहियों आदि पर व्यय. 63—क सोसाइटी की निधियों में से कोई व्यय, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 19—कक, अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी आदेष के विरूद्ध सोसाइटी के किसी अधिकारी या समिति द्वारा किसी न्यायालय में फाइल या संस्थित की गई किसी कार्यवाही के खर्चों का चुकारा करने के प्रयोजन के लिए उपगत नहीं किया जायगाः

परन्तु जहां मामला यथास्थिति अधिकारी या समिति के पक्ष में अंतिम रूप से विनिष्चित किया जाता है वहां ऐसे खर्च की, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये जाए, सोसाइटी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी.

सातवां अध्याय— विवाद तथा माध्यस्थम

विवाद. 64 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से, किसी सोसाइटी के नियोजन के निबंधन और शर्तो से या किसी सोसायटी के समापन से संबंधित

कोई विवाद, विवाद के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को निर्देषित किया जायगा यदि उसके पक्षकार निम्नलिखित में से हों :—

(क) कोई सोसाइटी, उसकी समिति, कोई भूतपूर्व समिति, कोई भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, कोई भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, कोई भूतर्पव या वर्तमान सेवक या नाम निर्देषिती, , सोसायटी के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत सेवक, का कोई नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि या सोसाइटी का समापक;

(ख) कोई सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सोसाइटी के या किसी ऐसी सोसाइटी के, जो उस सोसाइटी की सदस्य हो, किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की मार्फत् दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(ग) किसी सोसाइटी के सदस्य से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किया गया हो या जिसके साथ सोसाइटी के कारोबारी संव्यवहार हों या थे तथा ऐसे व्यक्ति के मार्फत् दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(घ) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, मृत सदस्य का या किसी सदस्य से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसे सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किया गया हो, प्रतिभू चाहे ऐसा प्रतिभू सोसाइटी का सदस्य हो या न हो;

(ड.) कोई अन्य सोसाइटी या ऐसी किसी सोसाइटी का समापक; और

(च) किसी सोसाइटी का लेनदार;

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विवाद के अन्तर्गत निम्नलिखित आयेगे :—

(एक) किसी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसे ऋण या ऐसी मांग के लिए, जो किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि द्वारा उस सोसाइटी को शोध्य हो, कोई दावा, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया जाय या नहीं;

(दो) किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी के विरूद्ध उस दषा में कोई दावा जबकि सोसाइटी ने किसी ऐसे ऋण या मांग की बाबत, जो की मूल ऋणी के व्यतिक्रम के परिणाम—स्वरूप मूल ऋणी द्वारा सोसाइटी को शोध्य हो, कोई रकम प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया जाय या नहीं;

(तीन) किसी ऐसी हानि के लिए, जो कि किसी सोसाइटी के किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य, किसी अधिकारी, भूतपूर्व अधिकारी या मृत अधिकारी, किसी अभिकर्ता, भूतपूर्व अभिकर्ता या मृत अभिकर्ता, या किसी सेवक, भूतपूर्व सेवक या मृत सेवक, या उसकी भूतपूर्व या वर्तमान समिति द्वारा पहुंचाई गई हो, उस सोसाइटी द्वारा कोई दावा, चाहे ऐसी हानि को स्वीकार किया जाय या नहीं;

(चार) अधिकारों आदि के बारे में कोई प्रष्न जिसमें किसी गृह निर्माण सोसाइटी तथा उसके अभिधारियों या ऐसी सोसाइटी और उसके सदस्यों के बीच अभिघृति अधिकार सम्मिलित है; और

(पांच) सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में या सोसाइटी के या संयुक्त सोसाइटी के प्रतिनिधि के निर्वाचन के संबंध में उठने वाला कोई विवादः

परन्तु रजिस्ट्रार उस कालावधि के, जो कि निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन से प्रारम्भ होकर परिणामों की घोषणा तक की हो, दौरान इस खण्ड के अधीन कोई भी विवाद ग्रहण नहीं करेगा.

(3) यदि कोई ऐसा प्रष्न उद्‌भूत हो कि क्या रजिस्ट्रार को निर्देषित किया गया कोई विवाद, विवाद है तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिष्चय अन्तिम होगा तथा उसे किसी न्यायालय में प्रष्नगत नहीं किया जाएगा.

परिसीमा. 65 (1) इण्डियन लिमिटेषन एक्ट, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 9) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम में किये गये विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उन विवादों को, जो कि नीचे वर्णित है, धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्देषित करने के लिए

परिसीमा कालावधिः

(क) जब विवाद किसी सोसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा शोध्य किसी राषि, जिसके कि अन्तर्गत उस पर का ब्याज भी आता है, की वसूली के संबंध में हो, तब उस तारीख से, जिसको जिसके कि ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाय या जिसको कि वह उस सोसाइटी का सदस्य न रह जाय, छह वर्ष होगी;

(ख) जब विवाद किसी सोसाइटी या उसकी समिति के तथा किसी भूतपूर्व समिति, किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, या भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत सेवक के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, या किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, या किसी मृत सदस्य के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच हो और जब विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार की ओर से किये गये किसी कार्य या कार्यलोप के संबंध में हो, तब उस तारीख से छः वर्ष होगी जिसको कि वह कार्य या कार्यलोप, जिसके कि संबंध में विवाद उद्‌भूत हुआ है, हुआ हो;

(ग) जब विवाद किसी ऐसी सोसाइटी , जिसका कि धारा 69 के अधीन परिसमापन किया जाने का आदेष किया जा चुका हो या जिसके कि संबंध में किसी नामनिर्दिष्ट समिति या व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति धारा 53 के अधीन कर दी गई हो, के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित किसी मामले के बारे में हो, तब यथास्थिति धारा 69 तथा धारा 53 के अधीन जारी किए गए आदेष की तारीख से छह वर्ष होगी;

(घ) जब विवाद किसी सोसाइटी के किसी आफिसर के निर्वाचन के संबंध में हो, तब ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से पैंतालिस दिन होगी.

(2) उपधारा (1) में वर्णित विवादों को छोड़कर जिनका रजिस्ट्रार को निर्देषित किया जाना धारा 64 के अधीन अपेक्षित है, किसी भी अन्य वाद की दषा में परिसीमा काल इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 के उपबंधों द्वारा

इस प्रकार विनियमित होगा मानो वह विवाद एक वाद है और रजिस्ट्रार सिविल न्यायालय है.

(3) उपधारा (1) तथा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी विवाद को परिसीमा कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि आवेदक रजिस्ट्रार का यह समाधान कर देता है कि उस विवाद को ऐसी कालावधि के भीतर निर्देषित न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

विवाद का निपटारा.

66 (1) रजिस्ट्रार, धारा 64 के अधीन विवाद का निर्देष प्राप्त होने पर, उस विवाद को स्वयं विनिष्चित कर सकेगा अथवा निपटाये जाने के हेतु उसे किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अन्तरित कर सकेगा.

(2) जहां कोई विवाद किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी बोर्ड द्वारा निपटाये जाने के लिए उपधारा (1) के अधीन अन्तरित कर दिया गया हो, वहां रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उस विवाद को ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड से किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकेगा और उस विवाद को स्वयं विनिष्चित कर सकेगा अथवा विनिष्चय के हेतु उसे अपने द्वारा नियुक्त किये गये किसी अन्य नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को पुनः अन्तरित कर सकेगा.

(3) किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड का, जिसको कि कोई विवाद विनिष्चय के हेतु इस धारा के अधीन अन्तरित किया गया हो विनिष्चय इस धारा के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रार का विनिष्चय समझा जाएगा.

विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया तथा रजिस्ट्रार, उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की शक्ति.

67 (1) रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के बोर्ड को अन्तर्वर्ती आदेष करने, जिसके कि अन्तर्गत अस्थायी व्यादेष का दिया जाना आता है, की शक्ति होगी. इस शक्ति का प्रयोग करने में, यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कि ऐसे आदेष करने तथा व्यादेष देने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 5) में अधिकथित की गई है.

(2) विवाद की सुनवाई में किसी विधि व्यवसायी द्वारा किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की अनुज्ञा से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं :

परन्तु जहां इस प्रकार अनुज्ञा दे दी जाती है, वहां विवाद का दूसरा पक्षकार इस बात का हकदार होगा कि उसका प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा किया जाय.

(3) यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उन पक्षकारों और साक्षियों के, जो हाजिर होते हैं, साक्ष्य का टिप्पण हिन्दी में अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित किए गए साक्ष्य पर दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा पेष किए गये किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, यथास्थिति विनिष्चय या अधिनिर्णय देगा जो लेखबद्ध किया जाएगा. यदि सम्यक्रूप से समन किया गया आवेदक अनुपस्थित रहता है तो मामला व्यतिक्रम के कारण खारिज किया जा सकेगा. यदि अनावेदक अनुपस्थित रहता है तो मामला एक पक्षीय रूप से विनिष्चित किया जा सकेगा. उन मामलों में जहां तीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं, बहुसंख्या की राय अभिभावी होगीः

परन्तु जहां कोई विवाद, व्यतिक्रम के कारण किसी पक्षकार के विरूद्ध विनिष्चत किया गया है और ऐसा पक्षकार ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार का यह समाधान कर देता है कि उसके उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त हेतुक था, वहां रजिस्ट्रार, विनिष्चय को अपास्त करते हुए आदेष करेगा और मामले में कार्यवाही हेतु एक तारीख नियत करेगा.

अधिनिर्णय के पूर्व कुर्की.

68 जहां यथास्थिति रजिस्ट्रार, किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी बोर्ड का, जो धारा 66 के अधीन कार्य कर रहा है, शपथपत्र या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी निर्देष का कोई पक्षकार किसी ऐसे अधिनिर्णय के, जो कि किया जा सकता है, निष्पादन में विलम्ब करने या बाधा पहुंचाये के आषय से,–

(क) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने वाला है; या
(ख) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को

रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है,

तो रजिस्ट्रार, कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी गई हो उक्त संपत्ति की या उसके ऐसे भाग की, जिसे वह आवष्यक समझे, सषर्त कुर्की अपने द्वारा प्राधिकृत किए गये ऐसे अभिकरण, जिसे वह उचित समझे द्वारा की जाने का निर्देष दे सकेगा और ऐसी कुर्की का इसी प्रकार प्रभाव होगा मानो वह सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गई हो,

आठवां अध्याय– समापन

सोसाइटियों का परिसमापन.

69 (1) यदि, धारा 59 के अधीन जांच की जा चुकने या धारा 60 के अधीन निरीक्षण किया जा चुकने के पश्चात् या किसी सोसाइटी के कम से कम तीन–चौथाई सदस्यों द्वारा किये गये आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार की यह राय हो कि सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिये, तो वह उसका परिसमापन कर दिया जाने का निदेष देते हुए आदेष जारी कर सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से, किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निदेष देते हुए आदेष कर सकेगा.–

(क) जहां उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसाइटी ने कार्य करना बन्द कर दिया हो; या

(ख) जहां रजिस्ट्रार की राय में वह सोसाइटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य करती रही हो; या

(ग) जहां उस सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन की किन्हीं ऐसी शर्तों का, जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हों, अनुपालन करना बन्द कर दिया हो या

(घ) जहां कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी सदस्यों से अपनी पूरी अतिषोध्य मांग लगातार तीन सहकारी वर्षों तक वसूल न करके व्यतिक्रम करती रहे तथा अतिष्ठान के पश्चात् भी वह सोसाइटी पूरी अतिषोध्य मांग वसूल करने में असफल रहे.

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेष तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रस्थापित आदेष के विरूद्ध कारण दर्षाने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित सोसाइटी को न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो.

(4) रजिस्ट्रार, किसी सोसाइटी के परिसमापन संबंधी किसी आदेष को, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द होने के पूर्व किसी भी समय, उस दषा में रद्द कर सकेगा जबकि, उसकी राय में, उस सोसाइटी का अस्तित्व में बना रहना आवष्यक है.

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सहकारी बैंक का परिसमापन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जायगा अन्यथा नहीं.

सहकारी बैंक का परिसमापन. 69—क इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेष करेगा, यदि डिपाजिट इन्श्योरेन्स एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेषन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) की धारा 13 डी में वर्णित परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय.

बीमाकृत बैंक एक मामले में डिपाजिट इन्षोरेन्स कारपोरेषन की प्रतिपूर्ति.

69–ख जहां किसी ऐसे सहकारी बैंक का, जो कि डिपाजिट इन्ष्योरेन्स कारपोरेषन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, परिसमापन कर दिया गया हो या जो समापनाधीन कर दिया गया हो और डिपाजिट इन्ष्योरेन्स कारपोरेषन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं के प्रति, उस एक्ट की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन दायित्वाधीन हो गया हो, वहां डिपाजिट इन्ष्यारेन्स कारपोरेषन को उन परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति उस सीमा तक तथा उस रीति में की जायेगी जो कि डिपाजिट इन्ष्योरेन्स कारपोरेषन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) की धारा 21 में उपबंधित है.

समापक की नियुक्ति.

70 (1) जहां रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी के परिसमापन के लिए धारा 69 के अधीन कोई आदेष किया हो, वहां वह उस प्रयोजन के लिए एक समापक नियुक्त कर सकेगा तथा उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो, किसी भी समय हटा भी सकेगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगाः

परन्तु किसी ऐसे सहकारी बैंक के संबंध में, जिसका कि रिजर्व बैंक की अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर परिसमापन किया जाने के लिए आदेष दिया गया हो, समापक को रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना न तो नियुक्त किया जाएगा और न हटाया जाएगा.

(2) कोई समापक, नियुक्त हो जाने पर, ऐसी समस्त सम्पत्ति, चीजबस्त तथा उन अनुयोज्य दावों को, जिनके लिए कि सोसाइटी हकदार हो या हकदार प्रतीत होती हो, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजबस्त तथा दावों की हानि या उनके क्षय या उनको होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ऐसे उपाय करेगा जैसे कि वह आवष्यक या समीचीन समझे.

(3) जहां कोई अपील धारा 78 के अधीन की जाय, वहां किसी सोसाइटी के परिसमापन का धारा 69 के अधीन किया गया आदेष तत्पष्चात तब तक प्रवर्तित नहीं किया जायगा जब तक कि आदेष की पुष्टि अपील में न कर दी जायः

परन्तु समापक उपधारा (2) में वर्णित सम्पत्ति, चीजबस्त तथा अनुयोज्य दावों के अभिरक्षा में रखे रहेगा या उन पर नियंत्रण बनाये रखेगा और उसे वे उपाय करने का प्राधिकार होगा जो कि उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किये गये हैं.

(4) जहां किसी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेष अपील में अपास्त कर दिया जाय, वहां उस सोसाइटी की सम्पत्ति, चीजबस्त तथा अनुयोज्य दावे उस सोसाइटी में पुनर्निहित हो जायेंगे.

समापक का नियंत्रण. 70—क समापक की नियुक्ति के पश्चात्, किसी सोसाइटी की समिति की समस्त शक्तियां चाहे वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हो, समाप्त हो जाएंगी और इसके पश्चात्, सोसाइटी के कर्मचारी, समापक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे.

समापक की शक्तियां. 71 (1) इस निमित्त में बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसी सोसाइटी की, जिसकी कि बाबत परिसमापन का आदेष कर दिया गया है, समस्त आस्तियां धारा 70 की अधीन नियुक्त किये गये समापक में उस तारीख से निहित हो जायगी जिसको कि वह आदेष प्रभावषील हो और समापक को यह शक्ति होगी कि वह ऐसी आस्तियां विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करें.

(2) ऐसे समापक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी.—

(क) सोसाइटी की ओर से वाद एवं अन्य विधिक कार्यवाहियां अपने पदनाम से संस्थित करना तथा वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों में सोसाइटी की ओर से प्रतिरक्षा अपने पदनाम से करना;

(ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा या मृत सदस्यों की सम्पदाओं या उनके नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा सोसाइटी की आस्तियों के प्रति किये जाने वाले या किये जाने के लिए शेष रहे अभिदाय (जिसके अन्तर्गत शोध्य ऋण आते हैं) का समय—समय पर अवधारण करनाः

(ग) उन समस्त दावों का, जो सोसाइटी के विरूद्ध हों, अन्वेषण करना तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पूर्विकता के उन प्रष्नों को, जो दावेदारों के बीच उद्भूत हो, विनिष्चित करना;

(घ) सोसाइटी के विरूद्ध दावों का, जिनमें समापन की तारीख तक का ब्याज सम्मिलित है, उनकी पूर्विकता, यदि कोई हो, के अनुसार पूर्णतः या अनुपाततः जैसी किसी सोसायटी की आस्तियों में गुंजाइष हो भुगतान करना

दावों का भुगतान करने के पश्चात् बचा हुआ अधिषेष, यदि कोई हो, समापक के आदेष की तारीख से ब्याज के भुगतान में उपयोजित किया जायगा जो ऐसी दर से होगा जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जाए किन्तु जो किसी भी दषा में संविदा दर से अधिक न होगाः

(ड.) यह अवधारित करना कि समापन के खर्चों का वहन किन व्यक्तियों द्वारा तथा किस अनुपात में किया जाना है;

(च) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति है;

(छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण तथा वितरण के बारे में ऐसे निर्देष देगा जो कि सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन करने के लिए उसे आवष्यक प्रतीत हों;

(ज) सोसाइटी का कारबार उस सीमा तक चलाना जहां तक कि वह उसके फायदाप्रद परिसमापन के लिए आवष्यक है;

(झ) लेनदारों के साथ या उन व्यक्तियों के, जो लेनदार होने का दावा करते हों या जो कोई ऐसा वर्तमान या भावी दावा, जिसके कि द्वारा सोसाइटी को दायी बनाया जा सकता हो, रखते हों या वह अभिकथित करते हों कि वे ऐसा दावा रखते हैं, साथ कोई समझौता या ठहराव करना; और

(ञ) समस्त मांगों या मांगों तथा ऋणों के दायित्वों का और ऋणों में परिणित होने योग्य दायित्वों का, तथा वर्तमान या भावी, निष्चित या समाश्रित समस्त ऐसे दावों का, जो सोसाइटी तथा किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी या ऐसे व्यक्ति, जो सोसाइटी के प्रति अपना दायित्व समझता है के बीच अस्तित्व में है या जिनका अस्तित्व में होना माना जाता है और ऐसे समस्त प्रष्नों का, जो सोसाइटी की आस्तियों या उसके परिसमापन से किसी भी रूप में संबंधित है या जो उन पर प्रभाव डालने वाले हैं, समझौता ऐसे निबंधनों पर करना जैसे कि तय पाये जाएं, तथा किसी ऐसी मांग, दायित्व ऋण या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति लेना और उसकी बाबत पूर्ण उन्मोचन करना :

परन्तु कोई समापक किसी सदस्य या किसी भूतपूर्व सदस्य से या किसी मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि से वसूल किये जाने वाले अभिदाय, ऋण या शोध्यों का तब तक अवधारण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को या ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर न दे दिया गया हो.

(3) जब किसी सोसाइटी के कामकाज का परिसमान कर दिया गया हो तब समापक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा जैसा कि रजिस्ट्रार निर्देषित करे.

समापित सोसाइटियों की अधिषेष आस्तियों का व्ययन.

72 किसी परिसमापित सोसाइटी के समस्त दायित्वों की, जिनके कि अन्तर्गत समादत्त अंषपूंजी है, पूर्ति हो जाने के पश्चात् अधिषेष रही आस्तियां उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेंगी अपितु वे किसी ऐसे उद्देष्य, जो कि सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित हो, के लिए उपयोजित की जायेंगी और कोई उद्देष्य इस प्रकार वर्णित न हो तब किसी ऐसे लोकोपयोगी उद्देष्य, जो कि सोसाइटी के साधारण सम्मिलन द्वारा अवधारित किया जाय तथा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाय, के लिए उपयोजित की जायगी या वे उनके परामर्ष से रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी के भी लिए या तो सम्पूर्णतः या भागतः समनुदेषित की जा सकेंगी.—

(क) कोई लोकोपयोगी उद्देष्य या स्थानीय या नागरिक हित का कोई उद्देष्य; या

(ख) छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित या कोई अन्य संस्था या संघ; या

(ग) किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक में उतने समय तक के लिए निक्षिप्त रखी जा सकेंगी जब तक कि वैसी ही शर्तों सहित कोई नवीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत न हो जाय और तब ऐसा अधिषेष, रजिस्ट्रार की सम्मति से, ऐसी नवीन सोसाइटी की रक्षित निधि में निक्षिप्त किया जा सकेगा;

(घ) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम सं. 6) की धारा 2 में यथा परिभाषित कोई पूर्त प्रयोजन; या

(ङ.) प्रत्येक विद्यमान सदस्य को उसकी समादत्त अंषपूंजी के अनुपात में.

नवां अध्याय – अपराध तथा शास्तियां

शब्द "सहकारी" के प्रयोग का प्रतिषेध. 73 (1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी से तथा किसी ऐसे व्यक्ति या उसके हित उत्तराधिकारी से, जिसका कि नाम या अभिधान वह है जिसके कि अधीन वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को व्यापार या कारबार करता रहा हो, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, किसी ऐसे नाम या अभिधान से, जिसका भागरूप शब्द "सहकारी" या किसी भारतीय भाषा में उसका

पर्यायवाची शब्द हो, कृत्य नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा या कारबार नहीं करेगा.

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (2) के उल्लंघन में बनाई गई किसी सोसाइटी का सदस्य है तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, और चालू रहने वाले अपराध की दषा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको कि ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे अपराध चालू रहता है, पांच रूपये अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा.

अपराध. 74 इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि.—

(क) कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है या मिथ्या जानकारी देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या

(ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंषदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंषदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या

(ग) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंषदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारोबार करने में या व्यापार करने में करता है; या

(घ) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिष करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या

(ड.) कोई अधिकारी या समिति का सदस्य, कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागजपत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको

गुप्त रखता है या उनको नष्ट किये जाने, विकृत किये जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किया जाने या उनके गुप्त रखे जाने, में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या ऐसा किया जाने में संसर्गी है; या

(च) कोई अधिकारी या कोई सदस्य, जिसके पास जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हों, ऐसी जानकारी जानबूझ कर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें तथा कागजपत्र पेष नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53, 58, 59, 60, 67 तथा 70 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति की सहायता नही करता है; या

(छ) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा 53 या 70 के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है; या

(ज) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आषय से करता है; या

(झ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेषक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा 42 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या

(ञ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है; या

(ट) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है या ऐसे कार्य लोप का दोषी है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है.

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो कि इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अंतर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा.

अपराधों के लिए शास्तियां. 75

किसी सोसायटी की प्रत्येक समिति, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –

(क) जुर्माने से, जो 2,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (क) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ख) जुर्माने से, जो 1,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ख) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ग) जुर्माने से, जो 1,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ग) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(घ) जुर्माने से, जो 2,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (घ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ड़) जुर्माने से, जो 2,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ड़) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(च) जुर्माने से, जो 250/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (च) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(छ) जुर्माने से, जो 250 /– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (छ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष

ठहराया गया हो; या

(ज) जुर्माने से, जो 2,000/– से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ज) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो;या

(झ) जुर्माने से, जो 500/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74(झ) में निर्दिष्ट किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ञ) जुर्माने से जो 1,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ञ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ट) जुर्माने से जो 250/– रूपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ट) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो ।

अपराधों का संज्ञान. 76 (1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायगा और ऐसी मंजूरी संबंधित व्यक्ति को अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी.

दसवां अध्याय– अपीलें, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन

अपील 77 (1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है उसे छोडकर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेष की अपीलः–

(एक) उस दषा में जबकि ऐसा आदेष रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, चाहे आदेष पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित हो या न हो, संयुक्त रजिस्ट्रार को होगीः

(दो) उस दषा में जबकि ऐसा आदेष रजिस्ट्रार अथवा

अपर रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, राज्य सरकार को होगीः

(2) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रथम अपील के प्रत्येक आदेष की द्वितीय अपीलः—

(एक) संयुक्त रजिस्ट्रार के विरूद्ध रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी

(दो) रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार के विरूद्ध राज्य सरकार को होगी।

(3) द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, न कि अन्य आधारों पर, अर्थातः—

(एक) यह कि आदेष विधि के प्रतिकूल हैःया

(दो) यह कि आदेष में विधि के कतिपय तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो पाया हैः या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा का पालन करने में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणावगुण पर मामले का विनिष्चय करने में गलती या त्रुटि को गयी हो.

(4) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेष, जिससे कि विरूद्ध अपील की गयी है, उस आदेष से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, तीन दिन के भीतर पेष की जायेगी.

परंतु इस धारा के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में उस आदेष की, जिससे कि विरूद्ध अपील की गयी है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा.

पुनरीक्षण 78 (1) राज्य सरकार या रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गये किसी आवेदन पर किसी भी समय निम्नलिखित की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंधं में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, उसकी वैधता या औचित्य के संबंध में ऐसा आदेष पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे—

(एक) किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जॉच या कार्यवाही या पारित किया गया कोई आदेष;

(दो) किसी सोसाईटी या किसी सोसाईटी की समिति या उपसमिति के द्वारा की गई कोई कार्यवाही या विनिष्चय या संकल्प या पारित किया गया कोई आदेष;

(तीन) किसी सोसाईटी के किसी अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या विनिष्चय या पारित किया गया कोई आदेषः

परन्तु, किसी भी आदेष या विनिष्चय या कार्यवाही आदि को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित या उलटा नहीं जाएगा, तब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो, और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आदेष की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेष की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा.

कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा

79 इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहॉ भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यप्रेक्षा प्राप्त होने पर –

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेष किया गया हो;या

(दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई स्कीम बनाई गई हो या प्रभावषील की गई हो;या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, अतिष्ठान या निलम्बन के लिए आदेष दिया गया हो तथा उसके प्रबंध के लिए प्रभारी अधिकारी आदि की नियुक्ति की गई हो, वहां उसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेष या मंजूरी या अध्यपेक्षा प्रष्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी.

पुनर्निर्वलोकन

80 राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामलें में अपने स्वयं के आदेष का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संबंध में ऐसा आदेष पारित कर सकेंगे, जैसा कि वह न्याय संगत समझेः

परन्तु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा और न ही किसी मामले को स्वप्रेरणा से लिया जाएगा, जब तक यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार का यह समाधार हो जाए कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की

जानकारी में नहीं थी, वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेष किया गया था या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है, जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा हैः

परन्तु यह कि, किसी ऐसे आदेष मे जब तक कोई परिवर्तन, संषोधन या उपान्तरण नहीं किया जाएगा या उसका तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए तथा सुने जाने के लिए सूचना न दे दी गई होः

परन्तु यह और कि, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पत्र पर किसी आदेष का पुनर्विलोकन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आवेदन उस आदेष के पारित किए जाने के नब्बे दिवस के भीतर न किया गया हो।

कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना

80—क उन समस्त मामलों में, जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिष्चय या आदेष के विरुद्ध अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फाईल की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा। यदि अपीलरार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के जिए उसके पास पर्याप्त कारण था।

ममलों का अन्तरण या प्रत्याहरण

80—ख धारा 77 एवं 78 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिष्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिष्चय करने के लिए सक्षम हो, अपनी स्वयं की फाइल में से अन्तरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा ऐसे मामलो या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिष्चय करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा।

अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति	80—ग		जहां कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनविलोकन या कोई अन्य आवेदन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्धेष्यों को विफल होने से रोकने के लिए यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन–पत्र पर विनिष्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेष कर सकेगा, जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो या ऐसे आदेष कर सकेगा, जो न्याय के उद्धेष्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवष्यक हों।
आदेशों के निष्पादन का रोका जाना	80—घ	(1)	अधिकारी या प्राधिकारी जिसने कोई आदेष पारित किया हो या उसका पद उत्तरवर्ती, अपील या पुनरीक्षण के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निर्देष दे सकेगा कि ऐसे आदेष का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाये जो अपील या पुनरीक्षण फाईल करने तथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेष (स्टे आर्डर) अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।
		(2)	वह प्राधिकारी, जो धारा 77 या धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देष दे सकेगा कि उस आदेष का, जो अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए, जैसा कि वह उचित समझे।
		(3)	किसी आदेष का निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देष देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिये जाने का आदेष दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ।
लंबित मामलों का अंतरण	80—ड.		मूल अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेष राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी (संसोधन) अधिनियम, 2003 के प्रभावषील होने की तारीख पर लंबित प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही राज्य सरकार को अंतरित हो जाएगी।
	80—च		कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का जैसा कि राज्य सरकार विषेष या साधारण आदेष से प्रत्यायोजित होकर ऐसे क्षेत्रों के भीतर तथा ऐसे प्रकरणों में प्रयुक्त करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।

ग्यारहवां अध्याय– प्रकीर्ण

सरकार को शोध्य राषियों की वसूली.

81 (1) वे समस्त राषियां, जो किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य द्वारा उस हैसियत में राज्य सरकार को शोध्य हों, जिनके अन्तर्गत कोई ऐसे खर्चे भी आते हैं जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार को दिलवाये गये हों, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये प्रमाण पत्र पर, उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि भू–राजस्व के बकाया वसूल किये जाते हैं.

(2) वे राषियां, जो किसी सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार को शोध्य हों तथा उपधारा (1) के अधीन वसूली योग्य हों,–

(क) प्रथमतः, सोसाइटी की सम्पत्ति से;

(ख) द्वितीयतः, किसी ऐसी सोसाइटी की दषा में, जिसके कि सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से, या मृत सदस्यों की सम्पदाओं से, उनके दायित्व की सीमा के अध्यधीन रहते हुए,

वसूल की जा सकेगीः

परन्तु मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक ही होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो; और

(ग) तृतीयतः, अन्य सोसाइटियों की दषा में, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की संपदाओं से वसूल की जा सकेंगी :

परन्तु भूतपूर्व सदस्यों का या मृत सदस्यों की संपदा का दायित्व समस्त मामलों में धारा 29 के उपबंधों के अध्यधीन होगा.

सहकारी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही करने की किसी वित्तदायी बैंक की शक्ति.

81—क (1) यदि कोई सहकारी सोसाइटी अपने ऋण उस वित्तदायी बैंक को, जिससे कि उसने वे ऋण लिए है, चुकाने में इस कारण असमर्थ हो कि उसके सदस्यों ने उनके द्वारा शोध्य धन का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, तो वह वित्तदायी बैंक ऐसी सोसाइटी की समिति को निदेष दे सकेगा कि वह ऐसे सदस्यों के विरूद्ध धारा 64 के अधीन कार्यवाही करके अग्रसर हो.

(2) यदि सहकारी सोसाइटी की समिति वित्तदायी बैंक से ऐसा निदेष प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर अपने व्यतिक्रमी सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही न करे, तो वित्तदायी बैंक स्वयं ऐसे व्यतिक्रमी सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकेगा और उस दषा में इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाये गये नियम तथा उपविधियां उसी प्रकार लागू होंगी/होंगे मानों कि उक्त उपबंधों, नियमों तथा उपविधियों में सोसाइटी या उसकी समिति के प्रति किये गये समस्त निर्देष वित्तदायी बैंक के प्रति निर्देष हों.

(3) जहां किसी वित्तदायी बैंक ने अपनी ऋणी किसी सोसाइटी के विरूद्ध कोई डिक्री या अधिनिर्णय अभिप्राप्त किया हो, वहां बैंक ऐसे धनों को उस सोसाइटी की

आस्तियों से उन ऋणों की सीमा तक जो कि सोसाइटी द्वारा शोध्य हों, वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा.

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन. 82 (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी.–

(क) किसी सोसाइटी का या उपविधियों का या किसी उपविधि के किसी संषोधन का रजिस्ट्रीकरण;

(ख) किसी समिति का हटाया जाना तथा इस प्रकार हटाये जाने के पश्चात् सोसाइटी का प्रबंध;

(ग) कोई ऐसा विवाद जिसका कि रजिस्ट्रार को या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को निर्देषित किया जाना अपेक्षित हो;

(घ) किसी सोसाइटी के परिसमापन तथा उसके विघटन से संबंधित कोई मामला.

(2) जब किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जा रहा है, तो ऐसी सोसाइटी के कारबार के संबंध में समापक के विरूद्ध उस हैसियत में, या उस सोसाइटी के या उसके किसी सदस्य के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां रजिस्ट्रार की अनुमति से तथा ऐसे निबन्धनों के, जैसे कि वह अधिरोपित करे, अध्यधीन रहते हुए ही अग्रसर की जायगी या संस्थित की जायेगी अन्यथा नहीं.

(3) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेष, विनिष्चय या अधिनिर्णय किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रष्नगत नहीं किया जायगा.

खर्चे की वसूली. 83. कोई राषि, जो धारा 63 के अधीन खर्च के रूप में अधिनिर्णित की गई हो, रजिस्ट्रार द्वारा, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाने पर जो उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है जहां कि वह व्यक्ति, जिससे कि वह रकम दावा की जाने योग्य है, निवास करता है या कारबार करता है, ऐसे व्यक्ति की किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो कि ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर हो, बेचकर वसूल की जा सकेगी और ऐसा मजिस्ट्रेट उसे वसूल करने के लिए उसी रीति में कार्यवाही करेगा मानो कि यह राषि स्वयं उसके द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो.

भार का प्रवर्तन. 84 सातवें अध्याय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु वसूली की किसी अन्य रीति पर, जो कि इस अधिनियम में उपबंधित

है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में सषक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी का आवेदन प्राप्त होने पर तथा ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार इस संबंध में बनाए, किसी सदस्य या भूतपूर्व या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को शोध्य किसी ऋण या परादेय मांग का, उस संपत्ति या उसमें के किसी हित की, जो धारा 40 की उपधारा (1), धारा 41 की उपधारा (1) तथा धारा 42 की उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन किसी भार के अध्यधीन हो, कुर्की तथा विक्रय द्वारा या ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि रजिस्ट्रार या ऐसा अन्य व्यक्ति विनिर्दिष्ट करे, किसी अन्य रीति में उसके अन्तरण द्वारा भुगतान किये जाने का निर्देष देते हुए आदेष कर सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेष तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि सदस्य पर, भूतपूर्व सदस्य पर या मृत सदस्य के नाम निर्देषित व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि पर आवेदन की सूचना की तामील न कर दी गई हो और उसने ऐसे तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऋण या परादेय मांग का भुगतान करने में चूक न की हो.

कतिपय सोसाइटियों को शोध्य राषियों की वसूली.	84—क	(1)	धारा 64, 69 और 78 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सहकारी गृह निर्माण सोसाईटी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ या प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक द्वारा अपनी बकाया शोध्य राषि की वसूली के लिए आवेदन किया जाने पर रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उसमें कथित रकम की वसूली के लिए उसके बकाया के रुप मे शोध्य होने का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकेगा।
		(2)	रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र उसमें कथित बकाया का अंतिम एवं निष्चायक सबूत होगा और वह भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा.
आदेषों आदि का निष्पादन.	85		इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेष या किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय या किया गया प्रत्येक विनिष्चय, अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेष और समापक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेष या विनिष्चय, यदि कार्यान्वित न किया गया हो,—

(क) रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के दे दिये जाने पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और उसी रीति में निष्पादित किया जायगा जिस रीति में कि ऐसे न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाती है; या

(ख) उस विधि के अनुसार तथा उन नियमों के अधीन, जो कि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त हों, निष्पादित किया जायगा; या

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा या इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा सषक्त किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस व्यक्ति या सोसाइटी की, जिसके कि विरूद्ध आदेष, विनिष्चय या पंचाट अभिप्राप्त किया गया हो या पारित किया गया हो, किसी संपत्ति को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, कुर्क करके तथा अन्तरित करके या बेच कर या कुर्क किये बिना बेच कर निष्पादित किया जायगा :

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन वसूली के लिए कोई भी आवेदन–

(एक) कलेक्टर को किया जायगा और उसके साथ रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न होगाः और

(दो) आदेष, विनिष्चय या पंचाट में नियत की गई तारीख से पांच वर्ष के भीतर और यदि ऐसी कोई तारीख नियत न की गई हो, तो यथास्थिति आदेष, विनिष्चय या पंचाट की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जायगा.

स्थावर संपत्ति का कब्जा देने के आदेष को निष्पादित करने की रीति.

85–क जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध स्थावर संपत्ति का कब्जा देने का आदेष इस अधिनियम के अधीन पारित कर दिया गया हो, तो ऐसा आदेष निम्नलिखित रीति में निष्पादित किया जायगा, अर्थात् :–

(क) कब्जा रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर एक सूचना की तामील करके जिससे उससे / उनसे यह अपेक्षा की जायगी कि वह / वे

उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे समय के भीतर, जैसा कि युक्तियुक्त प्रतीत हो, उसे रिक्त कर दे / दें; और

(ख) यदि ऐसी सूचना का पालन न किया जाय तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसे रिक्त करने से इन्कार करे, हटाकर या हटाने के लिए किसी अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करके, और

(ग) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने वाले अधिकारी का प्रतिरोध करे या उसे बाधा पहुंचाये, तो धारा 3 में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को नियुक्त करके जो मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रतिरोध या बाधा का कोई न्यायसंगत कारण नहीं था और यह कि ऐसा प्रतिरोध या बाधा अभी भी चालू है, तो वह किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों पर, जिनके कि लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रतिरोध या बाधा संबंधी दंड से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दायी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा, जो ऐसे अधिकारी की राय में, उस आदेष के अनुपालन को सुनिष्चित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवष्यक हो.

सूचना की तामील.

86 (1) ऐसी प्रत्येक सूचना या आदेष को, जो इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन जारी की गई या किया गया है, किसी व्यक्ति पर तामील, उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाकपत्र द्वारा, जिसमें वह सूचना या आदेष अन्तर्विष्ट होगा, ऐसे व्यक्ति के निवास या कारबार के अन्तिम ज्ञात स्थान पर उचित रूप से संबोधित करके की जा सकेगी:

परन्तु किसी सहकारी समिति द्वारा बुलाये गये किसी सम्मिलन से संबंधित सूचना डाक प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग) के अधीन और या उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करने के पश्चात् व्यक्तिषः परिदत्त करके जारी की जायगी.

(2) कोई अभिस्वीकृति, जिसका कि ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, या किसी डाक कर्मचारी द्वारा किया गया इस आषय का पृष्ठांकन कि उस व्यक्ति ने परिदान लेने से इन्कार कर दिया है, तामील का प्रथम

दृष्टया साक्ष्य समझा जा सकेगा :

परन्तु यदि सूचना की तामील इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, या सोसाइटी की उपविधियों के अधीन उपबंधित किसी रीति में नहीं की जा सकती हो तो उसकी एक प्रति उस व्यक्ति, के जिसे सूचना दी जानी है, अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर या ऐसे स्थान पर या ऐसे स्थान में लोक समागम के किसी स्थान पर लगाई जाएगी.

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी आदि, लोकसेवक होंगे.

87 ऐसा प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति तथा साथ ही किसी सहकारी बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक कर्मचारी या प्रत्येक प्राधिकारी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा.

सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिए परित्राण.

88 रजिस्ट्रार या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसका अधीनस्थ हो या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सिविल न्यायालयों की शक्तियां.

89 (1) रजिस्ट्रार, उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो किसी विवाद का विनिष्चय कर रहा हो, तथा किसी सोसाइटी के समापक को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती है, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा उसे पेष किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीषन निकालना.

		(2)	किसी शपथ पत्र की दषा में, यथास्थिति रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, उसका नाम निर्देषित व्यक्ति या नामनिर्देषित व्यक्तियों का बोर्ड या समापक अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा.
रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सषक्त किया गया व्यक्ति कतिपय प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय होगा.	90		रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में सषक्त किये गये किसी व्यक्ति को जबकि वह किसी सम्पत्ति को कुर्क करके तथा बेचकर या कुर्क किये बिना बेचकर कोई रकम वसूल करने के लिए इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या जबकि वह किसी ऐसे आवेदन पर, जो कि ऐसी वसूली करने के लिए या ऐसी वसूली करने के हेतु सहायक कदम उठाने के लिए उसको किया गया हो, कोई आदेष पारित कर रहा हो, इंडियन लिमिटेषन एक्ट 1908, (1908 का संख्यांक 9) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 182 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायगा.
कंपनी अधिनियम लागू नहीं होगा.	92		कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे.
कतिपय अन्य अधिनियम सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे.	93		छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958), छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल वर्कमेन (स्टेण्डिग आर्डर्स) एक्ट, 1959 (क्र. 19 सन् 1959) तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी.
वादों में सूचना देना आवष्यक होगा.	94		किसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के विरूद्ध किसी भी ऐसे कार्य के संबंध में, जो उस सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित हो, कोई भी वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी लिखित सूचना, जिसमें कि वाद–हेतुक, वादी का नाम, विवरण तथा उसका निवास स्थान एवं वह अनुतोष, जिसका कि वह दावा करता हो, कथित किया गया हो, रजिस्ट्रार को परिदत्त कर दी जाने या उसके कार्यालय में छोड़ दी जाने के पश्चात् से आगामी दो मास का अवसान न हो गया हो, और वाद पत्र में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार परिदत्त की जा चुकी है या छोड़ी जा चुकी है.
नियम बनाने की शक्ति.	95	(1)	सरकार, संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए तथा किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों के लिए, नियम ऐसी सोसाइटी के या ऐसे वर्ग की सोसाइटियों के कामकाज के संचालन या विनियमन के हेतु तथा इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित

करने के लिए बना सकेगी.

(2) विषिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम .—

(क) धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उन शक्तियों का जो कि रजिस्ट्रार में निहित है, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों को प्रत्यायोजन विहित कर सकेंगे तथा रजिस्ट्रार को उपविधियों के प्रस्थापित संषोधन की प्रतिलिपियां भेजने की रीति विहित कर सकेंगे;

(ख) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रयोग में लाये जाने वाले प्रारूप तथा अनुपालन की जाने वाली शर्तें एवं ऐसे आवेदनों के विषय में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(ग) वे विषय, जिनके संबंध में कोई सोसाइटी उपविधियां बना सकेगी अथवा जिनके संबंध में उपविधियां बनाने के लिए रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को निदेष दे सकेगा, तथा वह प्रक्रिया, जिसका कि अनुसरण उपविधियां बनाने, उनमें परिवर्तन करने तथा उन्हें निराकृत करने में किया जायेगा एवं वे शर्तें जिनको कि उपविधियों के इस प्रकार बनाये जाने, परिवर्तित किये जाने या निराकृत किये जाने के पूर्व पूरा किया जायगा, विहित कर सकेंगे;

(ग—1) किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के प्रषिक्षण के लिए कालावधि विहित कर सकेंगे तथा प्रषिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर होने के लिए किसी सोसाइटी के किसी सदस्य से अपेक्षा करने की रीति विहित कर सकेंगे;

(ग—2) किसी संघीय सोसायटी के वैयक्तिक सदस्य के मतदान संबंधी अधिकार का विनियमन करने की रीति विहित कर सकेंगे;

(घ) सोसाइटी का नाम या उसका दायित्व तब्दील करने के लिए तथा उसके पुनर्संगठन या पुनर्गठन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा अनुपालन की जाने वाली शर्तें विहित कर सकेंगे;

(ड.) वे शर्ते, जिनका अनुपालन सदस्य के रूप में प्रवेष के लिए आवेदन करने वाले या सदस्य के रूप में प्रविष्ट किये गये व्यक्ति द्वारा किया

जायगा, विहित कर सकेंगे तथा सदस्यों के निर्वाचन एवं प्रवेष के लिए तथा सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने के पूर्व किये जाने वाले भुगतान एवं अर्जित किये जाने वाले हित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(च) धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सोसाइटी के अंषों की वह अधिकतम संख्या या उसकी पूंजी का वह भाग, जो कि किसी सदस्य द्वारा धारण किया जा सकेगा, विहित कर सकेंगे;

(छ) सदस्यों के वापिस लिये जाने या हटाये जाने तथा उनको संदाय करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(ज) उस व्यक्ति के, जिसे कि किसी मृत सदस्य का अंष या हित संदत्त या अन्तरित किया जा सकेगा, नाम–निर्देषन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(झ) किसी भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के अंष या हित का मूल्य अभिनिष्चित करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(त्र) उधार के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों को किये जाने वाले भुगतान तथा उनके द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें, वह कालावधि, जिसके लिए उधार दिये जा सकेंगे तथा वह रकम, जो किसी एक सदस्य को उधार दी जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;

(त्र–1) किसी संसाधन सोसाइटी में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए अनुपात विहित कर सकेंगे तथा यह उपबन्ध कर सकेंगे कि उपर्युक्त जातियों, जनजातियों या वर्गों का कोई सदस्य किसी संसाधन सोसाइटी के अध्यक्ष/ सभापति या उपाध्यक्ष/उप–सभापति का पद धारण करेगा;

(ट) रजिस्ट्रार के या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए तथा उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दी जाने के लिए फीस के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(ठ) सदस्यों का रजिस्टर और जहां सदस्यों का दायित्व अंषों द्वारा परिसीमित हो, वहां अंषों का

रजिस्टर तथा सदस्यों की सूची बनाई जाने तथा रखी जाने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(ड) यह सुनिष्चित करने के लिए उपबंध कर सकेंगे कि किसी सोसाइटी की अंषपूंजी यह सुनिष्चित करने के लिए कि अंष के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और आवष्यकतानुसार सोसाइटी के लिए आवष्यक पूंजी उपलब्ध रहेगी, आवष्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकेगी;

(ढ) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर कि सरकार सोसाइटियों को अंषपूंजी अभिदाय कर सकेगी या उन्हें वित्तीय या अन्य सहायता दे सकेगी, और वे निबंधन तथा शर्तें, जिन पर कि सरकार सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों या लिये गये उधारों के मूलधन या उन पर के ब्याज के भुगतान के लिए प्रतिभूति दे सकेगी, विहित कर सकेंगे;

(ण) वह रीति, जिसमें किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग द्वारा अंषों के या डिबेंचरों के आधार पर या अन्यथा निधियां इकट्ठी की जा सकेंगी और इस प्रकार इकट्ठी की गई निधियों की मात्रा विनियमित कर सकेंगे;

(त) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय ऋण या बकाया मांग के ब्यौरे के बारे में तहसीलदार को संसूचना देने की रीति विहित कर सकेंगे;

(थ) वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई सोसाइटी डूबन्त ऋणों की संगणना करेगी तथा उन्हें बट्टे खाते डालेगी, विहित कर सकेंगे;

(द) आरक्षित निधियां बनाई जाने तथा रखी जाने एवं उद्देष्यों, जिनके कि लिए ऐसी निधियां उपयोजित की जा सकेंगी, के लिए तथा सोसाइटी के नियंत्रणाधीन किसी निधि, जिसके अन्तर्गत आरक्षित निधि आती है, के विनियोजन तथा उपयोग के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(ध) वह दर, जिस पर कि कोई सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के लेखे अभिदाय करेगी, विहित कर सकेंगे;

(न) धारा 44 के अधीन किसी सोसाइटी की निधियों के विनिहित किये जाने का प्रकार तथा किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के किसी वर्ग में विनिधान का अनुपात विहित कर सकेंगे;

(प) किसी ऐसे भविष्य निधि के प्रति, जो कि किसी सोसाइटी द्वारा उन अधिकारियों या कर्मचारियों के, जो कि उनके द्वारा नियोजित किये गये हों,

फायदे के लिए स्थापित की गई हो, अभिदाय के संदाय के लिए तथा ऐसी भविष्य निधि के प्रषासन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(फ) सदस्यों के साधारण सम्मिलनों के लिए तथा ऐसे सम्मिलनों में की प्रक्रिया तथा ऐसे सम्मिलनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(ब) समिति के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, उनके निलंबन एवं उनके हटाये जाने के लिए तथा धारा 53 के अधीन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे और समिति के सम्मिलनों में की प्रक्रिया विहित कर सकेंगे तथा समिति, व्यक्ति या व्यक्तियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों तथा पालन किये जाने वाले कर्त्तव्यों के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(भ) किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों की समिति के सदस्यों तथा किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों के कर्मचारियों के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं तथा सेवा की वे शर्तें, जिनके कि अध्यधीन व्यक्तियों की सोसाइटियों द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;

(म) सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां विहित कर सकेंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा तथा ऐसे प्ररूप जिसमें ऐसी विवरणियां प्रस्तुत की जायंगी, के संबंध में उपबंध कर सकेंगे;

(य) ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा तथा ऐसे प्ररूप जिसमें दस्तावेजों तथा सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां प्रमाणित की जा सकेंगी, के संबंध में तथा उनकी प्रतिलिपियों का प्रदाय किया जाने के लिए उद्ग्रहित किये जाने वाले प्रभारों के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(कक) वे लेखे तथा पुस्तकें, जो सोसाइटी द्वारा रखी जानी हों, विहित कर सकेंगे तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा एवं ऐसी संपरीक्षा के लिए किये जाने वाले प्रभारों, यदि कोई हों, के लिए तथा किसी सोसाइटी की आस्तियां तथा उसका दायित्व दर्षाने वाले तुलनपत्र के नियतकालिक प्रकाषन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(खख) रजिस्ट्रार के नामनिर्देषित व्यक्ति या नामनिर्देषित व्यक्तियों के बोर्ड की नियुक्ति के लिए, उन कार्यवाहियों में, जो रजिस्ट्रार, उसके नामनिर्देषित

व्यक्ति या नामनिर्देषित व्यक्तियों के बोर्ड के समक्ष हों, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए तथा विवाद के अवधारण के लिए व्ययों के नियत तथा उद्ग्रहित किये जाने के लिए और ऐसी कार्यवाहियों में विनिष्चयों को प्रवर्तित या अधिनिर्णयों को निष्पादित करने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(गग) आदेषिकाओं के जारी किये जाने तथा उनकी तामील के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(घघ) इस अधिनियम या नियमों के अधीन शोध्य किन्हीं राषियों की वसूली के लिए प्रक्रिया तथा उसकी पद्धति विहित कर सकेंगे;

(ड.ड.) धारा 68 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति की अभिरक्षा के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(चच) धारा 71 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रक्रिया तथा शर्तें एवं किसी समापक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे और अधिषेष आस्तियों के व्ययन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(छछ) अपीलें, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन पेष करने तथा निपटारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(झझ) किसी ऐसे आदेष, विनिष्चय या अधिनिर्णय के, जिसका संसूचित या प्रकाषित किया जाना इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित है, संसूचित किये जाने या प्रकाषित किये जाने की पद्धति विहित कर सकेंगे;

(त्रत्र) समस्त ऐसे विषयों के लिए, जिनका कि नियमों द्वारा विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात हो, उपबंध कर सकेंगे.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

निरसन तथा व्यावृत्तियां.

96 (1) महाकौषल क्षेत्र को लागू हुए रुप में को–आपॅरेटिव्ह सोसाइटीज एक्ट, 1912 (क्रमांक 2 सन् 1912), मध्यभारत सहकारी संस्था विधान, 1955 (क्रमांक 9 सन् 1955), विन्ध्यप्रदेष को–आपॅरेटिव्ह सोसाइटीज आर्डिनेस, 1949 (क्रमांक 21 सन् 1949), भोपाल स्टेट को–आपॅरेटिव्ह सोसायटीज एक्ट, 1937 (क्रमांक 11 सन् 1937) तथा सिरोंज क्षेत्र को लागू हुए रुप में राजस्थान को–आपॅरेटिव्ह सोसाइटीज एक्ट, 1953 (क्रमांक 4 सन् 1953) एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,–

(एक) किसी भी ऐसी सोसाइटी के, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई अधिनियमितियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है और रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, संबंध में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई और उसकी उपविधियों के, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों , संबंध में यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है और तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि परिवर्तित या विखंडित न कर दी जायें.

(दो) उक्त अधिनियमितियों में से किसी भी अधिनियमिति के अधीन की गई समस्त नियुक्तियों, बनाये गये नियमों, किये गये आदेषों, जारी की गई अधिसूचनाओं तथा सूचनाओं एवं संस्थित किये गये वादों तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में यावत्षक्य यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन क्रमषः की गई है, बनाये गये हैं, किये गये हैं, जारी की गई तथा संस्थित की गई हैं.

... की पूर्व अदायगी
... द्वारा भेजे जाने के
... अनुमति-पत्र
... जी.

पंजीयन ...

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184-ब] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अगस्त 2001—भाद्र 6, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2001

क्रमांक 4535/363/प्रा./2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-8-2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 11 सन् 2001) है.

(दो) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा 16-(ग) का अंतःस्थापन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है.) की धारा 16-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"16 (ग) **लोक हित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति**—

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे और उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगी.

(2) पुनर्गठन स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में उपबन्ध होंगे :—

(क) पुनर्गठन की रीति;

(ख) पुनर्गठन की प्रक्रिया;

(ग) सदस्यता, रजिस्ट्रेशन, प्रबंध, आस्तियां और दायित्व, शक्तियां, अधिकार, हित, कर्तव्य, कर्मचारीवृन्द ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों की सेवा की शर्तें जो पुनर्गठन के पश्चात् बनाए गए हों;

(घ) ऐसे अन्य पारिणामिक, आनुषांगिक और अनुपूरक उपबंध जैसा कि आवश्यक हो;

(ङ) अन्य ऐसे विषय जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाएं.

3. राज्य सरकार उप धारा (1) के अधीन जारी किन्हीं आदेशों या बनाई गई किसी पुनर्गठन स्कीम को उपान्तरित या निरस्त कर सकेगी.

4. प्रत्येक पुनर्गठन स्कीम के संबंध में उपबंध और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश हितबद्ध पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे.

5. ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी."

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2001

क्रमांक 4535/363/प्रा./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 11 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. [illegible], उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2001)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2001

A Act to amend further the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Adhiniyam, 2001 (No. 11 of 2001). **Short Title and Commencement.**

(ii) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint.

2. After Section 16-B of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (Which is herinafter referred as a principal Act). The following section shall be inserted, namely :— **Insertion of Section 16-C.**

"16 (C) Government's power to make scheme of reorganisation in the public interest.—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Rules made thereunder, if the State Government, on receipt of a report from the Registrar or otherwise, is satisfied that in the public interest it is necessary to reorganise any society or societies for the purpose of securing proper implementation of development programmes. The State Government, as it may deemed necessary, may make such scheme of reorganisation and issue orders to implement above scheme.

(2) There shall be the provisions in scheme of reorganisation regarding :—
(a) Method of reorganisation;
(b) Procedure for reorganisation;
(c) To the membership, registration, management, assests and liabilities, powers, rights, interests, duties, staff and conditions of employment of such society or societies which are made after reorganisation;
(d) Such other consequential, incidental and supplementary provisions as may be necessary;
(e) Any other subject as may deemed necessary by the State Government.

3. The State Government may modify or cancel any reorganisation scheme made or issued any orders under sub-section (1).

4. The provisions regarding every reorganisation scheme and the orders issued by the State Government shall be binding upon the interested parties.

5. Every scheme of such reorganisation shall be published in the official Gazette for general information.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 33 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 33 सन् 2002) है.

(दो) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 49 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7) [illegible] में शब्द "बारह मास" के स्थान पर शब्द "चौबीस मास" स्थापित किये जाएं.

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2002

क्रमांक 7082.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 33 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 33 of 2002)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Adhiniyam, 2002 (No. 33 of 2002).

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette

2. In Sub-section (7-AA) of Section 49 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) for the words "twelve months", the words "twenty four months" shall be substituted. Amendment of Section 49.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित — 2002.

"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226 (व-5)] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2003—भाद्र 18, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2003

क्रमांक 5596/21-अ/प्रारूपण/03.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4-9-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 20 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2003

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 20 सन् 2003) है.

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में :-

(क) खण्ड (ग-एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ग-एक) "केन्द्रीय सोसाइटी" से अभिप्रेत है, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो तथा जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना है और जिसकी कम से कम पांच सदस्य सोसाइटियां है;"

(ख) खण्ड (ज ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

" (ज ज) "विकास बैंक" से अभिप्रेत है, ऐसा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए;"

(ग) खण्ड (ठ) में शब्द "भू-बंधक बैंक" के स्थान पर शब्द "विकास बैंक" स्थापित किया जाए;

(घ) खण्ड (ग ग) का लोप किया जाए."

धारा 16-ग का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 16-ग की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"परन्तु यह भी कि, किसी सहकारी बैंक के मामले में, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी."

धारा 48 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 48 की,-

उपधारा (5) के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड तथा परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(दो) एक पद, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से निर्वाचित न हो तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा और अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित किया जाएगा;

परन्तु, अनुसूचित क्षेत्र में संचालित नागरिक सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी साख सोसाइटी या बचत सोसाइटी से भिन्न ऐसी संसाधन सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा."

5. मूल अधिनियम की धारा 49 की,- धारा 49 का संशोधन.

उपधारा (7-क क) में शब्द ''चौबीस'' के स्थान पर शब्द ''छत्तीस'' स्थापित किया जाए.

6. मूल अधिनियम की धारा 58-ख की उपधारा (3) में शब्द ''अधिकरण'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार'' स्थापित किया जाए. धारा 58-ख का संशोधन.

7. मूल अधिनियम के ''दसवां अध्याय-अधिकरण का गठन'' के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''दसवां अध्याय - अपीलें, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन

अध्याय दस का प्रतिस्थापन.

77. अपील.— (1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील,-

(एक) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, चाहे आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित हो या न हो, संयुक्त रजिस्ट्रार को होगी;

(दो) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे उसमें रजिस्ट्रार की शक्तियां विनिहित हो या न हो, रजिस्ट्रार को अथवा रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी;

(तीन) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार अथवा अपर रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, राज्य सरकार को होगी;

(2) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील के प्रत्येक आदेश की द्वितीय अपील,-

(एक) संयुक्त रजिस्ट्रार के विरुद्ध रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी;

(दो) रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार के विरुद्ध राज्य सरकार को होगी.

(3) द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, न कि अन्य आधारों पर, अर्थात् :-

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो पाया है; या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया का पालन करने में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणावगुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो गई हो;

(4) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश की जाएगी;

परन्तु इस उपधारा के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में उस आदेश

की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा.

78. पुनरीक्षण.—(1) राज्य सरकार या रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गए किसी आवेदन पर, किसी भी समय, निम्नलिखित की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, उसकी वैधता या औचित्य के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे,-

(एक) किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या पारित किया गया कोई आदेश;

(दो) किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी की समिति या उप-समिति के द्वारा की गई कोई कार्यवाही या विनिश्चय या संकल्प या पारित किया गया कोई आदेश;

(तीन) किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या विनिश्चय या पारित किया गया कोई आदेश;

परन्तु, किसी भी आदेश या विनिश्चय या कार्यवाही आदि को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई अवसर न दे दिया गया हो;

(2) कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा.

79. कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा.—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर,-

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो; या

(दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई स्कीम बनाई गई हो या प्रभावशील की गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, अतिष्ठान या निलम्बन के लिये आदेश किया गया हो तथा उसके प्रबन्ध के लिए प्रभारी अधिकारी आदि की नियुक्ति की गई हो, वहां उसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं [illegible] या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या मंजूरी या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी.

80. पुनर्विलोकन.—राज्य सरकार, अथवा रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वह न्यायसंगत समझे;

परन्तु, हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा और न ही किसी मामले को स्वप्रेरणा से लिया जाएगा, जब तक यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार का यह समाधान न हो जाय कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है;

परन्तु यह कि, किसी ऐसे आदेश में तब तक कोई परिवर्तन, संशोधन, या उपान्तरण नहीं किया जायेगा या उसका तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिये तथा सुने जाने के लिए सूचना न दे दी गई हो;

परन्तु यह और कि, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन-पत्र पर किसी आदेश का पुनर्विलोकन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आवेदन उस आदेश के पारित किए जाने के नब्बे दिवस के भीतर न किया गया हो.

80-क. **कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना.**—उन समस्त मामलों में, जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फाइल की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

80-ख. **मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण.**—धारा 77 एवं 78 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्‌भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले, या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, अपनी स्वयं की फाइल में से अन्तरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा;

80-ग. **अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति.**—जहां कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन या कोई अन्य आवेदन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन-पत्र पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों.

80-घ. **आदेशों के निष्पादन का रोका जाना.**—(1) अधिकारी या प्राधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद-उत्तरवर्ती, अपील या पुनरीक्षण के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने तथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश (स्टे आर्डर) अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो;

(2) वह प्राधिकारी, जो धारा 77 या धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जैसा कि वह समझे;

(3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निदेश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

80-ङ. **लंबित मामलों का अंतरण.**—मूल अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने की तारीख पर लंबित प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही राज्य सरकार को अंतरित हो जाएगी.

80-च. कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का जैसा कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश से, प्रत्यायोजित होकर ऐसे क्षेत्रों के भीतर तथा ऐसे प्रकरणों में प्रयुक्त करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे.

8. मूल अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (2) में,-

खण्ड (छ छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:- धारा 95 का संशोधन.

"(छ छ) अपीलें, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन पेश करने तथा निपटारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे."

प्रकीर्ण. 9. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) में शब्द "मध्यप्रदेश भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1966 (क्र. 28 सन् 1966)" जहां कहीं भी वह आया हो शब्द "छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000)" स्थापित किया जाए.

निरसन. 10. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्र. 4 सन् 2003) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर, 2003

क्रमांक 5596/21-अ/प्रारूपण/03.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 20 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2003)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2003

An Act to further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Fourth year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2003 (No. 20 of 2003).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 2. 2. In Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act) :-

(a) For the clause (c-i) the follwing clause shall be substituted, namely :-

(c-i) "Central Society" means a District Co-operative Agriculture and Rural Development Bank or any other society, whose area of operation is confined to a part of the State and which has as its object the promotion of the objects of the member societies, and which has atleast five societies as its members;"

(b) For the clause (hh) the following clause shall be substituted, namely :-

"(hh) "Development Bank" means a District Co-operative Agricultural and

Rural Development Bank or the Chhattisgarh State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank registered or deemed to be registered under this Act;"

(c) In clause (1) for the words "Land Mortgage Bank" the words "Development Bank" shall be substituted;

(d) Clause (cc) shall be omitted.

3. After Sub-section (1) of Section 16 (C) of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :- **Amendment of Section 16 (C).**

"Provided that in case of a Co-operative Bank, prior sanction in writing of the Reserve Bank shall be necessary."

4. In the Section 48 of the Principal Act,- **Amendment of Section 48.**

For clause (ii) and proviso of Sub-section (5), the following clause and proviso shall be substituted, namely :-

"(ii) One shall be hold, if the chairman is not elected from amongst persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, by a persons belonging to these categories and otherwise, by any person;

Provided that in case of such resource society other than a Nagrik Co-operative Bank or Urban Co-operative Credit Society or thrift society, operating in a Scheduled area, the chairman or president shall be elected only from amongst persons belonging to Scheduled Tribes."

5. In the Section 49 of the Principal Act,- **Amendment of Section 49.**

In Sub-section (7-AA), the word "Twenty four" shall be substituted by the word "Thirty six".

6. In Sub-section (3) of Section 58-B of the Principal Act for the word "Tribunal" the words "State Government" shall be substituted. **Amendment of Section 58-B.**

7. For the Chapter X- Constitution of Tribunal- The following chapter shall be substituted, namely :- **Substitution of Chapter X.**

Chapter X - Appeals, Revision and Review

77. **Appeal.**—(1) Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order under this Act or the rules made there under,-

(i) if such order is passed by an officer other than Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar, whether or not the Officer passing the order is invested with the powers of the Registrar, to the Joint Registrar;

(ii) if such order is passed by Joint Registrar, whether or not invested with the powers of Registrar, to the Registrar or the Additional Registrar authorised by Registrar;

(iii) if such order is passed by Registrar or Additional Registrar, to the State Government.

(2) Save as otherwise provided a second appeal shall lie against every order passed in first appeal under this Act or the rules made there under-

(i) by the Joint Registrar to the Registrar or the Additional Registrar authorised by the Registrar;

(ii) by the Registrar or Additional Registrar, to the State Government.

(3) A second appeal shall lie on any of the following grounds, and no other, namely :-

(i) that the order is contrary to law; or

(ii) that the order has failed to determine some material issue of law; or

(iii) that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act which may have produced error or defect in the decision of the case on merits.

(4) Every appeal shall be presented in the prescribed manner to the appellate authority concerned, within thirty days of the date on which the order appealed against was communicated to the party affected by the order;

Provided that in computing the period of limitation under this sub-section the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

78. Revision.—(1) The State Government or the Registrar may at any time on its/his motion or on the application made by any party for the purpose of satisfying itself/himself as to the legality or propriety of the followings may pass such order in reference thereto as it/he think fit,-

(i) any inquiry or proceedings or any order passed by any officer subordinate to it/him;

(ii) any proceedings or decision or resolution or any order passed by the society or committee or sub-committee of society;

(iii) any inquiry or proceedings or decision or any order passed by any officer of any society;

Provided that no order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them of being heard.

(2) No such application shall be entertained unless presented within thirty days from the date of order and in computing the period aforesaid time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded.

79. No appeal or revision in certain cases.—Not withstanding anything to the contrary contained in this Act, where with previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank of India,

(i) an order for the winding up of a co-operative bank is made; or

(ii) a scheme of compromise or arrangement or reconstruction or re-organisation or amalgamation is made or is given effect to; or

(iii) an order for the supersession or suspension of the committee by whatever name called of a co-operative bank and the appointment of an officer incharge etc.

therefor, has been made;

no, appeal, revision or review there against shall lie or be permissible, and such order or the sanction or requisition of the Reserve Bank of India shall not be liable to be called in question.

80. Review.—The State Government or Registrar may, on its/his own motion, or on the application of any party interested, review its/his own order in any case and pass such order in reference thereto as it/he thinks just;

Provided that, no such application made by the party interested shall be entertained, nor such a case be taken Suo-motu, unless the State Government or Registrar is satisfied that there has been the discovery of new and important matter of evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made, or that there has been mistake or error apparent on the face of the record, or there is any other sufficient reason;

Provided that no such order shall be varied amended or revised, unless notice has been given to the parties interested to appear and such interested parties have been heard.

Provided further that application for review of any order, by the parties interested shall not be entertained, unless the application is filed within ninety days from the passing of the order.

80-A. Extention of period of limitation by appellate authority in certain cases.—In all cases in which it is provided under this Act that an appeal may be filed against any decision or order within a specified period, the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

80-B. Transfer or withdrawal of cases.—Subject to the provisions of section 77 and 78, the Registrar, Additional Registrar, Joint Registrar, or the Deputy Registrar may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Act, for decision from his own file to any officer subordinate to him competent to decide such case or class of cases or may withdraw any case or class of cases from any such officer and may deal with such case or class of cases himself or refer the same for disposal to any other officer subordinate to him and competent to decide such case or class of cases;

80-C. Power to make interlocutory orders.—When an application for appeal, revision or review is made to State Government, or Registrar under this Act, it may in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or application, as the case may be, as may appear to it/him to be just and convenient, or make such orders as may be necessary for the ends of justice, or to prevent the abuse of the legal procedure.

80-D. Stay of execution of orders.—

(1) An officer who has passed any order or his successor in office may, at any time before the expiry of the period prescribed for appeal or revision, direct the execution of such order to be stayed for such time as may be required for filing an appeal or revision and obtaining a stay order from the appellate or revisional authority.

(2) The authority exercising the powers conferred by section 77, section 78 or section 80 may direct the execution of the order under appeal or revision or review to be stayed for such time as it may think fit.

(3) The officer or authority directing the execution of an order to be stayed may impose such conditions or order such security to be furnished as he or it thinks fit.

80-E. **Transfer of pending cases.**—Every appeal or revision or any other proceeding pending before the Madhya Pradesh State Co-operative Tribunal under the Principal Act, shall stand transferred to the State Government on the date on which the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2003 comes into force.

80-F. Any officer or any authority shall exercise such powers, delegated to the State Government by or under this Act, in such areas and in such cases as the State Government may direct by special or general order.

Amendment of Section 95. 8. In Sub-section (2) of Section 95 of the Principal Act,-

For clause (gg) following clause shall be substituted, namely :—

"(gg) prescribe the procedure to be followed in presenting and disposal of appeals, revision and review."

Miscellaneous. 9. In the Chhattisgarh Co-operative Society Act, 1960 (No. 17 of 1961) whereever, the words "Madhya Pradesh Land Development Bank Adhiniyam, 1966 (No. 28 of 1966)" occur the words "The Chhattisgarh Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Adhiniyam, 1999 (No. 20 of 2000)" shall be substituted.

Repeal. 10. The Chhattisgarh Sahakari Society (Amendment) Ordinance, 2003 (No. 4 of 2003) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

"विशेष पैकेट के अन्तर्गत डाक मुद्रा के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2005—पौष 24, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2005

क्रमांक 421/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10-01-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निर्मला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्र. 22 सन् 2004) है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 49 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 49 में-

(1) उपधारा (7-कक) एवं (7-ककक) का लोप किया जाए.

(2) उपधारा 8 (एक) और (दो) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए :-

"(8) यदि उपधारा (7-क) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल या एतद् पूर्व हटाई गयी उपधारा (7-कक) के अधीन बढ़ाए गये कार्यकाल का अवसान होने के पूर्व निर्वाचन नहीं होते हैं, तो समिति के समस्त सदस्यों के संबंध में यह समझा जावेगा कि सभी सदस्यों ने अपने पद रिक्त कर दिये हैं और समिति की शक्तियाँ रजिस्ट्रार में निहित हो गई है और रजिस्ट्रार यथासंभव शीघ्र निर्वाचन करवायेगा.

परंतु रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया उक्त अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा."

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2005

क्रमांक 421/21-अ/प्रारूपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्र. 22 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2004)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2004

An Act to further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fifty year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Co-operative Societies (Amendment) Act, 2004 (No. 22 of 2004). **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 49 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act) :- **Amendment of Section 49.**

(1) Sub section (7-AA) and (7-AAA) shall be omitted.

(2) Sub section (8) (i) and (ii) the following shall be substituted :-

"(8) If the elections are not held before the expiry of the term specified in sub-section (7-A) or the extended term under deleted herein before sub-section (7-AA), all the members of the committee shall be deemed to have vacated their seats and the powers of the committee shall be deemed to have been vested in the Registrar and the Registrar shall hold elections as early as possible.

Provided that the Registrar may authorize any officer to exercise the powers of the committee vested in him under this sub-section and the officer so authorized shall exercise such powers from the date of such authorization."

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2013—माघ 24, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक 1285/डी. 45/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-02-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

उद्देशिका का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की उद्देशिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने हेतु अधिनियम."

धारा 2 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (म-एक) में, शब्द "रजिस्ट्रार" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"राज्य निर्वाचन आयोग"

(दो) खण्ड (ख-क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"(ख-ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;"

(तीन) खण्ड (य) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(य) "सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सहकारी सोसाइटी;"

(चार) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(घ) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स अथवा सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निदेशन एवं नियंत्रण का भार सौंपा गया हो;"

(पांच) खण्ड (न-एक) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :—
(न-एक) "अधिकारी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया हो, तथा सहकारी सोसाइटी द्वारा जिसमें कोई अधिकारी जिसकी पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर हुई है, भी सम्मिलित है.

(छः) खण्ड (न-एक) के पश्चात् निम्नानुसार खण्ड (न-एक क) अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(न-एक क) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष, और जिसमें कोई भी अन्य व्यक्ति, जो सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के द्वारा निर्वाचित किया जाता हो, भी सम्मिलित है;

(सात) खण्ड (खख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(गग) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(घघ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ङङ) "अधिकरण" से अभिप्रेत है, धारा 77 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण;

(चच) "बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 (क्र. 39 सन् 2002) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो;

(छछ) "राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी जिसके कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण राज्य में हो;

(जज) "प्रशासक" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के निलंबन अथवा अधिक्रमण के अधीन रखे जाने की कालावधि के दौरान, सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(झझ) "कार्यकारी संचालक" से अभिप्रेत है, बोर्ड के निर्वाचित और सहयोजित संचालक को छोड़कर ऐसे संचालक जो संचालक मण्डल का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसे प्रबंधक संचालक, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संचालक वित्त, संचालक विपणन और अन्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि, जिन पर कार्यकारी उत्तरदायित्व हो;

(ञञ) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट प्राधिकारी या निकाय, जिसका प्रयोजन सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन, निर्वाचक नामावली तैयार करने पर अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण;

इस अधिनियम में जहां भी शब्द "समिति" आया हो, उसे शब्द "बोर्ड" से प्रतिस्थापित किया जाये.

4. मूल अधिनियम की धारा 19-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :— **नवीन धारा 19-ङ का अंत:स्थापन.**

"19-ङ **"सदस्यों आदि की शिक्षा"**—प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने बजट में, सदस्यों जिसमें पदाधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे, की शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय के लिए प्रावधान का समावेश करेगी."

5. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :— **धारा 32 का संशोधन.**

"(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, अपने रजिस्टर्ड पते पर दैनिक कारोबार क्रियान्वित करेगी तथा अपने रजिस्टर्ड पते पर सहकारी सोसाइटी से संबंधित अभिलेख संधारित करेगी और यदि सहकारी सोसाइटी—

(एक) रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की संसूचना नहीं देती है, या

(दो) उसके रजिस्टर्ड पते पर कारोबार नहीं करती है; या

(तीन) उसके रजिस्टर्ड पते पर अभिलेख संधारित नहीं करती है.

तो रजिस्ट्रार जिम्मेदार अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा."

धारा 48 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम को धारा 48 में,—

(एक) उप-धारा (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उनकी सदस्यता के अनुपात में किया जाएगा :

परंतु यह कि ऐसा आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि एक स्थान (सीट) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी."

(दो) उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(7) (क) सदस्य जो बिना किसी उचित कारण के लगातार तीन सभाओं में जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित रखता है और जो उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान के पश्चात् प्रमाणित हो गया है, बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से परिविरत हो जायेगा और सभी पारिणामिक लाभों से वंचित हो जायेगा."

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी में, कोई भी सदस्य, बोर्ड के सदस्य के रूप में प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा और न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि को, बोर्ड के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा, जब तक कि वह ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा सभी प्रकार की सोसाइटियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर विहित किया जाए, का उपभोग नहीं कर लिया हो."

(तीन) उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारायें जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या, इक्कीस से अधिक नहीं होंगी, जिनमें से दो महिलायें होंगी :

परन्तु इस धारा की उप-धारा (9) के उपबंधों के अधीन नियुक्त सहयोजित विशेषज्ञ सदस्य एवं पदेन सदस्य और धारा 52 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन नियुक्त शासकीय नामिती और कार्यकारी संचालकों को बोर्ड के ऐसे इक्कीस सदस्यों की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा.

(9) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उन व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा जिन्हें ऐसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हो जो ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा

किए जा रहे उद्देश्यों और क्रियाकलाप से संबंधित हों :

परंतु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या इस धारा की उप-धारा (8) में विनिर्दिष्ट इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्य सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य की हैसियत से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होंगे."

7. मूल अधिनियम की धारा 49 में,— **धारा 49 का संशोधन.**

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "पूर्व तीन मास" के स्थान पर, शब्द "छः माह की कालावधि" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (1) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(छ) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति के लिए."

(तीन) उप-धारा (7-क) (एक) के प्रथम परंतुक के पश्चात् द्वितीय परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि बोर्ड का कार्यकाल मूल कार्यकाल के आधे से कम है, तो बोर्ड, जिस वर्ग में आकस्मिक रिक्तियां उद्भूत हुई हैं, के संबंध में उसी वर्ग के सदस्य में से नामिती द्वारा बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति कर सकेगा."

(चार) उप-धारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन कराया जायेगा. यदि बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन नहीं कराये जाते हैं, या सहकारी सोसाइटी का बोर्ड किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिविरत हो जाए, तो बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त किये गये समझे जाएंगे और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित समझी जाएंगी और राज्य निर्वाचन आयोग, छः मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में बारह मास के भीतर निर्वाचन करवायेगा :

परंतु रजिस्ट्रार इस उप-धारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किए जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा."

8. मूल अधिनियम की धारा 50-क में, उप-धारा (1-क) एवं (1-ख) का लोप किया जाए. **धारा 50-क का संशोधन.**

9. मूल अधिनियम की धारा 50-क के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :— **नवीन धारा 50-ख का अंत:स्थापन.**

"50-ख. **राज्य निर्वाचन आयोग.**—

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करेगी.

(2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा, जैसा कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक हो.

(3) इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, जैसा कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, ऐसी शक्तियां और कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण करेगा, जैसा कि ऐसे निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक समझा जाय.

(4) राज्य सरकार सभी सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन कराने के लिए, निर्वाचक नामावली तैयार कराने, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से नियम बनायेगी.

(5) सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी की शक्तियां ऐसी होंगी जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए.

(6) आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों और अन्य सभी संबंधित लोगों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा.

(7) आयोग को निर्वाचन में अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा के लिए भी सशक्त किया जाएगा और ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान पूर्णरूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे.

(8) (क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष, सभापति और कार्यकारी संचालक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के संबंध में संसूचित करे और कार्यकारी संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन कराने हेतु आयोग को समय पर निवेदन कर लिया गया है, जिससे कि आयोग निर्वाचन करा सके;

(ख) उप-धारा (3) (क) के अधीन यथा उल्लेखित अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन, विद्यमान बोर्ड की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित कर लिया जाये;

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी आयोग निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उससे अपेक्षा करे, अद्यतन है और आयोग या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को समय-समय पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं;

(घ) सहकारी सोसाइटी का बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि सहकारी सोसाइटी द्वारा आयोग को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराए, जो कि निर्वाचन के संचालन के लिए इस संबंध में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए;

(9) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन करवाने के लिए उपगत समस्त व्यय, संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किये जायेंगे.

(10) आयोग, बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे जाएं एवं आयोग द्वारा इस धारा के अधीन जारी किए गए निर्देश उन पर बंधनकारी होंगे."

52-ख का विलोपन. 10. मूल अधिनियम की धारा 52-ख का लोप किया जाए.

11. मूल अधिनियम की धारा 53 में,— धारा 53 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द "प्रथमत: दो वर्ष" के स्थान, पर शब्द "छ: माह" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के तृतीय परंतुक में अंक एवं शब्द "5 वर्ष" के स्थान, पर अंक एवं शब्द "1 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) परन्तु ऐसा आदेश छ: मास से अधिक के लिए तथा सहकारी बैंक के मामले में एक वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा."

(चार) उप-धारा (13) का लोप किया जाए.

(पांच) उप-धारा (13) के पश्चात्, निम्नानुसार उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(14) जहां रजिस्ट्रार की राय में :—

(एक) सहकारी सोसायटी का बोर्ड लगातार चूक करता हो, अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करता हो और ऐसा कृत्य किया हो जो सहकारी सोसायटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हो; या

(दो) जहां सोसाइटी के गठन या बोर्ड के कार्य में ऐसा गतिरोध पैदा हो गया हो;

(तीन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराने में चूक हुई हो ऐसे बोर्ड को अधिक्रमण या निलंबन के अधीन रखा जा सकेगा, और रजिस्ट्रार प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही करेगा:

परन्तु यह और कि, किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अधिक्रमित नहीं किया जायेगा या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा जहां शासन की अंशधारिता या ऋण या वित्तीय सहायता या शासन द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई हो."

12. मूल अधिनियम की धारा 56 में,— धारा 56 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: माह के भीतर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को विवरणी फाइल करेगी जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगी, अर्थात् :—

(एक) सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन;

(दो) सहकारी सोसाइटी के लेखों का संपरिक्षित विवरण;

(तीन) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष व्ययन के लिए योजना;

(चार) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन की सूची, यदि कोई हो तो;

(पांच) सहकारी सोसाइटी के साधारण सभा की बैठक का दिनांक तथा निर्वाचन शोध्य (ड्यू) होने पर, उसके आयोजन संबंधी घोषणा;

(छ:) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी."

(दो) उप-धारा (3) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान, पर शब्द "पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

नवीन धारा 57-ख का अंत:स्थापन.

13. मूल अधिनियम के अध्याय पांच एवं धारा 57-क के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय पांच-क एवं धारा 57-ख अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय पांच-क

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान

57-ख. **अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों का प्रबंधन.**—

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी की उपविधियों या उसके अधीन जारी आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा.

(2) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) "सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसमें अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारिता सदस्य हैं;

(दो) "सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) की धारा 2(च) के अधीन यथा परिभाषित सहकारिता;

(तीन) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(चार) "सहायक सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिता, जिसमें अन्य सहकारिता या सहकारी सोसाइटी सदस्य है;

(पांच) "अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी" में सम्मिलित है राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी.

(3) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, सहायक सहकारिता के सदस्य बनने हेतु पात्र होगी.

(ख) छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारिता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी की सदस्य हो सकती है.

(4) एक अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी एक सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी या एक सहायक सहकारिता की सदस्य अपनी इच्छानुसार बन सकती है या ऐसी सहकारी सोसाइटी या सहकारिता की सदस्यता से अलग हो सकती है.

(5) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की उपविधि या उपविधियों में कोई संशोधन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

(ख) यदि, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि प्रस्तावित उपविधियों या उपविधियों में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के विरुद्ध हैं तो वह आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उस पर सम्यक् रूप से कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे निरस्त करेगा.

(6) (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक अमानतदार न्यूनतम अमानत राशि एवं अवधि संबंधी मानदण्ड, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंशपूंजी के अंशदान करने के पश्चात् धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के सदस्य बनने हेतु पात्र होंगे एवं उन्हें एक सदस्य के रूप में पूर्ण मताधिकार होगा.

(ख) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति या उधारकर्ता समूह को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकार होगा.

(ग) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत प्रत्येक समूह जमाकर्ता या उधारकर्ता समूह को समूह द्वारा नामित एक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान का अधिकार होगा.

(7) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों, विशेषत: निम्नांकित क्षेत्रों में स्वशासी होगी :—

(एक) रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप और उसके अध्यधीन अमानतों एवं ऋणों पर ब्याज दर,

(दो) उधार ग्रहण एवं विनियोग,

(तीन) ऋण नीतियों एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णयों,

(चार) कार्मिक नीति, स्टाफिंग, भर्ती, कर्मचारियों की पदस्थापना और पारिश्रमिक, और

(पांच) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए प्रतिकर.

(8) किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और राज्य सरकार अथवा ऐसी सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छानुसार राज्य सरकार का अभिदाय कम कर सकती है.

(9) (क) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा, यदि राज्य सरकार ने उसकी अंश

पूंजी में अभिदाय किया हो:

परन्तु यह कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न हीं ऐसे निर्वाचन में मताधिकार होगा.

(ख) (एक) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा यदि बोर्ड की अंशपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया हो:

परन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा.

(दो) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को, इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारी सोसाइटी अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारिता के साथ संव्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी.

(10) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को किसी भी स्तर की संरचना में प्रवेश करने तथा उससे बाहर की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और इसके प्रचालन के लिए भौगोलिक सीमाओं का आज्ञापक निर्बन्धन नहीं होगा.

(11) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी बैंक में अपना फंड विनियोजित अथवा निक्षेप कर सकेगी तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा निवेश अथवा निक्षेप उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी में करे जिससे वह संबद्ध है.

(12) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक से ऋण ले सकती है तथा राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त ले सकती है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ऋण अथवा पुनर्वित्त उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी से ले जिससे वह संबद्ध है.

(13) कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान कर सकती है.

(14) कोई व्यक्ति अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड में निर्वाचित, नामांकित या सहयोजित या एक सदस्य के रूप में निरंतर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि वह :—

(एक) ऐसा व्यक्ति है जो केन्द्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह ऐसे बैंक के भुगतान में 90 दिनों से अधिक अवधि का चूक करती हो ;

(दो) ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के शोध्यों के संदाय में चूक करता है या जो केंद्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व

करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ऐसे बैंक के भुगतान में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चूक करती है, जब तक चूक मुक्त नहीं हो जाती.

(तीन) ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी बोर्ड अतिष्ठित हो गई है.

(15) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना अतिष्ठित नहीं की जाएगी.

(ख) किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर ही अतिष्ठित की जाएगी, यदि :—

(एक) कोई सहकारी सोसाइटी लगातार तीन वर्षों तक हानि उपगत करती हो;

(दो) गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जो इस प्रयोजन हेतु हुई जांच में प्रमाणित पायी गयी हों;

(तीन) धोखाधड़ी/कपट पाया गया हो;

(चार) लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति की कमी रही हो.

(16) (क) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराएगा.

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन अधिक्रमण की तारीख से, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में छ: माह तथा राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में बारह माह के भीतर कराएगा:

परंतु यह कि परिस्थितियां नियंत्रण से परे होने पर, शासन अधिक्रमण की तारीख से छ: माह से अनधिक अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन कराने की अनुमति प्रदान कर सकेगा.

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक्रमित किया गया है, का कोई सदस्य अधिक्रमण की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए पुन: निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि जहां धारा 15 (ख) (चार) में अंतर्विष्ट आधारों पर अधिक्रमण किया जा रहा है, वहां गणपूर्ति का अभाव ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं है.

(17) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं को रजिस्ट्रार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, के द्वारा राष्ट्रीय बैंक अथवा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर हटाया जायेगा.

(18) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड में ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए, विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या दो से अधिक न हो तथा ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की राय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले निर्वाचित संचालकों की ऐसी संख्या न होने की दशा में राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों, यथास्थिति, की बोर्ड, ऐसे क्षेत्र में पेशेवर (वृत्तिक व्यक्ति) ऐसी संख्या में सहयोजित करेगी और ऐसे सहयोजित पेशेवरों को निर्वाचन को छोड़कर पूर्ण मताधिकार होगा चाहे, ऐसा वृत्तिक (पेशेवर) बोर्ड का सदस्य हो अथवा नहीं.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित ज्ञान अंथवा अनुभव के बिना इस उप-धारा के खण्ड (क) के अधीन बोर्ड में सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है, तो उसे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा.

(19) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के सदस्यों के द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, जो तीन व्यक्तियों से अनधिक के नामों के पैनल में से होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत मानदण्ड के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने हेतु पात्र हो और उपर्युक्त पैनल की अनुशंसा चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जिसमें से सभी राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों में से होंगे—

(एक) बोर्ड में राज्य शासन का नामिती.

(दो) बोर्ड में राष्ट्रीय बैंक का नामिती.

(तीन) बोर्ड का एक अन्य सदस्य जो या तो निर्वाचित हो या सहयोजित हो.

(20) कोई भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ [उनके अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्त है] "बैंक" शब्द या बैंक शब्द के किसी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं होंगे तथा अपने रजिस्ट्रीकृत नाम या अपने नाम के भाग के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे:

परंतु यह कि कोई प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ [उन संस्थाओं के अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में अनुज्ञप्त है] इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व "बैंक" शब्द का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत है, शब्द "बैंक" अथवा इसके व्युत्पन्नों सहित, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन माह के भीतर विलोपित किये जायेंगे:

परंतु यह और कि जहां ऐसी कोई सहकारी सोसाइटी उपरोक्त प्रावधानों का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सहकारी सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके परिसमापन का आदेश देगा.

(21) राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय लेखा पुस्तिकाओं का, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित ऐसे संपरीक्षकों के पैनल में से संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म्स द्वारा संपरीक्षा एवं सत्यापन किया जाएगा.

(22) जहां रिजर्व बैंक यह आवश्यक समझे, राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक यथास्थिति, के वित्तीय लेखाओं का विशेष अंकेक्षण रजिस्ट्रार करायेगा और ऐसे विशेष अंकेक्षण का संचालन तथा ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रस्तुति ऐसी रीति में तथा ऐसी समयावधि के भीतर की जायेगी, जैसी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाये.

(23) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड के अलावा किसी भी प्राधिकारी को इसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) या ऐसी सहकारी सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु उन अपेक्षित निधियों को छोड़कर किसी निधि में किए जाने वाले अंशदान हेतु सहकारी सोसाइटी को निर्देशित करने की शक्तियां नहीं होंगी.

(24) सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवकेपूर्ण मानदण्ड जिसमें पूंजी के लिए जोखिम भारित आस्तियों के मानदण्ड (रिस्क वेटेड असेट्स रेश्यो) भी सम्मिलित है रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विहित किये जायेंगे.

(25) (एक) जहां रिजर्व बैंक कोई विनियम विहित करता है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक या सहकारी केन्द्रीय बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के अतिष्ठान या परिसमापन की अनुशंसा भी शामिल है, तब रजिस्ट्रार ऐसी संसूचना के एक माह के भीतर अनुपालन करेगा.

(दो) रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह के एक माह के भीतर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि परिसमापन या अधिक्रमण के लिए परिसमापक अथवा प्रशासक, यथास्थिति, नियुक्ति हो गया है.

(तीन) जहां रिजर्व बैंक की यह राय हो कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि ऐसे व्यक्ति का बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में निरंतर बने रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है, तब रजिस्ट्रार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पद से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी तथा रजिस्ट्रार ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(चार) यदि कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ज्ञान नहीं रखता है, तो रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, ऐसे सहयोजित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे पद से हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(26) अल्पकालीन सहकारी साख सरंचना सोसाइटी के प्रत्येक कर्मचारी ऐसी सहकारी सोसाइटी के संवर्ग से होंगे तथा सहकारी सोसाइटी को ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही के समस्त विषयों में पूर्ण शक्तियां होंगी :

परन्तु यह कि कोई कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर वहां है, के निबंधन एवं शर्तों को संरक्षित किया जायेगा.

(27) जहां अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी को इस अध्याय के किसी उपबंधों में लोकहित में छूट दिया जाना अपेक्षित हो, तो राज्य सरकार रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से ऐसा करेगी.

(28) कोई भी प्राधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा अथवा ऐसे तरीके से ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेगा जिसके प्रभाव से किसी भी अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी की शक्तियों में इस अध्याय के उपबंधों के अंतर्गत कमी होती हो.

धारा 58 का प्रतिस्थापन.

14. मूल अधिनियम की धारा 58 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"58. **लेखाओं की संपरीक्षा.—**

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, संबंधित आय, व्यय के लेखों का संधारण ऐसे प्रारूपों में करेगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे तथा सहकारी वर्ष के अंतिम दिवस की स्थिति पर तुलन पत्र प्रस्तुत करेगी.

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों और समस्त संव्यवहारों जो उसके कारोबार से संबंधित है के अभिलेखों को संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स जो साधारण निकाय द्वारा इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से, प्राधिकृत किया गया है, को प्रस्तुत करेगी.

(3) रजिस्ट्रार, ऐसे व्यक्ति को जो भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था अथवा संपरीक्षा फर्म्स का सदस्य नहीं है और जो उक्त संस्था द्वारा ऐसी संपरीक्षा करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया हो, शामिल नहीं करेगा:

परंतु यह कि ऐसे सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसमें सरकारी अंशधारिता अथवा ऋण अथवा कोई शासकीय प्रतिभूति या वित्तीय सहायता दी गयी है, रजिस्ट्रार पैनल में संपरीक्षक को शामिल कर सकेगा.

(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत संपरीक्षकों अथवा परीक्षकों के समूह द्वारा कराएगी और संपरीक्षा के लिए ऐसी फीस देय होगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित की जाए:

परन्तु यह कि—

(एक) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से सोसायटियों के किसी वर्ग को ऐसा शुल्क भुगतान करने में छूट दे सकेगी ;

(दो) रजिस्ट्रार, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण करेगा;

(तीन) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे संबंधित हो, की समाप्ति के छ: माह के भीतर कराई जाएगी और सहकारी सोसाइटी की लेखाओं का संधारण संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित किया जाएगा;

(चार) संपरीक्षक, जिसके द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षण किया जाना है, की नियुक्ति इस संबंध में रजिस्ट्रार

द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के पैनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा.

(5) उप-धारा (1) के अधीन संपरीक्षा में लेखाओं तथा अतिशोध्य ऋणों, यदि कोई हो, की परीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधीन जारी किए गए निर्देशों तथा आदेशों के अनुपालन की परीक्षा, रोकड़ अधिशेष तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मदें जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं.

(6) संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स की समस्त समयों पर सहकारी सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज-पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में कोई ऐसी पुस्तक, लेखे, दस्तावेजें, कागज-पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हों, या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें उस सहकारी सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा के किसी स्थान पर पेश करने के लिए समन कर सकेगा.

(7) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सहकारी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सहकारी सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जैसा कि संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स अपेक्षित करे:

परंतु यह कि शीर्ष सोसायटियों के लेखाओं का संपरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान सभा के समक्ष ऐसी रीति में रखा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये."

15. (एक) मूल अधिनियम की धारा 74 के खण्ड (ट) में शब्द "अपराध घोषित किया गया है" के पश्चात् पूर्ण विराम (।) के स्थान पर, अर्द्धविराम (;) तथा शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 74 का संशोधन.**

(दो) मूल अधिनियम की धारा 74 में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ठ) अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के, कोई समंस, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किया गया हो, की अवहेलना करता हो; या

(ड) कोई नियोजक जो बिना कोई पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से कटौती की गई धन राशि, ऐसी कटौती किए जाने के दिनांक से चौदह दिवस की कालावधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में विफल रहता हो; या

(ढ) बोर्ड के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के दौरान, पूर्व अथवा पश्चात् कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण करता हो, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किया गया हो."

धारा 75 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 75 में,—

(एक) (1) खण्ड (क), (घ), (ङ) और (ज) में, अंक "2000" के स्थान पर, क्रमश: अंक "50,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(2) खण्ड (ख), (ग), (ञ) में, अंक "1000" के स्थान पर, क्रमश: अंक "25,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(3) खण्ड (झ) में, अंक "500" के स्थान पर, अंक "25,000" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) खण्ड (च), (छ) और (ट) में, अंक "250" के स्थान पर, क्रमश: अंक "25,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(दो) उप-खण्ड (ट) में, शब्द "सिद्धदोष ठहराया गया हो" के पश्चात् पूर्ण विराम (।) के स्थान पर अर्ध विराम (;) तथा शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ठ) जुर्माने से जो 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ठ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ड) जुर्माने से जो 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, प्रत्येक मामले में दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ड) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ढ) जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए"

अध्याय दस का अंत:स्थापन.

17. मूल अधिनियम के अध्याय दस के स्थान पर निम्नलिखित नया अध्याय प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय दस

अधिकरण का गठन

77. **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण.**—

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण का गठन करेगी जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण कहा जायेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो कि अधिकरण को इस अधिनियम और छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्रमांक 2 सन् 2000) द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किये जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं.

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे.

(3) (क) कोई भी व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष होने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रह चुका हो या कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो.

(ख) अन्य दो सदस्यों में एक सदस्य सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी होगा, जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो और दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा, जो सहकारी आंदोलन से घनिष्ठत:

सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा, जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो:

परंतु यदि राज्य सरकार उचित समझे तो अधिकरण का गठन एक व्यक्ति से कर सकेगा.

स्पष्टीकरण :— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "अशासकीय व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण न करता हो.

(4) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने या अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा, यदि वह किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड जो कि किसी सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय से भिन्न हो, का सदस्य हो.

(5) (क) अधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य सामान्यत: कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेंगे.

(ख) कोई व्यक्ति जिसने खण्ड (क) में उल्लिखित की गई कालावधि के लिये अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(ग) अधिकरण का कोई भी सभापति या कोई सदस्य, किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा.

(घ) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद की नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा, जो कि अधिकरण में उसकी स्थिति से अंसगत न हो.

(6) उप-धारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी. यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते रहने में असमर्थ या अयोग्य हो:

परन्तु कोई भी नियुक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक समाप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर उस व्यक्ति को, जिसकी कि नियुक्ति का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, न दे दिया गया हो.

(7) (क) यदि सभापति या सदस्य का पद छुट्टी, अनुपस्थिति, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु, पद-त्याग, नियुक्ति की अवधि के अवसान, नियुक्ति की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण चाहे जो भी हो, से रिक्त हो जाए तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी, जो इस धारा के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित हो.

(ख) जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति उपधारा (1) के अधीन भरी न जाए, तब तक ज्येष्ठतम सदस्य अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

(8) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए.

(9) अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा, जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के सदस्यों में से, जिनमें वह स्वयं सम्मिलित है, किया गया हो:

परन्तु कोई अंतर्वर्ती आवेदन उपस्थित होने वाले दो या अधिक सदस्यों द्वारा सुना जा सकेगा.

(10) ऐसे न्यायपीठों में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे.

(11) जहां किसी मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की जाए, वहां बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा, जहां किसी मामले की सुनवाई समसंख्यक सदस्यों द्वारा की जाए और वे सदस्य अपनी-अपनी राय में बराबर बंटे हुए हों, वहां यदि अध्यक्ष उन सदस्यों में से एक सदस्य हो तो अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी और अन्य मामलों में वह विषय सुनवाई के लिए अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके विनिश्चय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा.

(12) अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए तथा अपने कामकाज के निपटारे के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विनियम विरचित करेगा, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगत हों.

(13) उपधारा (12) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे.

(14) अधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी ऐसी कार्यवाही के, जिसमें कि कोई अपील उसको न होती हो, अभिलेख में किए गए किसी विनिश्चिय या पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा करेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, यदि किसी मामले में अधिकरण को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश उपान्तरित किया जाना चाहिए, तो अधिकरण उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह न्याय संगत समझे.

(15) जहां कोई अपील या आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को किया गया हो, वहां वह अधिकरण न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए यथास्थिति अपील या आवेदन-पत्र का विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा, जो कि उसे न्याय संगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हों या ऐसे आदेश कर सकेगा, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या अधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों.

(16) इस अधिनियम के अधीन अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और वह किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

(17) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि किसी अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 97 तथा उस संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा प्रदत्त की गई है.

77-क. **पुनर्विलोकन.—**

(1) अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे, जैसा कि वह न्यायसंगत समझे:

परंतु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अधिकरण या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, का यह समाधान न हो जाये कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जब कि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो जाती है, या कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है:

परंतु यह और कि ऐसा आदेश तब तक परिवर्तित, संशोधित या पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए सूचना न दे दी गई हो और ऐसे आदेश के समर्थन में सुना न गया हो:

(2) किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदन उस आदेश के पारित किये जाने की तिथि से नब्बे दिवस के भीतर फाइल न किया गया हो.

77-ख. **अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना.—**

(1) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में अधिकरण को निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का [illegible] करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-

(क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा [illegible] पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या पेश किये जाने के लिए [illegible] करना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना.

(2) किसी भी ऐसे शपथ पत्र की दशा में, कोई भी ऐसा अधिकारी जो अधिकरण द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया हो, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा.

78. **रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें.—**

(1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील :—

(क) रजिस्ट्रार को तब होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी, जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न

हो, के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे ऐसा आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से निहित हो या न हो;

(ख) अधिकरण को तब होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो.

(2) प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकरण को मात्र निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, अर्थात् :—

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश में विधित के कतिपय तात्विक विवाद्यक का अवधारण नहीं हो पाया है; या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो सकती है.

(3) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी :

परंतु इस उप-धारा के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा.

78-क. **कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमा-काल का बढ़ाया जाना.**— वे समस्त मामले जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

79. **कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनर्विलोकन न होना.**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर,—

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो ; या

(दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई योजना बनाई गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की बोर्ड के, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, के अतिष्ठान या निलम्बन के लिए आदेश किया गया हो तथा इसके लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई हो,

वहां उसके विरुद्ध कोई अपील या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या स्वीकृति या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी जहां ऐसा आदेश, योजना समझौता, प्रबंध, निर्माण, पुनर्निर्माण या संविलियन के लिए पारित किया गया हो या बनाया गया हो.

80. **मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण.**— धारा 78 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले, या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चिय करने के लिए सक्षम हो, अंतरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से उसके समक्ष विनिश्चय हेतु लंबित किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा या तो वह स्वयं कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होगा या उसे अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा.

80-क. **बोर्ड एवं अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.**—रजिस्ट्रार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए किसी आवेदन पर किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाहियों का अभिलेख या किसी सहकारी सोसाइटी की बोर्ड के किसी विनिश्चय को, किए गए किसी विनिश्चय या पारित किये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारियों या बोर्ड की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा. यदि किसी मामले में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार मंगाए गए किसी विनिश्चय या आदेश या कार्यवाहियों को उपान्तरित किया जाना चाहिए, बातिल (शून्य) किया जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उसमें ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो कि वह ठीक समझे :

परंतु इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो :

परंतु यह और कि इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी.

80-ख. **अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति.**—जहां कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति, अधिकरण या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो.

80-ग. **आदेशों के निष्पादन का रोका जाना.**—

(1) धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद उत्तरवर्ती, अपील के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील फाइल करने तथा अपील प्राधिकारी से स्थगन आदेश अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो.

(2) वह प्राधिकारी, जो धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जैसा कि वह उचित समझे.

(3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

80-घ. **लंबित मामलों का अंतरण.**—इस अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के गठन के अधिसूचना की तारीख के तत्काल पूर्व राज्य सरकार के समक्ष लंबित प्रत्येक अपील या कोई अन्य कार्यवाही अधिकरण को अंतरित हो जाएगी."

नवीन धारा 95-क का अंतःस्थापन.

18. 95-क. मूल अधिनियम की धारा 95 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"95-क. **कठिनाईयों का निराकरण.**—

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह ऐसी कठिनाई के निराकरण करने के लिए आवश्यक समझे:

परंतु यह कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रभावशील होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश विधानसभा के पटल पर यथाशीघ्र रखा जाएगा और जो किसी भी दशा में आदेश की तारीख के ठीक आगामी सत्र के अंतिम दिवस के पश्चात् नहीं होगा.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक 1285/डी. 45/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2013)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Re-public of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

2. The Preamble of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No.17 of 1961) (hereinafter referred to as Principal Act), shall be substituted by the following:— **Amendment of Preamble.**
"An Act to organize and develop Co-operatives as democratic instruments and people's Institution based on the principles of voluntary formation, autonomous functioning, democratic member - control, member - economic participation and autonomous functioning."

3. In Section 2 of the Principal Act,— **Amendment of Section 2.**

(i) In clause (y-i), the word "Registrar", shall be substituted, by the following words—
"State Election Commission"

(ii) After clause (b-i), the following clause shall be added, namely:-—
"(b-ii) "Authorized Person" means a person authorized by Registrar to act on his behalf under this Act;"

(iii) Clause (z) shall be substituted, by the following:—
"(z) "Co-operative Society" means a Co-operative society registered or deemed to be registered under this Act"

(iv) The Clause (d) shall be substituted by the following:—
(d) "Board" means the board of directors or the governing body of a co-operative society, by whatever name called, to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to;

(v) clause (t-i), shall be substituted, by the following:—
(t-i) "Officer" means a person appointed by the society to discharge the function assigned by the society and includes any officer posted on deputation;

(vi) After clause (t-i), the following clause (t-ia) shall be inserted, namely:—
(t-ia) "office bearer" means a President, Vice-President, Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary or Treasurer of a co-operative society and includes any other person to be elected by the board of any co-operative society;

(vii) After clause (bb), the following clauses shall be added, namely:—
"(cc) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(dd) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(ee) "Tribunal" means the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal constituted under Section 77."

(ff) "Multi-State co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under the Multi-State co-operative societies Act 2002 (No 39 of 2002)

(gg) "State level co-operative society" means a co-operative society having its area of operation extending to the whole of the State.

(hh) "Administrator" means a person appointed by Registrar with such terms and conditions to manage the affairs of the societies during the period in which the board of society is kept under supersession or suspension .

(ii) "Functional Director" means a Director other than elected and co-opted of the board, having functional responsibilities but re- presenting the board of directors, such as Managing Director, Additional Managing Director, Director Finance, Director Marketing , Secretary and other functional Officer etc;

(jj) "State Election Commission" means an authority or body referred to in article 243K of Constitution of India, for the purpose of superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society.

In this Act, wherever the word "Committee" occurs shall be substituted by the word "Board"

Insertion of new Section 19-E.

4. After Section 19-D of the Principal Act, the following Section shall be added, namely:—

"19-E. Education of members, etc.- (1) Every Co-operative society shall include in its budget in every financial year, provisions for expenses on the Education and Training of Members, including office bearer, other officer and Staff.

Amendment of Section 32.

5. After sub-section (3) of Section 32 of the Principal Act, the following shall be added, namely:—

(4) Every society shall carry on day to day business by its registered address and shall maintain records pertaining to the society at its registered address if the society does not—

(i) communicate the changed address to the Registrar, or

(ii) carry on the business at its registered address, or

(iii) maintain the records at its registered address.

The Registrar may impose penalty not exceeding fifty thousand rupees on the officer responsible after giving a reasonable opportunity of being heard.

Amendment of Section 48.

6. In Section 48 of the Principal Act,—

(i) sub-section (3) shall be substituted, namely :-

(3) "The reservation of the seats on the board of the society from among its members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be in proportion to their membership."

Provided that such reservation shall not exceed 50% of membership of the board.

Provided further that one seat shall be reserved for Schedule Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.

(ii) For sub-section (7), the following shall be substituted, namely:-

"(7) (a) A member who absents himself willfully in three consecutive meetings without reasonable cause, and which is proved after giving him reasonable opportunity, shall be ceased to be a member of the board, and is debarred from all consequential benefits.

(b) In a Co-operative society, no member shall be qualified for election as member of the board, delegate or representative and entitled to vote in any election of the board, delegate or representative of the co-operative society unless he has availed minimum level of services by such society as may be prescribed in this regard from time to time."

(iii) After sub-section (7), the following sub-sections shall be added, namely :-

"(8) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder or bylaws of the societies total number of members of the board shall not exceed twenty-one, of which two shall be women.

Provided further that co-opted specialist member appointed under provisions of sub-section (9) of this Section and ex-officio member, and Government nominee appointed under provisions of sub-section (1) of Section 52 and functional director(s) shall be excluded from the maximum number of members for the purpose of this sub-section.

(9) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, Board shall co-opt those persons as members of the board having experience in the field of banking management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society, as member of the board of such society:

Provided that the number of such co-opted member shall not exceed two in addition to twenty-one members specified in sub-section (8) of this Section.

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the board."

7. In Section 49 of the Principal Act,— **Amendment of Section 49.**

(i) In sub-section (1), for the words "three month before" the words "a period of six months of" shall be substituted.

(ii) In sub-section (1), after clause (f), the following clause shall be added, namely :—
"(g) appointment of Auditor for next financial year."

(iii) After proviso to sub-section (7-A) (i), the following proviso shall be inserted, namely :—
"Provided further that the board may fill a casual vacancy on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of board is less than half of its original term."

(iv) For sub-section (8), the following shall be substituted, namely:—
"(8) Notwithstanding anything contained in this Act or Rules made thereunder the election of a board shall be conducted before the expiry of the term of the board. If the elections are not held before the expiry of the term, or board of society ceases to function due to the order of any court or otherwise all the members of the board shall be deemed to have vacated their seats and the powers of the board shall be deemed to have been vested in the Registrar and the State Election Commission shall hold elections within six months, or twelve months in case of the Co-operative Banks:

Provided that the Registrar may authorize any officer to exercise the powers of the board vested in him under this sub-section and the officer so autho..zed shall exercise such powers form the date of such authorization."

Amendment of Section 50-A. 8. In Section 50-A of the Principal Act, the sub-section (1-A) and (1-B) shall be omitted.

Insertion of a new Section 50-B. 9. After Section 50-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:—
"50-B. **State Election Commission.—**

(1) State Government may by notification in the Official Gazette Authorize State Election Commission to conduct Election of co-operative Societies and preparation of electoral rolls.

(2) State Election Commission shall in consultation with State Goverment appoint such numbers of officers and other staff as may be required for conducting election in respect of co-operative societies ;

(3) In exercise of power under this section, the state election commission shall determine the duties and responsibilities as well as the powers that may be exercised by such officers and the staff refer to in sub-section (2), as the commission may deem fit for conducting the election.

(4) The State Goverment Shall, in consultation with the State election commission make rules for the preparation of electoral rolls for conducting elections to all co-operative societies.

(5) The process of Election to co-operative societies and the powers of returning office shall be as may be notified by the commission for the purpose.

(6) The commission shall notify the code of conduct to be followed by the candidates, others and functionaries engaged in the process of election for in enabling free and fair election.

(7) The commission shall also be empowered to requisition the services of other officers to aid and assist in the election, and such requestioned officers will be under the over all supervisions in control of commission during the election.

(8) (a) It shall be obligatory on the president, Chairman and Functional Director of every co-operative society to notify state election commission about election and it shall be the duty of functional director to ensure that the request for holding elections is made available to the commission in time to enable the commission to conduct election ;

(b) On receipt of the request, as laid down under sub-section (3)(a) the Commission shall ensure that the election be held before the expiration of the term of existing board;

(c) It shall be the duty of the board of the society to ensure that all information, books and records are kept upto date and are being made available from time to time to the Commission or any person authorized by him in this behalf as may be required/expected by him for the purpose of election;

(d) The Board of the society shall also ensure that all such assistance is being made available to Commission by the society as may be expected by him in this regard to conduct elections;

(9) All expenses incurred in conducting the elections of the board of any society shall be borne by the society concerned.

(10) The Commission may issue such instructions to the board or its members which it may consider reasonable for conducting free and fair election. Instructions issued under this section by the Commission shall be binding on them.

10. Section 52-B of the Principal Act, shall be omitted. **Amendment of Section 52-B.**

11. In Section 53 of the Principal Act,— **Amendment of Section 53.**

(i) In clause (c) of sub-section (1), for the words "two years in the first instance" the words "six months" shall be substituted.

(ii) In third proviso of clause (c) of sub-section (1), for the figure and word "5 years" the figure and word "1 year" shall be substituted.

(iii) For sub-section (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3) No such order shall remain in force for more than six months, and one year in case of Co-operative Banks."

(iv) Sub-section (13) shall be omitted.

(v) After sub-section (13), the following shall be added, namely:—

"(14) where in the opinion of the Registrar :—

(i) the board of co-operative society is in persistent default, or negligent in the performance of its duties and has committed any act prejudicial to the interest of the co-operative societies or its member; or

(ii) there is stalemate in the constitution or functions of the board: or

(iii) the State Election Commission has failed to conduct election as per the Act, such board may be superseded or kept under suspension and the Registrar shall proceed to appoint administrator.

Provided further that the board of any such co-operative societies shall not be superseded or kept under suspension where there is no Goverment shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Goverment.

Amendment of Section 56.

12. In Section 56 of the Principal Act.—

(i) After sub-section (1), the following shall be inserted, namely :—

"(1-a) Every society shall file returns within six months of the close of every financial year to the Registrar or any person authorized by him on his behalf pertaining to the following, namely:-

(i) Annual report of its activities;

(ii) Its audited statements of accounts;

(iii) Plan for surplus disposal as approved by the general body of the society;

(iv) List of amendments to the bylaws of the society, if any;

(v) Declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of election when due; and

(vi) Any other information required by the Registrar in pursuance of any provision of this Act."

(ii) In sub-section (3), for the words "five thousand" the words "fifty thousand" shall be substituted.

Insertion of new Section 57-B.

13. After Chapter V and Section 57-A of the Principal Act, the following new Chapter V A and Section 57-B shall be inserted, namely:—

"CHAPTER V-A

Provision regarding short term Co-operative Credit Structure Societies

57-B. **Management of short term Co-operative Credit Structure Societies.—**

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or Rules framed thereunder or bylaws of any registered society or orders issued thereunder, the provisions of this chapter shall have overriding effect.

(2) In this Chapter, unless the context otherwise requires.-

(i) "Affiliating Society" means a society of which another society or co-operative is a member;

(ii) "Co-operative" means a co-operative as defined under Section 2(f) of Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000);

(iii) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under Section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981);

(iv) "Secondary Co-operative" means a co-operative registered under Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) of which another co-operatives or society is a member;

(v) "Short term co-operative credit structure society" includes the State Co-operative Bank, a Central Co-operative Bank and a Primary Agricultural Credit Co-operative Society.

(3) (a) Short term co-operative credit structure society shall be eligible to be a member of a secondary co-operative.

(b) A co-operative registered under Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) may become the member of an affiliating society registered under this Act.

(4) A short term co-operative credit structure society may become a member of an affiliating society or a secondary co-operative of its choice or leave the membership of such society or co-operative.

(5) (a) The bylaws or any amendment to the bylaws of a short term co-operative credit structure society shall be registered by the Registrar within thirty days from the date of receipt of the application.

(b) If the Registrar is satisfied that the proposed bylaws or the amendments to the bylaws are contrary to the provisions of the Act and the rules made thereunder he shall reject the same duly recording his reasons thereon within thirty days from the date of receipt of the application.

(6) (a) Every depositor in a primary agricultural credit co-operative society, subject to the criteria of minimum deposit amount and period, as prescribed by Registrar from time to time, shall be eligible to be a member of the society under sub-section (1) of Section 19 after subscribing the minimum share capital specified in the bylaws of the society and shall have full voting rights of a member.

(b) An individual or a group of borrower shall have the right to become member of a primary agricultural credit co-operative society under sub-section (1) of Section 19.

(c) Every group of depositor or a group of borrower admitted, as member under sub-section (1) of Section 19, shall be entitled to vote through a delegate nominated by such group.

(7) The short term co-operative credit structure society shall be autonomous in all financial and internal administrative matters especially in the following areas:—

(i) interest rates on deposits and loans in conformity with and subject to Reserve Bank's guidelines,

(ii) borrowings and investments,

(iii) loan policies and individual loan decisions,

(iv) personnel policy, staffing, recruitment, posting and remuneration to staff, and

(v) internal control systems, appointment of auditors and compensation for the audit.

(8) The State Government's subscription in the share capital of any short term co-operative credit structure society shall not exceed twenty five percent and the State Government or such society may reduce the State Government's subscription further at its choice.

(9) (a) There shall be only one nominee of the State Government in the board of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank if the State Government has subscribed to its share capital:

Provided that the nominee of the State Government in the board of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall not take part in election nor shall have any voting right in such election.

(b) (i) There shall be only one nominee of the State Government in the board of a primary agricultural credit co-operative society if the State Government has subscribed to its share capital:

Provided that the nominee of the State Government in a board in the primary agriculture credit society shall not take part in election nor shall have any voting right in such election.

(ii) A short term co-operative credit structure society shall have full freedom to transact with other societies registered under this Act or co-operatives registered under the Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000).

(10) A short term co-operative credit structure society shall have the freedom of entry and exit at any tier and there shall be no mandatory restrictions of geographical boundaries for its operations.

(11) A short term co-operative credit structure society may, subject to the guidelines of the Reserve Bank, invest or deposit its funds in any bank regulated by the Reserve Bank and not necessarily in the affiliating society to which it is affiliated.

(12) A short term co-operative credit structure society may obtain loans from any bank regulated by the Reserve Bank and refinance from the National Bank and not necessarily from the affiliating society to which it is affiliated.

(13) A primary agricultural credit co-operative society may pay dividend in accordance with the guidelines framed by the Registrar in consultation with the National Bank.

(14) No person shall be elected, nominated or co-opted or allowed to continue as a member of the board of a short term co-operative credit structure society, if he—

(i) is a person who represents a society other than a primary agricultural credit co-operative society on the board of a Central Co-operative Bank or the State Co-operative Bank, if the society he represents has committed a default towards the payments of such bank for a period exceeding ninety days;

(ii) is a person who committed a default towards the payments to a primary agricultural credit co-operative society or represents a primary agricultural credit co-operative society on the board of a Central Co-operative Bank or the State Co-operative Bank, if the society he represents has committed a default towards the payments of such bank for a period exceeding one year unless the default has been cleared;

(iii) is a person, who represents a society whose board is superseded.

(15) (a) The board of the State Co-operative Bank and the Central Co-operative Banks shall not be superseded without prior consultation with the Reserve Bank.

(b) The board of a primary agricultural credit co-operative society may be superseded only on any of the following grounds, if—

(i) the society incurs losses for three consecutive years;
(ii) serious financial irregularities as proven in enquiry for the purpose;
(iii) fraud has been identified;
(iv) lack of quorum in three consecutive meetings.

(16) (a) The State Election Commission shall conduct elections to a short term co-operative credit structure society before the expiry of the term of the existing board.

(b) The State Election Commission shall conduct elections to a short term co-operative credit structure society within six months in case of Primary Agricultural Credit Co-operative Society and twelve months in case of State Co-operative Banks and Central Co-operative Banks from the date of its supersession:

Provided that in circumstances beyond control, the Government may allow holding of such elections within a period not exceeding six months from the date of supersession.

(c) A member of the board of a primary agricultural credit co-operative society which has been superseded under this Act shall not be entitled to contest the election again for a period of three years from the date of supersession:

Provided that where the supersession is owing to the grounds contained in Section 15(b)(iv), the lack of quorum is not due to the absence of such member.

(17) The members of the board and Chief Executive Officers of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Banks who do not fulfill the criteria stipulated by the Reserve Bank shall be removed by the Registrar or the Appointing Authority, as the case may be, on the recommendation of the Reserve Bank or the National Bank.

(18) (a) Where the number of elected members on the board of a State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank does not, in the opinion of National Bank, possess special knowledge or experience in such fields as may be stipulated by the National Bank, the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank, as the case may be, shall co-opt such number of professional in such field, not exceeding two and the professionals so co-opted shall have full voting rights except the election irrespective of whether such professional is a member of the Society or not.

(b) If any person who, in the opinion of the Reserve Bank, has been co-opted as a member of the board under clause (a) of this sub-section without having requisite knowledge or experience as stipulated by the Reserve Bank, he shall, on being advised by the Reserve Bank or the National Bank, be removed from the office after giving him a reasonable opportunity of being heard.

(19) The Chief Executive Officer of the State Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank, shall be appointed by the members of the board of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank, as the case may be, from among a panel of names not exceeding three persons eligible to hold the office of Chief Executive Officer in accordance with the criteria stipulated by Reserve Bank; and the aforesaid panel shall be recommended by a selection board consisting of the following persons all of whom shall be the members of the board of the State Co-operative Bank or the Central co-operative Bank as the case may be :—

(i) The nominee of State Government on the board.

(ii) The nominee of the National Bank on the board.

(iii) One other member of the board whether elected or co-opted.

(20) No primary agricultural credit co-operative society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) shall be registered with the term 'bank' or any other derivative of the term 'bank' in its registered name or shall use the same as a part of its name:

Provided that where any primary agricultural credit co-operative society or its federation or association (except those which has permitted as a bank under Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) has been registered using the term "bank" before the coming into force of this Act, the term "bank" along with its derivatives term shall be omitted within three months from the date of enforcement of this Act:

Provided further that where any such society fails to comply with the above provisions within the period specified therein, the Registrar shall order the winding up of such society after giving a reasonable opportunity of being heard.

(21) The financial accounts of the State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank, as the case may be, audited and certified by an auditor or auditing firms from among the panel of such auditors approved by the Registrar and appointed by the General Body in this behalf.

(22) Where the Reserve Bank so requires, the Registrar shall conduct a special audit of the financial accounts of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Banks, as the case may be, conduct the special audit and furnished the report of such audit in such manner and within such time as may be stipulated by the Reserve Bank.

(23) No authority other than the board of the short term co-operative credit structure society shall have the power to direct the society that a contribution to be made to any fund other than that required for improving its net worth or the financial position of such society.

(24) The prudential norms, stipulated by the Reserve Bank including norms for capital to risk weighted assets ratio, shall be prescribed by the Registrar in consultation with the National Bank in respect of all primary agricultural credit co-operative societies.

(25) (i) Where the Reserve Bank prescribes any regulation, including a recommendation of supersession of a board or the winding up of State Co-operative Bank or Central Co-operative Banks, as the case may be, the Registrar shall comply with the same within one month from the date of such communication.

(ii) The Registrar shall ensure that the liquidator or the Administrator, as the case may be, is appointed within one month of being so advised by the Reserve Bank for winding up or supersession.

(iii) Where in the opinion of the Reserve Bank, the functioning of the Chief Executive Officer of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, as the case may be, is such that it is not desirable in the interest of the bank to continue the person as the Chief Executive Officer of the bank, it may require the registrar to remove the Chief Executive Officer; and the registrar shall proceed forthwith to remove such Chief Executive Officers after giving a reasonable opportunity of being heard.

(iv) Where in the opinion of the Reserve Bank, a person does not possess the requisite special knowledge specified by it, the Registrar shall on being advised by the Reserve Bank, proceed forthwith to remove such co-opted member after giving a reasonable opportunity of being heard.

(26) Every employee of short term co-operative credit structure society shall be borne on the cadre of such Society and the Society shall have the full powers in all matters of appointment, promotion, disciplinary action, in respect of such employees:

Provided that the terms and conditions of an employee who is there on the date of this Act coming in to force, shall be protected.

(27) Where short term co-operative credit structure society is required to be exempted from any of the provisions of this Chapter in the public interest, the State Government shall do so with the prior approval of Reserve Bank.

(28) No authority shall do anything or act in any manner which may have the effect of abridging the power of any short term credit structure society under the provisions of this Chapter.

Amendment of Section 58.

14. For Section 58 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:—

58. **Audit of Accounts.—**

(1) Every co-operative society shall maintain books of accounts of its income, expenditure pertaining to the society's in the forms to be prescribed by the Registrar and shall present the profit and loss accounts for each co-operative year and the balance sheet as on the last day of the co-operative year.

(2) Every co-operative society shall submit its books of accounts and record of all transactions and pertaining to all affairs for the purpose of audit by an auditor or auditing firm to be authorized by General Body from a panel approved by the Registrar.

(3) The Registrar shall not include a person who is not a member of the institute of Chartered Accounted of India or auditing firm which is not dully authorized by the said institute to conduct such audit.

Provided that in case of co-operative society with Government share holding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government, the Registrar may include the auditor in the panel.

(4) Every society shall get its accounts audi[illegible] by a Auditors or group of Auditors authorized by Registrar in this behalf once at least every financial year and shall pay such fees for auditing as may be prescribed by the registrar in this regard:

Provided that—

(i) the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein exempt any class of societies to pay such fees;

(ii) the Registrar shall lay down the minimum qualification and experience of such Auditor of auditing firms referred to in sub-section (1);

(iii) the accounts of every society shall be audited within six months of the close of the financial year to which such accounts relate and the accounts of the societies shall be maintained by the societies concerned in such a manner as may be prescribed by the Registrar in this regard:

(iv) the Auditors, to conduct the audit of the accounts of the society referred to in sub-section (1) shall be appointed by the general body of the society concerned amongst the panel of Auditor or auditing firms approved by the Registrar in this behalf:

Provided further that if there is a complaint of financial irregularities or embezzlement after the completion or issuance of the audit report, the Registrar may order special audit for the purpose.

(5) The audit under sub-section (4) shall include examination of the accounts and the overdue debts, if any, compliance of the instructions and orders of the Registrar issued under this Act, rules

made thereunder and bylaws of the society, the verification of cash balance and securities and valuation of the assets and liabilities of the societies and such other items as may be specified by the Registrar.

(6) The Auditors or Auditing firms shall at all times have access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of the society and may summon any person in possession of or responsible for, the custody of any such books, accounts, documents, papers, securities, cash or other properties, to produce the same at any place at the headquarters of the society or any branch thereof.

(7) Every person who is or has at any time been, an officer or employee of the society and every member and past member of a society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the Auditors or Auditing firms may, require:

Provided that the audit report of accounts of an Apex Society shall be, laid before the State legislature in such a manner, as may be prescribed by the State Government.

Amendment of Section 74.

15. (i) In clause (k) of Section 74 of the Principal Act, for the full stop (.) after the word "offence", the semi colon (;) and word "or" shall be substituted.

(ii) In Section 74 of the Principal Act, after clause (k), the following clauses shall be added, namely:—

"(l) any person willfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act or rules made thereunder except as provided under sub-section (2)of section 59 of the Act; or

(m) any employer who is authorized to make deduction from his salary and other dues for remitting the same to such co-operative society without sufficient clause; or

(n) any person, before, during or after the election of members of the board or office bearers, adopts any corrupt practice, so declared by the state election commission ."

Amendment of Section 75.

16. In Section 75 of the Principal Act,—

(i) (1) In clauses (a), (d), (e) and (h) for the figure "2000" the figure "50,000" shall be substituted respectively.

(2) In clauses (b), (c) and (j) for the figure "1000" the figure "25,000" shall be substituted respectively.

(3) In clause (i) for the figure "500" the figure "25,000" shall be substituted.

(4) In clauses (f), (g) and (k) for the figure "250" the figure "25,000" shall be substituted respectively.

(ii) In clause (k), for the full stop (.) after the figure and word "74[k]", the semi colon (;) and word "or" shall be substituted.

(iii) After clause (k), the following clauses shall be added, namely:—

"(l) with fine not exceeding Rs. 50,000, provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74(l); or

(m) with fine not exceeding Rs. 50,000, in each case, provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74(m); or

(n) as prescribed by State Election Commission.

17. For Chapter X of the Principal Act, the following new chapter shall be substituted, namely:— **Insertion of Chapter X.**

"Chapter X

Constitution of Tribunal

77. **Chhattisgarh State Co-operative Tribunal.—**

(1) The State Government shall, by notification, constitute a Tribunal called the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal to exercise the powers and to discharge the functions conferred or imposed on the Tribunal by or under this Act and the Chhattisgarh Swayatta Sahkarita Adhiniyam, 1999 (No 2 of 2000).

(2) The Tribunal shall consist of the Chairman and two other members.

(3) (a) No person shall be qualified to be the Chairman of the Tribunal unless he had been a Judge of a High Court or has held the office of a Distt. Judge for not less than five years

(b) Of the other two members, one shall be an officer of co-operative department not below the rank of Additional Registrar and the other shall be non -official closely associated with the co-operative movement or an Advocate or a Pleader having practical experience in the co-operative movement for a period of not less than fifteen years;

Provided that if the State Goverment thinks fit, the Tribunal may consist of a single person.

Explanation :— For the purpose of this sub-section "non-official" shall mean a person who on the date of his appointment as a member, does not hold any office of profit under the Goverment of India or the Govertment of any State.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),a person shall be disqualified for being appointed as, or for being a Chairman or a Member of the Tribunal, if he is a member of the Board of any society other than a general body of a society.

(5) (a) The Chairman and other members of the Tribunal shall hold office ordinarily for a period of not less than two years and not more than five years as the State Government may, by notification specify in this behalf.

(b) A person who has held office as the Chairman or a member, for a period mentioned in clause (a) shall be eligible for reappointment.

(c) The Chairman or member of the Tribunal may, at any time, resign his office.

(d) The Chairman or a member of Tribunal may with the permission of the State Goverment held any other office appointment of not in consist with his position on the Tribunal.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the State Government may terminate at anytime, the appointment of the Chairman or a member if, in its opinion, such Chairman or member is unable or unfit to continue to perform the duties of his office:

Provided that no appointment shall be terminated under this sub-section unless the person whose appointment is proposed to be terminated is given a reasonable opportunity of showing cause against such termination.

(7) (a) If any vacancy occurs in the office of the Chairman or member by leave, absence, deputation, death, resignation, expiry of the term of appointment, termination of the appointment or for any other cause, whatsoever, such a vacancy shall be filled by appointment of a person qualified for appointment under this Section.

(b) Till the vacancy in the office of the Chairman is filled under sub-section(1), the senior most member shall act as the Chairman of the Tribunal.

(8) The headquarters of the Tribunal shall be at such place as may be notified by the State Government in the Gazette.

(9) The powers and functions of the Tribunal may be exercised and discharged by Benches constituted by the Chairman from amongst the members of the Tribunal including himself.

Provided that, any interlocutory application may be hard by one of more members to may be present.

(10) Such Benches shall consist of to or more members.

(11) Where a matter is heard by three members the opinion of the majority shall prevail, and the decision shall be in accordance with the opinion of the majority. Where a matter is heard by an even number of members, and the members are equally divided in the Chairman be one of the members, the opinion of the Chairman shall prevail and in other cases the matter be referred for hearing to the Chairman and shall be decided in accordance his decision.

(12) Subject to the previous sanction of the State Government, the Tribunal shall frame regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, for regulating its procedure and the disposal of its business.

(13) The regulations made under sub-section (12), shall be published in the Official Gazette.

(14) The Tribunal may *suo motu* or on the application of the party, call for and examine the records of any proceedings in which no appeal lies to it, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed. If in any case, it appears to the Tribunal that any such decisions or orders should be modified, annulled or reversed, the Tribunal may pass such order thereon as it may deem just.

(15) Where an appeal or application is made to the Tribunal under this Act, it may, in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or applications, as the case may be, as may appear to it to be just and convenient, or such orders as may be necessary for the ends of justice, or to prevent the abuse of the process of the Tribunal.

(16) An order in appeal, or revision or review passed under this Act by the Tribunal, shall be final and conclusive, and shall not be called in question in any Civil or Revenue Court.

(17) The Tribunal hearing an appeal under this Act shall exercise all the powers conferred upon an appellate court by section 96 and order XLI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

77-A. **Review.—**

(1) The Tribunal or Registrar may on the application of any party interested, review its own order in any case and pass such order in reference thereto as it thinks just:

Provided that no such application made by the party interested shall be entertained, unless the Tribunal or the Registrar as the case may be is satisfied that there has been the discovery of new and important matter of evidence, which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when its order was made, or that there has been mistake or error apparent on the face of the record, or there is any other sufficient reason:

Provided further that no such order shall be varied, amended or revised unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order.

(2) An application for review of any order, by the parties interested shall not be entertained, unless the application is filed within ninety days from the date of passing of the order.

77-B. **Tribunal to exercise powers of a civil court.—**

(1) In exercising the powers conferred on it by or under this Act, the Tribunal shall have all the powers as are vested in Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

(a) proof of facts by affidavits;

(b) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(c) compelling discovery or the production of any document; and

(d) issuing commissions for the examination of witnesses.

(2) In the case of any such affidavit, any officer appointed by the Tribunal in this behalf may administer oath to the deponent.

78. **Appeals before the Registrar and Tribunal.—**

(1) Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order under this Act or the rules made thereunder:—

(a) If such order is passed by any officer subordinate to Registrar other than Additional Registrar or Joint Registrar, whether or not the officer passing the order is invested with the powers of the Registrar, to the Registrar;

(b) If such order is passed by the Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar, to the Tribunal.

(2) A second Appeal shall lie against any order passed in the first appeal by the registrar, to the Tribunal on any of the following grounds only, namely:—

(i) that the order is contrary to law; or

(ii) that the order has failed to determine some material issue of law; or

(iii) that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act which may have produced error or defect in the decision of the case upon merits.

(3) Every appeal shall be presented in the prescribed manner to the appellate authority concerned within sixty days from the date on which the order appealed against was communicated to the party affected by the order:

Provided that in computing the period of limitation under this sub-section the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

78-A. **Extension of period of limitation by appellate authority in certain cases.—** In all cases in which it is provided under this Act that an appeal may be filed against any decision or order within a specified period, the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

79. **No appeal or review in certain cases.—** Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where with previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank of India—

(i) an order for the winding up of a co-operative bank; or

(ii) for a scheme of compromise or arrangement or reconstruction or re-organisation or amalgamation ; or

(iii) an order of supersession or suspension of the Board by whatever name called of a Co-operative Bank and the appointment of an officer-in-charge therefore, has been made.

No appeal or review shall lie or be permissible against that, and such order or the sanction or requisition of the Reserve Bank of India shall not be liable to be called in question where such order, scheme compromise, arrangement, reconstruction, re-organisation or amalgamation is passed or made.

80. **Transfer or withdrawal of cases.—** Subject to the provision of section 78, the Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Act, for decision before him to any officer subordinate to him competent to decide such case or, class of cases or may withdraw any case or class of cases for decisions before any such officer and may proceed to deal with such case or class of cases himself or refer the same to any other officer subordinate to him and competent to decide such case or class of cases.

80-A. **Power of Registrar to call for proceedings of subordinate officers and board of a society and to pass order thereon.—** The Registrar may, at any time on his own motion or on the application made by any party, call for and examine the record of any enquiry or the proceedings by any subordinate officer or a decision of board of a society for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any decision or order passed and as to the regularity of the proceedings of such officer or board. If in any case, it appears to the Registrar that any decision or order or proceedings so called for should be modified, annulled or reversed, the Registrar, may pass such order thereon as he may deem fit:

Provided that no order under this Section shall be made to the prejudice of any party unless such party has had an opportunity of being heard:

Provided further that the powers conferred on the Registrar under this Section, shall not be delegated to any officer below the rank of Joint Registrar.

80-B. **Power to make interlocutory orders.**— When an application for appeal or review is made to Tribunal, or Registrar under this Act, it may in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or application, as the case may be, as may appear to it / him to be just and convenient, or make such orders as may be necessary for the ends of justice, or to prevent the abuse of legal process.

80-C. **Stay of execution of orders.—**

(1) An officer appointed under section 3 who has passed any order or his successor in office may, at any time before the expiry of the period prescribed for appeal direct the execution of such order to be stayed for such time as may be required for filing an appeal and obtaining a stay order from the appellate authority.

(2) The authority exercising the powers conferred by section 78 or section 80 may direct the execution of the order under appeal or review to be stayed for such time as it may think fit.

(3) The officer or authority directing the execution of an order to be stayed may impose such conditions or order such security to be furnished as he or it thinks fit.

80-D. **Transfer of pending cases.**— Every appeal or any other proceeding pending before the State Government, immediately before the date of constitution of Chhattisgarh State Co-operative Tribunal under this Act, shall stand transferred to the Tribunal from the date of notifications by Goverment of Chhattisgarh ."

18. 95-A. After Section 95 of the principal Act the following section shall be inserted namely:—

Removal of difficulties

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may pass such order not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary to remove such difficulty:

Provided that no such order shall be passed after the expiry of the period of two years from the date of coming into force of this Act.

(2) The order passed under sub-section (1) shall be laid on the table of the legislative assembly, as soon as may be, and in any case, not later than the last day of session next following the date of the order."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2014—आषाढ़ 31, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक 6436/डी. 115/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2013 को राज्यपाल एवं दिनांक 10-07-2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (त्र) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(त्र) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यट के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी अथवा निकाय होगा."

धारा 49 की उप-धारा (8) का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह कि रजिस्ट्रार किसी अधिकारी अथवा कोई व्यक्ति जिसे, रजिस्ट्रार की राय में किसी सहकारी बैंक या सहकारी सोसाइटी, यथा स्थिति, के प्रबंधन का अनुभव हो, को इस उपधारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसा प्राधिकृत अधिकारी अथवा व्यक्ति, ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा."

धारा 50-ख की उप-धारा (1) का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) राज्य निर्वाचन आयोग सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों का संचालन करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक नामवली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करेगा."

धारा 50-ख की उप-धारा (2) का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा जैसा कि आयोग की राय में ऐसी सहकारी सोसाइटियों के संबंध में निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो."

6. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- **धारा 50-ख की उप-धारा (7) का संशोधन.**

"(7) आयोग को निर्वाचन में सहयोग एवं सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा करने की शक्तियां होंगी तथा ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान संपूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे."

7. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- **धारा 50-ख की उप-धारा (9) का संशोधन.**

"(9) किसी सोसाइटी के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन करने में उपगत समस्त व्यय, राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप में आयोग को भुगतान किये जायेंगे तथा उसकी वसूली उस सोसाइटी से, राज्य सरकार द्वारा विहित अनुसार की जायेगी."

8. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्र. 1 सन् 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन.**

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक **6436**/डी. 115/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2014)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-forth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2. 2. For clause (jj) of Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-

"(jj) "State Election Commission" means the State Election Commission referred to in Article 243K of the Constitution of India which shall be the authority or body for the purpose of superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of, all elections to a co-operative society, under the Article 243ZK of the Constitution of India."

Amendment of sub-section (8) of Section 49. 3. For Proviso of sub-section (8) of Section 49 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"Provided that the Registrar may authorize any officer, or a person who in the opinion of the Registrar has experience in managing a Co-operative Bank or a Co-operative Society, as the case may be, to exercise the powers of the Board vested in him under this sub-section; and the officer or the person so authorized shall exercise such power from the date of such authorization for a period specified by the Registrar or till the elections are held by the State Election Commission, whichever is earlier."

Amendment of sub-section (1) of Section 50-B. 4. For sub-section (1) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(1) The State Election Commission shall conduct all elections of co-operative society and exercise the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls subject to the provisions of this Act."

Amendment of sub-section (2) of Section 50-B. 5. For sub-section (2) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(2) The State Election Commission shall in consultation with the State Government appoint such numbers of officers and other staff as may be required, in the opinion of the Commission for conducting election in respect of co-operative societies."

6. For sub-section (7) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substitued, namely :- **Amendment of sub-section (7) of Section 50-B.**

"(7) The Commission shall have the powers to requisition the services of other officers, to aid and assist in the election and such requisitioned officers shall be under the overall supervision and control of the Commission during the election."

7. For sub-section (9) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of sub-section (9) of Section 50B.**

"(9) All expenses incurred in conducting elections of the board of any society shall be paid to the commission, in advance, by the State Government and the same shall be recovered from such society by the State Government in the manner as may be prescribed by the State Government.

8. The Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 1 of 2013) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 जनवरी 2015 — पौष 15, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्रमांक 117/डी. 04/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-12-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ञञ) "राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 50-ख में निर्दिष्ट आयोग, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यट के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी अथवा निकाय होगा."

धारा 50-ख का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 50-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"**50-ख. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग (जो इसमें इसके पश्चात् आयोग के रूप में निर्दिष्ट है) का गठन करेगी.

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी प्रकार के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए, प्रमुख सचिव से अनिम्न श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी, जो छत्तीसगढ़ शासन में सेवारत रहा हो, को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी.

(3) राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त की अर्हता, निरर्हता, पदावधि और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जाये.

(4) राज्य सरकार, उप रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, आयोग के सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्त करेगी.

(5) (क) राज्य सरकार, आयोग को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगी, जो उसके कृत्यों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो.

(ख) आयोग, यथा विहित रीति में, किसी सोसाइटी के बोर्ड और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन कराने के लिए और इस अधिनियम की धारा 49 में यथा उपबंधित आकस्मिक रिक्तियों की

पूर्ति के लिए भी रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करेगा तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे, निर्वाचन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के प्रयोजन के लिए जोनल अधिकारी या अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा.

(6) आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों (उम्मीदवारों) और अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा.

(7) आयोग को, निर्वाचन में सहयोग एवं सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा करने की शक्तियां होंगी तथा ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी, निर्वाचन के दौरान संपूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे.

(8) (क) निदेशक बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, निदेशक बोर्ड की पदावधि के अवसान होने के पूर्व किया जाएगा, जिससे कि निदेशक बोर्ड के नवीन निर्वाचित किए गए सदस्यों का, बहिर्गामी निदेशक बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते ही, पद धारण करना सुनिश्चित किया जा सके.

(ख) आयोग, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन ऐसी रीति में संचालित करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का बहिर्गामी बोर्ड, विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व छः मास के भीतर, उस बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए, आयोग को लिखित में, ऐसी रीति में, अनुरोध करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाए.

(ङ) बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी आयोग, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए, अपेक्षा करे, अद्यतन हैं और आयोग या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को समय पर उपलब्ध करा दिये गये हैं.

(च) बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन के संचालन के लिए आयोग को उसके द्वारा ऐसी समस्त सहायता, जैसा और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध कराई जाएगी.

(9) बोर्ड के निर्वाचन के संचालन करने में उपगत समस्त व्यय, राज्य सरकार द्वारा, अग्रिम रूप में, आयोग को भुगतान किये जायेंगे तथा उनकी वसूली, उस सोसाइटी से, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जैसा कि उसके द्वारा विहित किया जाये.

(10) आयोग, बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे एवं इस धारा के अधीन जारी किए गए ऐसे निर्देश, बोर्ड एवं उसके सदस्यों पर बंधनकारी होंगे."

5. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्र. 2 सन् 2014) को एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है. निरसन.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्रमांक 117/डी. 04/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2015)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act to further amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2014.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

2. In the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words " State Election Commission", wherever they occur, the words "State Co-operative Election Commission" shall be substituted.

Amendment of Section 2.

3. For clause (jj) of Section 2 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(jj) "State Co-operative Election Commission" means a Commission referred to in Section 50-B of this Act, which shall be the authority or body for the purpose of superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society under Article 243ZK of the Constitution of India."

Amendment of Section 50-B.

4. For Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted' namely :-

"**50-B. State Co-operative Election Commission.-** (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a State Co-operative Election Commission (hereinafter referred to as the Commission) for the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all

elections to a co-operative society under the provision of this Act and rules made thereunder.

(2) The State Government shall appoint any officer of the Indian Administrative Service not below the rank of Principal Secretary, who has served in the Government of Chhattisgarh, as the State Co-operative Election Commissioner to conduct all elections to co-operative societies under this Act or rules made thereunder.

(3) The qualification, disqualification, term and conditions of service of the State Co-operative Election Commissioner shall be such as may be prescribed.

(4) The State Government shall appoint on deputation any person, holding a post not below the rank of Deputy Registrar, as the Secretary to the Commission.

(5) (a) The State Government shall provide the Commission with such officers and staff, as may be necessary, for the perfomance of its functions.

(b) The Commission shall appoint a Returning Officer in the manner, as may be prescribed, to conduct election to the Board of a society and its office-bearers and also to fill up casual vacancies as provided in Section 49 of this Act and the Commission, if it thinks necessary, may also appoint zonal or other officers for the purpose of supervision and control of election.

(6) The Commission shall notify the code of conduct to be followed by the candidates, functionaries engaged in the process of election and others for enabling free and fair election.

(7) The Commission shall have the powers to seek requisition of the services of other officers for aiding and assisting in the election and such requisitioned Officers shall be under the overall supervision and control of the Commission during the election.

(8) (a) The election of members of the Board of Directors shall be conducted before the expiry of the term of Board of Directors, so as to ensure that the newly elected members of the Board of Directores assume office immediately on the expiry of the term of members of the outgoing Board of Directors.

(b) The Commission shall conduct elections of all co-operative societies registered under the Act in such manner, as may be prescribed.

(c) The outgoing Board of every co-operative society shall send a written request in such manner, as may be prescribed, to the Commission to conduct the election of its Board within six months prior to the expiry of the term of the existing Board.

(d) On receipt of the request under clause (c), the Commission shall ensure that the election is conducted before the expiry of the term of existing Board.

(e) It shall be the duty of the Board to ensure that all information, books and records, which may be required by the Commission for the purpose of election, are kept up dated and made avail-able in time to the Commission or any official authorized by it for this purpose.

(f) The Board shall also ensure that all assistance to the Commission is provided as and when required by it for conduct of the election.

(9) All expenses incurred in conducting elections of the Board shall be paid to the Commission, in advance, by the State Government and the same shall be recovered from such society by the State Government in the manner as may be prescribed by it.

(10) The Commission may issue such instructions to the Board or its members, which it may consider reasonable for conducting free and fair election and such instructions issued under this Section shall be binding on Board or its members.

Repeal. 5. The Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 2 of 2014) is hereby, repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2015— चैत्र 9, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक 2975/डी. 107/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-03 -2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहाकरी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (न-एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(न-एक) "अधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई शासकीय अधिकारी अथवा ऐसी सोसाइटी के किसी पद के लिये इसके उप-विधि के अनुसार सोसाइटी द्वारा निर्वाचित या नियुक्ति कोई व्यक्ति तथा इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, प्रबंध संचालक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष, बोर्ड का सदस्य, और कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे ऐसी सोसाइटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिए इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन निर्वाचित या नियुक्त किया गया हों, सम्मिलित है;"

नवीन धारा 9-क का अन्त:स्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् नवीन धारा 9-क जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"9-क. विद्यमान सहकारी सोसाइटियों की व्यावृत्ति-

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (निरसित अधिनियम) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियां, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों और इसके अधीन बनाई गई उप विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएंगी जहां तक कि वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत न हों, निरन्तर प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे परिवर्तित या विखण्डित न कर दी जाएं.

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छ:मास की कालावधि के भीतर, ऐसी उपविधियां, विलोपित या संशोधित करेगी, जो इस संशोधन अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं तथा इस एवं पूर्व के संशोधन अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अतिरिक्त उपविधियां बनाएगी, जैसा कि आवश्यक हो."

49-च का अंत:स्थापन.

4. मूल अधिनियम की धारा 49-ङ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"49-च. कतिपय परिस्थितियों में सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य को साधारण निकाय द्वारा हटाया जाना- इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी के बोर्ड का कोई सदस्य, जिसने सोसाइटी के हितों के विपरित कृत्य किया हो, को रजिस्ट्रार के रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा साधारण निकाय द्वारा, सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से, पारित संकल्प द्वारा, ऐसी रीति से हटाया जा सकेगा, जैसा कि इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाये :

परन्तु यह कि संबंधित व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस विषय पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्ति अवसर नहीं दिया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसा संकल्प, उस तारीख से, जिस पर उसने, अपने संबंधित पद का प्रभार ग्रहण कर लिया हो या ऐसा संकल्प, साधारण निकाय द्वारा, अस्वीकृत या स्वीकृत, जैसी भी स्थिति हो, किया जा चुका हो, के एक वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जाएगा."

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 53 का संशोधन.

"(1) यदि रजिस्ट्रार की राय में, किसी सोसाइटी का बोर्ड-

(क) लगातार चूक करता है ; या

(ख) इस अधिनियम या सोसायटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रजामंद नहीं (अनिच्छुक) है; या

(ग) ऐसा कार्य करती है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है; या

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करता है;

तो, रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, संचालक मण्डल को हटा सकेगा और सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु, ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो छ: माह और किसी सहकारी बैंक के मामले में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, प्रशासक नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह कि किसी ऐसी सोसाइटी के संचालक मण्डल को अधिक्रमित नहीं किया जायेगा या निलम्बन के अधीन नहीं रखा जाएगा, जहां शासन की अंशधारिता या ऋण या वित्तीय सहायता या शासन द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई हो :

परन्तु यह और कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना अतिष्ठान का आदेश पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में रिजर्व बैंक के विचार अंतर्विष्ट हो, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक द्वारा प्राप्त किये जाने के 30 दिवस के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक, प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार, ऐसा आदेश, जैसा कि उचित समझे, पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (11) और (14) को विलोपित किया जाये.

6. मूल अधिनियम के अध्याय पांच-क के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- नवीन अध्याय का अन्त:स्थापन.

"अध्याय 5-ख
बीमित सहकारी बैंक

57-ग : बीमित सहकारी बैंक :-

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या रजिस्ट्रीकृत सहकारी बैंक की उपविधियों या उसके अधीन जारी आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा.

(2) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, बीमित सहकारी बैंक से अभिप्रेत है, ऐसी सोसाइटी जो निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) के उपबंधों के अधीन एक बीमित बैंक हो.

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमित सहकारी बैंक के मामले में,-

(एक) सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी पर ही, बैंक के समापन अथवा कोई समझौता या ठहराव अथवा समामेलन (संविलियन) या पुनर्निर्माण स्वीकृति की कोई योजना के लिये, आदेश किया जा सकेगा;

(दो) निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 13घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में यदि रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैंक के समापन के लिए आदेश किया जाएगा;

(तीन) यदि रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में ऐसा अपेक्षित हो तो या बैंक के क्रियाकलापों का ऐसी रीति में संचालित किया जाना निवारित करने के लिए जो निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए अपायकर हो या किसी बैंक का प्रबंध, उचित रीति में किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, बैंक की प्रबंध कमेटी या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के अतिष्ठान के लिए तथा उसके लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए जो समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रशासक की नियुक्ति के लिए, आदेश किया जायेगा;

(चार) बैंक के समापन के लिए आदेश अथवा कोई समझौता या ठहराव अथवा समामेलन (संविलय) या पुनर्निर्माण स्वीकृति की किसी योजना का आदेश या बैंक की प्रबंध कमेटी या अन्य प्रबंध निकाय, (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो), के अधिक्रमण के लिए और उसके लिए रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या रिजर्व बैंक की अध्यपेक्षा पर पारित, प्रशासक की नियुक्ति का आदेश, किसी भी रीति से प्रश्नगत किये जाने के लिए दायी नहीं होगा; और

(पांच) समापक अथवा बीमित बैंक या अंतरिती बैंक, जैसी भी स्थिति हो, उन परिस्थितियों में निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम को उस सीमा तक तथा उस रीति में जो कि निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 21 में निर्दिष्ट की गई है, प्रतिसंदाय करने के लिये बाध्यताधीन होगा.

धारा 58 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 58 में,-

(एक) उप-धारा (3) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि सभी प्रकार के प्राथमिक सहकारी सोसाइटी को यह विकल्प होगा कि वे अपने लेखों की संपरीक्षा सनदी लेखाकारों अथवा रजिस्ट्रार या इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से कराये."

(दो) उप-धारा (4) में शब्द "संपरीक्षक अथवा परीक्षकों का समूह" तथा शब्द "रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित" के स्थान पर क्रमश: शब्द "संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म" एवं शब्द "राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विहित" प्रतिस्थापित किया जाये.

(तीन) उप-धारा (4) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि परिसमापित सोसाइटी के मामले में परिसमापक, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से अपने लेखों की संपरीक्षा कराने हेतु संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेगा."

8. मूल अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (1) में, शब्द "रजिस्ट्रार" और "के आवेदन पर" के स्थान पर, क्रमश: शब्द "रजिस्ट्रार" और "स्वप्रेरणा से अथवा के आवेदन पर" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 59 का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक 2975/डी. 107/21-अ/प्रारू./छ.ग./15.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-03-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2015)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattistgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. For clause (t-i) of Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :-

"(t-i) "Officer" means any Official or a person elected or appointed by a society according to its bye-laws to any office of such society and includes a Chairman, Vice-Chairman, President, Vice-President, Managing Director, Manager, Secretary, Treasurer, Member of Board and any other person elected or appointed under this Act, the rules or the bye-laws to give directions in regard to the businees of such society;"

Insertion of new Section 9-A.

3. After Section 9 of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

"9-A. Saving of existing Co-operative Societies - (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Co-operative Society registered under Chhattisgarh Sawayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (repealed Act), shall be deemed to have registered under the corresponding provisions of this Act and bye-laws framed thereof, so far as the same are not inconsistent with the express provisions of this Act, shall continue to be in force until altered or rescinded.

(2) Every Co-operative society registered under this Act shall, within a period of six months from the date of coming into force of this Act, delete or amend such bye-laws, as are inconsistent with the provisions of this amending Act and make such further bye-laws as may be necessary, having regard to the provisions of this and previous amending Act.

4. After Section 49-E of the Principal Act, the following shall be added, namely :- **Insertion of new Section 49-F.**

"49-F. **Removal of member of Board of Society by General Body in certain circumstances-** Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, any member of the [Board] of the Society who has acted adversely to the interest of the Society may on the basis of a report of the Registrar or otherwise be removed by a resolution of the General Body passed at its meeting by a majority of not less than two-third of the members present and voting, in such a manner as may be prescribed, by the Registrar in this regard :

Provided that, the person concerned shall not be removed unless he/she has been given a reasonable opportunity of making representation in the matter :

Provided further that, such resolution shall not lie within a period of one year from the date on which he/she has taken charge of his respective office or such resolution is rejected or accepted by the General Body, as the case may be.

5. (1) For sub-section (1) of Section 53 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 53.**

"(1) If in the opinion of the Registrar, the Board of Directors of any Society-

(a) is in persistent default; or

(b) is negligent in the performance of the duties imposed on him/her by or under this Act or bye-laws of the Society or by any lawful order passed by the Registrar or is unwilling to perform such duties; or

(c) commits acts which are prejudicial to the interest of the Society or its members; or

(d) violates the provisions of this Act or rules made thereunder or bye-laws of the Society;

The Registrar may, by order in writing, remove the Board of Directors and appoint an administrator to manage the affairs of the society for a specified period, which shall not exceed six months and in case of a Co-operative Bank one year :

Provided that, the Board of Directors of any such Co-operative Society shall not be superseded or kept under suspension, where there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government :

Provided further that, in case of a Co-operative Bank, the order of supersession shall not be passed without previous consultation with the Reserve Bank :

Provided also that, if no communication containing the views of the Reserve Bank, on action proposed is received within thirty days of the receipt by that Bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Reserve Bank agrees with the proposed action and the Registrar shall be free to pass such order as may be deemed fit."

(2) Sub-section (11) and (14) of Section 53 of the Principal Act shall be omitted.

Insertion of new Chapter.

6. After Chapter V-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"CHAPTER V-B
Insured Co-operative Bank

57-C : Insured Co-operative Bank :-

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or Rules framed thereunder or bye-laws of any registered Co-operative Bank or orders issued thereunder, the provision of this chapter shall have overriding effect.

(2) In this chapter, unless the context otherwise requires, an insured Co-operative Bank means a society which is an insured bank under the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961).

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, in case of any Insured Co-operative Bank, -

(i) An order for winding up, or an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or re-construction of the bank, may be made by the Registrar of Co-operative societies or any other Competent Authority, only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank;

(ii) An order for winding up of the bank shall be made by the Registrar of Co-operative Societies or any other Competent Authority, if so required by the Reserve Bank in the circumstances referred to in Section 13D of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961).

(iii) If so required by the Reserve Bank in public interest or for preventing the affairs of the bank being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors or for securing the proper management of the bank, an order shall be made by Registrar of Co-operative Societies or any other Competent Authority for the supersession of the Committee of Management or other managing body (by whatever name called) of the bank and the appointment of an administrator therefor for such period or periods not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time, be specified by the Reserve Bank;

(iv) An order for winding up of the bank or an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or re-construction or an order for the supersession of the committee of management or other managing body (by whatever name called) of the bank of the appointment of an administrator therefor made with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank shall not be liable to be called in question in any manner; and

(v) The liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, shall be under an obligation to repay the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in Section 21 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961)."

7. In Section 58 of the Principal Act, - **Amendment of Section 58.**

(i) After proviso to sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided further that, all types of primary Co-operative Society shall have an option to get its accounts audited by Chartered Accountants or the Registrar or by any other person authorized by the Registrar in this behalf."

(ii) In sub-section (4), for the words "Auditor or group of Auditors" and "prescribed by the registrar", the words "Auditor or Auditing firms" and "prescribed by the State Government" shall be substituted, respectively.

(iii) After proviso to sub-section (4), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided further that, in case of liquidated society, the liquidator may appoint auditor or auditing firm to get its accounts audited from amongst a panel approved by the Registrar."

8. In sub-section (1) of Section 59 of the Principal Act, for the words "The Registrar may on the application of", the words "The Registrar may on his own motion or on the application of" shall be substituted. **Amendment of Section 59.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2016— अग्रहायण 23, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12082/डी. 278/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-11-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 34 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (ञञ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(टट) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;"

धारा 48 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3-क) यदि सोसाइटी, अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहती है, तो निर्वाचित सदस्य, ऐसी सोसाइटी के ऐसे सदस्यों, जो ऐसे प्रतिनिधित्व करने हेतु पात्र है, में से अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन करेंगे :

परन्तु यह कि सोसाइटी के किसी सम्मिलन में कोई सहयोजन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक उसमें गणपूर्ति न हों:

परन्तु यह और कि ऐसे बोर्ड के सम्मिलन की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी."

धारा 48-ख का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 48-ख की उप-धारा (3) में,-

(एक) पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) उप-धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित समूहों तथा अनारक्षित वर्ग में से प्रत्येक प्रवर्ग में एक स्थान (सीट), महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा."

धारा 53-ख का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 53-ख की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(4)(एक) यदि रजिस्ट्रार की राय में, सहकारी सोसाइटी का कोई वेतनभोगी अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन निर्मित नियमों या सोसाइटी की उपविधियों या उसके द्वारा पारित किसी आदेश का जान-बूझकर अथवा लगातार उल्लंघन करता है अथवा उसने अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाई है तो,-

(क) वह किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सोसाइटी से अपेक्षा कर सकेगा;भ तथा

(ख) तत्पश्चात् सोसाइटी, ऐसे अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी कालावधि के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये.

(दो) यदि सोसाइटी, उप-धारा (4) के खण्ड (एक) के अधीन कार्यवाही करने में विफल होता है तो रजिस्ट्रार, ऐसे अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे अधिकारी पर ऐसी दीर्घ शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

स्पष्टीकरण.- "दीर्घ शास्ति", वर्तमान में धारित पद से पदावनति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवामुक्ति का आदेश हो सकता है.

(तीन) उप-धारा (4) के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन दण्डित किये गये अथवा हटाए गये किसी वेतनभोगी अधिकारी को, संबंधित सोसाइटी के सेवा नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन दण्डित किया गया समझा जाएगा; और सेवा से उसके अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा पदच्युति के मामलों में, ऐसा अधिकारी किसी भी सहकारी सोसाइटी में कोई भी पद धारित करने के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु इस धारा की उप-धारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां, संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे वेतनभोगी अधिकारी को इस उप-धारा के अधीन हटाये जाने से उदभूत रिक्त स्थान, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्रार के द्वारा शीघ्र भरी जाएगी."

6. मूल अधिनियम की धारा 53-ख के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- नवीन धारा 53-ग का अत:स्थापन.

"53-ग. कतिपय परिस्थितियों में सहकारी बैंक के अधिकारी को हटाया जाना.-

(एक) किसी सहकारी बैंक के बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं, को यथास्थिति, रजिस्ट्रार या नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा, रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक की अनुशंसा पर हटाया जाएगा.

(दो) जहां रिजर्व बैंक की राय हो कि किसी सहाकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि उसका निरंतर बना रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है, तो वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाये जाने के लिये रजिस्ट्रार से अपेक्षा कर सकेगा तथा रजिस्ट्रार, ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(तीन) यदि कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (9) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया हो, रिजर्व बैंक की राय में, अपेक्षित ज्ञान अथवा अनुभव नहीं रखता हो, तो उसे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की सलाह पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, पद से हटाया जाएगा."

7. मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (3) में,- धारा 54 का संशोधन.

(एक) पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) उप-धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(क) किसी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने के लिए पात्रता मानदण्ड ऐसे होंगे, जैसा कि इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा विहित किया जाये.

(ख) यदि संबंधित सहकारी बैंक पात्रता मानदण्ड के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर करने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार बैंक के ऐसे पात्र अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा."

धारा 57-ख का विलोपन. 8. धारा 57-ख को विलोपित किया जाये.

धारा 58 का संशोधन. 9. मूल अधिनियम की धारा 58 में,-

(एक) उप-धारा (4) में,-

(क) पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, यदि रिजर्व बैंक ऐसी अपेक्षा करे, तो रजिस्ट्रार, सहकारी बैंक के वित्तीय लेखाओं की विशेष संपरीक्षा करायेगा और ऐसे संपरीक्षा की रिपोर्ट को, ऐसी रीति में तथा ऐसी समयावधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा, जैसी कि रिजर्व बैंक द्वारा विहित की जाये."

(तीन) उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(8) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे विवेकपूर्ण मानदण्ड, जिसमें पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों से अनुपात के मानदण्ड भी सम्मिलित है, रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विहित किये जायेंगे."

धारा 58-ख का संशोधन. 10. मूल अधिनियम की धारा 58-ख की उप-धारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12082/डी. 278/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 34 of 2016)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2016.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act), after clause (jj), the following shall be added; namely :-

"(kk) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under Section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981)."

Amendment of Section 48.

3. After sub-section (3) of Section 48 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"(3-A) In the event of society failing to elect requisite number of members of Board, the elected member shall co-opt the requisite number of members from the members of such society, which is eligible for such representation :

Provided that no co-option shall be made in a meeting of the society unless there is a quorum :

Provided further that such board meeting shall be presided over by the returning officer."

Amendment of Section 48-B.

4. In sub-section (3) of Section 48-B of the Principal Act,-

(i) for the punctuation full stop "." the punctuation ":" shall be substituted; and

(ii) below sub-section (3), the following shall be added, namely :-

"Provided that the one seat in each category from amongst the groups reserved for the members belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Unreserved, shall be reserved for women."

Amendment of Section 53-B.

5. After sub-section (3) of Section 53-B of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

"(4)(i) If in the opinion of the Registrar any salaried officer of the co-operative society willfully and persistently violates the provisions of this Act or Rules made thereunder, bye-laws of the society or any order passed by him or has by fraudulent act caused financial loss to the society,-

(a) then he may, without prejudice to any other action that may be taken against such officer, call upon the society to take action against such officer; and

(b) whereupon the society shall, after affording reasonable opportunity of being heard to such officer, pass such order within such period as may be specified by the Registrar.

(ii) In the case of failure of the society to take action under clause (i) of sub-section (4), the Registrar may, after affording reasonable opportunity of being heard to such officer, impose such major penalty on such officer as he may deem fit.

Explanation.- "major penalty" may be the order of demotion from the present post held, compulsory retirement or termination from the service.

(iii) Any salaried officer punished or removed under clause (i) or (ii) of sub-section (4) shall be deemed to have been punished under the relevant provisions of the service rules of the concerned society; and in case of his compulsory retirement or termination from the services, such officer shall not be eligible to hold any office of any co-operative society :

Provided that the powers conferred on the Registrar under sub-section (4) of this Section shall not be delegated to any officer below the rank of Joint Registrar :

Provided further that the vacancy arising out of the removal of such salaried officer under this sub-section shall be filled immediately by the Appointing Authority or the Registrar, as the case may be."

Insertion of new Section 53-C.

6. After Section 53-B of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"**53-C. Removel of the officer of the Co-operotive Bank in Certain Circumstances.-**

(i) On the recommendation of the Reserve Bank or the National Bank, any member of the Board or Chief Executive Officer of any Co-operative Bank, who do not fulfill the criteria stipulated by the Reserve Bank shall be removed by the Registrar or Appointing Authority, as the case may be.

(ii) Where in the opinion of the Reserve Bank, the functioning of the Chief Executive Officer of any Co-operative Bank is such that it is not desirable in the interest of the Bank to continue; it may require the Registrar to remove the Chief Executive Officer, and the Registrar shall proceed forthwith to remove such Chief Executive Officers after giving a reasonable opportunity of being heard.

(iii) If any person who, has been co-opted as a member of the Board under sub-section (9) of Section 48, in the opinion of the Reserve Bank is not having requisite knowledge or experience then on advice of the Reserve Bank or the National Bank, shall be removed from the office after giving a reasonable opportunity of being heard."

7. In sub-section (3) of Section 54 of the Principal Act,- **Amendment of Section 54.**

(i) for the punctuation full stop ".", the punctuation ":" shall be substituted; and

(ii) below sub-section (3), the following shall be added, namely :-

(a) The eligibility criteria to hold the office of Chief Executive Officer of any Co-operative Bank shall be as such as may be prescribed by the Reserve Bank in this regard.

(b) If the concerning Co-operative Bank fails to appoint Chief Executive Officer under the eligibility criteria within a specified period, in such a condition the registrar may appoint such eligible officer of the Bank."

8. Section 57-B shall be omitted. **Omission of Section 57-B.**

9. In Section 58 of the Principal Act,- **Amendment of Section 58.**

(i) in sub-section (4),-

(a) for the punctuation full stop "." the punctuation ":" shall be substituted; and

(b) after the third proviso, the following shall be added, namely :-

"Provided also that in case of Co-operative Bank, if the Reserve Bank so requires; the Registrar shall cause to conduct special audit of the financial accounts of the Co-operative Bank and furnish the report of such audit in such manner and within such time as may be prescribed by the Reserve Bank."

(ii) after sub-section (7), the following shall be added, namely :-

"(8) In case of primary agricultural credit co-operative society, such prudential norms stipulated by the Reserve Bank including norms for capital to risk weighted assets ratio, shall be prescribed by the Registrar in consultation with National Bank."

10. In sub-section (3) of Section 58-B of the Principal Act, for the words "State Government", the words "Tribunal" shall be substituted. **Amendment of Section 58-B.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2020 — ज्येष्ठ 6, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक 4017/डी.88/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियमित.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 16-क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) में, धारा 16-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"16-क. कोई भी सोसाइटी, किसी भी सरकार के उपक्रम, सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिये, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी :

परन्तु यह कि कोई भी सहकारी सोसाइटी, साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित, संकल्प द्वारा, ऐसा सहयोग कर सकेगी :

परन्तु यह और कि ऐसी सहकारी सोसाइटी को, ऐसा सहयोग करने के पूर्व, प्रत्येक मामले में, राज्य सरकार की लिखित पुर्वानुमति अनिवार्य होगी :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अपने उक्त अधिकार (शक्ति) को आवश्यकतानुसार किसी सक्षम अधिकारी को प्रत्यायोजित भी कर सकती है."

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्र. 1 सन् 2020) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक 4017/डी.88/21-ब/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 27-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2020)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2020.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 16-A.

2. In the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), for Section 16-A, the following shall be substituted, namely :-

"16-A. Any society may, enter into the collaboration with any Government Undertaking, Cooperative Society or any Undertaking approved by the State Government or a Private enterprise for carrying on any specific business including industrial investment, financial aid or marketing and management expertise :

Provided that any society may enter into such collaboration by a resolution of the general body passed, at its general meeting by a simple majority of the members present and voting :

Provided further that in each case, the society has to take prior permission in writing of the State Government before entering into such collaboration :

Provided further also that the State Government may delegate its above powers to any competent officer as required."

Repeal.

3. The Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 1 of 2020) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 —— आश्विन 22, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7822/डी. 151/21–अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30–09–2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,-

(एक) खण्ड़ (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(ध-एक) "सेवाओं का न्यूनतम स्तर" से अभिप्रेत है सोसाइटी की उपविधियों में मूल उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु दी गई न्यूनतम सेवाएं;"

(दो) खण्ड (म-दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(म-तीन) "सेवा क्षेत्र सोसाइटी" से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी, जो अपने सदस्यों एवं अन्य के लिए विभिन्न ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के उद्‌देश्य से बनायी गई हो;"

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "दस" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 9 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) में, शब्द "नब्बे दिन" के स्थान पर, शब्द "पैंतालीस दिन" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 10 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (बारह) में, कोलन चिन्ह ":" के स्थान पर, अल्प विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) खण्ड (बारह) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—
"(तेरह) सेवा क्षेत्र सोसाइटी:"

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में,— धारा 11 का संशोधन.
(एक) उप–धारा (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा
(दो) उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
"परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम में किये गये किसी संशोधन के दिनांक से 45 दिवस के भीतर, उक्त संशोधन के अनुपालन में उप–विधियों में संशोधन हेतु प्रस्ताव चार प्रतियों में विहित रीति में रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगी।"
(तीन) उप–धारा (3) में, शब्द "पैंतालीस दिन" के स्थान पर, शब्द "तीस दिन" प्रतिस्थापित किया जाये।

7. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :— धारा 12 का संशोधन.
"(3) यदि सोसाइटी, धारा 11 की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक के प्रावधान अनुसार इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम में किये गये किसी संशोधन के अनुपालन में उप–विधियों में संशोधन हेतु प्रस्ताव रजिस्ट्रार को प्रेषित करने में असफल रहती है, तो रजिस्ट्रार संबंधित सोसाइटी की उप–विधियों में संशोधन करेगा।"

8. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (2–क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:— धारा 19 का संशोधन.
"(2–क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों तथा उस सोसाइटी की उप–विधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित हो, ऐसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे, तो संबंधित सोसाइटी के बोर्ड के लिये, ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की कालावधि के भीतर, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने की बाध्यता होगी:

यदि किसी सोसाइटी का बोर्ड, पूर्वोक्त आवेदन पत्र पर उपरोक्तानुसार विहित अवधि के भीतर विनिश्चय करने में विफल रहता है, तो यह समझा ज़ायेगा कि उसे ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है :

परन्तु रजिस्ट्रार, या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यथित व्यक्ति के द्वारा आवेदन किये जाने पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया गया हो, तथा सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस तारीख से, जिस पर रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो, पैंतालिस दिन के भीतर, आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें (आदेश में) वर्णित कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है।''

धारा 19–क का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 19–क की उप–धारा (1) के खण्ड (घ) एवं (ङ) का लोप किया जाये।

धारा 45 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 45 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा ज़ाये, अर्थात् :–

''(3) राज्य सरकार, ऐसी समस्त सहकारी सोसाइटी या बैंकों की अंशपूंजी में अभिदाय कर सकेगी, जो निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 (क्र. 47 सन् 1961) के उपबंधों के अधीन एक बीमित बैंक है।''

धारा 48 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप–धारा (7) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(ख) किसी सहकारी सोसाइटी में, कोई भी सदस्य, बोर्ड के सदस्य, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रुप में, निर्वाचन हेतु अर्हित नहीं होगा और न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि को, बोर्ड के किसी निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होगा, जब तक कि उसने ऐसी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर, जैसा कि संबंधित सोसाइटी की उप–विधियों में इस संबंध में विहित हो, का उपभोग नहीं कर लिया हो।''

धारा 48–ग का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 48–ग के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ख) सभापति, प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना;"

13. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:- **धारा 49 का संशोधन.**

"परंतु यह कि रजिस्ट्रार, किसी अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति को इस उप-धारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड/समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसा प्राधिकृत अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अथवा राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसी शक्ति का प्रयोग करेंगे:

परंतु यह और कि व्यक्तियों की समिति की दशा में, रजिस्ट्रार समिति में सम्मिलित एक व्यक्ति को अध्यक्ष तथा एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष नामांकित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति, संबंधित समिति के सदस्यों में से नामांकित किये जा सकेंगे:

परंतु यह और भी कि अशासकीय व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की दशा में, उनकी अर्हताएं ऐसी होगी जैसा कि विहित की जाए।"

14. मूल अधिनियम की धारा 54 में,- **धारा 54 का संशोधन.**

(एक) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"(2-क) रजिस्ट्रार, अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग बनायेगा, जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निर्देश दे।

(दो) उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ख) यदि राज्य सहकारी बैंक, पात्रता मानदण्ड के अनुसार, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति, ऐसे पद रिक्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर करने में विफल रहता है, तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार, उक्त बैंक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा।"

धारा 58 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 58 की उप–धारा (4) के खण्ड (चार) में,–

(एक) कोलन चिन्ह ":" के स्थान पर, पूर्ण विराम चिन्ह "।" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"यदि किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय अपने लेखाओं की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छः माह की कालावधि के भीतर करने में विफल रहता हो तो, ऐसी दशा में रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् संबंधित सोसाइटी के संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करवायेगा:"

धारा 58–ख का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 58–ख की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(2–क) इस धारा के अधीन कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी, जिसे सोसाइटी को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया गया हो, वह ऐसे आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से आगामी छः वर्षों की कालावधि के लिए बोर्ड के सदस्य या किसी सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने हेतु पात्र नहीं होगा तथा उस रूप में वह अपना पदधारित करने से परिविरत हो जायेगा । किसी वेतनभोगी अधिकारी के सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने हेतु उत्तरदायी ठहराये जाने की दशा में, कोई भी अन्य कार्रवाई, जो उसके विरूद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अधिकारी पर लागू सेवा नियम के उपबंधों के अधीन भी कार्रवाई की जायेगी।"

धारा 77 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 77 की उप–धारा (14) का लोप किया जाये।

18 मूल अधिनियम की धारा 77–क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:– नवीन धारा 77–कक का अंतःस्थापन.

"77–कक. **पुनरीक्षण.**–

(1) अधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, किसी भी समय, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (2) या धारा 64 के अधीन पारित किये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में, अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, किसी भी समय, उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (2) या धारा 64 के अधीन पारित किये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में, अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियाँ, अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी।

(3) उप–धारा (1) एवं (2) के अधीन कोई आदेश, पुनरीक्षण में तब तक परिवर्तित नहीं किया जायेगा या उल्टा नहीं जायेगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) अधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो तथा पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए, अपेक्षित समय को छोड़ दिया जायेगा।"

19. मूल अधिनियम की धारा 78 में,– धारा 78 का संशोधन.

(एक) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) जहाँ इसके संबंध में अन्यथा उपबन्धित है के सिवाय, इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील:—

(क) संयुक्त रजिस्ट्रार को तब की जायेगी, जब ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी, जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न हो, के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारी में रजिस्ट्रार की शक्तियाँ निहित हो या न हो ।

(ख) रजिस्ट्रार को अथवा रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को तब की जायेगी, जब ऐसा आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो।

(ग) अधिकरण को तब की जायेगी, जब ऐसा आदेश रजिस्ट्रार अथवा अपर रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो।"

(दो) उप—धारा (2) में, शब्द "प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित" के स्थान पर, शब्द "प्रथम अपील में संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा पारित" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 87 का संशोधन.

20. मूल अधिनियम की धारा 87 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"इस धारा के अंतर्गत, सहकारी सोसाइटी के ऐसे अधिकारी या पदाधिकारी के विरूद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत गठित किसी अन्य अधिकरण द्वारा जांच या कार्यवाही संस्थित किये जाने के लिये यदि कोई अनुमति मांगी गई है, तब राज्य सरकार उपरोक्त प्राधिकारियों को ऐसी अनुमति देने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगी।"

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7822/डी. 151/21—अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 13—10—2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 18 of 2020)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2020.

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2020.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), -

(i) after clause (s), the following shall be inserted, namely:-

"(s-i) "**Minimum Level of Services**" means the minimum services provided for the fulfillment of the basic objectives in the byelaws of the society;"

(ii) after clause (y-ii), the following shall be inserted, namely:-

"(y-iii)"**Service Sector Society**" means a society formed with the object of providing various customer services for its members and others;"

Amendment of Section 6.

3. In sub-section (1) of Section 6 of the Principal Act, for the word "twenty" the word "ten" shall be substituted.

Amendment of Section 9.

4. In sub-section (3) of Section 9 of the Principal Act, for the words "ninety days" the word "forty five days" shall be substituted.

Amendment of Section 10.

5. In sub-section (1) of Section 10 of the Principal Act,-

(i) in clause (xii), for the punctuation colon ":", the punctuation semi colon ";"shall be substituted; and

(ii) after clause (xii), the following shall be added, namely:-

"(xiii) Service Sector Society:"

Amendment of Section 11.

6. In Section 11 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (1), the following shall be added, namely:-

"Provided that every co-operative society, within 45 days from the date of any amendment in this Act or the rules made thereunder, shall send a proposal for amendment of their bye-laws in compliance with the said amendment to the Registrar in the prescribed manner in four copies."

(iii) In sub-section (3) for the words "forty-five days", the words "thirty days" shall be substituted.

Amendment of Section 12

7. After sub-section (2) of Section 12 of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"(3) If the society fails to send a proposal to the Registrar for amendment of the bye-laws in compliance with any amendment in this Act or the rule made thereunder, as per the provisions of the first proviso of sub-section (1) of Section 11, then the Registrar shall amend the bye-laws of the society concerned."

Amendment of Section 19.

8. For sub-section (2-A) of Section 19 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(2-A) Notwithstanding anything contained in this Act or rules or bye-laws made there under if any person duly qualified for admission as a member under the provisions of this Act and the bye-laws of that Society makes an application for membership of such Society, it shall be obligatory on the part of the board of the concerning society to decide such application within a period of thirty days from the date of receipt of such application:

If the board of the society fails to decide the aforesaid application within a period specified as above, he shall be deemed to have been admitted as a member of such society:

Provided that the Registrar may, either on his own motion at any time or on an application by the society or any aggrieved person, made within fifteen days from the aforesaid date and after giving reasonable opportunity to the society or person concerned by order, declare such person as not eligible for membership of such society for the reasons mentioned therein, within forty five days from the date of receipt of application by the Registrar."

9. The clause (d) and (e) of sub-section (1) of Section 19-A of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 19-A.**

10. After sub-section (2) of Section 45 of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Amendment of Section 45.**

"(3) The State Government may subscribe to the share capital of all such co-operative society or bank which is an insured bank under the provisions of the deposit insurance and credit guarantee corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961)."

Amendment of Section 48.

11. The clause (b) of sub-section (7) of Section 48 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(b) In a co-operative society, no member shall be qualified for election as member of the board, delegate or representative and entitled to vote in any election of the board, delegate or representative of the co-operative society unless he has availed minimum level of services rendered by such Society as may be provided in this regard in the byelaws of the concerning society."

Amendment of Section 48-C.

12. For clause (b) of Section 48-C of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(b) elect the chairman, representatives and other office bearers;"

Amendment of Section 49.

13. For proviso of sub-section (8) of Section 49 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that the registrar may authorize any officer or a person or a committee of persons to exercise the powers of the board vested in him/Committee under this sub-section; and the officer or the person or the Committee of persons so authorized shall exercise such power from the date of such authorization for a period specified by the registrar or till the elections are held by the state Cooperative Election Commission, whichever is earlier:

Provided further that in case of committee of persons, the registrar may nominate one person as a chairman and one person as vice chairman, and that such person(s) may be nominated from among the members of committee itself.

Provided further also that in case of any non-official person or persons, their qualifications shall be such as may be prescribed."

14. In Section 54 of the Principal Act,- **Amendment of Section 54.**

(i) after sub-section (2), the following shall be added, namely:-

"(2-A) The Registrar, shall maintain such cadre of officers and other servants as the State Government may, by order, direct."

(ii) for clause (b) of sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(b) If the State Co-operative bank fails to appoint chief executive officer in district central Co-operative bank as per the eligibility criteria within fifteen days from the date of such vacancy occurred, in such a case the Registrar shall appoint the chief executive officer in the above bank."

15. In clause (iv) of sub-section (4) of Section 58 of the Principal Act,- **Amendment of Section 58.**

(i) for the punctuation colon ":", the punctuation full stop "." shall be substituted; and

(ii) before the first proviso, the following shall be inserted, namely:-

"If the general body of the any co-operative society fails to appoint Auditor or Auditing firm to get its accounts audited, within a period of six months from the date of closing of the financial year, in such a condition the Registrar after giving an opportunity of being heard to such society, shall appoint an auditor or auditing firm for society concerned and shall

cause the accounts to be audited of such co-operative society :"

Amendment of Section 58-B. **16.** After sub-section (2) of Section 58-B of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

"(2-A) Any officer or officer bearer under this Section held liable for causing loss to the society shall not be eligible to contest election as member of the board or representative of any society for the period of next six years from the date of communication of such order to him and cease to hold his office as such. In case of any salaried officer held liable for causing loss to the society then without prejudice to the other action that may be taken against him, an action against such officer shall also be taken under the provisions of service rules applicable to such officer."

Amendment of Section 77. **17.** Sub-section (14) of Section 77 of the Principal Act shall be omitted.

Insertion of New Section 77-AA. **18.** After Section 77-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"77- AA. **Revision.** -

(1) The tribunal may at any time on its/his motion or on the application made by any party for the purpose of satisfying itself/himself as to the legality or propriety of the order passed by the Registrar under sub-section (2) of Section 55 or 64 of this Act, may pass such order as it think fit.

(2) The Registrar may at any time on its/his motion or on the application made by any party for the purpose of satisfying itself/himself as to the legality or propriety of the order passed by any officer subordinate to him under sub-section (2) of Section 55 or 64 of this Act, may pass such order as he think fit:

Provided that powers conferred on the Registrar under this section shall not be delegated to any officer below the rank of Additional Registrar.

(3) Under sub-section (1) and (2) no order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and reasonable opportunity given to them of being heard.

(4) No such application shall be entertained by the Tribunal or Registrar unless presented within thirty days from the date of order and in computing the period aforesaid time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded."

19. In Section 78 of the Principal Act,- **Amendment of Section 78.**

(i) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1)Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order under this Act or the rules made there under:-

(a) If such order is passed by any officer subordinate to Registrar other than Additional Registrar or Joint Registrar, whether or not the officer passing the order is invested with the powers of the Registrar, to the Joint Registrar.

(b) If such order is passed by the Joint Registrar, to the Registrar or Additional Registrar duly authorized by the Registrar on his behalf.

(c) If such order is passed by the Registrar or Additional Registrar, to the Tribunal."

(ii) In sub-section (2) for the words "first appeal by the Registrar", the words "first appeal by the Joint Registrar, Additional Registrar or Registrar" shall be substituted."

Amendment of Section 87.

20. After Section 87 of the Principal Act, the following shall be added; namely:-

"Under this section, if any permission sought by the anti-corruption bureau or economic offence investigation bureau or any other agency constituted under any law for the time being in force, to institute enquiry or probe or to take any other action against any such officer or office bearer of the Co-operative Society, then the State Government shall be a competent authority to grant such permission to the above authorities."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2024 — भाद्रपद 12, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्रमांक 7525/डी. 60/21-अ/प्रारू./छ. ग./24. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 13-04-2023 को राज्यपाल एवं दिनांक 19-08-2024 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(कमांक 7 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

धारा 49 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 49 में,–

(1) उप–धारा (7–क) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(दो) सोसाइटी की बोर्ड द्वारा निर्वाचित अन्य सोसाइटियों के प्रतिनिधि का कार्यकाल, सोसाइटी की बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त होगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसा प्रतिनिधि किसी अन्य सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो वह ऐसी सोसाइटी, जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है, के बोर्ड के कार्यकाल के अवसान तक उस सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निरंतर अपने पद पर बना रहेगा।"

(2) उप–धारा (8) में, शब्द "और राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छः मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में बारह मास के भीतर निर्वाचन करवाएगा" का लोप किया जाये।

(3) उप–धारा (9) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ख) ऐसा कार्यवृत्त, सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों जिसमें रजिस्ट्रार भी सम्मिलित है, को सम्मिलन की समाप्ति के तीस दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा।"

3. मूल अधिनियम की धारा 50–ख की उप–धारा (8) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 50–ख का संशोधन.**

"(ख) आयोग, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन, ऐसी रीति से करेगा, जैसा कि विहित किया जायेः

परन्तु यह कि ऐसे उच्चतर स्तर की सोसाइटियों के निदेशक मण्डल का निर्वाचन तब ही कराया जायेगा, जब निचले स्तर की सहकारी सोसाइटियां, जो उससे संबद्ध है, के कम से कम तीन–चौथाई सोसाइटियों का निर्वाचन करा लिया गया हो।"

4. मूल अधिनियम की धारा 53 में,– **धारा 53 का संशोधन.**

(1) उप–धारा (1) के खण्ड (घ) के पश्चात्, वाक्यांश "तो रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु, ऐसे विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो छः माह और किसी सहकारी बैंक के मामले में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, प्रशासक नियुक्त कर सकेगाः" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"तो रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, संचालक मंडल को हटा सकेगा और सोसाइटी के क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु, आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, प्रशासक नियुक्त कर सकेगा।

पूर्वोक्त कालावधि को निर्वाचित बोर्ड के गठन तक रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर बढ़ाया जा सकेगा।"

(2) उप–धारा (3) का लोप किया जाए ।

धारा 79 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 79 में, जहाँ कहीं भी शब्द "अपील या पुनर्विलोकन" आये हो के स्थान पर, क्रमशः शब्द "अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन" प्रतिस्थापित किया जाए।"

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्रमांक 7525/डी. 60/21-अ/प्रारू./छ. ग./24. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2024)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy third Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 49.

2. In Section 49 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act),-

(1) for clause (ii) of sub-section (7-A), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) The term of the representatives to other societies, elected by the Board of the society, shall be co-terminus with the term of the Board of the society:

Provided that if such representative is elected as member of the Board of other Society then, he shall continue to hold his office as member of the Board of such Society till the expiry of the term of the Board of the Society for which he is elected."

(2) in sub-section (8), the protasis "and State Co-operative Election Commission shall hold Elections within six months, or twelve months in case of the Co-operative Banks" shall be omitted.

(3) for clause (b) of sub-section (9), the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) Such minutes shall be circulated to all the persons invited for the meeting including Registrar within thirty days from the conclusion of the meeting."

Amendment of Section 50-B

3. For clause (b) of sub-section (8) of Section 50-B of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) Commission shall conduct elections of all Co-operative societies registered under this Act in such a manner as may be prescribed :

Provided that the elections of Board of Directors of all higher level Societies shall be held only after holding elections of atleast three forth of such lower level societies affiliated to it."

Amendment of Section 53.

4. In Section 53 of the Principal Act,-

(1) after clause (d) of sub-section (1), for the protasis "The Registrar may, by order in writing, remove the Board of Directors and appoint an administrator to manage the affairs of the society for

a specified period, which shall not exceed six months and in case of a Co-operative Bank one year:" the following shall be substituted, namely:-

"The Registrar may, by order in writing, remove the Board of Directors and appoint an administrator to manage the affairs of the society for a period specified in the order.

The aforesaid period may be extended by the Registrar from time to time till the constitution of the elected board:"

(2) sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of Section 79

5. In Section 79 of the Principal Act, for the words "no appeal or review" wherever they occur, the words "no appeal, revision or review" shall be substituted, respectively.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अप्रैल 2025 — वैशाख 10, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2025

क्र. 3688/डी. 61/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 07–04–2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

धारा 50—ख का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 50—ख की उप—धारा (2) में शब्द ''प्रमुख सचिव'' के स्थान पर, शब्द ''सचिव'' प्रतिस्थापित किया जाये।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 अप्रैल 2025

क्र. 3688/डी. 61/21—अ/प्रारू./छ.ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप—सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2025)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2025.

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2025.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 50-B.

2. In sub-section (2) of Section 50-B of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), for the words "Principal Secretary", the word "Secretary" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित — 2025.